



भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक
का
राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन
31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए



छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 04

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए

(राजस्व क्षेत्र)

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 4

अनुक्रमणिका

| | कंडिका | पृष्ठ |
|--|--------|-------|
| प्रस्तावना | | v |
| विहंगावलोकन | | vii |
| प्रथम अध्याय: सामान्य | | |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति | 1.1 | 1 |
| बकाया राजस्व का विश्लेषण | 1.2 | 7 |
| कर निर्धारण हेतु बकाया | 1.3 | 8 |
| विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन | 1.4 | 8 |
| लंबित प्रतिदाय प्रकरण | 1.5 | 9 |
| लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया | 1.6 | 9 |
| लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण | 1.7 | 13 |
| लेखापरीक्षा योजना | 1.8 | 17 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 1.9 | 18 |
| इस प्रतिवेदन का क्षेत्र | 1.10 | 18 |
| लेखापरीक्षा के प्रेक्षकों पर विभाग द्वारा किये गये संशोधनों | 1.11 | 18 |
| द्वितीय अध्याय: उद्योगों को छूट एवं अनुदान पर निष्पादन लेखापरीक्षा | | |
| “औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान” पर निष्पादन लेखापरीक्षा | 2.1 | 19 |
| तृतीय अध्याय: वानिकी एवंवन्य जीवन (व्यय) | | |
| कर प्रशासन | 3.1 | 51 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 3.2 | 52 |
| “छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन” पर लेखापरीक्षा | 3.3 | 54 |
| वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय | 3.4 | 71 |
| उपचारित कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य पर अनियमित व्यय | 3.5 | 73 |
| सीमेंट कांक्रीट रोड के निर्माण में परिहार्य व्यय | 3.6 | 74 |
| चतुर्थ अध्याय: वाणिज्यिक कर | | |
| कर प्रशासन | 4.1 | 77 |

| | | |
|---|-----|-----|
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 4.2 | 78 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 4.3 | 78 |
| आगत कर छूट (आ.क.छू.) का गलत प्रदाय | 4.4 | 80 |
| कर का अवरोपण | 4.5 | 81 |
| विक्रय का छुपाव से कर का अपवंचन | 4.6 | 83 |
| घोषणापत्रों के अभाव में केंद्रीय विक्रय कर (कें.वि.क.) का रियायती दर से कर का मान्य किया जाना | 4.7 | 85 |
| कें.वि.क. अधिनियम के अंतर्गत बगैर संवैधानिक फार्म पर पारगमन विक्रय एवं शाखा अंतरण पर कर की छूट को मान्य किया जाना | 4.8 | 85 |
| कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर का कम आरोपण / अनारोपण | 4.9 | 87 |
| पंचम् अध्याय: मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | | |
| कर प्रशासन | 5.1 | 91 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 5.2 | 92 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 5.3 | 92 |
| विलेखों का गलत वर्गीकरण | 5.4 | 93 |
| मुख्य मार्ग में स्थित संपत्तियों का अवमूल्यांकन | 5.5 | 95 |
| कृषि सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन | 5.6 | 96 |
| संपत्तियों का अवमूल्यांकन | 5.7 | 98 |
| षष्ठम् अध्याय: अन्य कर प्राप्तियां | | |
| खण्ड अ: राज्य उत्पाद | | |
| कर प्रशासन | 6.1 | 99 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 6.2 | 99 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 6.3 | 100 |
| एफ एल 3 अनुज्ञापतिधारी से लायसेंस फीस की कम वसूली | 6.4 | 101 |
| विदेशी मदिरा के अत्याधिक हानि पर शुल्क की अवसूली | 6.5 | 101 |
| अनुज्ञापतिधारी को अनुचित लाभ पहुंचाना | 6.6 | 102 |
| खण्ड ब: वाहनों पर कर | | |
| कर प्रशासन | 6.7 | 103 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 6.8 | 104 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 6.9 | 104 |

| | | |
|---|------|-----|
| यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से मोटरयान कर का अनारोपण | 6.10 | 105 |
| सप्तम् अध्यायः कर-भिन्न प्राप्तियां | | |
| खण्ड अः अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग | | |
| कर प्रशासन | 7.1 | 107 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 7.2 | 108 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 7.3 | 108 |
| कोयले की दर का गलत अनुप्रयोग करने के कारण राज्यांश की कम प्राप्ति | 7.4 | 109 |
| कोयले पर राज्यांश के गलत दर के आरोपण से राज्यांश की कम वसूली | 7.5 | 110 |
| उत्खनिपट्टाधारकों से पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर की राशि की अवसूली | 7.6 | 111 |
| पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास उपकर के विलंबित भुगतान पर पट्टेदार को अनुचित लाभ | 7.7 | 112 |
| खण्ड बः वानिकी एवं वन्य जीवन (प्राप्तियां) | | |
| कर प्रशासन | 7.8 | 113 |
| आंतरिक लेखापरीक्षा | 7.9 | 114 |
| लेखापरीक्षा परिणाम | 7.10 | 114 |
| वनोपज का विक्रय निस्तार दर से भी कम दर में किया जाना | 7.11 | 115 |
| परिशिष्ट | | 119 |
| शब्दकोष | | 147 |

प्रस्तावना

31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्त) अधिनियम 1971 के मुख्य राजस्व प्राप्त करने वाले राजस्व क्षेत्र के विभागों के राजस्व प्राप्तियाँ एवं व्यय का लेखापरीक्षाओं के महत्वपूर्ण परिणामों को प्रस्तुत करती है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रकरण, जो वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच के समय ध्यान में आए, साथ ही जो पूर्ववर्ती अवधि में ध्यान में आए थे परन्तु जिन्हें पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था; इस प्रतिवेदन में जहां आवश्यक है वहां पर वर्ष 2015–16 के बाद की अवधि का लेखापरीक्षा के प्रकरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में 24 कंडिकायें सहित एक निष्पादन लेखापरीक्षा "औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दिये गये छूट एवं अनुदान" एवं एक लेखापरीक्षा "छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन" जिसमें ₹ 111.10 करोड़ के अवनिर्धारण, राजस्व का कम आरोपण एवं कर का अनारोपण, अनियमित/परिहार्य व्यय आदि सम्मिलित है। कुछ मुख्य प्रेक्षकों नीचे वर्णित किये गये हैं:

I. सामान्य

छत्तीसगढ़ शासन का वर्ष 2015-16 के लिये कुल प्राप्तियाँ ₹ 46,067.71 करोड़ थी। राज्य शासन द्वारा संग्रहित कर की कुल प्राप्तियाँ ₹ 22,289.65 करोड़ थी जिसमें कर राजस्व ₹ 17,074.86 करोड़ एवं कर भिन्न राजस्व ₹ 5,214.79 करोड़ था। भारत सरकार से प्राप्तियाँ ₹ 23,778.06 करोड़ थी (विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश ₹ 15,716.47 करोड़ और सहायता अनुदान ₹ 8,061.59 करोड़)। इस प्रकार राज्य शासन का अपना योगदान कुल राजस्व का 48 प्रतिशत रहा।

(कंडिका 1.1)

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 86 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 329.30 करोड़ के 55,971 प्रकरणों पाए गए। वर्ष 2015-16 के दौरान संबंधित विभागों ने 27,557 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 72.80 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए 15 प्रकरणों में राशि ₹ 72.22 लाख की वसूली की गई।

(कंडिका 1.9)

II. औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को छूट एवं अनुदान

"औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान" पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुईं:

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीतियों के तहत उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार स्वयं की खपत पर ही विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान नहीं किये जाने से शासन को ₹ 6.03 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 2.10)

यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि निर्धारित की गई है, किन्तु औद्योगिक नीति में विकल्प की वजह से किसी एक औद्योगिक नीति में छूट का उपभोग करने पर उसका निर्धारण करने बाबत औद्योगिक नीति में प्रावधान के अभाव में उद्योगों को एक से अधिक नीति में छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.11)

उद्योग विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करता है। लाभ प्राप्त उद्योग द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी दिनांक से दो से पाँच वर्ष तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक है। यह देखा गया है कि उद्योग विभाग द्वारा अनुवर्ती छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ करने के दिनांक से सीमित नहीं किया गया जिसके कारण औद्योगिक नीति में निर्धारित समयावधि से अवधि बढ़ गई।

(कंडिका 2.12)

उद्योग विभाग द्वारा शवलिकरण हेतु ₹ 1.68 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट एक ऐसे उद्योग को प्रदान की जो न तो उसके वर्तमान उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की शर्त का पालन कर रहा था और न ही नये उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति जिसमें लाभान्वित हुआ था के समयावधि में प्रारंभ किया था।

(कंडिका 2.18)

एक उद्योग जो छूट हेतु पात्र था, अपनी एक इकाई का विक्रय ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था। विक्रीत इकाई जो अब अपात्र उद्योग का भाग थी जिसे ₹ 1.08 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनियमित छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.19)

औद्योगिक नीति के अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। किन्तु, उद्योग विभाग ने ₹ 76.29 लाख की छूट एवं अनुदान ऐसे उद्योग को प्रदान की जो अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था।

(कंडिका 2.20)

औद्योगिक नीति में उल्लेखित शर्त के अनुसार कोई भी उद्योग जो औद्योगिक नीति के तहत लाभ प्राप्त करता है तो उसे कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर रूप से कार्य करना चाहिए। उद्योग विभाग में निगरानी प्रणाली का अभाव होने के कारण, तीन उद्योगों निरंतर रूप से कार्य करने में विफल रहे साथ ही पाँच उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इन उद्योगों द्वारा छूट/रियायत के रूप में ₹ 7.38 करोड़ का उपभोग किया जो वसूलनीय था।

(कंडिका 2.25 एवं 2.27)

III. वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

“छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन” पर लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियां परिलक्षित हुईं:

राज्य वन विकास अभिकरण (रा.व.वि.अ.) द्वारा कार्य का वार्षिक योजना (का.वा.यो.) प्रस्तुत करने में विलंब एवं राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिति विकास बोर्ड (रा.व.पा.वि.ब.) द्वारा का.वा.यो. की स्वीकृति में समय सीमा का अभाव होने के कारण रा.व.पा.वि.बो. द्वारा रा.व.वि.अ. को निधि जारी करने में 37 से 137 दिनों का विलंब हुआ। आगे रा.व.वि.अ.

एवं उसके बाद व.वि.अ. द्वारा समय में निधियों का हस्तांतरण में मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया, परिणामस्वरूप सं.व.प्र.स. को निधि अगले वर्ष प्राप्त हुआ।

(कंडिका 3.3.7.1 एवं 3.3.7.2)

दो व.वि.अ. में राशि ₹ 1.50 करोड़ का व्यय करते हुए 445 हेक्टेयर वनक्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य अनुपयुक्त स्थल/ऐसे क्षेत्रों में जहां पर अन्य मदों से पूर्व में उपचार कार्य चल रहे थे में किया गया।

(कंडिका 3.3.9)

सदस्य सचिव, रा.व.वि.अ. के गलत कथन की वृक्षारोपण हेतु कोई नये क्षेत्र की स्वीकृति नहीं हुई है एवं रा.व.पा.वि.बो. अथवा रा.व.वि.अ. के बिना अनुमोदन के का.वा.यो. में अनुमोदित वानिकी कार्य हेतु स्वीकृत राशि को उन्नत बायोमास चुल्हा के निर्माण में व्यपवर्तन किया। परिणामस्वरूप ₹ 83.98 लाख का दुरुपयोग गलत कथन के आधार पर हुआ।

(कंडिका 3.3.8.1)

का.वा.यो. में शामिल नहीं किये गये कार्य हेतु एक गैर-सरकारी संस्थान (एन.जी.ओ.) को ₹ 66.69 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। आगे एन.जी.ओ. को जिस कार्य के लिए भुगतान किया गया उसका मूल्यांकन नहीं किया गया।

(कंडिका 3.3.8.2)

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों:

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) द्वारा वृक्षारोपण का कार्य अथवा पुनरोद्धार का कार्य ऐसे क्षेत्रों में जहां पूर्व से ही उपचार कार्य चल रहे हैं पर निषिद्ध किये जाने के बावजूद दो वनमण्डलों द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 175 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य कर ₹ 1.08 करोड़ का व्यय किया, जहां पर वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य में पूर्व उपचार कार्य चल रहे थे।

(कंडिका 3.4)

कवर्धा वनमण्डल में राज्य कैम्पा के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्रा.पु.) का कार्य ऐसे नौ कूपों में किया गया, जहां पर पूर्व में विभागीय मद से उपचारित कर लिया गया था, परिणामस्वरूप ₹ 56.27 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

(कंडिका 3.5)

IV. वाणिज्यिक कर

आठ कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों के वर्ष 2007-08 से 2010-11 के 10 प्रकरणों में प्रवेश कर (प्र.क.) का गलत दर अनुप्रयोग किये जाने से प्रवेश कर की राशि ₹ 4.22 करोड़ की कम प्राप्ति हुई। साथ ही शास्ति ₹ 2.15 लाख भी आरोपणीय थी।

(कंडिका 4.9)

12 कार्यालयों में कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा 28 व्यवसायियों के वर्ष 2008-09 से 2013-14 के प्रकरणों में "सी", "ई-I/सी" एवं "एफ" फार्म की प्रस्तुति सुनिश्चित किये बिना रियायत दर से कर मान्य किये जाने के कारण केंद्रीय विक्रय कर की राशि ₹ 5.39 करोड़ का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 3.94 लाख भी आरोपणीय थी।

(कंडिका 4.7 एवं 4.8)

वर्ष 2008-09 से 2010-11 के कर निर्धारण प्रकरणों में निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण के दौरान व्यवसायियों के संव्यवहारों का प्रतिसत्यापन न किये जाने के कारण तीन व्यवसायियों के विक्रय का छुपाव हुआ, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ का कर अपवंचन हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 1.99 करोड़ भी आरोपणिय थी।

(कंडिका 4.6)

वर्ष 2010-11 से 2013-14 के कर निर्धारण के दौरान दो कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा आठ व्यवसायियों जिन्होंने अपने वार्षिक विवरणी में क्रयों को बढ़ाकर प्रदर्शित किया गया उसे आगत कर छूट मान्य किया गया। एक अन्य प्रकरण में एक व्यवसायी जिसका आवृत्त निरंक था उससे पूंजीगत प्रकृति एवं निर्माण कार्य सामग्रीयों पर किये गये क्रयों पर आगत छूट प्रदान किया गया। अतः कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संव्यवहारों का सत्यापन चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट के रिपोर्ट एवं विवरणीयों के जाँच करने में विफल होने के कारण राशि ₹ 13.47 लाख का अधिक/गलत आगत कर प्रदान हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 1.74 लाख भी आरोपणीय थी।

(कंडिका 4.4)

V. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

चार उपपंजीयकों द्वारा सम्पत्तियों के पंजीकरण के दौरान मुख्य मार्ग में स्थित 29 सम्पत्तियों का मूल्यांकन मुख्य मार्ग से अलग मानकर किया गया। जिसके फलस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फ.) की राशि ₹ 74.91 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.5)

उ.पं., रायपुर द्वारा नगर निगम/नगर परिषद्/नगर पंचायत में स्थित कृषि सम्पत्तियों के मूल्यांकन करते वक्त बाजार भाव मार्गदर्शिका सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप 15 प्रकरणों में मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 53.81 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.6)

तीन उपपंजीयकों द्वारा 11 प्रकरणों में संपत्ति का मूल्यांकन करते वक्त मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ एवं मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 50.00 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 5.7)

VI. अन्य कर प्राप्तियां

अधिनियम के प्रावधान अनुसार कलेक्टर द्वारा अनुज्ञप्ति के अभ्यर्ण के प्रकरण को आबकारी आयुक्त (आ.आ.) को प्रेषित न करते हुए अनुज्ञप्ति को निरस्त किया गया। साथ ही शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 49.03 लाख पूर्व अनुज्ञप्तिधारक से भी वसूल नहीं की जा सकी।

(कंडिका 6.6)

आसवक (डिस्टीलर) द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आई एम एफ एल) के निर्यात पर अनुमत्य सीमा से अधिक हानि/कमी का वहन किया गया एवं अनुमत्य सीमा से अत्याधिक हानि पर आबकारी शुल्क की राशि ₹ 28.34 लाख की वसूली आसवक से नहीं हो सकी।

(कंडिका 6.5)

VII. कर-भिन्न प्राप्तिां

उपसंचालक, खनिज प्रशासन (उ.सं.ख.प्र.), रायगढ़ द्वारा स्पंज आयरन एवं कैप्टिव पावर उत्पादन में कोयला मिडलिंग के उपभोग पर राज्यांश का निर्धारण "पावर यूटीलिटी से भिन्न" क्षेत्रों के दर न लगाकर "पावर यूटीलिटी" के दर लगाये जाने के कारण राज्यांश की राशि ₹ 14.14 करोड़ की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 7.4)

उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ द्वारा कोयले के नविन ग्रेडिंग अनुसार राज्यांश की परिगणना न किये जाने से राज्यांश की राशि ₹ 27.29 लाख एवं ब्याज की राशि ₹ 25.31 लाख की कम प्राप्ति हुई।

(कंडिका 7.5)

दो वनमण्डलों में 10,575.5 जलाऊ चट्टों एवं 11,702 बल्लीयों का नीलामीयों में निस्तार दरों से भी कम दरों में विक्रय किया गया। जिसके फलस्वरूप ₹ 33.74 लाख की राजस्व हानि हुई।

(कंडिका 7.11)

प्रथम अध्याय
सामान्य

प्रथम अध्याय: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संग्रहित कर तथा कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं सहायता अनुदान तथा इससे संबंधित विगत चार वर्ष के आंकड़ें तालिका 1.1 में वर्णित हैं:

तालिका 1.1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)


| स. क्र. | विवरण | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 1. | राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व | | | | | |
| | • कर राजस्व | 10,712.25 | 13,034.21 | 14,342.71 | 15,707.26 | 17,074.86 |
| | • कर भिन्न राजस्व | 4,058.48 | 4,615.95 | 5,101.17 | 4,929.91 | 5,214.79 |
| | योग | 14,770.73 | 17,650.16 | 19,443.88 | 20,637.17 | 22,289.65 |
| 2. | भारत सरकार से प्राप्तियाँ | | | | | |
| | • विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम | 6,320.44 | 7,217.60 | 7,880.22 | 8,363.03 | 15,716.47 ¹ |
| | • सहायता अनुदान | 4,776.21 | 4,710.33 | 4,726.16 | 8,987.81 | 8,061.59 |
| | योग | 11,096.65 | 11,927.93 | 12,606.38 | 17,350.84 | 23,778.06 |
| 3. | राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2) | 25,867.38 | 29,578.09 | 32,050.26 | 37,988.01 | 46,067.71 |
| 4. | 1 का 3 से प्रतिशत | 57 | 60 | 61 | 54 | 48 |

(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य शासन द्वारा संग्रहित राजस्व (₹ 22,289.65 करोड़) के कुल राजस्व का 48 प्रतिशत रहा। वर्ष 2015-16 के दौरान शेष 52 प्रतिशत राजस्व भारत सरकार से प्राप्त हुआ।


¹ विस्तृत विवरण के लिए कृपया छत्तीसगढ़ शासन के वर्ष 2015-16 के वित्त लेखें में विवरण पत्र क्रमांक 14 "राजस्व का विस्तृत लेखा लघु शीर्षों से" को देखें। लघु शीर्ष "राज्यों को समनुदेशित

चार्ट 1.1: पिछले पांच वर्षों के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 में राज्य का राजस्व प्राप्ति में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों में भारत सरकार का हिस्सा में 37 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.2: वर्ष 2015-16 में राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा



कुल राजस्व प्राप्तियों में से राज्य के संग्रहित राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा 48 प्रतिशत रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में छः प्रतिशत कम रहा। भारत सरकार से प्राप्तियों का विश्लेषण करने पर पाया गया कि शेष 34 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के अंश का निवल आगम एवं 18 प्रतिशत सहायता अनुदान थी।

1.1.2 वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान संग्रहित कर राजस्व के विवरण निचे तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2
शासन द्वारा संग्रहित कर राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 आधिक्य (+) या कमी का प्रतिशत | वर्ष 2015-16 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत |
|---------|---------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | ब.अ. | 6,000.00 | 7,310.20 | 8,436.00 | 9,800.00 | 10,998.00 | (+5.69 | (-)19.00 |
| | | वास्तविक | 6,006.25 | 6,928.65 | 7,929.51 | 8,428.61 | 8,908.36 | | |
| 2. | राज्य उत्पाद शुल्क | ब.अ. | 1,550.00 | 2,200.00 | 2,675.00 | 3,150.00 | 3,528.00 | (+15.42 | (-)5.37 |
| | | वास्तविक | 1,596.98 | 2,485.68 | 2,549.15 | 2,892.45 | 3,338.40 | | |
| 3. | विद्युत पर कर और शुल्क | ब.अ. | 600.00 | 780.00 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,400.00 | (+4.56 | (-)1.94 |
| | | वास्तविक | 637.97 | 860.75 | 1,020.44 | 1,312.93 | 1,372.84 | | |
| 4. | मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | ब.अ. | 875.00 | 950.00 | 1,150.00 | 1,250.00 | 1,350.00 | (+15.82 | (-)12.21 |
| | | वास्तविक | 845.82 | 952.47 | 990.24 | 1,023.33 | 1,185.22 | | |
| 5. | माल एवं यात्रियों पर कर | ब.अ. | 700.00 | 950.00 | 1,192.00 | 1,335.00 | 1,441.80 | (+5.95 | (-)27.85 |
| | | वास्तविक | 825.67 | 954.31 | 945.44 | 981.88 | 1,040.26 | | |
| 6. | वाहनों पर कर | ब.अ. | 475.00 | 605.71 | 731.38 | 800.00 | 864.00 | (+17.87 | (-)4.03 |
| | | वास्तविक | 502.18 | 591.75 | 651.07 | 703.48 | 829.22 | | |
| 7. | भू-राजस्व | ब.अ. | 250.00 | 346.00 | 415.00 | 460.00 | 496.80 | (+9.74 | (-)26.76 |
| | | वास्तविक | 270.56 | 234.11 | 226.06 | 331.56 | 363.84 | | |
| 8. | अन्य कर राजस्व | ब.अ. | 12.14 | 19.27 | 25.62 | 31.26 | 7.25 | (+11.21 | (+406.48 |
| | | वास्तविक | 26.82 | 26.49 | 30.80 | 33.02 | 36.72 | | |
| योग | | ब.अ. | 10,462.14 | 13,161.18 | 15,625.00 | 17,926.26 | 20,085.85 | (+8.71 | (-)14.99 |
| | | वास्तविक | 10,712.25 | 13,034.21 | 14,342.71 | 15,707.26 | 17,074.86 | | |


(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखें)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में राज्य के कर राजस्व वर्ष 2014-15 की तुलना में 8.71 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि वर्ष 2015-16 में बजट अनुमान (ब.अ.) के विरुद्ध वास्तविक प्राप्ति में 14.99 प्रतिशत की कमी पाई गई।

चार्ट 1.3: पिछले पाँच वर्षों में शासन के राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



चार्ट 1.4: वर्ष 2015-16 के मदवार राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा



संबंधित विभागों द्वारा अंतरों के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों के अंतर के कारण:

वाहनों पर कर: वृद्धि (17.87 प्रतिशत) जीवनकाल कर एवं तिमाही करों में वृद्धि होने के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क: वृद्धि (15.82 प्रतिशत) खनिपट्टों के पंजीयन में वृद्धि होने के कारण हुई।

राज्य उत्पाद शुल्क: वृद्धि (15.42 प्रतिशत) देशी/विदेशी मदिरा दुकानों से वार्षिक राजस्व में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने एवं वर्ष 2016-17 के दुकानों के आबंटन से प्राप्त प्रक्रिया शुल्क का वर्ष 2015-16 में प्राप्त होने के कारण हुई।

(ब) वर्ष 2015-16 में ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों के अंतर का कारण:

बिक्री व्यापार आदि पर कर: कमी (19 प्रतिशत) पेट्रोलियम पदार्थ एवं लौह एवं इस्पात उद्योगों से कम मूल्य संवर्धित कर (मू.सं.क.) की प्राप्ति एवं अंतरराज्यीय संव्यवहारों में कमी एवं सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा कच्चा माल के क्रय में कमी होने के कारण हुई।

भू-राजस्व: कमी (26.76 प्रतिशत) 119 तहसीलों को सुखाग्रस्त घोषित करने के कारण हुई।

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क: कमी (12.21 प्रतिशत) वित्त विभाग द्वारा प्रथम तिमाही में प्राप्ति के आधार पर ब.अ. को पुनरिक्षण न किये जाने के कारण हुई।

ऊर्जा विभाग द्वारा ब.अ. एवं वास्तविक प्राप्तियों में अंतरों का कोई विशिष्ट कारण नहीं बताया गया।

हम अनुशांसा करते हैं कि शासन वास्तविक बजट तैयार करें ताकि ब.अ. एवं वास्तविक में 10 प्रतिशत से अधिक का अंतर न हो।

1.1.3 वर्ष 2011-12 से 2015-16 तक संग्रहित कर-भिन्न राजस्व के विवरण नीचे तालिका 1.3 में वर्णित है:

तालिका 1.3
संग्रहित कर भिन्न राजस्व का विवरण


(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | वर्ष 2014-15 के तुलना में 2015-16 आधिक्य (+) या कमी का प्रतिशत | वर्ष 2015-16 के वास्तविक प्राप्तियों एवं बजट अनुमान के अंतर का प्रतिशत |
|---------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| 1. | अलौह-धातु खनन और धातुकर्म उद्योग | ब.अ. | 2,700.00 | 3,105.00 | 3,510.00 | 4,100.00 | 7,000.00 | (+3.83 | (-)47.01 |
| | | वास्तविक | 2,744.82 | 3,138.18 | 3,236.01 | 3,572.68 | 3,709.52 | | |
| 2. | वानिकी एवं वन्य जीवन | ब.अ. | 400.00 | 405.00 | 450.00 | 520.00 | 500.00 | (+17.50 | (-)18.05 |
| | | वास्तविक | 341.64 | 363.96 | 405.91 | 348.72 | 409.75 | | |
| 3. | ब्याज प्राप्तियाँ | ब.अ. | 302.40 | 321.94 | 399.14 | 323.40 | 260.67 | (-)37.04 | (-)58.48 |
| | | वास्तविक | 216.57 | 243.13 | 380.64 | 171.89 | 108.23 | | |
| 4. | वृहद एवं मध्यम सिंचाई | ब.अ. | 282.71 | 391.46 | 426.11 | 421.50 | 392.53 | (+21.71 | (+29.49 |
| | | वास्तविक | 336.49 | 357.23 | 348.64 | 417.62 | 508.27 | | |
| 5. | अन्य कर-भिन्न राजस्व | ब.अ. | 852.07 | 624.54 | 1,048.86 | 819.72 | 509.79 | (+14.32 | (-)6.04 |
| | | वास्तविक | 418.96 | 513.45 | 729.70 | 419.00 | 479.02 | | |
| | योग | ब.अ. | 4,537.18 | 4,847.94 | 5,834.11 | 6,184.62 | 8,662.99 | (+5.78 | (-)39.80 |
| | | वास्तविक | 4,058.48 | 4,615.95 | 5,101.17 | 4,929.91 | 5,214.79 | | |


(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2014-15 के तुलना में वर्ष 2015-16 में राज्य के कर-भिन्न राजस्व में 5.78 प्रतिशत की वृद्धि हुई। जबकि ब.अ. के विरुद्ध वर्ष 2015-16 में वास्तविक प्राप्तियों में 39.80 प्रतिशत की कमी देखी गई।

चार्ट 1.5: पिछले पाँच वर्षों में कर-मिन्न राजस्व प्राप्तियाँ



चार्ट 1.6: वर्ष 2015-16 के मदवार कर-मिन्न राजस्व प्राप्तियों का हिस्सा



संबंधित विभागों द्वारा अंतर के कारणों का उल्लेख निम्नानुसार है:

(अ) वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2015-16 में प्राप्तियों के अंतर के कारण:

वानिकी एवं वन्य जीवन: वृद्धि (17.50 प्रतिशत) उत्पादन में वृद्धि एवं नीलामी एवं निस्तार डिपों में वनोपज के विक्रय में अधिक प्राप्ति होने के कारण हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई: वृद्धि (21.71 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के दो निगमों से संपूर्ण जलकर प्राप्त होने एवं औद्योगिक ईकाईयों से जलकर का अधिक वृद्धि का लक्ष्य होने के कारण हुई।

(ब) वर्ष 2015-16 में ब.अ. एवं प्राप्तियों के अंतर के कारण:

अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग: कमी (47.01 प्रतिशत) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार वर्ष 2015-16 में खनिपट्टों से कोयला ब्लॉक आंबटन पर शास्ति ₹ 295 प्रति मैट्रिक टन के अपेक्षा में बजट अनुमान तय करने के कारण।

वानिकी एवं वन्य जीवन:कमी (18.05 प्रतिशत) पूर्व भानुप्रतापपुर, पश्चिम भानुप्रतापपुर, कोण्डागांव (दक्षिण) एवं नारायणपुर वनमंडलों के कार्य आयोजना का भारत शासन से अनुमोदन न होने के कारण हुई।

वृहद एवं मध्यम सिंचाई: वृद्धि (29.49 प्रतिशत) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के दो निगमों से संपूर्ण जलकर प्राप्त होने एवं औद्योगिक ईकाईयों से जलकर का अधिक वृद्धि का लक्ष्य होने के कारण हुई।

1.2 बकाया राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2016 की स्थिति में कुछ प्रमुख राजस्व शीर्षों के बकाया राजस्व ₹ 1,663.09 करोड़ थे, जिसमें ₹ 474.65 करोड़ पांच वर्षों से अधिक बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.4 में वर्णन किया गया है:

तालिका 1.4: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2016 तक बकाया राशि | 31 मार्च 2016 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि | विभाग का उत्तर |
|---------|------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 1. | विक्रय, ब्यापार आदि पर कर | 1,004.83 | 334.08 | 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल बकाया में से ₹ 625.18 करोड़ विभिन्न न्यायालयों द्वारा वसूली बकाया का स्थगन, अन्य राज्यों को प्रेषित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.) का निराकरण न होना, फर्म का बंद होना, अपर्याप्त चल/अचल संपत्तियों को बट्टे खातों में डालने आदि होने के कारण। शेष बकाया के वसूली हेतु रा.व.प्र. जारी की जा रही है। |
| 2. | विद्युत कर एवं शुल्क | 476.30 | 6.25 | बकाया वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। |
| 3. | वाहनों पर कर | 12.47 | 3.48 | वाहन स्वामियों द्वारा निश्चित समय अवधि में कर जमा नहीं किये जाने के कारण। वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर दिया गया है एवं अधिकारियों, जांच चौकियों/उड़न दस्ताओं को त्वरित बकाया वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| 4. | मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क | 16.47 | — | विभाग द्वारा पांच वर्षों से अधिक के बकाया की जानकारी प्रदाय नहीं कि गई। जिला पंजीयकों के मांग सूचना अनुरूप बकाया की वसूली की जा रही है। |
| 5. | अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग | 85.91 | 85.91 | विशेष वाहक द्वारा समस्त क्षेत्रिय कार्यालयों को बकाया वसूली हेतु निर्देशित किया जा चुका है। अवसूलीय बकाया को बट्टे खातों में डालने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। |
| 6. | भू-राजस्व | 37.11 | 44.93 | नगर निगम/परिषदों से प्रब्याजि की वसूली न होने के कारण, नक्सल प्रभावित एवं सूखाग्रस्त प्रभावित क्षेत्रों में वसूली को स्थगित करने एवं कर्मचारियों का विभिन्न कार्यों में संलग्न होने के कारण। |
| योग | | 1,633.09 | 474.65 | |

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि बकाया राशि ₹ 1,633.09 करोड़ वसूली हेतु लंबित है। जिसमें से ₹ 474.65 करोड़ पाँच वर्षों से अधिक बकाया है, जो कि कुल बकाया का 29 प्रतिशत है एवं वसूली हेतु ठोस प्रयास किया जाना चाहिए।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन पाँच वर्षों से अधिक के बकाया राशि के वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।

1.3 कर निर्धारण हेतु बकाया

वर्ष 2015-16 के प्रारम्भ में कर निर्धारण के लंबित प्रकरणों की जानकारी, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य प्रकरण, वर्ष के दौरान निराकृत एवं वर्ष के अन्त में लंबित प्रकरण जैसा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा वैट, वृत्ति कर, प्रवेश कर, विलासिता कर एवं निर्माण कार्य करार पर कर के संबंध में सूचित किया गया, तालिका 1.5 में प्रदर्शित है।

तालिका 1.5: कर निर्धारण हेतु बकाया

| राजस्व शीर्ष | प्रारंभिक शेष | 2015-16 के दौरान कर निर्धारण हेतु नए प्रकरण | कुल लंबित कर निर्धारण | 2015-16 के दौरान निराकृत प्रकरण | वर्ष के अंत में शेष प्रकरण | निराकरण का प्रतिशत (कालम 5 से 4) |
|--------------------------|---------------|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| मूल्य सवंधित कर | 50,018 | 82,062 | 1,32,080 | 90,985 | 41,095 | 68.89 |
| वृत्ति कर | 8,617 | 842 | 9,459 | 9,236 | 223 | 97.64 |
| प्रवेश कर | 20,768 | 45,183 | 65,951 | 46,556 | 19,395 | 70.59 |
| विलासिता कर | 78 | 142 | 220 | 129 | 91 | 58.64 |
| निर्माण कार्य करार पर कर | 118 | 740 | 858 | 600 | 258 | 69.93 |
| योग | 79,599 | 1,28,969 | 2,08,568 | 1,47,506 | 61,062 | 70.72 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 के अंत तक कुल कर निर्धारण योग्य प्रकरणों का 70.72 प्रतिशत ही विभाग द्वारा निराकरण किया जा सका।

अधिक राजस्व संग्रहण हेतु शासन इन लंबित प्रकरणों को अतिशिघ्र निराकरण हेतु समयबद्ध कार्यवाही कर सकती है।

1.4 विभाग द्वारा खोजे गये कर अपवंचन

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के खोजे गए प्रकरणों, अंतिम रूप से निराकृत किए गए प्रकरणों एवं विभागों द्वारा यथा सूचित अतिरिक्त कर मांगों के विवरण तालिका 1.6 में वर्णित है:

तालिका 1.6: कर अपवंचन

(₹ लाख में)

| स.क्र. | राजस्व शीर्ष | 31 मार्च 2015 तक के लंबित प्रकरणों की संख्या | वर्ष 2015-16 में खोजे गये प्रकरणों की संख्या | योग | ऐसे प्रकरणों की संख्या जिसमें निर्धारण/अन्वेषण कर अतिरिक्त मांग के साथ शास्ति आदि की मांग की गई | | 31 मार्च 2016 तक निराकृत किये जाने वाले लंबित प्रकरणों की संख्या |
|------------|---------------------------|--|--|------------|---|------------------|--|
| | | | | | प्रकरणों की संख्या | मांग की राशि | |
| 1. | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 136 | 36 | 172 | 78 | 40,696.88 | 94 |
| योग | | 136 | 36 | 172 | 78 | 40,696.88 | 94 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2016 की स्थिति में लगभग 55 प्रतिशत प्रकरण निराकरण हेतु बकाया थे।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन लंबित प्रकरणों का समयबद्ध कार्यवाही कर त्वरित निराकरण करें ताकि शासन को होने वाले राजस्व हानियों से बचा जा सके।

1.5 लंबित प्रतिदाय प्रकरण

वणिज्यिक कर विभाग द्वारा सूचित किए गए अनुसार वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय प्रकरण, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदायों और वर्ष 2015-16 के अंत में लंबित प्रकरणों की संख्या तालिका 1.7 में वर्णित है:

तालिका 1.7: लंबित प्रतिदाय प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | विवरणी | विक्रय कर/मू.सं.क. | |
|---------|--------------------------------|--------------------|--------|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1. | वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावा | 839 | 10.07 |
| 2. | वर्ष के दौरान प्राप्त दावा | 3,856 | 228.55 |
| 3. | वर्ष के दौरान अनुमत्य प्रतिदाय | 3,492 | 227.31 |
| 4. | वर्ष के अंत में शेष दावा | 1,203 | 11.31 |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्रदायित जानकारी)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल 74 प्रतिशत प्रकरणों में ही प्रतिदाय प्रदाय मान्य किया गया।

हम शासन से अनुशंसा करते हैं कि प्रतिदाय दावों को जल्द से जल्द निराकरण करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें ताकि ब्याज दायित्व से बचा जा सके।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा) छत्तीसगढ़, शासन के विभागों के लेन-देन की नमूना जाँच कर सामयिक निरीक्षण करता है तथा यह सत्यापित करता है कि महत्वपूर्ण लेखों और अन्य अभिलेखों का संधारण निर्धारित नियमों और विधि के अनुसार किया जा रहा है।

इन निरीक्षणों के अनुसरण में जाँच के दौरान पायी गयी अनियमितताएं जिनका स्थल पर निराकरण नहीं किया जा सका, को निरीक्षण प्रतिवेदन में शामिल कर विभागाध्यक्ष को जारी करते हैं तथा उसकी प्रति उच्च अधिकारियों को शीघ्र सुधार कार्य करने के लिए भेजा जाता है। कार्यालय प्रमुख/शासन द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन में सम्मिलित आपत्तियों पर अनुपालन किया जाना अपेक्षित है, लोप और त्रुटियों को सुधार कर प्रारम्भिक उत्तर के द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन महालेखाकार को निरीक्षण प्रतिवेदन के जारी किए जाने के दिनांक से एक माह के भीतर देना होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताएं विभाग के प्रमुख और शासन को प्रतिवेदित की जाती हैं।

31 मार्च 2016 तक कि स्थिति में जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों के समीक्षा में पाया गया कि 2,934 निरीक्षण प्रतिवेदनों के 11,685 कड़िकाओं जिसमें राशि ₹ 12,980.27 करोड़ सन्निहित है जून 2016 तक बकाया थे, जैसा कि तालिका 1.8 में पिछले दो वर्षों के आंकड़ों से साथ दर्शित है।

तालिका 1.8
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

| | जून 2014 | जून 2015 | जून 2016 |
|---|----------|----------|-----------|
| निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या | 2,645 | 2,811 | 2,934 |
| लंबित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या | 10,419 | 11,073 | 11,685 |
| सन्निहित राजस्व/व्यय राशि (₹ करोड़ में) | 6,090.69 | 7,132.64 | 12,980.27 |

1.6.1 30 जून 2016 को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों, लेखापरीक्षा प्रेक्षणों एवं उसमें सन्निहित राजस्व का विभागवार विवरण नीचे तालिका 1.9 में किया गया है:

तालिका 1.9
विभागवार निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | विभाग का नाम | राजस्व की प्रकृति | नि.प्र. का प्रकार | बकाया नि.प्र. की संख्या | बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या | सन्निहित राशि |
|--------|-------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------------|--|---------------|
| 1. | वाणिज्यिक कर | बिक्री, ब्यापार इत्यादि पर कर | राज. | 449 | 2,827 | 507.69 |
| | | | व्यय | 23 | 44 | 5.42 |
| 2. | वाणिज्यिक कर (आबकारी) | राज्य उत्पाद मनोरंजन कर | राज. | 133 | 364 | 401.24 |
| | | | व्यय | 74 | 117 | 3.94 |
| | | | राज. | 14 | 28 | 0.22 |
| 3. | वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) | मुद्रांक एवं पंजीन फीस | राज. | 236 | 670 | 89.45 |
| | | | व्यय | 4 | 10 | 1.81 |
| 4. | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | भू-राजस्व | राज. | 580 | 1,802 | 1058.18 |
| | | | व्यय | 31 | 75 | 13.21 |
| 5. | परिवहन | यानों पर कर | राज. | 160 | 1,221 | 183.49 |
| | | | व्यय | 30 | 70 | 0.13 |
| 6. | खनिज साधन | अलौह धातु एवं खनीकर्म उद्योग | राज. | 149 | 542 | 860.52 |
| | | | व्यय | 15 | 25 | 225.67 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|----------------------|------|-------|--------|-----------|
| 7. | वन | वानिकी एवं वन्य जीवन | राज. | 339 | 1,034 | 1260.17 |
| | | | व्यय | 393 | 1,734 | 736.78 |
| 8. | ऊर्जा | विद्युत कर एवं शुल्क | राज. | 14 | 66 | 1650.06 |
| | | | व्यय | 1 | 4 | 5330.97 |
| 9. | अन्य कर विभागों | अन्य प्राप्तियां | राज. | 288 | 1,042 | 651.19 |
| | | | व्यय | 1 | 10 | 0.13 |
| योग | | | | 2,934 | 11,685 | 12,980.27 |

राज.—राजस्व

वर्ष 2015-16 के दौरान जारी किये गये 155 निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा के 121 निरीक्षण प्रतिवेदनों (78 प्रतिशत) के प्रथम उत्तर विभाग से अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। निरीक्षण प्रतिवेदनों की अधिक लंबित संख्या इस तथ्य को दर्शित करती है कि विभागाध्यक्षों का रवैया लेखापरीक्षा प्रेक्षकों के प्रति गंभीर नहीं है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति बैठकें

शासन द्वारा लेखापरीक्षा समिति की स्थापना निरीक्षण प्रतिवेदन और निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं के निराकरण की प्रगति की निगरानी और प्रगति को त्वरित करने के लिए की गई।

वर्ष 2015-16 के दौरान लेखापरीक्षा समितियों के बैठकों के आयोजन का विवरण तालिका 1.10 में दर्शित है।

तालिका 1.10

लेखापरीक्षा समिति बैठक के आयोजनों का विवरण

| विभाग | कुल आयोजित बैठकों की संख्या | कुल निराकृत कंडिकाओं की संख्या | राशि (₹ लाख में) |
|--------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------|
| वाणिज्यिक कर | 1 | 11 | 12.35 |
| खनिज साधन | 1 | 21 | 425.29 |
| योग | 2 | 32 | 437.64 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 में दो लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन किया गया, 32 कंडिकाओं जिसमें राशि ₹ 437.64 लाख सम्मिलित है का निराकरण किया गया।

1.6.3 लेखापरीक्षा हेतु अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया जाना

कर राजस्व/कर भिन्न राजस्व कार्यालयों का स्थानिय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम अग्रिम में तैयार किया जाता है और विभागों को सूचना भेज दी जाती है जिससे विभाग लेखापरीक्षा जांच हेतु वांछित अभिलेख तैयार कर सकें।

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के 41 कर निर्धारण प्रकरणों एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के पाँच प्रकरणों को लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये जिसका विवरण तालिका 1.11 में दिया गया है

तालिका 1.11
अप्रस्तुत अभिलेखों का विवरण

| कार्यालय/विभाग का नाम | वर्ष जिसमें इनकी लेखापरीक्षा की जानी थी | प्रकरणों की संख्या जिसकी लेखापरीक्षा की नहीं जा सकी |
|-------------------------|---|---|
| वाणिज्यिक कर | 2015-16 | पाँच ² ईकाइयों के 41 प्रकरणों |
| राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | 2015-16 | पाँच ³ ईकाइयों के पाँच प्रकरणों |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा को 46 अभिलेखों प्रस्तुत नहीं किये गये, अभिलेखों का प्रस्तुतीकरण न किया जाना लेखापरीक्षा को संवैधानिक दायित्व पूरा करने में बाधा पहुँचाता है और लेखापरीक्षा के कारण जो राज्य को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता था उससे वंचित रहा।

1.6.4 प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार द्वारा सभी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा प्रेषणों पर ध्यान आकृष्ट करने हेतु भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित होने वाली प्रारूप कंडिकाओं के माध्यम से किया जाता है, जिसका उत्तर छः सप्ताह के भीतर देना होता है। शासन/विभागों से उत्तर अप्राप्ति के संबंध में इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की संबंधित कंडिका के अंत में इंगित किया गया है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 24 प्रारूप कंडिकाएं प्रमुख सचिवों/सचिवों को जुलाई 2016 में भेजा गया था। खनिज साधन विभाग एवं वाणिज्यिक कर विभाग से बहिर्गमन सम्मेलन क्रमशः दिनांक 21 अक्टूबर 2016 एवं 24 अक्टूबर 2016 को आयोजन हुआ। प्रारूप कंडिकाओं पर प्रमुख सचिवों/सचिवों के उत्तर उचित स्थान पर समाहित कर एवं इस प्रतिवेदन में टिप्पणी किया गया है।

1.6.5 लेखापरीक्षा पर अनुसरण-सारांश स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशानुसार, लेखापरीक्षा विधानसभा पटल पर प्रस्तुत होने के तिथि से तीन माह के अंदर प्रतिवेदन की सभी कंडिकाओं के व्याख्यात्मक उत्तर (विभागीय टिप्पणी) सभी विभागों को लेखापरीक्षा के मत के साथ छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिवालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 की 179 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा को सम्मिलित कर) को राज्य विधानसभा में मार्च 2010 एवं मार्च 2016 के मध्य प्रस्तुत किया गया। 30 जून 2016 की स्थिति में 31 मार्च 2005 से 2014 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 21 कंडिकाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही की व्याख्यात्मक टीप प्राप्त नहीं हुई है।

लोक लेखा समिति द्वारा 2000-01 से 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के 157 चुनिंदा कंडिकाओं में से 124 कंडिकाओं को चर्चा हेतु चयन किया गया था एवं 75 कंडिकाओं के अनुशंसाओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2007-08 एवं 2009-10 में

² वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.)-III, रायपुर के 24 प्रकरणों; वा.क.अ.-II, बिलासपुर के तीन प्रकरणों; वा.क.अ.-I, रायपुर के एक प्रकरण; सहायक आयुक्त (स.अ.)-I, संभाग- II, रायपुर के एक प्रकरण एवं उपायुक्त (उ.अ.)(मुख्यालय), रायपुर के 12 प्रकरणों

³ तहसीलदार, बैकुंठपुर; तहसीलदार, महासमुंद; तहसीलदार, पंडरिया; कलेक्टर, कोरिया एवं कलेक्टर, मुंगेली के एक-एक प्रकरण

सम्मिलित किया गया। परंतु 15 अनुशंसाओं पर संबंधित विभागों से कार्यवाही टीप प्राप्त नहीं हुए, जिसका विवरण तालिका 1.12 में दिया गया है:

तालिका 1.12

अनुशंसाओं के सापेक्ष में अप्राप्त कार्यवाही टीप का विवरण

| वर्ष | विभाग का नाम | | | | | | | योग |
|------------|--------------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|-----------|
| | खनिज | राज्य उत्पाद | ऊर्जा | परिवहन | वणिज्यिक कर | पंजीकरण | वन | |
| 2000-01 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
| 2004-05 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 2 |
| 2005-06 | 1 | — | — | — | 3 | — | — | 4 |
| 2006-07 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 |
| 2007-08 | — | 1 | 1 | 2 | 2 | — | — | 6 |
| 2008-09 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| योग | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 15 |

1.7 लेखापरीक्षा में उठाये गये विषयों पर कार्यवाही करने हेतु प्रक्रिया का विश्लेषण

निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से उठाये गये मुद्दों को सम्बोधित करने हेतु प्रणाली का विश्लेषण, विभाग/शासन द्वारा पिछले 10 वर्षों की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के कार्यवाही हेतु एक विभाग का मूल्यांकन कर इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

अनुवर्ती कंडिका 1.7.1 से 1.7.3 के अन्तर्गत वन विभाग के निष्पादन लेखापरीक्षा एवं गत 10 वर्ष में ऐसे प्रकरण जो स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गये एवं ऐसे प्रकरण जो वर्ष 2005-06 से 2014-15 के दौरान लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये हैं का आकलन कर चर्चा की गई है।

1.7.1 वन विभाग के निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की सारांश स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल कंडिकाएँ और 31 मार्च 2015 के अनुसार उनकी स्थिति नीचे तालिका 1.13 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.13
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | वर्ष | | प्रारंभिक शेष | | | वर्ष के दौरान जोड़े गए | | | वर्ष के दौरान निराकृत | | | अंतिम शेष | | |
|---------|---------|------|---------------|----------|---------|------------------------|----------|--------|-----------------------|----------|-------|-----------|----------|---------|
| | | | नि. प्र. | कंडिका ₹ | राशि | नि. प्र. | कंडिका ₹ | राशि | नि. प्र. | कंडिका ₹ | राशि | नि. प्र. | कंडिका ₹ | राशि |
| 1. | 2005-06 | राज. | 256 | 883 | 811.95 | 11 | 58 | 104.48 | 1 | 31 | 28.42 | 266 | 910 | 888.01 |
| | | व्यय | 291 | 1030 | 209.49 | 2 | 12 | 13.30 | 1 | 6 | 3.04 | 292 | 1036 | 219.75 |
| 2. | 2006-07 | राज. | 266 | 910 | 888.01 | — | — | — | — | — | — | 266 | 910 | 888.01 |
| | | व्यय | 292 | 1036 | 219.75 | 13 | 107 | 40.78 | 4 | 49 | 10.16 | 301 | 1094 | 250.37 |
| 3. | 2007-08 | राज. | 266 | 910 | 888.01 | — | — | — | — | — | — | 266 | 910 | 888.01 |
| | | व्यय | 301 | 1094 | 250.37 | 1 | 08 | 1.27 | 1 | 6 | 0.03 | 301 | 1096 | 251.61 |
| 4. | 2008-09 | राज. | 266 | 910 | 888.01 | 10 | 38 | 164.59 | 2 | 34 | 13.27 | 274 | 914 | 1039.33 |
| | | व्यय | 301 | 1096 | 251.61 | 11 | 78 | 55.89 | 3 | 53 | 15.92 | 309 | 1121 | 291.58 |
| 5. | 2009-10 | राज. | 274 | 914 | 1039.33 | 2 | 25 | 17.11 | 3 | 34 | 11.81 | 273 | 905 | 1044.63 |
| | | व्यय | 309 | 1121 | 291.58 | 7 | 44 | 17.86 | 2 | 23 | 2.34 | 314 | 1142 | 307.10 |

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------|------|-----|------|---------|----|-----|--------|---|----|--------|-----|------|---------|
| 6. | 2010-11 | राज. | 273 | 905 | 1044.63 | 13 | 69 | 206.52 | — | 4 | 0.38 | 286 | 970 | 1250.77 |
| | | व्यय | 314 | 1142 | 307.10 | 16 | 131 | 116.66 | — | 13 | 4.91 | 330 | 1260 | 418.85 |
| 7. | 2011-12 | राज. | 286 | 970 | 1250.77 | 13 | 46 | 16.24 | — | 6 | 147.76 | 299 | 1010 | 1119.25 |
| | | व्यय | 330 | 1260 | 418.85 | 15 | 155 | 61.15 | — | 12 | 1.53 | 345 | 1403 | 478.47 |
| 8. | 2012-13 | राज. | 299 | 1010 | 1119.25 | 13 | 37 | 24.14 | 5 | 95 | 64.00 | 307 | 952 | 1079.39 |
| | | व्यय | 345 | 1403 | 478.47 | 21 | 177 | 95.99 | 7 | 74 | 40.10 | 359 | 1506 | 534.36 |
| 9. | 2013-14 | राज. | 307 | 952 | 1079.39 | 16 | 48 | 16.45 | 2 | 24 | 84.26 | 321 | 976 | 1011.58 |
| | | व्यय | 359 | 1506 | 534.36 | 22 | 208 | 163.65 | 4 | 80 | 33.99 | 377 | 1634 | 664.02 |
| 10. | 2014-15 | राज. | 321 | 976 | 1011.58 | 11 | 46 | 230.10 | — | 1 | 0.01 | 332 | 1021 | 1241.67 |
| | | व्यय | 377 | 1634 | 664.02 | 13 | 112 | 64.75 | 1 | 43 | 14.36 | 389 | 1703 | 714.41 |

पुरानी कंडिकाओं के निराकरण हेतु शासन, विभाग और महालेखाकार कार्यालय के बीच लेखापरीक्षा समिति बैठकें आयोजित करवाती है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 2005-06 के प्रारंभ में 558 (266 राजस्व एवं 292 व्यय) लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों में 1,946 (910 राजस्व एवं 1,036 व्यय) कंडिकाएँ थी जो 2014-15 के अन्त तक बढ़कर 721(332 राजस्व एवं 389 व्यय)लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन के 2,724 (1021 राजस्व एवं 1703 व्यय) कंडिकाएँ हो गई। वन विभाग ने वर्ष 2015-16 में कोई भी लेखापरीक्षा समिति बैठक आयोजित नहीं की।

1.7.2 स्वीकृत प्रकरणों की वसूली

पिछले 10 वर्षों में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल की गई कंडिकाएँ जो वन विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए तथा वसूल की गई राशि नीचे तालिका 1.14 में वर्णित है:

तालिका 1.14
स्वीकृत प्रकरणों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | | सम्मलित की गई कंडिकाओं की संख्या | राशि | स्वीकृत कंडिकाओं की संख्या | स्वीकृत कंडिकाओं की राशि | वसूल की गई राशि |
|---------|------|----------------------------------|--------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| 2005-06 | राज. | 3 | 43.74 | — | 36.22 | — |
| | व्यय | 2 | 0.70 | 1 | 0.35 | — |
| 2006-07 | राज. | 2 | 2.43 | — | — | — |
| | व्यय | 2 | 0.32 | — | — | — |
| 2007-08 | राज. | — | — | — | — | — |
| | व्यय | — | — | — | — | — |
| 2008-09 | राज. | — | — | — | — | — |
| | व्यय | — | — | — | — | — |
| 2009-10 | राज. | — | — | — | — | — |
| | व्यय | — | — | — | — | — |
| 2010-11 | राज. | 4 | 15.00 | 3 | 1.70 | — |
| | व्यय | — | — | — | — | — |
| 2011-12 | राज. | 4 | 0.72 | 1 | 0.04 | — |
| | व्यय | 9 | 14.48 | 3 | 0.58 | — |
| 2012-13 | राज. | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 | — |
| | व्यय | 4 | 9.15 | — | — | — |
| 2013-14 | राज. | 5 | 8.28 | 1 | 0.06 | — |
| | व्यय | 5 | 5.67 | — | — | — |
| 2014-15 | राज. | 2 | 0.17 | — | — | — |
| | व्यय | 3 | 2.19 | — | — | — |
| योग | | 46 | 102.86 | 10 | 38.96 | |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गत 10 वर्षों के दौरान स्वीकृत प्रकरणों में कोई वसूली नहीं हुई है। संबंधित बकायादारों से स्वीकृत प्रकरणों में बकाया राशि के वसूली

हेतु प्रयास किया जाना था। आगे वन विभाग के कार्यालय में बकाया प्रकरण एवं स्वीकृत लेखापरीक्षा आपत्तियों की जानकारी भी उपलब्ध नहीं थी। किसी भी उपयुक्त प्रणाली की अनुपस्थिति में विभाग स्वीकृत प्रकरणों की वसूली की निगरानी नहीं कर पाया।

हम अनुशंसा करते हैं की विभाग स्वीकृत प्रकरणों के वसूली हेतु तत्काल कार्यवाही करने हेतु पहल एवं निगरानी करें।

1.7.3 शासन/विभागों द्वारा स्वीकृत अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही

महालेखाकार द्वारा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) का प्रारूप संबंधित विभाग/शासन को उनसे उत्तर प्राप्त करने के लिए अनुरोध के साथ उनको सूचनार्थ प्रेषित किया जाता है। इन नि.ले.प. पर बहिर्गमन सम्मेलन में भी विचार विमर्श किया जाता है तथा विभागों/शासन के मंतव्यों को प्रतिवेदनों में समाहित किया जाता है।

नीचे दिये गए कंडिकाओं में वन विभाग की नि.ले.प. में उठाये गये विषय वर्ष 2009-10, 2012-13 एवं 2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किये गये। अनुशंसाओं का विवरण और स्थिति तालिका 1.15 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.15: अनुशंसाओं की स्थिति का विवरण

| प्रतिवेदन वर्ष | अनुशंसाओं की संख्या | अनुशंसाओं का विवरण | स्थिति |
|---|---------------------|--|---|
| “वन प्राप्तियों के निर्धारण एवं संग्रहण” | | | |
| 2009-10 | 8 | समयबद्ध योजना ढंग से बकाया की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश जारी करें। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | विभाग को वाणिज्यिक कर/वैट को सही खाता शीर्ष में जमा करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना चाहिये। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | कार्य आयोजना तैयार करने में निगरानी एवं प्रावधानों को लागू करना। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 66 दिनांक 13.1.15, पत्र क्र. 10 एवं 18 दिनांक 1.1.16 द्वारा समस्त मुख्य वन संरक्षकों (मु.व.सं.) एवं वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| | | कूप नियंत्रण पंजीयों, कक्ष इतिहास और काष्ठ लेखा को समय पर तैयार करना एवं प्रस्तुत करने की आवश्यक सुविधा बनाना। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन. 1/12, 14, 16 दिनांक 1.1.16 एवं पत्र क्र. 519 दिनांक 21.3.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है। |
| | | निस्तार डिपों में वनोपज के लक्ष्यों के निर्धारण एवं निवर्तन हेतु स्पष्ट कदम उठाया जाना। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन. 3/1489 दिनांक 14.07.11, पत्र क्र. 916 दिनांक 24.5.16 एवं 944 दिनांक 26.5.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों को निर्देशित कर दिया गया है। |
| | | राजस्व की सही प्राप्ति एवं निर्धारित समयावधि में शासकीय लेखों में जमा करने के प्रावधानों के अनुपालन हेतु वनमण्डल कार्यालयों को आवश्यक निर्देश दिये जाना। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. उत्पादन. 3/1527 दिनांक 13.09.13, पत्र क्र. 968 दिनांक 19.6.14 एवं 946 दिनांक 27.5.16 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है। |
| | | आंतरिक नियंत्रण लेखापरीक्षा शाखा (आं.ले.प. शा.) को मजबूत करे और इसके टिप्पणियों पर उपचारात्मक कार्यवाहीके लिए समय सीमा निर्धारित करे। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत अभिलेख | शासन, वन विभाग द्वारा पत्र क्र. |

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | |
|---|---|--|---|
| | | निलामीवार रखें ताकि वनोपज के नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता आ सके, का अनुपालन सुनिश्चित करना एवं वनोपज के विक्रय से प्राप्ति में वृद्धि हो सके संबंधी निर्देश वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी एवं अन्य अधिकारियों को जारी करना। | 299 दिनांक 3.3.05 एवं प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 265, 267 एवं 269 दिनांक 30.4.15 द्वारा समस्त वन वृत्तों का निर्देशित कर दिया गया है। |
| “ छत्तीसगढ़ राज्य क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन एवं योजना अभिकरण” (कैम्पा)” | | | |
| 2012-13 | 7 | शासन द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु चिन्हांकित गैर-वनीय भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण का कार्य। | विभाग द्वारा व्यक्त किया गया कि क्षतिपूर्ति वनीकरण का कार्य सामान्यतः गैर-वनीय क्षेत्र में किया जाता है, परंतु अतिक्रमण से बचाने हेतु वृक्षारोपण का कार्य रिक्त स्थलों में भी कभी-कभी कार्य लीया जाता है। |
| | | उपयोगकर्ता अभिकरणों द्वारा गैर-वानिकी कार्यों हेतु भारत शासन द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों को पालन करने के उपरांत ही वनभूमि के व्यपवर्तनकी अंतिम स्वीकृति प्रदान किया जाना। | विभाग ने व्यक्त(नवम्बर 2016) किया की वन संरक्षण अधिनियम यथा संशोधित 1981 एवं 1988 एवं पुनरिक्षित अधिसूचना का अक्षरशः पालन किया जाता है। |
| | | विभिन्न स्तरों पर लंबित खनन प्रकरणों के नवीनीकरण का त्वरित निराकरण तथा खनिज क्षेत्रों में खनन कार्यों के क्रियान्वयन का प्रभावी नियंत्रण। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | उपयोगकर्ता अभिकरणों से प्राप्त गैर-वनीय भूमि को अधिसूचित किये जाने की प्रक्रिया को निश्चित समय पर किया जाय। | गैर-वनीय कार्य हेतु व्यपवर्तित वनभूमि से प्राप्त गैर-वनीय भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित किया जाता है। |
| | | वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप तथा विभाग के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि माँग हेतु उचित प्रणाली का विकास किया जाना। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 358 दिनांक 11.3.13, एवं पत्र क्र. 540 दिनांक 5.4.13 द्वारा समस्त वनवृत्तों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| | | विभाग द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों हेतु जारी किये गये नार्म्स, दर आदि का कैम्पा के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपण कार्यों में क्रियान्वयन किया जाना। | वर्तमान में प्र.मु.व.सं द्वारा विभागीय कार्यों हेतु निर्धारित मानकों का ही कैम्पा कार्य में प्रयुक्त किये जाते हैं। कैम्पा हेतु कोई पृथक से मानक नहीं है। |
| | | कैम्पा मद के अंतर्गत किये गये विभिन्न वृक्षारोपणों का कार्य आयोजना मैनुअल में प्रावधानित अनुसार अभिलेखों का संधारण किया जाना। | मार्च 2013 तक कुल 807 स्वीकृत कार्यों में से 321 कार्यों के वृक्षारोपण जरनल/रोपणी जरनल/माप पुस्तिका की जाँच की जा चुकी है। शेष बचे कार्यों के अभिलेखों का समयनुसार जाँच कर लिया जावेगा। |
| “बांस का उत्पादन एवं उपचार” | | | |
| 2013-14 | 9 | शासन बिगड़े बांस वनों के उपचार कार्य की निगरानी एवं मूल्यांकन हेतु एक प्रभावशाली प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचारित क्षेत्र की उत्पादकता का आंकलन हो सके एवं तदानुसार उन क्षेत्रों में अग्रतर वानिकी कार्य अथवा विदोहन कार्य लिया जा सके। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | शासन अलाभकारी/अनुत्पादक बांस कूपों के समय से उपचार किये जाने को सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | | शासन कार्य आयोजना के प्रावधानों तथा | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |

| | | |
|--|---|---|
| | विभागीय निर्देशों को प्रभावी तरीके से लागू करने पर विचार कर सकता है जिससे बिगड़े बांस वन क्षेत्र का बांस के स्थायी विकास हेतु प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। | |
| | शासन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार कर सकता है जिससे उपचार कार्य क विहित समयावधि में तथा प्रभावी ढंग से सम्पादन को सुनिश्चित किया जा सके। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | शासन, रोपणों की प्रगति की प्रभावी निगरानी हेतु कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप रोपण पंजी का सही प्रारूप जारी करने तथा उसका संधारण सुनिश्चित करने पर विचार कर सकता है। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | शासन/विभाग को नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बांस विदोहन हेतु दीर्घ अवधि की योजना बनानी चाहिये तथा वित्तीय रूप से अलाभकारी बांस कूपों में यथेष्ट वानिकी उपचार करना चाहिये। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 66 दिनांक 13.1.05 द्वारा समस्त वनवृत्तों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| | शासन के राजस्व हितों को सुरक्षित करने हेतु, शासन अनुमानित एवं वास्तविक उत्पादन में अत्याधिक अंतरों पर अंकुश रखने के लिए एक मानदंड आधारित प्रणाली बनाने पर विचार कर सकता है। | प्र.मु.व.सं. के पत्र क्र. 14/उत्पादन 3/15/443 दिनांक 24.3.15 द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं। |
| | शासन को कूपों से बांसागारों में बांस के परिवहन के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक कमी से बचने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिये। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |
| | शासन, विभाग एवं क्रेताओं द्वारा विक्रय की शर्तों का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक प्रणाली विकसित करने पर विचार कर सकता है जिससे औद्योगिक बांस के विक्रय के दौरान अधिकतम राजस्व की वसूली को सुनिश्चित किया जा सके। | उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)। |

1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत ईकाई कार्यालयों का वर्गीकरण उच्च, मध्यम और निम्न जोखिम ईकाईयों में किया गया है, जो राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा आपत्तियों की पुरानी प्रवृत्ति और अन्य पैमानों पर निर्भर करता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना की तैयारी जोखिम विश्लेषण के आधार पर शासन की राजस्व प्राप्तियों के नाजुक विषय, कर प्रशासन जैसे बजट भाषण, राज्य अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग का प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्रीय), कर सुधार समिति की अनुशंसाएँ, पिछले पांच वर्षों का राजस्व अर्जन, सांख्यिकीय विश्लेषण, कर प्रशासन की विशिष्टताएँ, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और पिछले पांच वर्षों में इसका प्रभाव आदि को सम्मिलित करते हुये की जाती है।

वर्ष 2015-16 के दौरान 463 लेखापरीक्षा योग्य ईकाईयों में से 86 ईकाईयों की लेखा परीक्षा की गई जो की कुल लेखापरीक्षा योजना का 100 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में की गई लेखापरीक्षा ईकाईयों की सूची **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

इसके अलावा उपरोक्त दर्शाये अनुपालन लेखापरीक्षा के साथ कर प्रशासन की क्षमता की जाँच करने के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा एवं एक लेखापरीक्षा भी की गयी।

1.9 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015-16 के दौरान वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू-राजस्व, खनिज प्राप्तियाँ, वाहनों पर कर, वानिकी एवं वन्य जीवन एवं विद्युत शुल्क के 86 ईकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि के राशि ₹ 329.30 करोड़ के 55,971 प्रकरण पाए गए। वर्ष 2015-16 के दौरान संबंधित विभागों ने 27,557 प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 72.80 करोड़ के अवनिर्धारण और अन्य त्रुटियों को स्वीकार करते हुए 15 प्रकरणों में राशि ₹ 72.22 लाख की वसूली की गई।

1.10 इस प्रतिवेदन का क्षेत्र

इस प्रतिवेदन में एक निष्पादन लेखापरीक्षा "औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान" एवं एक लेखापरीक्षा "छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के क्रियान्वयन" सहित 24 कंडिकायें जिसमें ₹ 111.10 करोड़ सन्नहित है जिसमें से शासन ने ₹ 37.19 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेषणों को मानते हुए 15 प्रकरणों में ₹ 72.22 लाख वसूल कर ली है। शेष प्रकरणों में शासन/विभागों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (नवम्बर 2016)। इनकी चर्चा अनुवर्ती अध्याय दो से सात में की गई है।

1.11 लेखापरीक्षा के प्रेषणों पर विभाग द्वारा किये गये संशोधनों

पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रेषणों पर वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निम्नलिखित संशोधन किये गये:

तालिका 1.16: लेखापरीक्षा प्रेषणों पर किये गये संशोधनों

| विभाग का नाम | लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका का संदर्भ | लेखापरीक्षा प्रेषणों पर किये गये संशोधन |
|--------------------|--|---|
| वाणिज्यिक कर विभाग | 31 मार्च 2015 की समाप्ति वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) के कंडिका 2.2.16 | पूर्व में व्यवसायी ₹ एक लाख एवं उससे ऊपर की खरीदी पर ही उसका विवरण देने हेतु बाध्य थे। इस संशोधन (अप्रैल 2016) के बाद, व्यवसायी को आगत कर छुट पर समस्त विवरण देना होगा। |

द्वितीय अध्याय
निष्पादन लेखापरीक्षा

द्वितीय अध्याय: औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान पर निष्पादन लेखापरीक्षा

मुख्यांश:

शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीतियों के तहत उद्योगों को विद्युत शुल्क के भुगतान से पूर्ण छूट प्रदान की गई। ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार स्वयं की खपत पर ही विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है। उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं ऊर्जा अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उचित प्रावधान नहीं किये जाने से शासन को ₹ 6.03 करोड़ से वंचित होना पड़ा।

(कंडिका 2.10)

यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की अवधि निर्धारित की गई है, किन्तु औद्योगिक नीति में विकल्प की वजह से किसी एक औद्योगिक नीति में छूट का उपभोग करने पर उसका निर्धारण करने बाबत औद्योगिक नीति में प्रावधान के अभाव में उद्योगों को एक से अधिक नीति में छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.11)

उद्योग विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान करता है। लाभप्राप्त उद्योग द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी दिनांक से दो से पाँच वर्ष तक की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना आवश्यक है। यह देखा गया है कि उद्योग विभाग द्वारा अनुवर्ती छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ करने के दिनांक से सीमित नहीं किया गया जिसके कारण औद्योगिक नीति में निर्धारित समयावधि से अवधि बढ़ गई।

(कंडिका 2.12)

उद्योग विभाग द्वारा शवलिकरण हेतु ₹ 1.68 करोड़ के मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट एक ऐसे उद्योग को प्रदान की जो न तो उसके वर्तमान उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की शर्त का पालन कर रहा था और न ही नये उत्पाद के वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति जिसमें लाभान्वित हुआ था के समयावधि में प्रारंभ किया था।

(कंडिका 2.18)

एक उद्योग जो छूट हेतु पात्र था, अपनी एक इकाई का विक्रय ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था। विक्रीत इकाई जो अब अपात्र उद्योग का भाग थी जिसे ₹ 1.08 करोड़ के विद्युत शुल्क का अनियमित छूट प्रदान की गई।

(कंडिका 2.19)

औद्योगिक नीति के अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं है। किन्तु, उद्योग विभाग ने ₹ 76.29 लाख की छूट एवं अनुदान ऐसे उद्योग को प्रदान की जो अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था।

(कंडिका 2.20)

औद्योगिक नीति में उल्लेखित शर्त के अनुसार कोई भी उद्योग जो औद्योगिक नीति के तहत लाभ प्राप्त करता है तो उसे कम से कम पाँच वर्ष तक निरंतर रूप से कार्य करना चाहिए। उद्योग विभाग में निगरानी प्रणाली का अभाव होने के कारण, तीन उद्योगों निरंतर रूप से कार्य करने में विफल रहे साथ ही पाँच उद्योगों की स्थापना भी नहीं हो सकी। इन उद्योगों द्वारा छूट/रियायत के रूप में ₹ 7.38 करोड़ का उपभोग किया जो वसूलनीय था।

(कंडिका 2.25 एवं 2.27)

2.1 प्रस्तावना

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में विभिन्न अवधि 2001-06, 2004-09, 2009-14 एवं 2014-19 के औद्योगिक नीतियों की घोषण की है।

औद्योगिक नीति की कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं:

(अ) कोर सेक्टर के समांतर अन्य संबंधित क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देना और उद्योगों को विभिन्न प्रकार की छूट एवं अनुदान प्रदान कर राज्य के स्थानीय निवासियों को स्वरोजगार के साथ अतिरिक्त रोजगार भी उपलब्ध कराना,

(ब) समाज के कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिला, विकलांगों, सेवानिवृत्त सैनिकों, नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों को आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रयास करना,

(स) राज्य के संतुलित विकास हेतु पिछड़े क्षेत्रों में अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना, एवं

(द) बुनियादी एवं औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र के भागिदारी को प्रोत्साहन देना तथा प्रतिस्पर्धी मंच तैयार करना।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (उद्योग विभाग), छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक नीति को क्रियान्वयन करने हेतु नोडल एजेंसी है। छ.ग शासन द्वारा समय समय पर घोषित औद्योगिक नीति के तहत 13 प्रकार की छूट एवं अनुदान प्रदान की जाती है। छूट एवं अनुदान की मुख्य राशि मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट, विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट, पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान में सम्मिलित है। यह छूट कुछ निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति करने पर निर्धारित अवधि तक देय है। पुनः किसी भी नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छूट एवं अनुदान का दावा करने हेतु मापदंड है।

आयुक्त (उद्योग) द्वारा औद्योगिक नीति के तहत प्राप्त आवेदन के आधार पर मुद्रांक शुल्क से छूट हेतु प्रमाण पत्र (सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर) जारी करता है, जिसके आधार पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र संबंधित जिला ब्यापार एवं उद्योग केन्द्र (जि.व्य.उ.के.) द्वारा जारी किया जाता है।

विद्युत शुल्क के मामले में नये उद्योग को उसके पात्रता मापदंड की जांच एवं उद्योग विभाग की अनुशंसा के आधार पर ऊर्जा विभाग छूट प्रमाण पत्र जारी करता है।

उद्योग विभाग नये उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान स्वीकृत करता है। ऐसे उद्योग जिनका स्थायी पूंजी निवेश जिस औद्योगिक नीति की अवधि में आता है उस औद्योगिक नीति के तहत छूट हेतु पात्र रहता है। उद्योगों को उनमें किये गये स्थायी पूंजी निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है जैसे सूक्ष्म, लघु एवं

मध्यम उद्योग (₹ 10 करोड़ तक), वृहद उद्योग (₹ 10 करोड़ एवं ₹ 100 करोड़ के मध्य), मेगा उद्योग (₹ 100 करोड़ एवं ₹ 1000 करोड़ के मध्य) एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग (₹ 1000 करोड़ से अधिक)।

2.2 औद्योगिक नीतियों का राज्य में प्रभाव

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास के लिए विभिन्न समयावधि हेतु औद्योगिक नीतियों की घोषणा की है, जैसे औद्योगिक नीति 2001-06, 2004-09, 2009-14 एवं 2014-19। औद्योगिक नीतियों के तहत उद्योगों का 13 तरह की छूट एवं अनुदान प्रदान की जाती है। शासन राज्य में निवेशकों द्वारा अधिक निवेश को आकर्षित करने हेतु उद्योगों को छूट एवं अनुदान देकर प्रोत्साहित करता है।

राज्य द्वारा 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा के पूर्व राज्य में मात्र 68 वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग स्थापित थे। किन्तु, औद्योगिक नीति की घोषणा के पश्चात् 2001-02 एवं 2015-16 के मध्य 190 नये वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं, जिसमें ₹ 57,093.83 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके कारण 42,715 नवीन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ जिसका विवरण तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: औद्योगिक नीतियों के लागू होने के पश्चात् राज्य में स्थापित वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योगों का विवरण

| वर्ष | उद्योगों की संख्या | कुल स्थायी पूंजी निवेश (₹ करोड़ में) | कुल सृजित रोजगारों की संख्या |
|------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| 2011-12 तक | 162 | 47,667.40 | 37120 |
| 2012-13 | 8 | 484.37 | 969 |
| 2013-14 | 8 | 170.59 | 2,043 |
| 2014-15 | 4 | 1,864.34 | 1,109 |
| 2015-16 | 8 | 6,907.13 | 1,474 |
| योग | 190 | 57,093.83 | 42,715 |

(स्रोत: आयुक्त, उद्योग द्वारा प्रदायित जानकारी)

पुनः आगे जांच में पाया गया कि शासन द्वारा कोर सेक्टर में औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना हेतु 124 मेमोरेण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू) पर हस्ताक्षर किये हैं। जिनमें से 61 परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर हैं जिसमें ऊपर दर्शित राशि के अलावा ₹ 60,617.88 करोड़ का निवेश निवेशकों द्वारा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में भी ₹ 480.89 करोड़ का पूंजी निवेश किया जा चुका है।

शासन द्वारा विभिन्न औद्योगिक नीतियों के तहत दिये गये प्रोत्साहन से निवेशक न केवल वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा इकाइयों की ओर आकर्षित हुए हैं, अपितु सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में भी निवेशकों को आकर्षित किया है।

राज्य द्वारा 2001 में प्रथम औद्योगिक नीति के घोषणा के पश्चात्, 2001-02 एवं 2015-16 के मध्य में 20,246 सूक्ष्म एवं लघु उद्योग स्थापित किये जा चुके हैं जिसमें राशि ₹ 2,777.84 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश किया गया है, जिसके कारण 1,25,649 नवीन प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन हुआ जिसका विवरण तालिका 2.2 में निचे दर्शाया गया है:

तालिका 2.2: औद्योगिक नीतियों के लागू होने के पश्चात् राज्य में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का विवरण

| वर्ष | उद्योगों की संख्या | कुल स्थायी पूंजी निवेश (₹ करोड़ में) | नए रोजगारों का सृजन |
|------------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 2011-12 तक | 16,016 | 1,547.02 | 91,532 |
| 2012-13 | 1,172 | 312.07 | 12,219 |
| 2013-14 | 1,193 | 257.89 | 8,212 |
| 2014-15 | 1,228 | 420.42 | 8,456 |
| 2015-16 | 637 | 240.44 | 5,230 |
| योग | 20246 | 2,777.84 | 1,25,649 |


(स्रोत: आयुक्त, उद्योग द्वारा प्रदायित जानकारी अनुसार)

इस प्रकार देखा गया कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य स्थापना के बाद सक्रिय कदम उठाये गये, जिसके कारण निवेश एवं रोजगार में अधिक गुणा वृद्धि हुई। निवेशकों को आकर्षित करने में विभिन्न प्रोत्साहनों की मुख्य भूमिका थी। इन सब के बावजूद लेखापरीक्षा द्वारा रियायत/प्रोत्साहन के क्रियान्वयन में विभिन्न प्रणालीगत के साथ साथ व्यक्तिगत असमर्थता पाई गई, जिसका उल्लेख प्रतिवेदन में किया गया है।

2.3 संगठनात्मक संरचना

उद्योग विभाग, छत्तीसगढ़ शासन औद्योगिक नीति का क्रियान्वयन एजेंसी है। सचिव, उद्योग विभाग, छ.ग. शासन, शासन स्तर पर विभाग का प्रमुख है। आयुक्त, उद्योग विभागीय प्रमुख है जिसकी सहायता अपर आयुक्त, सहायक आयुक्त एवं उपायुक्त द्वारा की जाती है। जिले स्तर पर आयुक्त (उद्योग) की सहायता मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधकों द्वारा की जाती है, जो इकाई का प्रमुख है।

चार्ट 2.1: संगठनात्मक संरचना



2.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा इस मूल्यांकन करने के लिए की गई थी की:

- क्या छूट/अनुदान की अनुमति प्रावधानों के अनुसार दी गई थी;
- क्या विभाग में किसी ऐसे तंत्र विद्यमान थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की विभाग द्वारा उद्योगों को दी गई छूट के लिए सभी निबंधनों एवं शर्तों का पालन किया जा रहा था;
- क्या विभागों में ऐसा समन्वय स्थापित है जिससे की राजस्व की सुरक्षा हेतु दोषियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जाये;
- क्या विभाग में ऐसा कोई निगरानी तंत्र स्थापित है जिससे छूट प्राप्त करने के बाद शर्तों के उल्लंघन हुआ हो; एवं
- क्या उद्योग द्वारा अनुदान का लाभ उठाने के बाद उद्देश्य की पूर्ति हुई हो।

2.5 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूट एवं अनुदान की निष्पादन लेखापरीक्षा में तीन विभागों जैसे उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग एवं ऊर्जा विभाग में सम्पादित की गई। चूंकि उद्योग विभाग औद्योगिक नीतियों के लिए क्रियान्वयन एजेंसी है एवं आयुक्त (उद्योग) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, इसलिए इन्हे लेखापरीक्षा हेतु चयन किया गया।

जिला स्तर पर जि.व्य.उ.कें. द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को मुद्रांक शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इन सभी में 17 जि.व्य.उ.कें. द्वारा उद्योगों का छूट प्रदाय किया गया है। हालांकि अधिकांश संख्या में जि.व्य.उ.कें. में छूट की संख्या निम्नतर थी। अतः तीन¹ जि.व्य.उ.कें. जिसने छूट की राशि ₹ 13.19 करोड़ में से राशि ₹ 10.87 करोड़ (लगभग 83 प्रतिशत) छूट दिये गये हैं को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया।

ऊर्जा विभाग में मुख्य विद्युत निरीक्षक (मु.वि.नि.) द्वारा सभी उद्योगों को विद्युत शुल्क (वि.शु.) में छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। अतः विद्युत शुल्क जारी करने संबंधित सभी अभिलेखों की जांच की गई। भू प्रीमियम में छूट से संबंधित अभिलेखों की जांच छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम (छ.ग.रा.औ.वि.नि.), रायपुर में कि गई।

आगे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में उद्योगों को मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट 17 जिलों में दी गई थी। जिसमें से छः² जिलों का चयन यादृच्छिक प्रतिचयन आधार पर किया गया, जो की कुल जिलों का 35 प्रतिशत था।

विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योग विभाग द्वारा अवधि 2011-12 से 2015-16 में जारी छूट प्रमाण पत्रों की जांच लेखापरीक्षा द्वारा कि गई। निष्पादन लेखापरीक्षा फरवरी 2016 एवं जून 2016 के मध्य सम्पन्न की गई।

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव के साथ अर्न्तगमन सम्मेलन दिनांक 6 जून 2016 को संपन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा का क्षेत्र, कार्यप्रणाली एवं उद्देश्य की चर्चा की गई। शासन एवं विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन 25 जूलाई 2016 को प्रेषित किया गया। बहीर्गमन सम्मेलन 3 नवंबर 2016 को संपन्न हुआ जिसमें लेखापरीक्षा प्रेक्षकों, निष्कर्ष

¹ रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

² बलौदा बाजार, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, रायपुर एवं राजनांदगांव

एवं अनुशंसाओं पर चर्चा की गई। शासन की ओर से सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन और अन्य समय समय पर प्राप्त उत्तरों को सम्यक् रूप से संबंधित कंडिकाओं में शामिल किया गया है।

2.6 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों निम्न मानदंडों पर आधारित था:

- शासन द्वारा जारी की गई औद्योगिक नीतियों (2001-06, 2004-09 एवं 2009-14);
- भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899;
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908;
- छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000;
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949;
- छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क नियम, 1949;
- विद्युत अधिनियम, 2003;
- केंद्रीय विद्युत नियम, 2005;
- संबंधित विभागों का निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन;
- छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 एवं
- शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं एवं परिपत्रों

2.7 अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग, ऊर्जा विभाग, छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा लेखापरीक्षा को आवश्यक जानकारी एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

2.8 छूट एवं अनुदान जारी करने की प्रक्रिया

औद्योगिक नीति के तहत पात्र उद्योगों को आवश्यक है कि वह अपने वैध दस्तावेज जैसे ईएम पार्ट I, इंडस्ट्रियल इंटेप्रिन्व्यूयल मेमोरेंडम (आईईएम) अथवा मेमोरैन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग (एम.ओ.यू) और भूमि की आवश्यकता के साथ आवेदन करें। कृषक के पास से सीधे क्रय की गई भूमि के संबंध में विक्रय का करारनामा और छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा आबंटित भूमि के संबंध में भूमि आबंटन प्रमाण पत्र के साथ उद्योग विभाग में जमा किया जाना आवश्यक है। इन दस्तावेजों के आधार पर उद्योग विभाग, मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी करता है। इस छूट प्रमाण पत्र के प्रस्तुत करने पर वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गई/पट्टे पर ली गई भूमि के पंजीयन पर मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट प्रदान करता है।

वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने पर, उद्योग को ईएम पार्ट II के साथ विद्युत ऊर्जा क्षमता की आवश्यकता दर्शाते हुए और विद्युत उत्पाद उद्योग होने की स्थिति में टीजी सेट की उत्पादन क्षमता के साथ दोनों विभागों यानि उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग में विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु आवेदन करना आवश्यक है। पात्रता का निर्णय लेने के बाद उद्योग विभाग विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी करता है। ऊर्जा विभाग अनुशंसा एवं पात्रता मापदंड के आधार पर छूट प्रमाण पत्र जारी करता है।


स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं ब्याज अनुदान का दावा करने हेतु उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के एक वर्ष की समयावधि में आवेदन करना आवश्यक है। स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु उद्योग को सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे ईएम पार्ट

II, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किये जाने तक किये गए निवेश का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों के आधार पर उद्योग विभाग अनुदान मंजूर करता है। स्थायी पूंजी निवेश की सीमा ₹ 25 लाख से ₹ 5 करोड़ एवं ब्याज अनुदान की सीमा ₹ 5 लाख से ₹ 60 लाख है जो उद्योगों की पात्रता के अनुसार निर्धारित की जाती है।

यदि भूमि का आबंटन औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है तो भूमि के प्रीमियम पर रियायत/छूट भी पात्र उद्योगों को दी जाती है और औद्योगिक क्षेत्र के बाहर भूमि आबंटन होने की दशा में सेवा शुल्क से छूट प्रदान की जाती है। यह अनुदान छ.ग.औ. वि.नि. द्वारा प्रदान की जाती है। आशय पत्र (लेटर आफ इंटेंट) में दिये गए निबंधनों एवं शर्तों की पूर्ति किए जाने पर छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा भूमि आबंटन प्रमाण पत्र जारी करता है जिसके बाद उद्योग को निर्धारित समयावधि में पट्टा विलेख निष्पादित करना आवश्यक है।

उद्योगों को दिये जाने वाली छूटों/अनुदानों का प्रक्रिया फ्लोचार्ट नीचे चार्ट 2.2 में दिया गया है:


चार्ट 2.2: प्रक्रिया फ्लोचार्ट




2.9 प्रकरणों की कुल संख्या जिसमें छूट एवं अनुदान स्वीकृत किया गया

मध्यम/वृहद/मेगा/अल्ट्रा मेगा उद्योगों को दिया गया मुद्रांक शुल्क में छूट, विद्युत शुल्क में छूट, स्थायी पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान के प्रकरणों की संख्या का विवरण

चार्ट 2.3 एवं सूक्ष्म/लघु उद्योगों को दिये गये मुद्रांक शुल्क, स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान के प्रकरणों की संख्या का विवरण चार्ट 2.4 में दर्शाया गया है।



स्रोत: उद्योग संचालनालय



स्रोत: जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र, रायपुर/राजनादगाव/रायगढ़

लेखापरीक्षा प्रेक्षण

औद्योगिक नीति में विसंगति

ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्पादित विद्युत ऊर्जा के स्वयं के खपत करने पर ही विद्युत शुल्क से छूट देय है किन्तु इस विभागीय अधिसूचना के विपरीत औद्योगिक नीति के अंतर्गत उद्योगों को विद्युत शुल्क से पूर्ण छूट प्रदान की गई। तीन प्रकरणों में उद्योगों द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा का उपभोग स्वयं के खपत हेतु नहीं किया गया, किन्तु ऊर्जा विभाग द्वारा इन उद्योग को विद्युत शुल्क से छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया था। पुनः छः प्रकरणों में छूट/अनुदान का फायदा एक से अधिक नीति में प्रदान किया गया था और दो प्रकरणों में उद्योग विभाग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक को उसी उद्योग को पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित नहीं किया गया था। इस प्रकार औद्योगिक नीति में विसंगति के कारण विद्युत शुल्क में छूट के 157 प्रकरणों और स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों में से नौ प्रकरणों में ₹ 19.08 करोड़ का विद्युत शुल्क का

अनियमित छूट तथा ₹ 36.19 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया जिसे निम्नानुसार कंडिकाओं में वर्णित किया गया है।

2.10 विद्युत शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु विभागीय अधिसूचना के अनुसार औद्योगिक नीति में व्यवस्था नहीं होना

उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति में विद्युत शुल्क से छूट प्राप्त करने हेतु ऊर्जा विभाग एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार जारी अधिसूचना में व्यवस्था नहीं की गई थी।

औद्योगिक नीति 2004-09 के अनुसार विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत किसी उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से 15 वर्ष तक विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट देय है। गैर-परंपरागत स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन विशेष थ्रस्ट सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित है। ऊर्जा विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत जारी अधिसूचना (नवम्बर 2014) के अनुसार स्वयं के खपत पर विद्युत ऊर्जा पर ही विद्युत शुल्क से छूट की पात्रता होगी। औद्योगिक नीति के निबंधनों एवं शर्तों विभागीय अधिसूचना के अधीन है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत जारी विद्युत नियम, 2005 के नियम 3 के अनुसार यदि कोई विद्युत उत्पादक अपनी कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में से 51 प्रतिशत से कम विद्युत ऊर्जा का उपभोग करता हो तो वह स्वतंत्र विद्युत उत्पादक (स्व.वि.उ.) माना जावेगा।

हमने कार्यालय मु.वि.नि, रायपुर में उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणी फार्म 'जी' की जांच में पाया की, तीन उद्योगों³ द्वारा विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक उत्पादन जुलाई 2006 एवं नवम्बर 2006 के मध्य किया गया। इन उद्योगों द्वारा नवम्बर 2006 एवं मार्च 2016 के मध्य 509.47 एम.यू. (मिलियन इकाई) विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया, जिसमें से 444.40 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का विक्रय छत्तिसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (छ.ग.रा.वि.वि.क.) को किया गया।

इस प्रकार इन उद्योगों द्वारा अपनी कुल उत्पादित विद्युत ऊर्जा में से आक्सलरी उपभोग को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण ऊर्जा का विक्रय किया जा रहा था, अतः यह उद्योग औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत जारी अधिसूचना (नवम्बर 2014) के अनुसार छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु उद्योग विभाग ने छूट हेतु अनुशंसा जारी की तथा मु.वि.नि ने छूट प्रमाण पत्र जारी किया। विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 के अनुसार 65.07 एम.यू. के आक्सलरी उपभोग पर राशि ₹ 6.03 करोड़ का विद्युत शुल्क आरोपणीय था। पुनः ₹ 2.22 करोड़ भी छ.ग.रा.वि.वि.क. को विक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क आरोपणीय था।

पुनः आगे जांच में पाया गया की ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार छ.ग. रा.वि.वि.क. को विक्रीत/वितरित की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क का भुगतान करने हेतु ऊर्जा विभाग द्वारा इन उद्योगों को मांग पत्र जारी किया (मई 2015), जिसे इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के प्रावधान के तहत चुनौती दी गई।

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2012, को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर दिये गए प्रतिवेदन की कंडिका 6.2.25 में भी अनुशंसा दी गई थी की जैसे ही नई औद्योगिक नीति की घोषणा की जाने पर विद्यमान औद्योगिक नीति को वापस ले लिया जाये। किन्तु शासन द्वारा इस संबंध में कोई उपचारात्मक

³ आर आर एनर्जी, ईकोफर्न एवं नीरज पावर

कार्यवाही नहीं की गई। पूर्ववर्ती नीति को वापस नहीं लिए जाने के कारण विभाग द्वारा स्पष्टीकरण/निर्देश पूर्ववर्ती नीति में जारी किये जा रहे हैं। इस प्रकार अधिनियम के अनुसार औद्योगिक नीति में प्रावधान को सम्मिलित नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ शासन को न केवल ₹ 6.03 करोड़ राजस्व अप्राप्त हुए किन्तु ₹ 2.22 करोड़ न्यायालयीन प्रक्रिया में भी लंबित थे।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की विद्युत शुल्क की छूट ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार विनियमित होती है। नवम्बर 2014 में जारी ऊर्जा विभाग की अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क से छूट मात्र विद्युत ऊर्जा के स्वयं के उपभोग पर है। ऐसी शर्त पूर्ववर्ती जारी अधिसूचनाओं में नहीं थी। अतः नवम्बर 2014 में जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही करने हेतु ऊर्जा विभाग को पत्र लिखा जा रहा है।

शासन औद्योगिक नीति के प्रावधानों को विभागीय अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तन करने बाबत विचार करे ताकि शासकीय राजस्व हानी से बचा जा सके।

2.11 उद्योगों को एक से अधिक नीतियों में छूट का लाभ दिया जाना

विभाग ने विभिन्न प्रकार की छूटों एवं अनुदानों को एक ही उद्योग को अलग-अलग औद्योगिक नीति में प्रदान किये गये।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये औद्योगिक नीतियों के अनुसार कोई भी उद्योग उक्त औद्योगिक नीति की अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने पर उक्त नीति में छूट/अनुदान हेतु पात्र होगा। यदि कोई उद्योग औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो पूर्व नीति की अंतिम तिथि से एक वर्ष तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की स्थिति में उद्योग को पूर्व नीति में भी छूट/अनुदान प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। पुनः प्रत्येक औद्योगिक नीति में लाभ अपात्र उद्योगों की सूची के साथ परिवर्तित होते रहते हैं।

यद्यपि औद्योगिक नीति के अनुसार उद्योग को किस औद्योगिक नीति के तहत लाभ लेना है इसके चयन का विकल्प है किन्तु इस बाबत मौन है कि उद्योग ने कोई लाभ पूर्ववर्ती नीति में प्राप्त किया है तो उसे किस प्रकार निर्धारित किया जावेगा। औद्योगिक नीति में इस प्रकार की विषमता के कारण विभाग ने भिन्न भिन्न लाभ एक ही उद्योग को दो अलग अलग नीतियों में दिये।

2.11.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में विद्युत शुल्क से संबंधित 157 प्रकरणों, मुद्रांक शुल्क के 37 प्रकरणों, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों एवं ब्याज अनुदान के 44 प्रकरणों की जांच में पाया की तीन प्रकरणों में विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 के तहत मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र मार्च 2004 एवं मई 2004 के मध्य जारी किये गये थे। इसमें से दो प्रकरणों⁴ में वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2004 एवं मार्च 2005 के मध्य में प्रारम्भ किया गया था और विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत मार्च 2013 एवं सितम्बर 2013 के मध्य ₹ 36.19 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया था। शेष एक प्रकरण⁵ में उद्योग विभाग की अनुशंसा (जनवरी 2010) के आधार पर मु.वि.नि. द्वारा औद्योगिक

⁴ आरती स्पंज लिमिटेड एवं नंदन स्टील लिमिटेड

⁵ क्रस्ट स्टील एण्ड पावर लिमिटेड

नीति 2004-09 के तहत मार्च 2006 से मार्च 2021 तक की अवधि हेतु विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट प्रमाण पत्र जारी किया। उद्योग द्वारा 381.8 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग (अगस्त 2006 से मई 2014) तक किया जिस पर ₹ 10.41 करोड़ की छूट प्रदान की गई।

2.11.2 इसी प्रकार, तीन⁶ प्रकरणों में विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत फरवरी 2009 एवं फरवरी 2010 के मध्य में मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये। इन उद्योगों द्वारा फरवरी 2010 एवं नवम्बर 2012 में मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया था। किन्तु विभाग द्वारा विद्युत शुल्क से भुगतान हेतु छूट प्रमाण पत्र औद्योगिक नीति 2009-14 में जारी किये गये थे। इन उद्योगों द्वारा 110.53 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उपभोग किया जिस पर ₹ 2.64 करोड़ की छूट प्रदान की गई।

इस प्रकार छूट/अनुदानों को विभिन्न नीतियों में मान्य किये जाने से एवं एक नीति की अवधि में उद्योगों की स्थापना नहीं होने से औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों जैसे राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विकास, रोजगार सृजन, पिछड़े वर्गों का विकास इत्यादि प्राप्त करने में विलंब हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट उद्योगों को स्थापना के पूर्व दी जाती हैं। उद्योगों को वाणिज्यिक उत्पादन शुरूआत करने के पूर्व अन्य औपचारिकताएँ जैसे भवन निर्माण, विद्युत कनेक्शन, संयंत्र एवं यंत्रों का प्रदाय इत्यादि पूर्ण करना आवश्यक हैं। पुनः कुछ उद्योगों को मुद्रांक शुल्क से भुगतान की छूट औद्योगिक नीति के अंत में भी दी जाती हैं जिनके द्वारा औद्योगिक नीति की निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया। अतः उद्योग स्थापना से संबंधित समस्त क्रियाकलापों को एक ही नीति में सीमित करना संभव नहीं हैं।

शासन का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं हैं क्योंकि उद्योग को स्थापना से पूर्व किस औद्योगिक नीति में लाभ लेना है यह ज्ञात रहता है। पुनः प्रत्येक औद्योगिक नीति में लाभ अपात्र उद्योगों की सूची के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, अतः उद्योग को समस्त लाभ एक ही नीति के तहत देना चाहिए ताकि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में हो रहे विलंब से बचा जा सके।

शासन औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन करने बाबत विचार करे की उद्योगों को समस्त लाभ एक ही नीति के तहत प्रदान किया जा सके ताकि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में हो रहे विलंब को टाला जा सके।

⁶ असान स्टील, जय अम्बे वार्यस एवं सुपर ग्लोबल लिमिटेड

2.12 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सीमा को मुद्रांक शुल्क के छूट हेतु जारी प्रारंभिक प्रमाण पत्र के अनुसार तय नहीं किया जाना।

विभाग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सीमा को मुद्रांक शुल्क के छूट हेतु जारी प्रारंभिक प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित नहीं किया गया।

छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार उद्योगों के छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के दिनांक से पांच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर देना चाहिए।

हमने उप पंजीयक कार्यालय बलौदा बाजार एवं राजनांदगांव में पंजीकृत विलेखों की जांच में पाया की दो⁷ उद्योगों द्वारा नवम्बर 2007 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य में मुद्रांक शुल्क से भुगतान से छूट प्राप्त की थी। उद्योग विभाग द्वारा छूट प्रमाण पत्र की जांच में पाया गया की, प्रमाण पत्र में वर्णित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार इन उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से पाँच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करना चाहिए था। पुनः जांच में पाया गया की उन प्रकरणों में जहां अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु जारी अतिरिक्त छूट प्रमाण पत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को भूमि के पंजीकरण पर पूर्ववर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की अवधि पूर्ववर्ती जारी प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि से आगे बढ़ गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की कुछ उद्योगों को स्थापना में मुद्रांक शुल्क में छूट वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पूर्व औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद ही दी जाती है। अन्य उद्योगों के मामलों में मुद्रांक शुल्क छूट औद्योगिक नीति के अवधि के अंत में दिया गया। अतः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को सीमित किया जाना संभव नहीं है।

शासन का उत्तर इस बात को सुनिश्चित करता है की प्रथम छूट अवधि को अनुवर्ती जारी छूट प्रमाण पत्र जारी करते समय ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि छूट प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को सीमित करने बाबत कोई उल्लेख नहीं था।

शासन मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु जारी अनुवर्ती प्रमाण पत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को पूर्ववर्ती जारी प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित करने हेतु विचार करे ताकि औद्योगिकरण के लाभ समय से प्राप्त हो सके।

अनियमित छूट

लेखापरीक्षा के दौरान उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत छूट/अनुदान स्वीकृत/मान्य किये गये थे। एक प्रकरण में, उद्योग विभाग द्वारा ऐसे उद्योग की विस्तारित क्षमता को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी की गई थी जो पूर्व में पूर्ववर्ती नीति के तहत छूट प्राप्त कर चुका था और चार प्रकरणों में विस्तार पर छूट प्रदान की गई थी। पुनः विभाग ने ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया है जो निर्धारित अवधि में ईएम पार्ट II जमा नहीं किये थे, ऐसे उद्योग जिनके नाम पर भूमि नहीं थी, पुराने उद्योग, ऐसे उद्योग जिन्होंने निर्धारित अवधि में आवेदन

⁷ ईमामी सिमेंट एवं वंदना विद्युत लिमिटेड

नहीं किया था, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे, अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित थे और कुछ भाग विक्रय कर दिये थे इत्यादि। इस प्रकार 63 प्रकरणों में राशि ₹ 44.30 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई थी जो निम्न कडिकाओ में वर्णित हैं।

2.13 विस्तारित क्षमता पर विद्युत शुल्क की अनियमित छूट

उद्योग विभाग द्वारा उद्योग के विस्तार पर एक ऐसे उद्योग को विद्युत शुल्क से छूट हेतु अनुशंसा प्रदान की गई थी जो समान लाभ पूर्ववर्ती नीति में प्राप्त कर चुका था। उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के तहत जारी अधिसूचना के विपरीत विस्तारित क्षमता पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा भी जारी की गई थी। मु.वि.नि. द्वारा अनुशंसा के आधार पर छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये।

औद्योगिक नीति 2004-09 एवं इसके तहत जुलाई 2008 में जारी अधिसूचना के अनुसार ऊर्जा विभाग मात्र नये उद्योगों को ही छूट जारी करेगा ना की विस्तार पर।

2.13.1 कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में विद्युत शुल्क से छूट के 157 प्रकरणों की जांच में हमने देखा की मेसर्स बजरंग पावर एवं इस्पात लिमिटेड द्वारा अपने 8 मेगा वाट एवं 10 मेगा वाट टीजी सेट के द्वारा क्रमशः (जुलाई 2005 एवं अगस्त 2005) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया, जिस पर ऊर्जा विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत 15 वर्ष हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी (मई 2006) किया गया था। उद्योग ने अपनी क्षमता का विस्तार 8 मेगा वाट टीजी सेट से किया जिससे अगस्त 2008 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया। चूंकी उद्योग द्वारा पूर्व में ही औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत छूट का उपभोग किया जा रहा था, अतः 8 मेगा वाट टीजी सेट को औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत दिसम्बर 2012 में दी गई छूट अनियमित था। उद्योग द्वारा 409.3 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग (अगस्त 2008 से मार्च 2016 के मध्य) किया जिस पर ₹ 11.66 करोड़ की छूट दी गई जो अनियमित और वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की सितंबर 2012 में जारी आदेश में सुधार करने हेतु संशोधित आदेश औद्योगिक नीति 2004-09 में जारी किया गया था। विद्युत शुल्क में छूट का आधार वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ करना हैं और उद्योग द्वारा अप्रैल 2005 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया गया था जो औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 में लाभ लेने हेतु विकल्प (फरवरी 2011) में दिया था और उसके एवज में विभाग द्वारा भी औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया था। इसलिए अगस्त 2008 में अतिरिक्त 8 मेगा वाट टीजी सेट की स्थापना को विस्तार माना जावेगा, जो औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत छूट हेतु पात्र नहीं था।

2.13.2 इसी प्रकार उद्योग विभाग द्वारा जनवरी 2012 एवं नवम्बर 2013 के मध्य चार उद्योगों⁸ को विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी की गई थी। इस अनुशंसा के आधार पर ऊर्जा विभाग द्वारा फरवरी 2012 एवं सितम्बर 2014 के मध्य छूट प्रमाण पत्र जारी किये थे। ऊर्जा विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर इन

⁸ एकयूरेट वेल्ड आर्क लिमिटेड, जे.डी.इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड, टंकेश्वरी मेटल्स एण्ड पावर प्रोडक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड एवं गायत्री रोलिंग मिल्स लिमिटेड

उद्योगों की विद्युत ऊर्जा की स्थापित/आवश्यक क्षमता 500 किलो वाट एम्पीयर (के. व्ही.ए.) से 10000 के.व्ही.ए. थी। पुनः जांच में पाया गया की इन उद्योगों द्वारा मार्च 2007 एवं जनवरी 2012 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था और उनकी विद्युत ऊर्जा की स्थापित/आवश्यक क्षमता 300 के.व्ही.ए. से 5000 के.व्ही.ए. के मध्य थी। इस प्रकार इन उद्योगों ने अपनी क्षमता विस्तार की थी। औद्योगिक नीति एवं अधिसूचना के अनुसार उद्योगों का विस्तार छूट हेतु पात्र नहीं था। इसके बावजूद भी मु.वि.नि. द्वारा छूट को अमान्य कर प्रकरण उद्योग विभाग को सूचित करने के बजाय 346.57 एम.यू. विद्युत उपभोग पर ₹ 9.58 करोड़ की छूट प्रदान की। इस प्रकार उद्योग विभाग एवं ऊर्जा विभाग द्वारा प्रकरण की जांच में विफल होने के कारण ₹ 9.58 करोड़ की अनियमित छूट प्रदान की गई।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के कार्यकाल के दौरान ही स्थापित विद्युत क्षमता का विस्तार कर लिया था। औद्योगिक नीति के प्रावधान के अनुसार विस्तारित क्षमता को भी नया उद्योग माना जावेगा।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि औद्योगिक नीति के तहत कोई भी लाभ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के दिनांक से देय हैं। इस प्रकार उसी उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के बाद क्षमता में बढ़ोतरी का विस्तार माना जावेगा, जो की ऊर्जा विभाग की अधिसूचना अनुसार मान्य नहीं है।

2.14 अपात्र उद्योग को अनुदानों की स्वीकृति

विभाग द्वारा ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया जो निर्धारित अवधि में उत्पादन के प्रारम्भ/क्रियाकलाप से संबंधित दस्तावेज (ईएम पार्ट II) निर्धारित अवधि में जमा करने में विफल रहा।

छत्तीसगढ़ राज्य ब्याज अनुदान नियम, 2009 के अनुसार योग्य उद्योगों को ब्याज अनुदान एवं स्थायी पूंजी निवेश अनुदान दावा करने हेतु वैध दस्तावेज ईएम पार्ट I/लघु उद्योग पंजीयन प्रमाणपत्र/आईईएम/औद्योगिक लाईसेंस के साथ ईएम पार्ट II (वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ/क्रियाकलाप होने के बाद प्रस्तुत किया जाने वाला दस्तावेज) जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो उसके साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने का प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना होगा।

पुनः औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट 1 के उपबंध 8 अ में सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों की व्याख्या दी गई है, जिसके अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमि विकास अधिनियम, 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी अधिसूचनाओं और जिनके पास संबंधित जि.व्य.उ.कें. द्वारा जारी ईएम पार्ट I हो तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ईएम पार्ट II एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र हो। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2006 में जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योगों को ईएम पार्ट I एवं ईएम पार्ट II, ईएम पार्ट I जारी होने के दो वर्ष के अंदर दाखिल करना आवश्यक हैं तथा ईएम पार्ट II निर्धारित अवधि में जमा न किए जाने की दशा में उद्यमी द्वारा जमा किया गया ईएम पार्ट I अमान्य हो जायगा।

जि.व्य.उ.कें., रायपुर में पूंजी अनुदान के 117 प्रकरणों की जांच में हमने देखा की पाँच प्रकरणों में ₹ 1.80 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान एवं 25 प्रकरणों में ₹ 3.70 करोड़ का ब्याज अनुदान (परिशिष्ट 2.1 में वर्णित) स्वीकृत ऐसे उद्योगों को किया गया था जिन्होंने ईएम पार्ट I जमा करने के दिनांक से निर्धारित अवधि दो वर्ष में ईएम पार्ट

II जमा नहीं किये थे। जो यह इंगित करता है की इन उद्योगों द्वारा निर्धारित समयावधि में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ नहीं किया था।

चूंकी इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति एवं अधिसूचना की शर्तों को पालन नहीं किया था, अतः औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत किसी भी प्रकार के अनुदान एवं सुविधा लेने हेतु पात्र नहीं थे। इस प्रकार ₹ 3.70 करोड़ का ब्याज अनुदान एवं ₹ 1.80 करोड़ का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की एम एस एम ई डी अधिनियम के तहत जमा किए जाने वाले ईएम पार्ट I एवं ईएम पार्ट II को सितंबर 2015 से शासन ने वापस ले लिया है। यदि ईएम पार्ट I जमा किए जाने के पश्चात् ईएम पार्ट II निर्धारित अवधि दो वर्ष में जमा नहीं किये जाने से मात्र उद्योग स्थापना का अभिप्राय अनियमित हो जाता है तो वह मात्र जमा किये जाने के उद्देश्य से हैं, पुनः औद्योगिक नीति 2009-14 एवं स्थायी पूंजी निवेश/ ब्याज अनुदान नियम, 2009 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है की ईएम पार्ट I जमा किये जाने के पश्चात् दो वर्ष में ईएम पार्ट II जमा किया जाना आवश्यक है। औद्योगिक नीति के कार्यावधि में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ किया जा सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम के अनुसार इन उद्योगों को दो वर्ष के अंदर ईएम पार्ट II जमा किया जाना जरूरी था अन्यथा ईएम पार्ट I अमान्य हो जायगा। पुनः इन उद्योगों द्वारा ईएम पार्ट II जमा किए जाने के समय में अधिनियम लागू था। अतः अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इन उद्योगों को निर्धारित अवधि में ईएम पार्ट II जमा किया जा सकता था और अमान्य दस्तावेजों के आधार पर अनुदानों का स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

2.15 विद्युत शुल्क के भुगतान से अनियमित छूट

मु.वि.नि. ने विद्युत शुल्क भुगतान से छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र ऐसे उद्योगों को जारी किया जिन्होंने पहले से ही विद्युत शुल्क भुगतान से छूट किसी दुसरे अधिसूचना के अनुसार ले चुका था।

ऊर्जा विभाग द्वारा नवंबर 1992 में जारी अधिसूचना के अनुसार, कोई व्यक्ति या उपक्रम जेनरेटिंग सेट से 125 के.व्ही.ए. से अधिक विद्युत ऊर्जा का उत्पादन स्वयं के उपभोग के लिए करता है तो वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक से 5 वर्षों के लिए विद्युत शुल्क भुगतान से छूट प्राप्त होगा। शासन द्वारा इन अधिसूचना को दिसम्बर 2008 में वापस लिया गया तथा बताया गया कि यह छूट उन उद्योगों को जारी रहेंगे जिन्होंने 2008 से पूर्व छूट का लाभ छूट प्रमाणपत्र में दर्शित अवधि से दिया गया और ऐसा उद्योग औद्योगिक नीति 2001-06 या शासन द्वारा समय समय पर जारी किसी अन्य नीति के अंतर्गत किसी अन्य छूट के पात्र नहीं होंगे।

हमने कार्यालय मु.वि.नि. में जी फार्म के जांच में पाया कि एक उद्योग मेसर्स नवदुर्गा फ्यूल्स लिमिटेड ने 4 मेगा वाट टीजी सेट से वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य जुलाई 2006 से प्रारंभ किया। उद्योग विभाग (अप्रैल 2013) द्वारा औद्योगिक नीति 2001-06 के अंतर्गत विद्युत शुल्क के भुगतान में 10 वर्षों के लिए छूट की अनुशंसा की गई। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग पांच वर्ष के लिए विद्युत शुल्क भुगतान में छूट का लाभ दो डीजल सेट पर मार्च 2005 से मार्च 2010 तक पहले (मई 2005) से ही दी गई थी। इस प्रकार विभाग द्वारा दिसम्बर 2008 में जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योग आगे की छूट के लिए पात्र नहीं था। तथापि मु.वि.नि. द्वारा छूट प्रमाण पत्र को अमान्य कर उद्योग विभाग को सूचना दिए बगैर छूट प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में जुलाई 2006 से मार्च 2015 के लिए जारी किया।

उद्योग द्वारा उत्पादित एवं उपभोग किए गए 86.89 एम.यू. विद्युत ऊर्जा और दिये गये छूट की राशि ₹ 4.68 करोड़ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से मार्च 2016 तक वसूलनीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मु.वि.नि. से प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग को विद्युत शुल्क से छूट अधिसूचना 1992 के अंतर्गत दिया गया है। अतः औद्योगिक नीति के तहत जारी किये गये अनुशंसा को वापस लेने की प्रक्रिया जारी है।

2.16 विद्यमान उद्योगों को नए उद्योग मानकर छूट दिया जाना

उद्योग एवं ऊर्जा विभागों ने पहले से विद्यमान उद्योग को नया उद्योग मानकर छूट दिया।

औद्योगिक नीति 2004-09 के अनुसार नई औद्योगिक इकाई का आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है, जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 तक प्रारंभ किया गया हो। आगे औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार नवीन उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनके द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2009 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति इ.एम.पार्ट-I/आई.इ.एम, आशय पत्र (लेटर आफ इंटेन्ट), औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग ने वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट-II तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो।

2.16.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) एवं जि.व्य.उ.के., रायगढ़ एवं राजनांदगांव में अनुदान से संबंधित प्रकरणों की जांच में पाया कि विभाग ने पांच उद्योगों⁹ को अनुदान (स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान) की राशि ₹ 2.37 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की। आगे जांच में पाया गया कि कंपनी के रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.) तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र के अनुसार ये उद्योग 1993 से अस्तित्व में हैं। अतः विद्यमान उद्योग को नवीन मानकर दिया गया अनुदान अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि औद्योगिक नीति 2004-09 एवं 2009-14 के अनुसार नवीन उद्योग से तात्पर्य नीति में निर्धारित समय सीमा के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से है। आगे विद्यमान उद्योग के विस्तार को नवीन उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन उद्योगों का पंजीकरण कंपनी के रजिस्ट्रार या वाणिज्यिक कर विभाग से 1993 या इसके बाद किया गया।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि यह उद्योगों 1993 से अस्तित्व में थे एवं इन उद्योगों के प्रकरणों में इस बात का कोई उल्लेख नहीं था कि औद्योगिक नीति के अंतर्गत अनुदान लेने हेतु उद्योग का विस्तार भी एक आधार होगा। आगे विभाग द्वारा अपने उत्तर के समर्थन में औद्योगिक नीति के परिशिष्ट 1 में दिये गये विस्तार के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये।

2.16.2 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट से संबंधित दो¹⁰ प्रकरणों के जांच में पाया कि उद्योग विभाग द्वारा विद्युत शुल्क के भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र

⁹ मेसर्स डोंगरगांव पेपर मिल्स, एटमैसको प्रायव्हेट लिमिटेड, सिम्पनी ट्रेडकाम, जी एन एस गैसेस एवं रिजेंसिस इण्डस्ट्रीज

¹⁰ छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स एवं जय बालाजी प्लास्टिकस

की अनुशंसा वाणिज्यिक उत्पादन अप्रैल 2009 एवं अक्टूबर 2010 के मध्य मानते हुए किया गया। अग्रेतर जांच में पाया गया कि इन में से एक प्रकरण में छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा उद्योग को भूमि मार्च 1997 में पहले ही आबंटित किया जा चुका था एवं उद्योग ने नाम परिवर्तन कर नवीन उद्योग की श्रेणी में औद्योगिक नीति के तहत लाभ लिया। एक अन्य प्रकरण में उद्यमी द्वारा एक पुराने उद्योग को खरीदकर नाम में परिवर्तन किया गया तथा उद्योग को नवीन बताया गया। इन उद्योग ने 99.60 एम.यू. विद्युत उर्जा के लिए राशि ₹ 2.30 करोड़ का छूट का लाभ लिया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि छ.ग.रा.औ.वि.नि. ने छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स को 1997 में भूमि आबंटित किया था। उद्योग का उत्पाद कृषी संयंत्र था। तथापि उद्योग स्थापित नहीं हुआ। औद्योगिक नीति 2009-14 के लागू होने के बाद उसी उद्योग द्वारा नाम परिवर्तन के बाद सेमी फिनीश नान-एलाज स्टील एवं एम एस इनगाट के लिए छत्तीसगढ़ फेरो ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड नाम से नये उद्योग की स्थापना की गई। आगे एक अन्य प्रकरण में कविता पौलिमर से पुराने उद्योग की खरीदी के बाद नए निवेश के बाद उद्योग की स्थापना कि गई।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विद्यमान उद्योगों के नाम में परिवर्तन करने से उसे नये उद्योग नहीं माना जा सकता। आगे शासन का उत्तर यह पुष्टि करता है कि उद्योगों द्वारा कुछ नये निवेश कर कुछ नये उत्पादों को सम्मिलित किया गया, जेकि औद्योगिक नीति के प्रावधान अनुसार नये उद्योग नहीं माना जा सकता।

2.17 ऐसे उद्योगों जिनके नाम से भूमि नहीं थी को अनियमित छूट प्रदान की गई

विभाग द्वारा ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया जो अपने नाम पर भूमि धारित नहीं कर रहे थे।

औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार नवीन उद्योग इकाई हेतु यह अनिवार्य था की वह भूमि उद्योग के नाम पर धारित करे।

2.17.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) मे 66 पूंजी निवेश अनुदान एवं 44 ब्याज अनुदान के प्रकरणों की जांच में पाया की आठ¹¹ प्रकरणों (औद्योगिक नीति 2004-09 के तहत दो प्रकरणों एवं 2009-14 के तहत छः प्रकरणों) में पाया की उद्योगों द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन मई 2008 एवं जुलाई 2014 के मध्य किया गया। उद्योग विभाग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान ₹ 2.43 करोड़ एवं ब्याज अनुदान ₹ 79 लाख इन उद्योगों को जनवरी 2012 एवं दिसंबर 2015 के मध्य स्वीकृत किया गया। पुनः आगे जांच में पाया गया की इन उद्योगों के नाम पर भूमि का स्वामित्व नहीं था। इस प्रकार यह उद्योग औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट/अनुदान हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 2.43 करोड़ का अनुदान एवं ₹ 79 लाख का ब्याज अनुदान स्वीकृत किया, जो औद्योगिक नीति के प्रावधान के विपरीत था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की औद्योगिक नीति 2004-09 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था की भूमि उद्योग के नाम पर हो। औद्योगिक नीति 2009-14 में 30 वर्ष के पट्टे हेतु प्रावधान किया गया था। पुनः नोटराइस्ड अनुबंध के पंजीयन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

¹¹ अंबे एग्रो, सिंघल फारेस्टरी, एस एस एग्रो, राजनांदगांव पेपर मिल्स, अरोड़ा व्यरहाऊसिंग, गोल्ड ग्रीन इरीगेशन प्रायव्हेट लिमिटेड, सांई बाबा एग्रो एवं शक्ति व्यरहाऊसिंग

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि छूट/अनुदान उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु दिया जाता है। औद्योगिक नीति 2004-09 के लाभ संचालको को न देकर उद्योगों को दिये गये थे। पुनः स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की संगणना हेतु भूमि का मूल्य भी सम्मिलित किया जाता है, अतः भूमि उद्योग के नाम पर पंजीकृत होना विधिनुकूल है। औद्योगिक नीति 2009-14 में अनुदान स्वीकृति के प्रकरणों में पट्टों के अनुबंध वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पूर्व न तो निष्पादित थे और न ही पंजीकृत थे।

2.17.2 जि.व्य.उ.कें., रायपुर में 117 पूंजी निवेश अनुदान के प्रकरणों की जांच में हमने देखा की चार उद्योगों द्वारा फरवरी 2010 एवं मार्च 2013 के मध्य वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। विभाग द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत इन उद्योगों को मई 2013 और मार्च 2016 के मध्य में ₹ 69.94 लाख का स्थायी पूंजी निवेश अनुदान स्वीकृत किया गया। औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार भूमि इन उद्योगों के नाम पर होनी चाहिए थी। पुनः जांच में पाया गया की इनके पट्टा अनुबंध उद्योगों के नाम मार्च 2010 एवं मई 2014 के मध्य निष्पादित किये गये थे। किन्तु पट्टा अनुबंधों का पंजीयन वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में नहीं किया गया था। इस प्रकार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करते समय यह उद्योग अपने नाम से भूमि धारित नहीं कर रहे थे। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 69.94 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जो औद्योगिक नीति के प्रावधानों के विपरीत था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (नवंबर 2016) की पट्टा अनुबंधों को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने के पश्चात् पंजीकृत/नोटराइस्ड किया गया था। पुनः पंजीकृत पट्टा/अनुबंध को मान्य किये जाने हेतु आवश्यक आदेश जारी किये जायेंगे।

2.18 शवलीकरण पर मुद्रांक शुल्क से अनियमित छूट

विभाग द्वारा शवलीकरण पर मुद्रांक शुल्क के भुगतान पर जारी किये गये छूट प्रमाण पत्र दिया जाना अनियमित था।

औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार शवलीकरण (डायवर्सिफिकेशन) से आशय ऐसे उत्पादनरत् विद्यमान औद्योगिक इकाई/उद्योग से है, जिसने औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करते हुए उद्योग स्थापित किया हो तथा सक्षम अधिकारी से ई.एम.पार्ट-II एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र धारित करता हो, यदि औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक के पश्चात् अपने वर्तमान उद्योग में किसी नवीन उत्पाद का समावेश करता है तो नवीन उत्पाद शवलीकृत श्रेणी में आयगा बशर्ते कि औद्योगिक इकाई/उद्योग ने नियत दिनांक 01 नवंबर 2009 के पश्चात् विद्यमान उद्योग में प्लांट एवं मशीनरी में मान्य पूंजी निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत पूंजी निवेश किया हो। इसके लिए 31 अक्टूबर 2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

हमने कार्यालय उप पंजीयक, रायगढ़ में पंजीकृत अभिलेखों की जांच में पाया कि उद्योग विभाग ने औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत शवलीकरण के लिए मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड को मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र सितम्बर 2014 में जारी किया जिसका पट्टा अनुबंध नवम्बर 2014 में निष्पादित किया गया।

आगे मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र की जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य मार्च 2013 में प्रारंभ किया गया जो औद्योगिक नीति 2009-14 के नियत दिनांक (एप्वाईन्टेड डेट) के बाद अर्थात् 1 नवंबर 2009 के बाद हुआ। जि.व्य.उ.कें., रायगढ़ के अभिलेखों की पुनः जांच में पाया गया कि उद्योग ने नये उत्पाद के लिए वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य अब तक (अप्रैल 2016)

प्रारंभ नहीं किया था, जबकी कार्य 31 अक्टूबर 2014 तक प्रारंभ करना चाहिए था। इस प्रकार उद्योग औद्योगिक नीति 2009-14 में दिए गये शर्तों के पालन में विफल रहा, अतः मुद्रांक शुल्क के भुगतान में छूट के लिए पात्र नहीं था। तथापि उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित उप पंजीयक द्वारा ₹ 1.68 करोड़ की छूट प्रदान की गई जो अनियमित था। उद्योग विभाग द्वारा भी राजस्व की वसूली हेतु कोई प्रयास नहीं किये गये।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मुद्रांक शुल्क में भुगतान से छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का समय सीमा वर्णित रहता है। मुद्रांक शुल्क में छूट उद्योग की स्थापना से पूर्व दी जाती है। वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा जून 2010 में जारी अधिसूचना के अनुसार मुद्रांक शुल्क में छूट शवलीकरण में भी देय है। पुनः उद्योग विभाग द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र के अनुसार उद्योग को पांच वर्ष के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य यानि सितम्बर 2019 से पहले किया जाना चाहिए।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग अपने वर्तमान इकाई में 1 नवम्बर 2009 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा तथा नये उत्पाद का भी वाणिज्यिक उत्पादन औद्योगिक नीति 2009-14 में वर्णित निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार 31 अक्टूबर 2014 तक प्रारंभ नहीं कर पाया।

2.19 उद्योग के विक्रीत किये गए भाग पर अनियमित छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया।

उद्योग विभाग द्वारा उद्योग के विक्रीत किये गये भाग पर विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट हेतु अनुशंसा जारी की। मु.वि.नि. द्वारा भी अनुशंसा के आधार पर छूट प्रमाण पत्र जारी किया।

औद्योगिक नीति 2004-09 एवं इसके तहत जारी अधिसूचना के अनुसार विद्युत शुल्क के भुगतान से छूट की पात्रता मात्र नये उद्योगों को ही हैं। जिन उद्योगों द्वारा अपनी क्षमता में विस्तार किया है वह नयी नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं हैं।

हमने कार्यालय मु.वि.नि. में "जी" फार्म की जांच में पाया की मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड द्वारा अपने 8.5 मेगावाट बायो मास टीजी सेट से दिसंबर 2006 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया। उद्योग इसके अतिरिक्त मेटल कास्टिंग के ऑटो पार्ट्स एवं इंजीन्यरिंग स्पेयरस का भी विनिर्माण करता था। इस प्रकार ऊर्जा के उत्पादन की इकाई इन उद्योग का एक भाग थी। उद्योग द्वारा औद्योगिक नीति 2004-09 के अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ किया था, अतः इस नीति के अंतर्गत वह छूट हेतु पात्र था। पुनः अभिलेखों की जांच में पाया गया की उद्योग द्वारा ऊर्जा के उत्पादन की इकाई को किसी दूसरे उद्योग मेसर्स हीरा फेरो अलाइस लिमिटेड को दिसम्बर 2011 में विक्रीत कर दिया था, जिसका नाम परिवर्तन कर बालाजी पावर लिमिटेड किया गया था। इस प्रकार मेसर्स शिवालिक पावर एण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड जो वर्तमान में अस्तित्व में हैं, औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत छूट हेतु पात्र था और जिस इकाई का उद्योग द्वारा विक्रय किया गया है वह इस नीति के तहत छूट हेतु पात्र नहीं हैं क्योंकि हीरा फेरो अलाइस जो वर्तमान में स्थापित उद्योग था वह किसी छूट हेतु पात्र नहीं था। पुनः "जी" फार्म की जांच में पाया गया की विक्रीत इकाई जिसका नाम परिवर्तन कर बालाजी पावर लिमिटेड किया गया था वह हीरा फेरो अलाइस लिमिटेड के एक उपक्रम (अंडरटेकिंग) के रूप में कार्य कर रही थी। इस प्रकार विक्रीत की गई इकाई वर्तमान इकाई का एक विस्तार के रूप में कार्य कर रही थी, अतः वह भी छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु उद्योग विभाग द्वारा विक्रीत की गई

इकाई हेतु अनुशंसा जारी की तथा ऊर्जा विभाग द्वारा छूट को अमान्य कर, उद्योग विभाग को सूचित करने के बजाय वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 15 वर्ष हेतु छूट प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में जारी किया।

उद्योग द्वारा विक्रय करने के पश्चात् से 25.24 एम.यू. विद्युत ऊर्जा का उत्पादन एवं उपभोग किया जिस पर विद्युत शुल्क ₹ 70.32 लाख आरोपणीय था। पुनः इसके साथ ही राशि ₹ 38.14 लाख भी छ.ग.रा.वि.वि.कं. को विक्रीत की गई 190.68 एम.यू. विद्युत ऊर्जा पर वसूलनीय हैं।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन के कहां (नवम्बर 2016) की, विभाग द्वारा सितंबर 2005 में ही उद्योग के एक भाग को अन्य उद्योग का विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी। उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिसंबर 2006 से प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार विक्रय के पूर्व पुराने उद्योग को दी गई छूट सही था एवं विक्रय दिनांक से वही लाभ नये उद्योग भी ले सकता है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि जो उद्योग छूट हेतु पात्र थे, ने अपनी इकाई ऐसे उद्योग को किया जो किसी भी छूट हेतु पात्र नहीं था।

2.20 औद्योगिक नीति में अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित उद्योगों को अनियमित छूट

उद्योगों के उत्पाद औद्योगिक नीति में अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित थे। किन्तु विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किये जो अनियमित थे।

औद्योगिक नीति में कुछ उद्योगों को अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है, जो उक्त नीति के अंतर्गत किसी भी प्रकार के लाभ हेतु पात्र नहीं होंगे। औद्योगिक नीति 2004-09 में कनफेक्सनरी, बिस्किट एवं बेकरी उत्पाद (पंजीकृत यंत्रिकीय मशीनरी एवं ब्रांडेड उत्पाद को छोड़कर) और औद्योगिक नीति 2009-14 में कोल ब्रिकेट, कोक एवं कोल स्क्रीनिंग, कोल पयुल अपात्र उद्योगों में सम्मिलित थे। पुनः औद्योगिक नीतियों 2009-14 एवं 2014-19 के अनुसार अन्य श्रेणी के उद्योग के साथ संतृप्त श्रेणी के उद्योग की स्थापना की जाती है तो, छूट/रियायत एवं अनुदान की पात्रता का निर्धारण समस्त परियोजना को संतृप्त श्रेणी मानकर किया जावेगा।

2.20.1 दो¹² प्रकरणों में उद्योग विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क से भुगतान हेतु औद्योगिक नीतियों 2009-14 एवं 2014-19 में अक्टूबर 2012 एवं मई 2015 के मध्य छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। छूट प्रमाण पत्रों की आगे जांच में पाया गया की इन उद्योगों द्वारा अपने उत्पाद वॉश कोल का निर्माण, अन्य कोल एवं कोल टार उत्पाद जो अन्य कहीं वर्गीकृत नहीं थे और खनन तथा अग्लोमरेशन ऑफ कोल, कोल वाशरी के साथ प्रदर्शित किया गया था। चूंकि इन उद्योगों के उत्पादों संतृप्त श्रेणी के उद्योगों की सूची में सम्मिलित थी, अतः यह मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु पात्र नहीं थे। किन्तु विभाग द्वारा अक्टूबर 2012 और मई 2015 के मध्य में छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये।

इन उद्योगों द्वारा 42.633 हेक्टेयर भूमि का क्रय किया गया। भारतीय मुद्रांक अधिनियम एवं बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के अनुसार मुद्रांक शुल्क ₹ 37.11 लाख आरोपणीय था। किन्तु संबंधित उप पंजीयकों द्वारा मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की गई।

¹²

भाटिया एनर्जी लिमिटेड एवं वेदांता वासरीस लिमिटेड

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की इन उद्योगों के उत्पाद कोल वाशरी था, जो अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं थे।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि औद्योगिक नीति के अनुसार अगर कोई भी श्रेणी का उद्योग अगर संतृप्त श्रेणी का उद्योग के साथ स्थापित किया जाता है तो संपूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी मानकर अनुदान एवं रियायत का निर्धारण किया जाएगा एवं इस प्रकरण में उद्योग कोल वाशरी के अलावा अन्य कोल उत्पादों का भी उत्पादन कर रहा था।

2.20.2 छ.ग.रा.औ.वि.नि. कार्यालय में छूट प्रकरणों की जांच में हमने पाया की दो¹³ प्रकरणों में छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत राइस मिल एवं मिनी सीमेंट प्लांट को प्रीमियम के भुगतान में 50 प्रतिशत की अनुदान दी गई। चूंकि उक्त उत्पाद औद्योगिक नीति 2009-14 में अपात्र उद्योगों की श्रेणी में सम्मिलित थे, अतः ₹ 21.55 लाख की दी गई अनुदान अनियमित थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) की उद्योग पिछड़े क्षेत्र में स्थित हैं। औद्योगिक नीति 2014-19 के अनुसार पिछड़े क्षेत्रों में स्थित राइस मिल अपात्र उद्योग की श्रेणी में सम्मिलित नहीं हैं। पुनः दूसरे उद्योग का उत्पाद सीमेंट पाइप अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित नहीं था।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अनुदान औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत प्रदान की गई थी, जिसमें राइस मिल अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था और दूसरे प्रकरण में ईएम पार्ट I के अनुसार उद्योग का उत्पाद सीमेंट था।

2.20.3 आयुक्त (उद्योग) के कार्यालय में विद्युत शुल्क के छूट के 157 प्रकरणों, मुद्रांक शुल्क से छूट के 37 प्रकरणों, स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के 66 प्रकरणों और ब्याज अनुदान के 44 प्रकरणों की जांच में पाया गया की उद्योग विभाग द्वारा एक बेकरी उद्योग को औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत ₹ 15.99 लाख की पूंजी अनुदान स्वीकृत (मार्च 2013) किया गया, जिसने नवम्बर 2009 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किया था। पुनः जांच में पाया गया की उद्योग को यांत्रिकीय प्रोसेस से ब्रांडेड उत्पाद तैयार करने हेतु प्रमाण पत्र दिसंबर 2010 में जारी किया गया था। उपरोक्त तथ्य से यह स्पष्ट है की वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि को उद्योग द्वारा अनब्रांडेड बेकरी उत्पाद का निर्माण किया जा रहा था। अतः उद्योग पूंजी अनुदान हेतु पात्र नहीं था। किन्तु विभाग द्वारा ₹ 15.99 लाख का पूंजी अनुदान स्वीकृत किया गया, जो अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की उद्योग को ट्रेड मार्क जून 2008 में स्वीकृत हो चुका था, जो वाणिज्यिक उत्पादन नवम्बर 2009 के पूर्व था। किन्तु ट्रेड मार्क दिसम्बर 2010 में जारी किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि पर उद्योग के पास ट्रेड मार्क प्रमाण पत्र नहीं था।

2.20.4 कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट एवं अनुदान के अभिलेखों की जांच में पाया गया की उद्योग विभाग द्वारा नवम्बर 2007 में औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत मेसर्स सी. जी. कोल एण्ड पावर लिमिटेड को 4.148 हेक्टेयर भूमि का पट्टा अनुबंध हेतु

¹³

बस्तर एग्रो एवं कृष्णा सिमेंट

मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया। चूंकि उद्योग का उत्पाद कोल बेनिफिकेशन एवं कोल डस्ट था जो उक्त नीति के परिशिष्ट 2, के सरल क्रमांक 14 के अनुसार अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था, अतः दी गई छूट अनियमित थी। पुनः जांच में यह पाया गया की कंपनी ने पर्याप्त भूमि का आबंटन न होने का कारण दर्शाते हुए अतिरिक्त भूमि की मांग की तथा छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित अवधि तक वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ नहीं किया। इस प्रकार उद्योग न केवल औद्योगिक नीति 2004-09 में वर्णित निबंधनों एवं शर्तों का पालन करने में विफल रहा अपितु उद्योग का उत्पाद भी अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित था। विभाग को मुद्रांक शुल्क की राशि ब्याज सहित वसूल करनी चाहिए थी। किन्तु मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली ब्याज सहित किए जाने के बजाय उद्योग विभाग द्वारा अगस्त 2014 में दूसरी औद्योगिक नीति 2009-14 में नया उद्योग मानकर पुनः मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु प्रमाण पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा दो पट्टा अनुबन्धों के निष्पादन में राशि ₹ 1.64 लाख के मुद्रांक शुल्क से भुगतान से छूट का लाभ लिया।

इस प्रकार विभाग द्वारा ऐसे उद्योग को दो अलग अलग औद्योगिक नीतियों में लाभ दिया गया जो न केवल अपात्र उद्योगों की सूची में सम्मिलित थे, अपितु निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने में विफल रहा था, जिसके कारण उद्योग को अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की चूंकि उद्योग निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा इसलिए जुलाई 2016 में मुद्रांक शुल्क की वसूली हेतु मांग पत्र जारी किया गया है।

2.21 नये उत्पाद के समावेश पर अनियमित छूट

उद्योग विभाग द्वारा नये उत्पाद का समावेश को उद्योग का विस्तार मानकर एक उद्योग को अनुदान की स्वीकृति प्रदान की।

औद्योगिक नीति 2009-14 के परिशिष्ट-1 के टीप (1) के अनुसार विद्यमान उद्योग में नवीन उत्पाद का समावेश नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा।

हमने कार्यालय जि.व्य.उ.कें., रायपुर में स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 117 प्रकरणों की जांच में पाया कि मेसर्स मोहन फिड्स एण्ड केमिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड 1987 से कैटल फिड का उत्पादन कर रही थी। कैटल फिड की उत्पादन क्षमता 12,500 मैट्रीक टन थी। उद्योग द्वारा नए उत्पाद पोल्ट्री फिड एवं फिस फिड को जोड़कर उत्पादन क्षमता का विस्तार 12,500 मैट्रीक टन से 25,000 मैट्रीक टन किया गया। चूंकि उद्योग ने विद्यमान उद्योग में ही नवीन उत्पाद का समावेश किया था, अतः इन उद्योग को नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य नहीं होगा तथा औद्योगिक नीति के अंतर्गत किसी छूट/अनुदान हेतु पात्र नहीं था। तथापि उद्योग विभाग ने फरवरी 2015 में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि ₹ 30 लाख की स्वीकृति प्रदान की। अतः नवीन उत्पाद का समावेश विद्यमान उद्योग में किये जाने से इसे नवीन उद्योग की श्रेणी में मान्य किया जाकर स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की स्वीकृति अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि औद्योगिक नीति 2009-14 के अंतर्गत नवीन उत्पाद का समावेश विद्यमान उद्योग में शवलीकरण के अंतर्गत किया गया। शवलीकृत उद्योग भी छूट के पात्र होते हैं। पोल्ट्री फिड तथा फिस फिड का समावेश नवीन उत्पाद की जगह शवलीकरण माना गया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग द्वारा जारी किये गये उत्पादन प्रमाण पत्र के अनुसार पोल्ट्री फिड तथा कैटल फिड को नवीन उत्पाद माना गया है।

2.22 निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं करने वाले उद्योगों को अनियमित अनुदान की स्वीकृति

उद्योग विभाग द्वारा ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया था जो अधिसूचना के उल्लेखित अवधि में आवेदन करने में विफल रहे थे।

मार्च 2012 में जारी अधिसूचना के अनुसार उद्योगों द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए आवेदन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत करना चाहिए।

2.22.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान से संबंधित 66 प्रकरणों तथा ब्याज अनुदान से संबंधित 44 प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योग मेसर्स थर्मोकैयर रॉकवुल (इण्डस्ट्रीज) प्रायव्हेट लिमिटेड ने अगस्त 2007 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया था। अधिसूचना के अनुसार उद्योग को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के एक वर्ष के भीतर आवेदन करना चाहिए था। तथापि उद्योग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु जून 2010 में दो वर्ष छः माह विलंब से आवेदन यह कारण देते हुए किया गया कि शासन द्वारा उद्योग को विशेष थ्रस्ट का दर्जा सितम्बर 2009 में प्रदान किया गया। उद्योग विभाग ने विलंब के कारण को स्वीकार करते हुए राशि ₹ 25 लाख स्थायी पूंजी अनुदान स्वीकृत किया। आगे उद्योग के आवेदन की जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा विशेष थ्रस्ट के लिए आवेदन फरवरी 2009 में किया गया जो की निर्धारित समयावधि से बाद का था। इस प्रकार उद्योग द्वारा दिये गये आवेदन को निरस्त किया जाना चाहिए था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उद्योग को उद्योग संचालनालय द्वारा सितम्बर 2009 में विशेष थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा प्रदान किया गया था। उद्योग को विशेष थ्रस्ट का दर्जा प्राप्त होने के पश्चात् ही अनुदान हेतु पात्र बना और विशेष थ्रस्ट दर्जा प्राप्त होने के एक वर्ष के अंदर (जून 2010) में आवेदन किया।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग द्वारा आवेदन विलंब से जमा करने बावजूत कोई ठोस कारण नहीं दिया था। पुनः विशेष थ्रस्ट का दर्जा वाले स्वीकृति में भी यह उल्लेख नहीं था कि उद्योग इस स्वीकृति के एक वर्ष के अंदर आवेदन करें। समिति द्वारा भी आवेदन को मान्य करने हेतु कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया था।

2.22.2 इसी प्रकार कार्यालय जि.व्य.उ.कें., राजनांदगांव में स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 42 प्रकरणों की जांच में हमने पाया कि मेसर्स जैन इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन एवं मेसर्स जैन इंडस्ट्रीयल कॉरपोरेशन ने मई 2011 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। आगे जांच में पाया गया कि इन उद्योगों द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के लिए जून 2014 में तीन वर्ष से अधिक विलंब के बाद आवेदन किया गया। उद्योग ने आवेदन के विलंब से जमा होने का कोई कारण नहीं बताया। इस प्रकार उद्योगों द्वारा दिये गये आवेदनों को मान्य नहीं किया जाना चाहिए था। तथापि विभाग ने बिना किसी कारण दर्शाये आवेदन को स्वीकार कर राशि ₹ 4.91 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि निर्धारित समयावधि में सितम्बर 2011 में आवेदन प्राप्त हो गए थे।

शासन द्वारा दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूंजी अनुदान के आवेदन के प्राप्त होने की पावती के अनुसार उद्योग द्वारा जून 2014 में आवेदन दिया था।

2.23 उद्योग को बिना मान्य दस्तावेज के आधार पर अनुचित लाभ दिया गया।

उद्योग विभाग द्वारा फैक्ट्री ले-आऊट एवं फैक्ट्री लाइसेंस जारी किये जाने के पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ मान्य कर विद्युत शुल्क से भुगतान की छूट हेतु अनुशंसा जारी की गई।

औद्योगिक नीति 2004-09 के अनुसार नई औद्योगिक इकाई का आशय ऐसे औद्योगिक इकाई से है जिनके द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन 1 नवंबर 2004 से 31 अक्टूबर 2009 तक प्रारंभ किया गया हो। आगे औद्योगिक नीति 2009-14 के अनुसार नवीन उद्योग से आशय ऐसे उद्योग से है जिनके द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2009 या उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित हो तथा इस प्रयोजन हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया यथास्थिति इ.एम.पार्ट-I/आई.इ.एम., आशय पत्र, औद्योगिक लायसेंस धारित हो एवं उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई.एम.पार्ट-II तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र भी धारित करता हो।

हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया कि विभाग द्वारा मेसर्स एरिस्टो ट्रांसमिशन लाइन प्रायव्हेट लिमिटेड को विद्युत शुल्क में भुगतान से छूट के लिए औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत अनुशंसा जारी की गई थी। तदनुसार ऊर्जा विभाग द्वारा अप्रैल 2010 से 10 वर्ष के लिए विद्युत शुल्क भुगतान के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया।

आगे अभिलेखों की जांच में पाया गया कि छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा आबंटित भूमि के पट्टा विलेख का पंजीयन फरवरी 2010 में कराया गया और फैक्ट्री के भवन निर्माण का ले-आऊट की स्वीकृती मई 2010 में दी गई थी। फैक्ट्री लाइसेंस जुलाई 2010 में जारी किया गया था। अतः उद्योग को फैक्ट्री ले-आऊट एवं फैक्ट्री लाइसेंस स्वीकृत करने के दिनांक के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन (अप्रैल 2010) प्रारंभ करना संभव नहीं था।

उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से विद्युत शुल्क भुगतान में छूट का लाभ राशि ₹ 14.27 लाख जो कि दिया गया, वह अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने कहा (नवंबर 2016) कि उद्योग को विद्युत की आपूर्ति फरवरी 2010 से प्रारंभ की गई थी। आगे उद्योग द्वारा उद्योग को स्थापित करने की अन्य क्रियाकलापों 2009 से प्रारंभ किया जा चुका था। अतः वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक अप्रैल 2010 सही है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उद्योग द्वारा फरवरी 2010 में भूमि का अधिपत्य प्राप्त किया था तथा ले-आऊट एवं फैक्ट्री लाइसेंस क्रमशः मई 2010 एवं जुलाई 2010 में स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत ले-आऊट एवं लाइसेंस के बगैर उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारंभ किया जाना संभव नहीं था।

निगरानी तंत्र

उद्योग विभाग, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग एवं ऊर्जा विभाग में आपसी समन्वय का अभाव था। आवश्यक सूचना जैसे ऐसे उद्योगों की सूची जिनहे छूट प्रदान की गई हैं, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की संभावित तिथि, उद्योगों के स्थान एवं क्षेत्र एवं छूट की राशि को वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा संधारित की जानी चाहिए थी, किन्तु आवश्यक सूचना विभाग के पास नहीं थी। निगरानी तंत्र जो महत्वपूर्ण भाग हैं वह उद्योग विभाग में नहीं था। जिसके कारण उद्योग विभाग ऐसे उद्योगों से अनभिज्ञ रहा जिसने छूट प्राप्त कर उद्योगों की स्थापना नहीं की थी और अनुदान प्राप्ति के पश्चात् निर्धारित अवधि में कम से कम पाँच वर्ष तक कार्यरत नहीं थी। उद्योग विभाग

इस बात से भी अनभिज्ञ रहा की उद्योगों द्वारा सम्पूर्ण भूमि का परिवर्तन औद्योगिक प्रयोजन हेतु नहीं किया था।

2.24 समन्वय, दस्तावेज एवं निगरानी का अभाव

कार्यान्वित एजेंसी, वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग एवं ऊर्जा विभाग में समन्वय का अभाव था।

औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करना एवं विशिष्ट छूट की सीमा तक छूट एवं अनुदान को सम्मिलित करते हुये तीन विभागों की लेखापरीक्षा जैसे वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग मुद्रांक शुल्क से छूट के लिए और ऊर्जा विभाग विद्युत शुल्क से छूट के लिए साथ ही उद्योग विभाग, जो नीतियों के क्रियान्वयन में स्थायी पूंजी अनुदान एवं ब्याज अनुदान की स्वीकृति देता है के अतिरिक्त संपन्न की गई।

औद्योगिक नीति के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु इसमें सम्मिलित सभी विभागों में विस्तृत प्रक्रिया/तंत्र जो दस्तावेजी अभिलेखों के साथ स्पष्ट तरह से वर्णित हो जिसमें प्रत्येक विभाग का अपना उत्तरदायित्व, जो न केवल इन छूट/अनुदान की स्वीकृति कुछ विशेष शर्तों के पालन पर के साथ अपितु औद्योगिक नीति में उल्लेखित किसी विशेष शर्तों के उल्लंघन पर वापस लिया जा सके।

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने देखा की वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग के पास जिन उद्योगों ने लाभ प्राप्त किया था उनके उद्योग की स्थापना अथवा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। पुनः जो आवश्यक सूचना विभागीय मुख्यालय स्तर पर तैयार की जानी चाहिए थी वह तैयार नहीं की गई थी। जिसके अभाव में वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी की जिन उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र प्रदान किये गये थे उनकी स्थिति एवं किसी विशिष्ट इकाई द्वारा छूट प्राप्त करने हेतु औद्योगिक नीति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन किया जा रहा है या नहीं। पुनः वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग द्वारा इस प्रकार की सूचना एकत्रित/तैयार/रखने हेतु कोई कार्यवाही नहीं कि थी।

पुनः, आयुक्त (उद्योग) द्वारा मुद्रांक शुल्क से छूट के प्रमाण पत्रों से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया की वर्ष 2010-11 में 48 उद्योगों को छूट प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। इसका प्रतिसत्यापन जि.व्य.उ.कें., राजनन्दगांव एवं रायगढ़ की अभिलेखों से किये जाने पर यह पाया गया की इन 48 उद्योगों में से सात उद्योगों द्वारा पंजीयन नहीं कराया था, दो निर्माणाधीन थे, नौ की स्थापना नहीं की गई थी और छूट प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद चार बंद हुआ था। पुनः जि.व्य.उ.कें., रायपुर ने बताया की एक उद्योग विद्युत शुल्क से छूट एवं ब्याज अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् बंद हुआ था। किन्तु, आयुक्त (उद्योग) से छूट प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् कितने उद्योग जो कार्यरत नहीं हैं या जिनकी स्थापना नहीं हुई है ऐसे उद्योगों को विवरण मांगे जाने पर उत्तर में कहा गया की छूट प्राप्त करने के पश्चात् कोई भी उद्योग बंद नहीं हुआ है जो क्रियान्वित एजेंसी के स्तर पर निगरानी की कमियाँ को दर्शाता है।

इस प्रकार उपरोक्तानुसार हमने देखा की औद्योगिक नीति के अंतर्गत छूट/अनुदान की स्वीकृति हेतु विभागों में कोई लिखित प्रक्रिया नहीं है जिससे सम्मिलित विभागों का कोई उत्तरदायित्व हो।

पुनः औद्योगिक नीति के तहत आयुक्त (उद्योग), जि.व्य.उ.कें., मु.वि.नि. एवं उप पंजीयकों के अभिलेखों की जांच में पाया गया की क्रियान्वित एजेंसी एवं विभागों के मध्य कोई

समन्वय नहीं था। विभागों में समन्वय एवं प्रलेखों के अभाव में और क्रियान्वित विभाग में निगरानी प्रणाली के अभाव में निम्नानुसार विसंगतियां दृष्टिगत हुईं:

- उद्योगों को औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि का आबंटन किया गया था जिसका पूर्ण उपभोग आबंटित उद्देश्य हेतु नहीं किया जा रहा था किन्तु छूट/अनुदान स्वीकृत किया गया (कंडिका 2.26 में वर्णित)
- ऐसे प्रकरणों, जिसमें उद्योगों द्वारा छूट का लाभ लेकर भी उद्योगों की स्थापना नहीं की गई थी, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी (कंडिका 2.25 में वर्णित)
- उद्योग विभाग को प्रकरण वापस करने के बजाय मु.वि.नि. द्वारा ऐसी इकाई को छूट प्रदान की गई थी जिसने पूर्ववर्ती नीति में लाभ प्राप्त किया था (कंडिका 2.13 में वर्णित)

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने कहा (नवम्बर 2016) की विभाग द्वारा 2016 से सिंगल विंडो ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई है जिसमें उद्योग की स्थापना का उद्देश्य, विभिन्न विभागों से स्वीकृति एवं अनुदान/छूट प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन जारी किया जावेगा। पुनः उद्योग से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी जैसे कार्यरत, विद्युत ऊर्जा के कनेक्शन, वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ आदि एक ही पोर्टल पर उपलब्ध है।

शासन निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, उद्योग एवं दूसरे विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं लाभप्रद उद्योगों का डाटा बेस तैयार करने बाबत विचार करे ताकि औद्योगिक नीति के लाभ अपात्र उद्योगों द्वारा प्राप्त न किए जा सकें।

2.25 छूट लिए जाने के बाद भी उद्योग की स्थापना नहीं होना

उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक नीति के तहत लाभ लिए गये उद्योगों के भौतिक सत्यापन हेतु कोई रोस्टर तैयार नहीं किया गया था। पुनः उद्योगों द्वारा विभाग में वार्षिक विवरणी भी जमा नहीं किया गया, विभाग ऐसे उद्योगों से मुद्रांक शुल्क की वसूली करने में विफल रहा, जिन्होंने निर्धारित अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था।

उद्योग विभाग द्वारा मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट के लिए जारी छूट प्रमाणपत्र के शर्तों के अनुसार, उद्योगों को छूट प्रमाणपत्र जारी होने के दिनांक से दो से पाँच वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना चाहिए। छूट प्रमाणपत्र के शर्तों का उल्लंघन होने पर, उद्योग से मुद्रांक शुल्क भुगतान में दिये गये छूट की राशि की वापसी के साथ 12.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी वसूलनीय है।

हमने चयनित जि.व्य.उ.कें. के छूट एवं अनुदान से संबंधित प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योगों द्वारा वार्षिकी लेखापरीक्षित लेखा (एनैयूल औडीटेड एकाऊन्ट) तथा उत्पादन/विक्रय पत्रक जमा नहीं किया गया। जि.व्य.उ.कें. ने भी आवश्यक विवरणी के प्राप्ति के लिए भी किसी तरह की कार्यवाही प्रारंभ नहीं की थी। आगे जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा विभिन्न औद्योगिक नीति के अंतर्गत लाभान्वीत उद्योग के लिए भौतिक निरीक्षण के लिए कोई रोस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिससे विभागों को लाभों के दुरुपयोग का जोखिम की संवेदनशीलता बना रहता है, जैसे की निचे वर्णित किया गया है।

हमने तीन उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीकृत विलेखों की जांच में पाया कि पांच¹⁴ उद्योगों ने उद्योग की स्थापना हेतु भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट का लाभ लिया। विभाग ने मुद्रांक शुल्क की भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र दिसम्बर 2007 एवं मार्च 2014 के बीच जारी किया। उद्योग विभाग से प्रतिसत्यापन किये जाने के बाद पाया गया कि चार उद्योगों द्वारा प्रमाण पत्रों में वर्णित अवधि के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने में विफल रहा एवं एक उद्योग ने अपनी संपूर्ण भूमि को अन्य उद्योग को विक्रय कर दिया।

वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग ने उद्योग विभाग के द्वारा जारी छूट प्रमाणपत्र के आधार पर मुद्रांक शुल्क भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र इन उद्योगों को विक्रय/पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीकरण पर स्वीकृत किया गया। भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम एवं बाजार मुल्य मार्गदर्शिका के अनुसार इन उद्योगों द्वारा निष्पादित किये गये विक्रय/पट्टा विलेख के आधार पर राशि ₹ 4.61 करोड़ वसूलनीय था। न तो उद्योग विभाग ने मुद्रांक शुल्क वापसी के लिए कार्यवाही कि न ही वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग ने इन प्रमाणपत्र को निरस्तीकरण के लिए कोई सूचना उद्योग विभाग को दी।

इस प्रकार दोनों विभागों की ओर से निष्क्रियता के कारण मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट की राशि ₹ 4.61 करोड़ दोषी उद्योग से वसूली नहीं किया जा सका। इसके अलावा छूट प्रमाण पत्र में दिये गये प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी वसूलनीय है।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि मुद्रांक शुल्क की वसूली के लिए मांग पत्र जारी किया गया है।

2.26 छूट प्राप्ति के पश्चात् भूमि का अंशता उपभोग किया जाना

उद्योग छूट प्रमाण पत्र में उल्लेखित शर्त के विरुद्ध भूमि का पूर्ण प्रयोजन हेतु करने में विफल रहा। किन्तु उद्योग विभाग ने अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई।

मुद्रांक शुल्क से भुगतान में छूट के लिए उद्योग विभाग द्वारा जारी किये गये छूट प्रमाण पत्र में शर्तों के अनुसार उद्योगों को आबंटित सम्पूर्ण भूमि का उपयोग औद्योगिक प्रयोजन के लिए करना चाहिए। यदि छूट प्रमाण पत्र में दिए गए शर्तों के पालन में उद्योग विफल होता है तो उद्योग को मुद्रांक शुल्क की राशि पर 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की देनदारी होगी।

2.26.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में मुद्रांक शुल्क से छूट से संबंधित 37 प्रकरणों तथा स्थायी पूंजी अनुदान से संबंधित 66 प्रकरणों की जांच में पाया कि उद्योग विभाग द्वारा मेसर्स महादेवी राइस मिल को औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट (नवंबर 2008) के लिए 1.090 हेक्टेयर की भूमि खरीदी हेतु छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया। उद्योग द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य अक्टूबर 2010 से प्रारंभ किया गया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग द्वारा सम्पूर्ण भूमि को औद्योगिक प्रयोजन हेतु व्यपवर्तित नहीं किया गया। इसलिए उद्योग विभाग ने राशि ₹ 23.85 लाख की स्थायी पूंजी निवेश अनुदान भूमि के कीमत को छोड़कर स्वीकृत किया। एक अन्य प्रकरण में विभाग द्वारा मेसर्स टंकेश्वरी मेटल प्रोडक्ट प्रायव्हेट लिमिटेड को औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत 3.13 हेक्टेयर भूमि के क्रय हेतु मुद्रांक शुल्क की भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया

¹⁴ बलदेव एन्र्जी केमिकल्स, ईमामी सिमेंट, सोना पावर, वंदना इस्पात लिमिटेड एवं वंदना विद्युत लिमिटेड

(जुलाई 2007)। उद्योग ने नवंबर 2008 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग ने कुल 3.13 हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 2 हेक्टेयर भूमि को व्यपवर्तित कराया। विभाग द्वारा उद्योग को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान राशि ₹ 25 लाख भूमि के किमत सहित स्वीकृत किया गया।

इस तरह इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के अंतर्गत जारी किये गये प्रमाणपत्र के निबंधनों एवं शर्तों को पुरा करने में विफल रहा। अतः ये उद्योग कोई छूट एवं अनुदान प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं थे। परन्तु उद्योग विभाग द्वारा ₹ 48.85 लाख का अनुदान स्वीकृत किया जाना अनियमित था।

2.26.2 इसी प्रकार हमने कार्यालय जि.ब्य.उ.कें., राजनांदगांव में अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया कि विभाग ने मेसर्स पंचशील साल्वेंट को औद्योगिक नीति 2004-09 के अंतर्गत 5.40 हेक्टेयर भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क भुगतान (जनवरी 2009) में छूट के लिए छूट प्रमाण पत्र जारी किया गया। छूट प्रमाण पत्र में दिये गये अन्य शर्तों के अनुसार कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रमाण पत्र जारी होने के दो वर्ष के अंदर प्रारंभ किया जाना था। उद्योग ने अप्रैल 2011 में वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ किया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग ने 5.40 हेक्टेयर भूमि में से 1.56 हेक्टेयर भूमि का व्यपवर्तन औद्योगिक प्रयोजन हेतु कराया। इस प्रकार उद्योग न सिर्फ वाणिज्यिक उत्पादन का कार्य प्रारंभ करने में विफल रहा बल्कि समस्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने में भी विफल रहा। इसलिये उद्योग, औद्योगिक नीति के तहत किसी भी अनुदान/छूट के लिए पात्र नहीं था। इसके बावजूद उद्योग विभाग ने मुद्रांक शुल्क भुगतान की छूट की राशि की वसूली बगैर राशि ₹ 1.10 करोड़ की स्थायी पूंजी अनुदान की स्वीकृति प्रदान की जो अनियमित था।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है की उद्योग विभाग में निगरानी तंत्र की कमी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके की छूट/अनुदान ऐसे उद्योगों को स्वीकृत किये जा रहे हैं जिससे औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि अनुदान एवं मुद्रांक शुल्क की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी।

2.27 ऐसे उद्योग जो निरंतर कार्यरत नहीं थे उन्हें अनुदान/छूट की अनियमित स्वीकृति

निगरानी तंत्र के अभाव में विभाग द्वारा ऐसे उद्योगों को अनुदान स्वीकृत किया गया था, जो निरंतर कार्यरत नहीं थे।

औद्योगिक नीति के अंतर्गत जुलाई 2003 में जारी अधिसूचना संख्या एफ-14-2/03 के अनुसार यह आवश्यक है किसी उद्योग के लिए जारी छूट/अनुदान के लिए निरंतर पांच वर्ष तक कार्य करना होगा अन्यथा दिया गया अनुदान वसूलनीय है। आगे छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश नियम, 2009 के कंडिका क्रमांक 10 के अनुसार उन उद्योगों के लिए जिन्हें ₹ 25 लाख या इससे अधिक का अनुदान प्राप्त करते हैं उन्हें पांच वर्षों तक उत्पादन/विक्रय की जानकारी सहित वार्षिकी लेखापरीक्षित लेखा (एनैयूल औडीटेड एकाऊन्ट) जमा करना होगा।

2.27.1 हमने कार्यालय आयुक्त (उद्योग) में छूट एवं अनुदान से संबंधित अभिलेखों के जांच में पाया कि उद्योग मेसर्स प्रीयदर्शी राईस प्रोडक्ट द्वारा जुलाई 2010 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। उद्योग विभाग द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान/ब्याज अनुदान की राशि ₹ 1.95 करोड़ मार्च 2013 में स्वीकृत किया। आगे जांच में पाया गया कि छ.ग.रा.वि.उ.कं द्वारा जनवरी 2013 में विद्युत आपूर्ति बंद कर दि

गई। इस प्रकार कंपनी अनुदान जारी के समय कार्यरत नहीं था। इसके बावजूद विभाग द्वारा अनुदान राशि ₹ 1.95 करोड़ जारी किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा (नवंबर 2016) बताया गया कि विद्युत आपूर्ति बंद होने की जानकारी मिलने के बाद से छूट नहीं दिया गया।

2.27.2 आगे कार्यालय जि.व्य.उ.कें., राजनांदगांव में छूट एवं अनुदान से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि मेसर्स सावरिया रिनेवल एर्न्जी लिमिटेड द्वारा जनवरी 2012 में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया गया। विभाग ने राशि ₹ 80.79 लाख की स्थायी पूंजी निवेश की स्वीकृति (नवंबर 2014) में दी। आगे जांच में पाया गया कि मार्च 2014 में उद्योग का विक्रय हेतु करार किया गया तथा सितम्बर 2015 में उद्योग की विद्युत आपूर्ति भी बंद कर दी गई।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा (नवंबर 2016) में बताया गया कि जांच पश्चात् आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

2.27.3 इसी प्रकार विभाग द्वारा मेसर्स बालाजी विद्युत एण्ड स्पंज लिमिटेड को मार्च 2004 में 3.242 हेक्टेयर भूमि के क्रय के लिए मुद्रांक शुल्क की भुगतान में छूट के लिए छूट प्रमाणपत्र जारी किया गया। उद्योग ने राशि ₹ 1.65 लाख भूमि के क्रय के लिए छूट प्राप्त किया। आगे जांच में पाया गया कि उद्योग की स्थापना किए बिना पूर्ण भूमि को अन्य उद्योग मेसर्स बलदेव एलायज लिमिटेड को अगस्त 2006 में विक्रय कर दिया गया। अतः राशि ₹ 1.65 लाख का मुद्रांक शुल्क से दिया गया छूट अनियमित था।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन (नवंबर 2016) द्वारा बताया गया कि भूमि का विक्रय संबंधित सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं था। तथापि मुद्रांक शुल्क वसूलने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है।

चूंकि इन उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति के शर्तों के पालन में विफल रहने से दिया गया छूट/अनुदान राशि ₹ 2.77 करोड़ उद्योगों से वसूलनीय है। तथापि निगरानी तंत्र के अभाव में विभाग द्वारा राशि को वसूलने के लिए किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं किया गया।

अन्य मुद्दे

2.28 भू-प्रीमियम का कम आरोपण

छ.ग.रा.औ.वि.नि. द्वारा एक उद्योग को 80 फिट चौड़ी रोड़ पर स्थित आबंटित भूमि हेतु दर को 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाने में विफल रहा परिणामस्वरूप भू-प्रीमियम का कम आरोपण हुआ।

छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के कांडिका क्रमांक 2.5.14 के अनुसार कोने एवं 80 फुट अधिक चौड़ी सड़क पर अवस्थित भू-खण्डों/भवनों के आबंटन पर सामान्य दरों से 10 प्रतिशत अतिरिक्त भू-प्रीमियम वसूली जावेगी। आगे आशेय पत्र में दिये गये निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार भूमि आबंटन पत्र (लैंड एलाटमेन्ट लेटर) जारी होने के पश्चात् 60 दिवसों के अंदर पट्टा विलेख का पंजीकरण कराया जाना आवश्यक है। आगे सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग यदि आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है तो उन्हें भू-प्रीमियम पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त छूट/रियायत दी जायेगी।

छ.ग.रा.औ.वि.नि. के कार्यालय में भू-प्रीमियम से छूट से संबंधित नस्ति की जांच के दौरान पाया कि एक¹⁵ उद्योग को भू-प्रीमियम में 50 प्रतिशत की छूट 48,420 वर्ग फुट भूमि के लिए ₹ 4.95 लाख राशि प्राप्त कर आबंटित किया गया। आगे जांच में पाया गया कि सितम्बर 2015 में जारी भू आबंटन पत्र के अनुसार उक्त भूमि 100 फीट चौड़ी सड़क पर अवस्थित था, अतः इसपर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त भू-प्रीमियम देय था। परन्तु छ.ग.रा.औ.वि.नि द्वारा अतिरिक्त भू-प्रीमियम के आरोपण करने में विफल रहने के कारण भू-प्रीमियम की राशि ₹ 49,483 का कम आरोपण हुआ। आगे उद्योग के द्वारा पंजीकृत पट्टा विलेख की प्रति भी जमा नहीं कराया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन द्वारा बताया (नवंबर 2016) गया कि भू-प्रीमियम की वसूली हेतु मांग पत्र जारी कि जा चुकी है।

2.29 रियायत स्वीकृति के उद्देश्यों की पूर्ति न होना

शासन पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक स्थापना के उद्देश्य को पूर्ण करने में विफल रहा, इस प्रकार औद्योगिक नीति के लाभों से भी वह वंचित रहे।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक नीतियों को राज्य में उद्योगों के संतुलित विकास के लिए लागू की गई। अन्य उद्देश्यों के अलावा शासन का लक्ष्य स्व-रोजगार का सृजन के साथ स्थानीय निवासियों, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, नक्सल प्रभावित परिवारों को औद्योगिक विकास के मुख्य धारा में लाने हेतु विशेष प्रयास किया जाना था।

विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं संबंधित अभिलेखों की जांच में हमने पाया कि यद्यपि शासन द्वारा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करने हेतु पर्याप्त प्रावधानों किये गये थे, परन्तु उद्यमियों द्वारा उद्योग स्थापना में रुचि नहीं लिए जाने के कारण राज्य के पिछड़े क्षेत्रों औद्योगिक नीतियों के लाभों से वंचित रहा, जैसे कि तालिका 2.3 में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 2.3: पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृति की प्रतिशत

| वर्ष | विद्युत शुल्क से छूट | | | मुद्रांक शुल्क से छूट | | | स्थायी पूंजी अनुदान | | | ब्याज अनुदान | | |
|------------|--|----------------------|--|---|----------------------|--|---|----------------------|--|--|----------------------|--|
| | विद्युत शुल्क से छूटों के प्रकरणों की कुल संख्या | पिछड़े क्षेत्रों में | पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृति का प्रतिशत | मुद्रांक शुल्क से छूटों के प्रकरणों की कुल संख्या | पिछड़े क्षेत्रों में | पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृति का प्रतिशत | स्थायी पूंजी अनुदान के प्रकरणों की कुल संख्या | पिछड़े क्षेत्रों में | पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृति का प्रतिशत | ब्याज अनुदान के प्रकरणों की कुल संख्या | पिछड़े क्षेत्रों में | पिछड़े क्षेत्रों में स्वीकृति का प्रतिशत |
| 2011-12 | 41 | 3 | 7.30 | 8 | 0 | 0 | 29 | 11 | 37.90 | 11 | 1 | 9.10 |
| 2012-13 | 36 | 1 | 2.80 | 9 | 0 | 0 | 23 | 11 | 47.80 | 10 | 2 | 20.00 |
| 2013-14 | 35 | 1 | 2.90 | 5 | 1 | 20 | 10 | 2 | 20.00 | 6 | 1 | 16.70 |
| 2014-15 | 29 | 4 | 13.80 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 0.00 |
| 2015-16 | 16 | 0 | 0.00 | 12 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 1 | 14.30 |
| योग | 157 | 9 | 5.70 | 37 | 2 | 5.4 | 66 | 24 | 36.40 | 44 | 5 | 11.40 |

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि राज्य में कुल लाभान्वित उद्योगों के विरुद्ध पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को दिये गये छूटों एवं अनुदानों की संख्या बहुत कम

¹⁵ मेसर्स एम आर एस इण्डस्ट्रीस

थी, जो राज्य में संतुलित औद्योगिक विकास के नीतियों के उद्देश्य को प्राप्त न करने को इंगित करता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ एवं नक्सल प्रभावित उद्यमियों द्वारा उद्योगों की स्थापना से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा उक्त अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा था। आगे चयनित तीन जि.व्य.उ.कें. के 15 उद्योगों के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि औद्योगिक नीतियों में राज्य के मूल निवासियों से संबंधित दिये गये मानकों का पालन किया जा रहा है। कर्मचारियों के मूल निवासी संबंधी पुष्टि करने हेतु शासन अन्य प्रमाण पत्र जैसे कि मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड इत्यादि को स्वीकार कर रही थी। जबकि मूल निवासी प्रमाण पत्र मूल निवासी से संबंधित एक मात्र मापदंड था, जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता की राज्य के मूल निवासियों विभिन्न औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं की नहीं।

बहिर्गमन सम्मेलन में शासन द्वारा बताया गया कि शासन ने पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त छूट पूर्व से ही घोषित कर दीया गया है। आगे शासन ने पिछड़े क्षेत्रों के त्वरीत विकास के लिए अनेक कदम जैसे कि नये रेल लाईन को बिछाने एवं नये स्टील प्लांट की स्थापना किये हैं।

शासन राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु उचित कार्यवाही करें ताकि औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

2.30 निष्कर्ष

“औद्योगिक नीतियों के अंतर्गत उद्योगों को दी गई छूटों एवं अनुदानों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान हमने निम्नानुसार देखा:

- उद्योग विभाग द्वारा ऊर्जा विभाग एवं विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार औद्योगिक नीति में उर्पयुक्त प्रावधान नहीं किया था। परिणामस्वरूप शासन ने न केवल ₹ 6.03 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा अपितु ₹ 2.22 करोड़ भी न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत लंबित थी।
- यद्यपि औद्योगिक नीति में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने हेतु समयावधि निर्धारित है किन्तु उद्योगों को दो नीतियों में से एक को चयन बाबत विकल्प होने से तथा किसी एक नीति में छूट प्राप्त करने पर उसके बाद कोई निश्चित प्रावधान नहीं होने से उद्योगों को एक से अधिक नीतियों में छूट प्रदान की गई थी।
- समयावधि विवरणी तथा भौतिक सत्यापन हेतु रोस्टर तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण ऐसे उद्योग जो छूट प्राप्त कर स्थापित नहीं हुये थे एवं ऐसे उद्योग जो निरंतर पाँच वर्ष तक कार्यरत नहीं थे की विभाग द्वारा निगरानी करने में विफल रहा। इन उद्योगों द्वारा राशि ₹ 7.38 करोड़ की छूटों/अनुदानों प्राप्त की गई।
- क्रियान्वित एजेंसी एवं संबंधित विभागों के मध्य आपसी समन्वय का अभाव था। समन्वय का अभाव एवं औद्योगिक नीति के उचित क्रियान्वयन के अभाव में औद्योगिक नीति के व्यापक उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।
- वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) विभाग में छूट प्राप्त उद्योगों का उचित दस्तावेजिकरण का अभाव था, जिसके अभाव में विभाग द्वारा उद्योगों द्वारा औद्योगिक नीति में उल्लेखित विशेष शर्तों का पालन किया जा रहा है कि नहीं का निगरानी करने में असमर्थ रहा।

2.31 अनुशंसाएँ

- शासन औद्योगिक नीति के प्रावधानों को विभागीय अधिसूचनाओं के अनुरूप रखने हेतु सुनिश्चित करने हेतु विचार कर सकती है ताकि शासकीय राजस्व हानी से बचा जा सके।
- शासन औद्योगिक नीति में आवश्यक संशोधन करने बाबत विचार करे की उद्योगों को समस्त लाभ एक ही नीति के तहत प्रदान किया जा सके ताकि औद्योगिक नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति में हो रहे विलंब को टाला जा सके।
- शासन मुद्रांक शुल्क के भुगतान से छूट हेतु जारी अनुवर्ती प्रमाण पत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि को पूर्ववर्ती जारी प्रमाण पत्र के अनुसार सीमित करने हेतु विचार करे ताकि औद्योगिकरण के लाभ समय में प्राप्त हो सके।
- शासन निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने, उद्योग एवं दूसरे विभागों में समन्वय स्थापित करने एवं लाभप्रद उद्योगों का डाटाबेस तैयार करने हेतु उचित कार्यवाही बाबत विचार करे ताकि औद्योगिक नीतियों के लाभ अपात्र उद्योगों द्वारा प्राप्त न किया जा सके एवं
- शासन राज्य के पिछड़े क्षेत्रों के संतुलित विकास हेतु उचित कार्यवाही करें ताकि औद्योगिक नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

तृतीय अध्याय
वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)

तृतीय अध्याय: वानिकी एवं वन्य जीवन (व्यय)



3.1 कर प्रशासन

प्रमुख सचिव (वन) के प्रशासनीक नियंत्रण में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं) वन विभाग का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय में आठ अपर प्र.मु.व.सं (अ. प्र.मु.व.सं.) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) होते हैं। राज्य में वन क्षेत्र छह वृत्तों में विभाजित है एवं प्रत्येक वृत्त का मुखिया मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) होते हैं। इन वृत्तों को आगे वनमण्डलों में बांटा जाता है, जिसका प्रशासन वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.) करते हैं, जिसकी सहायता हेतु क्षेत्रिय कार्यालयों में उपवनमण्डलाधिकारी (उ.व.म.अ.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी (प.अ.) होते हैं।

चार्ट 3.1: संगठनात्मक संरचना



विभाग निम्न अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होता है।

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता;
- वनमंडल का कार्य आयोजना; एवं
- शासन/विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/आदेश


3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

हमने वर्ष 2015-16 में वन विभाग के कुल 60 कार्यालयों में से छः¹ कार्यालयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की। हमने अनियमित, परिहार्य, अलाभकारी एवं अधिक व्यय इत्यादि से संबंधित अनियमितताओं के 144 प्रकरणों, जिसमें ₹ 25.22 करोड़ सन्निहित थे, को इंगित किया है, जो तालिका 3.1 में निम्न श्रेणियों में वर्णित है:

तालिका 3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

| स.क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि (₹ करोड़ में) |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1. | छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन | 1 | 6.36 |
| 2. | अनियमित व्यय | 71 | 14.19 |
| 3. | परिहार्य व्यय | 23 | 1.53 |
| 4. | अलाभकारी व्यय | 3 | 0.45 |
| 5. | अधिक व्यय | 37 | 1.40 |
| 6. | अन्य अनियमितताएँ | 9 | 1.29 |
| योग | | 144 | 25.22 |

चार्ट 3.2: श्रेणीवार कड़िकाओं का वर्गीकरण



¹ व.म.अ., बस्तर; व.म.अ., धमतरी; व.म.अ., कटघोरा; व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण); व.म.अ., मरवाही एवं व.म.अ., राजनांदगांव;

वर्ष के दौरान विभाग द्वारा 34 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 3.94 करोड़ सन्नहित है, को स्वीकार किया है।

“छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन” पर लेखापरीक्षा जिसमें ₹ 6.36 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सन्नहित है एवं कुछ उल्लेखनीय प्रकरणों जिसमें परिहार्य एवं अनियमित व्यय के ₹ 2.08 करोड़ सन्नहित है, को आगामी कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।


3.3 “छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन” पर लेखापरीक्षा

3.3.1 परिचय

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (रा.व.का.), भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिति विकास बोर्ड (रा.व.पा.वि.बो.) की योजना है। इस योजना का वित्त पोषण राज्य को 100 प्रतिशत केन्द्रीय अनुदान के रूप में किया जाता है। कार्यक्रम का व्यापक उद्देश्य वन संसाधनों के सतत विकास के साथ वन वृक्ष क्षेत्रों का सुधार/विस्तार, बिगड़े वनों का सुधार एवं विकेंद्रीकृत/भागीदारी वन प्रबंधन को संस्थागत बनाना तथा जीविकोपार्जन के साधनों की उन्नति को पूरक के रूप में सहयोग करना है। रा.व.का. के अंतर्गत लिये जाने वाले प्रमुख वानिकी कार्य सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्र.पु.) (200 पौधे प्रति हेक्टेयर), कृत्रिम पुनरोत्पादन (कृ.पु.), (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर), बांस रोपण (बां.रो.), (625 पौधे प्रति हेक्टेयर), चरागाह विकास (400 पौधे प्रति हेक्टेयर), मिश्रित वृक्षारोपण (1100 पौधे प्रति हेक्टेयर), जड़ी-बूटियों और झड़ियों का उत्थान (2000 पौधे प्रति हेक्टेयर) है। जागरूकता बढ़ाना, सूक्ष्म नियोजन, मृदा एवं नमी संरक्षण, बाड़ाबंदी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण, उपरिव्यय एवं प्रवेश बिंदु कार्य (ई.पी.ए.)घटक जिनके लिए भारत सरकार द्वारा कार्य का वार्षिक योजना (का.व.यो.) में निधियों का आबंटन किया गया। यह देखा गया कि रा.व.वि.अ. द्वारा तैयार कर रा.व.पा.वि.बो. को प्रस्तुत किए गए का.व.यो. में कुल 11 गतिविधियों में से चार गतिविधियों² को शामिल किया गया (विस्तृत विवरण अनुलग्नक 3.1 में दर्शाया गया है)।

पुनरीक्षित क्रियान्वयन मार्गदर्शिका (2009), के प्रावधानों के अनुसार रा.व.का. योजना का क्रियान्वयन त्रि-स्तरीय संस्थागत ढांचे द्वारा किया जाता है जिसमें राज्य स्तर पर राज्य वन विकास अभिकरण (रा.व.वि.अ.), क्षेत्रिय वनमंडल के स्तर पर वन विकास अभिकरण (व.वि.अ.) एवं ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति (सं.व.प्र.स.) है। उपरोक्त तीनों सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। छत्तीसगढ़ में योजना का संस्थागत संरचना निम्नानुसार है:

चार्ट 3.3: रा.व.का. के क्रियान्वयन का संस्थागत संरचना



² बिगड़े हुए क्षेत्रों का स.प्र.पु.; कृ.पु. एवं समृद्ध रोपण; प्रवेश बिंदु कार्य एवं सहभागीता सूक्ष्म योजना; परियोजनाओं का क्रियान्वयन एवं निगरानी

3.3.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि:

- योजना का वित्तीय प्रबंधन, योजना के दिशा-निर्देशों और समय समय पर भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया गया था;
- निधि का उपयोग के अनुरूप मितव्ययिता एवं प्रभावकारिता के साथ किया गया; एवं
- रा.व.का. के अंतर्गत सम्पन्न वानिकी कार्य मार्गदर्शिका और वनमंडल के कार्य आयोजना के प्रावधानों एवं शासन एवं विभाग द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप थे।

3.3.3 लेखापरीक्षा मानदंड

निम्नलिखित नियम, मार्गदर्शिका एवं लेखापरीक्षा मानदंड के रूप में किया गया:

- भारत सरकार द्वारा वर्ष 2009 में जारी राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका;
- क्षेत्रीय वनमंडलों का कार्य आयोजनाएं;
- वन वित्तीय नियम एवं छ.ग. शासन का भंडार क्रय नियम; एवं
- भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र/आदेश इत्यादि।

3.3.4 लेखापरीक्षा का विस्तार और क्रियाविधि

छत्तीसगढ़ राज्य में 32 व.वि.अ. एवं 7,887 सं.व.प्र. समिति है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जनवरी 2016 से जून 2016 के मध्य सम्पन्न की गई जिसमें रा.व.वि.अ. एवं 12 व.वि.अ.³ (38 प्रतिशत) का चयन सरल यादृच्छिक नमूना विधि से किया गया। वर्ष 2010-11 से 2014-15 के मध्य इन 12 चयनित व.वि.अ. ने रा.व.का. के अंतर्गत ₹ 56.88 करोड़ की राशि व्यय की। व.वि.अ. के अंतर्गत आने वाले 395 सं.व.प्र. समितियों में से 97 समितियों (24.56 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जांच भी की गयी। लेखापरीक्षा के दौरान अभिलेखों का परीक्षण, मांग पत्रों के द्वारा सूचनाओं का संग्रहण, संयुक्त भौतिक निरीक्षण आदि की क्रियाविधि अपनाई गयी। लेखापरीक्षा के विस्तार, उद्देश्य एवं क्रियाविधि की चर्चा प्रधान सचिव वन विभाग के साथ 13 अप्रैल 2016 को सम्पन्न अंतर्गमन सम्मेलन में किया गया था। बहिर्गमन सम्मेलन 24 अक्टूबर 2016 को सम्पन्न हुआ जहां लेखापरीक्षा प्रेक्षकों और अनुशंसाएँ के ऊपर चर्चा हुई। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान एवं अन्य अवसरों पर प्राप्त उत्तरों को संबंधित कंडिकाओं में उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

अभिस्वीकृति

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, वन विभाग द्वारा समन्वय एवं मांगी गयी जानकारी तथा अभिलेख समय पर उपलब्ध कराने लेखापरीक्षा का कार्य निर्धारित समय में पूर्ण करने हेतु विभाग के सहयोग को अभिस्वीकृत करता है।

³ बलौदा बाजार, बलरामपुर, बस्तर, धमतरी, जशपुर, कटधोरा, कोण्डागांव (दक्षिण), कोरबा, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, मारवाही एवं सूरजपुर

3.3.5 राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों की प्राप्ति एवं व्यय कि स्थिति


वर्ष 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान, रा.व.पा.वि.बो. द्वारा संस्वीकृत निधि और रा.व.वि.अ. द्वारा किए गए व्यय कि स्थिति निम्नलिखित तालिका में विस्तृत की गयी है:

तालिका 3.2: रा.व.पा.वि.बो. से प्राप्त एवं व्यय निधियों कि प्रवृत्ति

(₹ लाख में)

| वर्ष | प्राप्त निधि | पिछले वर्ष कि बचत राशि | योग | किया गया व्यय | शेष बचत (प्रतिशत) |
|---------|--------------|------------------------|-----------|---------------|-------------------|
| 2010-11 | 3,255.13 | 476.30 | 3,731.43 | 3,668.14 | 63.29 (1.70) |
| 2011-12 | 2,449.71 | 63.29 | 2,513.00 | 2,267.35 | 245.65 (9.77) |
| 2012-13 | 1,333.13 | 245.65 | 1,578.78 | 1,516.81 | 61.97 (3.92) |
| 2013-14 | 2,137.50 | 61.97 | 2,199.47 | 2,063.76 | 135.71 (6.17) |
| 2014-15 | 2,000.00 | 135.71 | 2,135.71 | 1,953.96 | 181.75 (8.51) |
| योग | 11,175.47 | 982.92 | 12,158.39 | 1,1470.02 | |

(स्रोत: विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के आधार पर)



वर्ष 2010-11 से 2014-15 के दौरान रा.व.पा.वि.बो. के अंतर्गत जारी निधियों के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि विभाग ने सम्पूर्ण उपलब्ध राशि का व्यय नहीं किया एवं इन वर्षों में बचत का प्रतिशत 1.70 से 9.77 के मध्य रहा।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि द्वितीय एवं तृतीय किस्तों कि राशि रा.व.पा.वि.बो. से विलंब (जनवरी और फरवरी माह में) से प्राप्त होने के कारण संस्वीकृत राशि का उपयोग नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा प्रेक्षणों

3.3.6 सं.व.प्र. समितियों कि सूक्ष्म योजना तैयार नहीं किया जाना।

2010-11 से पूर्व, 3,502 सं.व.प्र. समितियों कि सूक्ष्म योजना तैयार कर ली गयी थी। 2010-11 से 2014-15 कि अवधि के दौरान शेष 4,385 में से सिर्फ 376 सं.व.प्र.समितियों की सूक्ष्म योजना तैयार की गई।

रा.व.का. कि पुनरीक्षित मार्गदर्शिका की कंडिका 4.3 के अनुसार, व.वि.अ. एवं सं.व.प्र. समिति के गठन के बाद प्रत्येक सं.व.प्र. समिति के लिए एक सूक्ष्म योजना व.वि.अ. द्वारा तैयार की जावेगी जो कि वन विकास एवं ग्राम विकास के लिए एक एकीकृत होगी। सूक्ष्म-योजना का वन विकास का भाग वनमंडल की कार्य योजना पर आधारित होगा और ग्राम विकास का भाग जारी एवं संभावित कार्यों पर आधारित होगा जिन्हें रा.व.का. के अंतर्गत प्रवेश बिंदु कार्य के रूप में लिया जा सकता है।

रा.व.वि.अ. के का.वा.यो. के अनुसार वर्ष 2010-11 से पूर्व ही राज्य में 32 व.वि.अ. एवं 7,887 सं.व.प्र. समितियों का गठन किया जा चुका था। इनमें से 3,502 सं.व.प्र. समितियों का सूक्ष्म योजना 31 मार्च 2010 तक बना ली गयी थी। रा.व.वि.अ. द्वारा रा.व. पा.वि.बो. को स्वीकृति हेतु भेजे जाने वाले का.वा.यो. के वर्ष 2010-11 एवं 2014-15 के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि, रा.व.पा.वि.बो. ने राशि ₹ 70.29 लाख सूक्ष्म योजना तैयार करने के लिए स्वीकृत की जिसके विरुद्ध ₹ 41.46 लाख का व्यय किया गया। वर्ष 2015-16 में प्रस्तुत का.वा.यो. के अनुसार, कुल शेष 4,385 सं.व.प्र. समितियों के विरुद्ध केवल 376 (9 प्रतिशत) सं.व.प्र. समितियों का सूक्ष्म योजना तैयार किया गया। आगे, कुल नमूना जांच की गयी 97 में से केवल 10 सं.व.प्र. समितियों ने लेखापरीक्षा के दौरान सूक्ष्म योजना अवलोकन हेतु प्रस्तुत किया। सूक्ष्म योजना के अभाव में सं.व.प्र. समितियों के अंतर्गत आने वाले वन क्षेत्र के स्थिति के आधारभूत जानकारी और उसकी आवश्यकताएं अनिश्चय रहीं। परिणामस्वरूप, सं.व.प्र. समिति क्षेत्र में ग्रामीण विकास हेतु आवश्यकता आधारित वार्षिक कार्यक्रम का उचित नियोजन सार्थक नहीं होगा। सूक्ष्म योजना तैयार नहीं किये जाने के कारण अयोग्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण के उदाहरण पाये गए जिसकी चर्चा आगे की कंडिकाओं में की गयी है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) कि सं.व.प्र. समितियों कि सूक्ष्म योजना नहीं बनाई जा सकी क्योंकि इसके लिए पर्याप्त निधि प्राप्त नहीं हुआ था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि सूक्ष्म योजना हेतु प्राप्त निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जल्द से जल्द सभी सं.व.प्र. समितियों का सूक्ष्म योजना तैयार हो और रा.व.का. के गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनियोजित तरीके से हो।

3.3.7 वित्तीय प्रबंधन

3.3.7.1 रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. और फिर व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब


रा.व.वि.अ. द्वारा का.वा.यो. की प्रस्तुति में विलंब एवं रा.व.पा.वि.बो. के द्वारा का.वा.यो. के संस्वीकृति बाबत को समयसीमा निर्धारित नहीं होने के कारण निधियों के हस्तांतरण में 37 से 137 दिन का विलंब हुआ। आगे, स्वीकृत का.वा.यो. के विरुद्ध रा.व.वि.अ. ने 46 से 133 दिन विलंब से निधिया जारी की जिसके परिणामस्वरूप व.वि.अ. को अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण के सामान्य अवधि बीत जाने के बाद राशि प्राप्त हुई।

रा.व.पा.वि.बो. ने रा.व.वि.अ. को निर्देश दिया कि (जुलाई 2010) प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल के पूर्व का.वा.यो. प्रस्तुत कर दिया जाय। मार्गदर्शिका के अनुसार वृक्षारोपण क्रियाविधि कि अवधि से सामंजस्य हेतु का.वा.यो. की स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत पूर्व वर्ष के उपयोगिता प्रमाणपत्र और प्रगति प्रतिवेदन का इंतजार किए बिना रा.व.पा.वि.बो. के द्वारा प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में समान्यतः 30 अप्रैल के पूर्व रा.व.वि.अ. को जारी कर दिया जाएगा। रा.व.पा.वि.बो. से राशि प्राप्त होने के सात दिवस के अंदर रा.व.वि.अ. को राशि व.वि.अ. को हस्तांतरण करना आवश्यक था।

रा.व.वि.अ. के संस्वीकृति नस्त्रियों के नमूना जांच में, हमने रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. एवं रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक निधियों के हस्तांतरण कि स्थिति का अवलोकन किया जिसका विस्तार निम्नलिखित तालिका में किया गया है:

तालिका 3.3: रा.व.पा.वि.बो.से रा.व.वि.अ. एवं रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब

| वर्ष | रा.व.पा.वि.बो.को रा.व.वि.अ. द्वारा का.वा.यो. प्रस्तुत करने कि तिथि | रा.व.वि.अ. को रा.व.पा.वि.बो. द्वारा प्रथम किस्त जारी करने कि तिथि | रा.व.वि.अ. को रा.व.पा.वि.बो. से प्रथम किस्त जारी करने में विलंब इस संबंध में मार्गदर्शिका के 30 अप्रैल के प्रावधान के विरुद्ध (दिन) | रा.व.वि.अ. द्वारा व.वि.अ. को प्रथम किस्त जारी करने कि तिथि | व.वि.अ. को रा.व.वि.अ. से प्रथम किस्त जारी करने में विलंब इस संबंध में मार्गदर्शिका में 07 दिवस के प्रावधान के विरुद्ध (दिन) |
|---------|--|---|---|--|---|
| 2010-11 | (13-07-2010 के बाद) | 19-08-2010 | 111 | 11-10-2010 | 46 |
| 2011-12 | 02-08-2011 | 14-09-2011 | 137 | 14-11-2011 | 54 |
| 2012-13 | 08-10-2012 | 28-06-2012 | 59 | 25-09-2012 | 82 |
| 2013-14 | 17-04-2013 | 06-06-2013 | 37 | 03-08-2013 | 51 |
| 2014-15 | 29-04-2015 | 25-06-2014 | 56 | 12-11-2014 | 133 |



उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2010-11 से 2012-13 के दौरान रा.व.वि.अ. द्वारा दो से छः माह के विलंब से का.वा.यो. प्रस्तुत किया गया। जबकि, वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में का.वा.यो. समय से प्रस्तुत किया गया। आगे हमने अवलोकन किया कि का.वा.यो. स्वीकृत करने के लिए मार्गदर्शिका/निर्देशों में रा.व.पा.वि.बो. को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी। रा.व.वि.अ. द्वारा रा.व.पा.वि.बो. को का.वा.यो. प्रस्तुत करने में विलंब (2010-11 से 2012-13) से एवं रा.व.पा.वि.बो. द्वारा का.वा.यो. संस्वीकृत करने हेतु मार्गदर्शिका/दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण प्रथम किश्त जारी करने में 37 से 137 दिनों का विलंब हुआ इस संबंध में मार्गदर्शिका में प्रावधानित 30 अप्रैल। आगे, रा.व.वि.अ. ने स्वीकृत का.वा.यो. के विरुद्ध 46 से 133 दिनों के विलंब से व.वि.अ. को राशि जारी की।

यद्यपि रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब में 2010-11 से 2012-13 में कमी आयी तथापि इसी अवधि में रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब में वृद्धि हुई। रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ. स्तर में निधियों के हस्तांतरण में विलंब के परिणामस्वरूप व.वि.अ. को प्रथम किश्त की राशि अगस्त और नवम्बर माह के बीच (मानसून उपरांत) प्राप्त हुई जब सामान्यतः अग्रिम कार्य और वृक्षारोपण की अवधि बीत चुकी थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में विलंब शासन स्तर पर राशि हस्तांतरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया के पालन के कारण हुई। उक्त मान्य नहीं है क्योंकि निधियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिए। विभाग द्वारा व.वि.अ. को निधियों के हस्तांतरण में मार्गदर्शिका में प्रावधानित समय सीमा का पालन न किये जाने से विलंब हुआ।

3.3.7.2 व.वि.अ. से सं.व.प्र. समितियों को निधियों के हस्तांतरण में विलंब

व.वि.अ. से सं.व.प्र. समितियों को निधियों के हस्तांतरण हेतु मार्गदर्शिका का पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप सं.व.प्र. समितियों को अगले वित्तीय वर्ष में निधियां प्राप्त हुईं।

मार्गदर्शिका के अनुसार, रा.व.वि.अ. से निधि प्राप्त होने के 15 दिवस के अंदर व.वि.अ. को 80 प्रतिशत राशि का.वा.यो. में प्रस्तावित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए संबंधित सं.व.प्र. समिति को हस्तांतरित करना था। जब सं.व.प्र. समिति द्वारा प्राप्त रकम का 50 प्रतिशत उपयोग कर लिया जाएगा, शेष 20 प्रतिशत रकम जारी कर देनी चाहिए।

12 नमूना जांच की गयी व.वि.अ. के आबंटन नस्तियों की जांच के दौरान, हमने पाया कि आठ व.वि.अ.⁴ द्वारा निधियों के हस्तांतरण हेतु दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। निधियों के हस्तांतरण में 10 माह तक का विलंब पाया गया। विलंब के परिणामस्वरूप सं.व.प्र. समितियों को निधियों की प्राप्ति अगले वित्तीय वर्ष में हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.2 में दर्शित है। साथ ही सं.व.प्र. समितियों को निधियों की प्राप्ति अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण की अवधि बीत जाने के बाद हुई।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) व.वि.अ. को समय से निधि जारी करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है।

3.3.7.3 रा.व.का. की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए एक व.वि.अ. से दूसरे में निधियों का हस्तांतरण

मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए एक व.वि.अ. से दूसरे में निधियों का हस्तांतरण बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के किया गया। का.वा.यो. में शामिल किए बिना रायपुर में हैडीक्राफ्ट एम्पोरियम कि स्थापना हेतु निधियों का हस्तांतरण हुआ।

रा.व.का. के अंतर्गत व.वि.अ. को निधियों की प्राप्ति रा.व.पा.वि.बो. द्वारा स्वीकृत का.वा.यो. में शामिल क्रियाविधियों के लिए हुई थी। मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप, आपवादिक परिस्थितियों और रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमति को छोड़कर एक व.वि.अ. / सं.व.प्र. समितियों से दूसरे व.वि.अ. / सं.व.प्र. समितियों निधियों का व्यपवर्तन नहीं करना था। मार्गदर्शिका यह विहित करता है कि पूर्व वर्ष कि शेष राशि संबंधित व.वि.अ. को अगले साल के अनुदान में समायोजित किया जाएगा।

व.वि.अ. कि रोकड़ बही एवं नस्तियों कि नमूना जांच में, हमने एक व.वि.अ. से दूसरे व.वि.अ. में निधियों के व्यपवर्तन के निम्नलिखित प्रकरण पाये:

- व.वि.अ. धमतरी, कोडागाँव (दक्षिण) और बस्तर से राशि ₹ 24.75 लाख मार्च एवं मई 2011 में व.वि.अ. रायपुर को हस्तांतरित किया गया। रा.व.वि.अ. के मार्च एवं मई 2011 के आदेशानुसार, राशियों का हस्तांतरण हैडीक्राफ्ट एम्पोरियम के लिए किया गया। जबकि, हैडीक्राफ्ट एम्पोरियम कि स्थापना और संचालन रा. व.वि.अ. के का.वा.यो. में शामिल नहीं किया गया था। साथ ही राशियों के अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण हेतु भी रा.व.वि.अ. ने रा.व.पा.वि.बो. से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था।

⁴ बलरामपुर, बलौदा बाजार, बस्तर, धमतरी, कोडागाँव (दक्षिण), कोरिया, कोरबा एवं सूरजपुर

- व.वि.अ. कोंडागाँव (दक्षिण), मरवाही एवं कोरबा ने व.वि.अ. से अपने अनुमोदित का.वा.यो. के कार्यों के व्यय हेतु अन्य व.वि.अ. से ₹ 64.08 लाख प्राप्त किया। इस अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण के लिए रा.व.पा.वि.बो. से कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अतः निधियों का व्यपवर्तन का.वा.यो. में अनुमोदित गतिविधियों से अलग गतिविधियों में किया गया। व.वि.अ. के अनुमोदित का.वा.यो. में स्वीकृत निधियों का व्यपवर्तन बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के दूसरे व.वि.अ. के कार्यों को पूरा करने के लिए किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) निधियों का उपयोग हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम की स्थापना के लिए किया गया। व.वि.अ. के ग्रामीणों द्वारा तैयार हस्तशिल्प सामग्रियों को हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के द्वारा बेचा जाता है, जैसा कि रा.व.का. में ग्रामीणों को रोजगार के साधन मुहैया कराने का प्रावधान है। उत्तर से यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के निधियों का अन्तर व.वि.अ. हस्तांतरण क्यों किया गया। हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम की स्थापना रा.व.वि.अ. के द्वारा सीधे संबंधित व.वि.अ. को राशि का आबंटन कर का.वा.यो. में प्रस्तावित करके भी किया जा सकता था, इसके बजाय की एक व.वि.अ. से दूसरे व.वि.अ. को राशि हस्तांतरण कर।

3.3.7.4 सं.व.प्र. समितियों के खातों में राशियों का अनुपायोगी पड़े रहना।

सात सं.व.प्र. समितियों के खातों में राशि ₹ 1.10 करोड़ अनुपायोगी रूप से पड़ी रही। सं.व.प्र. समितियों द्वारा व.वि.अ. को समयबद्ध विवरणियाँ जमा करने के अभाव में हम यह निश्चित नहीं कर सकते कि यह राशि किन गतिविधियों के लिए प्राप्त हुई थी और व्यय नहीं करने के क्या कारण थे।

सं.व.प्र. समितियों के पास बुक, रोकड़ बही एवं अन्य अभिलेखों के नमूना जांच में हमने पाया कि, तीन व.वि.अ. से संबंधित सात सं.व.प्र. समितियों में राशि ₹ 10 लाख से अधिक अनुपायोगी पड़ी रही जिसका विवरण तालिका में निम्नानुसार है:

तालिका 3.4: सं.व.प्र. समितियों के खाते में निष्क्रिय पड़ी राशियों का विवरण

| सं. क्र. | सं.व.प्र. समिति का नाम | व.वि.अ. का नाम | अनुपायोगी राशि | | अंतिम निकासी की गयी राशि की तिथि |
|----------|------------------------|----------------|----------------|------------|----------------------------------|
| | | | (₹लाख में) | दिनांक | |
| 1 | काईकछार | जशपुर | 10.24 | मई 2016 | जुलाई 2014 |
| 2 | कोरचीकानी | जशपुर | 13.03 | मई 2016 | जुलाई 2014 |
| 3 | अंगारटोली | जशपुर | 16.31 | मई 2016 | जुलाई 2014 |
| 4 | पोटेडांड | कोरिया | 10.52 | मई 2016 | दिसम्बर 2014 |
| 5 | डूमरडीह | कोरबा | 23.21 | जून 2016 | सितम्बर 2014 |
| 6 | रजगामार | कोरबा | 21.76 | जून 2016 | अप्रैल 2010 |
| 7 | गोडमा | कोरबा | 14.62 | जुलाई 2016 | अप्रैल 2014 |
| योग | | | 109.69 | | |

उपरोक्त तालिका में यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2014–15 से संबंधित राशि ₹ 1.10 करोड़ दो से छः साल तक उपरोक्त सं.व.प्र. समितियों के खातों में अनुपायोगी पड़ी रही। समयबद्ध विवरणियों और कार्यवार राशियों के विभाजन के अभाव में,

लेखापरीक्षा यह निश्चित नहीं कर सकता कि निधियाँ किस कार्य के लिए प्रदान की गयी थी एवं व्यय नहीं किए जाने के क्या कारण थे।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया की संबंधित वनमंडलाधिकारी को सं.व.प्र. समिति स्तर पर राशि व्यय नहीं किए जाने हेतु स्पष्टीकरण के लेख किया गया है। व्यय नहीं की गयी राशियों का समायोजन अगली का.वा.यो. में कर लिया जाएगा।

शासन को मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप निधियों के समयबद्ध हस्तांतरण कि प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने, बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन के अन्तर व.वि.अ. हस्तांतरण को रोकना और सं.व.प्र. समितियों के खातों में निधियों के अनुचित अवरोध को रोकना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.3.8 रा.व.का. की मार्गदर्शिका का उल्लंघन करते हुए व्यय

3.3.8.1 सं.व.प्र. समितियों में उन्नत बायो मास चूल्हे की स्थापना

राज्य वन विकास अभिकरण के सदस्य सचिव ने रा.व.पा.वि.बो. से पूर्व अनुमोदन लिए बिना यह आदेश जारी किया कि वनीकरण कार्यों के लिए का.वा.यो. में अनुमोदित कार्यों के लिए प्राप्त राशि का व्यपवर्तन उन्नत बायो-मास चूल्हे के निर्माण में कर लिया जाय, जो कि वास्तव में एक गलत कथन पर आधारित था।

वन विकास अभिकरण बलौदा बाजार, बस्तर, धमतरी, कटधोरा, कोंडागाँव (दक्षिण) एवं कोरबा के आबंटन नस्तियों के समीक्षा के दौरान हमने पाया कि, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के मार्गदर्शिका के अनुसार, मृदा नमी संरक्षण, सूक्ष्म योजना, जागरूकता, बाड़ाबंदी, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण तथा उपरिव्यय के लिए वृक्षारोपण व्यय के एक प्रतिशत के रूप में ₹ 121.02 लाख 2010-11 में प्रदान किए गए थे।

सदस्य सचिव, राज्य वन विकास अभिकरण ने मार्च 2011 में निर्देशित किया कि, चूंकि 2010-11 के लिए कोई नया वृक्षारोपण कार्य अनुमोदित नहीं किया गया है, इसीलिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को छोड़कर अन्य मदों में प्राप्त आबंटन का कोई उपयोग नहीं है। अतः अन्य मदों में प्राप्त आबंटन का उपयोग संयुक्त वन प्रबंधन समितियों द्वारा उन्नत बायो-मास चूल्हे के निर्माण में किया जाना चाहिए। उपरोक्त निर्देश के साथ वन विकास अभिकरणों एवं उनमें स्थापित किए जाने वाले चूल्हे कि संख्या कि सूची संलग्न थी। जबकि, हमने पाया कि 12 वन विकास अभिकरणों में से छः अभिकरणों में उन्नत बायो मास चूल्हे खरीदे एवं स्थापित किए गए और ₹ 83.98 लाख⁵ का व्यय किया गया। आगे कि जांच में हमने पाया कि वर्ष 2010-11 में का.वा.यो. में, जैसा कि रा.व.पा. वि.ब. से अनुमोदित था, में उन्नत बायो-मास चूल्हे के क्रय का कोई प्रस्ताव नहीं था बल्कि अग्रिम कार्य एवं वृक्षारोपण हेतु 122 एवं 1070 (500+570) हेक्टेयर का अनुमोदन संबंधित वन विकास अभिकरणों को दिया गया था। अतः यह एक गलत कथन था कि वर्ष 2010-11 में किसी नए क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं करना है। स्पष्टः गलत कथन के आधार पर ₹ 83.98 लाख का दुरुपयोग किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया कि (अक्टूबर 2016) बायों मास चूल्हे कि स्थापना प्रवेश बिंदु कार्य के अंतर्गत ईपीए एवं उपरिव्यय के अव्ययित शेष से किया गया था तथापि उपरोक्त प्रकरण में विभागीय जांच भी जारी है जिसके

⁵ बलौदा बाजार - ₹ 9.00 लाख; बस्तर - ₹ 19.73 लाख; धमतरी - ₹ 25.27 लाख; कटधोरा - ₹ 8.39 लाख; कोंडागाँव (दक्षिण) - ₹ 8.07 लाख एवं कोरबा - ₹ 13.52 लाख

समापन पर लेखापरीक्षा को भी जांच प्रतिवेदन से अवगत कराया जावेगा। उत्तर मान्य नहीं है जैसा कि सदस्य सचिव द्वारा निर्देशित किया गया था, रा.व.वि.अ. ने गलत कथन किया कि कोई नया कार्य प्रस्तावित नहीं है इसलिए अनुश्रवण एवं मूल्यांकन को छोड़कर अन्य मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग उन्नत बायो मास चूल्हे के स्थापना में किया जा सकता था साथ ही यह भी गलत कथन था कि निर्णय रा.व.वि.अ. द्वारा लिया गया है क्योंकि 2010-11 से 2014-15 में मध्य रा.व.वि.अ. की सामान्य/कार्यकारी सभा कि कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी।

3.3.8.2 का.वा.यो. में प्रस्तावित नहीं किए गए कार्यों के लिए निधि का व्यपवर्तन और गैर-सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को अनियमित भुगतान

कैटल कैम्प जो कि का.वा.यो. में प्रस्तावित नहीं था के कार्य के लिए एक एन.जी.ओ. एवं संयुक्त वन प्रबंधन समिति को भुगतान किया गया। आगे, व.वि.अ. के पास कार्य के सम्पादन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन से संबंधित कोई साक्ष्य नहीं था जिससे किए गए भुगतान कि पुष्टि की जा सके।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, व.वि.अ. धमतरी ने एक एन.जी.ओ हरीतिमा पर्यावरण संरक्षण सेवा समिति (ह.प.सं.से.स.) के साथ एक वर्ष के लिए छः गाँव के 540 परिवारों हेतु सुरक्षित टिकाऊ आजीविका के अवसरों के विकास एवं प्रभावी संबंधों का निर्माण के लिए मई 2011 में एम.ओ.यू पर हस्ताक्षर किये। व.वि.अ. द्वारा स्वीकृति आदेशों में कार्य का नाम कैटल कैम्प⁶ दिया गया। कार्य से संबंधित रोकड़ बही एवं नस्तियों कि जांच में निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला:

- ऐसा कोई कार्य व.वि.अ. ने रा.व.वि.अ. को प्रस्तुत एवं रा.व.पा.वि.बो. से स्वीकृत का.वा.यो. में प्रस्तावित नहीं किया था। साथ ही निधि के व्यपवर्तन हेतु रा.व.पा.वि.बो. से स्वीकृती लेने का भी कोई अभिलेख नहीं पाया गया।
- परियोजना कि कुल लागत ₹ 66.69 लाख थी जिसमें से ₹ 6.67 लाख का भुगतान ह.प.सं.से.स. को एम.ओ.यू की शर्तों के अनुसार कार्यारम्भ निधि के रूप में जून 2011 में कर दी गयी। कार्यारम्भ निधि प्राप्त होने के बाद ह.प.सं.से.स. द्वारा मासिक प्रतिवेदन एवं बिल/प्रमाणक संबंधित परिक्षेत्राधिकारी को प्रस्तुत करना था, जिसे कार्यों का निरीक्षण कर सभी दस्तावेज संबंधित उप वनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) को प्रस्तुत करवाये। संबंधित उप वनमंडलाधिकारी द्वारा कार्यों का भौतिक निरीक्षण कर कार्य कि मात्रा एवं गुणवत्ता के बारे में वनमंडलाधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना था जिसके उपरांत वनमंडलाधिकारी अगले किश्त कि राशि जारी करने के बारे में निर्णय करता। जबकि, हमने अभिलेखों में ऐसा कोई दस्तावेज या प्राधिकारियों के भौतिक निरीक्षण/प्रमाणपत्र नहीं पाये। शेष रकम ₹ 60.05 लाख जुलाई 2011 में संयुक्त वन प्रबंधन समिति, बूढाराव के खाते में हस्तांतरित कर दी गयी इस तथ्य के बाबजूद कि उपरोक्त समिति एम.ओ.यू. के अनुसार परियोजना कि लाभार्थी भी नहीं थी। लेखापरीक्षा के दौरान कई स्मरण पत्र देने के बाबजूद बूढाराव समिति ने उपरोक्त भुगतान एवं निधि के उपयोग के बाबत लेखापरीक्षा को कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया।
- मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन जैसा कि एम.ओ.यू. में उल्लेखित था, संयुक्त वन प्रबंधन समितियों/कर्मचारियों को एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों कि

⁶ ह.प.सं.से.स. द्वारा निष्पादित कार्य का कैटल कैम्प कार्य से कोई संबंध नहीं था।

जानकारी, निर्मित परिसंपत्तियों एवं संपादित कार्यों के छायाचित्र भी व.वि.अ. के अभिलेखों में नहीं पाये गए।

व.वि.अ. द्वारा राष्ट्रीय वनीकरण कार्य के अंतर्गत बिना संस्वीकृति के उपरोक्त कार्य का अनुमोदन तथा बूढाराव समिति एवं ह.प.सं.से.स. को ₹ 66.72 लाख का भुगतान 40 दिन के समय अवधि के भीतर वैसे कार्य जिसका सम्पादन एक साल में किया जाना है, के लिए किया गया। प्रगति प्रतिवेदन, देयक, प्रमाणक और अन्य अभिलेख जैसा कि एम.ओ. यू में उल्लेखित था नहीं पाये गए। संयुक्त वन प्रबंधन समिति बूढाराव ने लेखा एवं अन्य अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये। व.वि.अ. द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया और न ही रा.व.वि.अ. द्वारा आज दिनांक तक कार्य का कोई मूल्यांकन या अनुश्रवण किया गया। अतः कैटल कैंप के नाम पर एक एन.जी.ओ के माध्यम से ₹ 66.72 लाख का व्यय अत्यधिक अनियमित है एवं निधि के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया की संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण हेतु लेख किया गया है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3.3.8.3 परिक्षेत्राधिकारियों को अनियमित अग्रिम दिया जाना

यद्यपि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की संरचना में परिक्षेत्राधिकारियों कि कोई भूमिका नहीं है, शासकीय खर्च के लिए उन्हें वन अग्रिम प्रदान किया गया। आगे, इस संबंध में परिक्षेत्राधिकारियों द्वारा कोई लेखा भी प्रस्तुत नहीं किया गया।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका के अनुसार, सं.व.प्र. समितियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए व.वि.अ. को निधियों का हस्तांतरण करना था और परिक्षेत्राधिकारियों को खर्च के प्रतिपूर्ति के लिए वन अग्रिम दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था।

चयनित व.वि.अ. के रोकड़ बहियों के जांच के दौरान हमने पाया गया कि तीन व.वि.अ.⁷ द्वारा 2010-11 से 2012-13 के मध्य ₹ 74.24 लाख वन अग्रिम के रूप में परिक्षेत्राधिकारियों को प्रदान किए गए। जबकि, न तो संस्वीकृति आदेशों में किए जाने वाले कार्यों का कोई विवरण दिया गया न ही परिक्षेत्राधिकारियों द्वारा इन अग्रिमों के लिए कोई लेखा प्रस्तुत किया गया।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण हेतु लेख किया गया है, उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

⁷ बलौदा बाजार —₹ 31.35 लाख, बस्तर —₹ 29.93 लाख एवं धमतरी —₹ 12.96 लाख

3.3.8.4 भंडार क्रय नियम एवं मार्गदर्शिका के उपबंधों के अनुरूप सामग्री का क्रय नहीं किया जाना

मार्गदर्शिका के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये, ओवरहेड मद से वनमंडल एवं उच्च कार्यालयों के लिए खरीदी की गयी। जबकि खरीदी के समय न तो भंडार क्रय नियम का पालन किया गया न ही क्रय की गयी सामग्रियों का भंडार लेखा रखा गया।

राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम कि मार्गदर्शिका के अनुसार, ओवरहेड के अंतर्गत लेखा/स्थापना/वाहन के लिए किराए पर लिए गए कर्मचारी पर व्यय किया जा सकता था। आगे छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 3 एवं 4 के अनुसार क्रय निविदा/दर सूची के माध्यम से करते हुए भंडार/लेखा संधारित किया जाना था।

12 में से छः व.वि.अ. के भुगतान प्रमाणकों के नमूना जांच के दौरान हमने पाया गया कि ₹ 52.40 लाख मूल्य के विभिन्न सामग्रियों जैसे कि कम्प्यूटर, फर्निचर, सीसीटीवी कैमरा, एसी, सोलर लालटेन इत्यादि का क्रय 2010-11 से 2014-15 के मध्य व.वि.अ. /सं.व.प्र. समिति द्वारा ओवरहेड मद कि राशि से वनमंडल अथवा वृत्त कार्यालय में उपयोग हेतु किया गया जिसका विस्तृत विवरण परिषिष्ट 3.3 में दर्शाया गया है। मार्गदर्शिका ओवरहेड मद से क्रय प्रावधानित नहीं करती है। जबकि, वनमंडल एवं उच्च कार्यालयों के लिए सामग्री क्रय करने पर राशि व्यय की गयी। आगे, छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियमों के नियम 3 एवं 4 के अनुरूप निविदा या दर सूची भी अभिलेखों में नहीं पायी गयी। रा.व.का. के अंतर्गत क्रय की गयी सामग्रियों का व.वि.अ. या सं.व.प्र. समितियों में भंडार लेखा भी संधारित किया जाना नहीं पाया गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए लेख किया गया है, उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.8.5 मानदेय का अनियमित भुगतान

शासकीय कर्मचारियों को रा.व.का. का कार्य करने के लिए अनियमित रूप से मासिक आधार पर मानदेय का भुगतान किया गया। वृत्त कार्यालय में संलग्न सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को अनियमित रूप से भुगतान किया गया।

रा.व.का. की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका रा.व.वि.अ., व.वि.अ. एवं सं.व.प्र. समितियों के लिए नए पद बनाने पर प्रतिबंध लगाता है। जबकि, किराए पर रखे गए, संविदात्मक एवं बाहरी स्रोत से लिए गए व्यक्तियों के लिए ओवरहेड मद से व्यय किया जा सकता था। आगे, मूल नियम 9 और 47 सहायक नियम 6 के साथ पढ़े जाने पर, मानदेय शासकीय कर्मचारियों को संघ या राज्य कि समेकित निधि से परिश्रमिक के रूप में विशेष कार्य के लिए कभी-कभी दिया जाने वाला एक अनावर्ती भुगतान है। यह आगे स्पष्ट करता है कि शासकीय कर्मचारियों के सरकारी/आधिकारिक कर्तव्य कितने भी विशिष्ट क्यों न हो, उसके द्वारा किए जाने वाले सरकारी कर्तव्यों के लिए मानदेय नहीं दिया जाना चाहिए।

व.वि.अ. के आबंटन, नस्तियों एवं भुगतान प्रमाणकों के निरीक्षण के दौरान हमने पाया कि निम्नानुसार मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया:

- 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान व.वि.अ. धमतरी ने शासकीय कर्मचारियों को वनमंडल के नियमित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए मानदेय के रूप में ₹ 8.82 लाख का भुगतान मासिक आधार पर किया। आगे, वृत्त

कार्यालय में कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को भी मानदेय का भुगतान किया गया जिनका रा.व.का. के अंतर्गत कोई भूमिका निर्धारित नहीं है क्योंकि सभी अभिलेखों का संधारण व.वि.अ. में होता है। अतः विभाग के नियमित शासकीय कर्मचारियों को उनके द्वारा किए जाने वाले नियमित कार्यों के लिए ₹ 8.82 लाख के मानदेय का अनियमित भुगतान किया गया।

- व.वि.अ. बस्तर में, हमने पाया कि सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को वृत्त कार्यालय में व.वि.अ. के अभिलेखों के संधारण के लिए किराए पर रखा गया और सितम्बर 2012 से अप्रैल 2015 की अवधि के दौरान मानदेय के रूप में ₹ 1.44 लाख का भुगतान किया गया। जबकि, रा.व.का. से संबंधित अभिलेखों का संधारण व.वि.अ. स्तर पर वनमंडल कार्यालय में होता है और वृत्त स्तर पर मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में रा.व.का. के अभिलेखों का संधारण ही नहीं होता है। अतः वृत्त कार्यालय जहाँ रा.व.का. के अभिलेखों का संधारण नहीं होता है, में किराए पर लिए गए कर्मचारी के लिए मानदेय के रूप में ₹ 1.44 लाख का भुगतान अनियमित था।

इस प्रकार से, मानदेय के रूप में ₹ 10.26 लाख का व्यय किया जाना रा.व.का. के मार्गदर्शिका के विपरीत एवं वसूलनीय है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को स्पष्टीकरण के लिए पत्र जारी किया जा चुका है। उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

शासन यह सुनिश्चित करें कि व्यय करते समय व.वि.अ./सं.व.प्र. समितियां आवश्यक मितव्ययिता, कार्यक्रम की मार्गदर्शिका के प्रावधानों तथा प्रभावशील शासकीय नियमों/प्रावधानों का आवश्यक रूप से पालन करें।

3.3.9 वृक्षारोपण के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों का चयन

रा.व.का. की पुनरीक्षित मार्गदर्शिका सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्र.पु.), कृत्रिम पुनरोत्पादन(कृ.पु.), बांस रोपण (बां.रो.), मिश्रित वृक्षारोपण एवं चारागाह विकास कार्य के द्वारा बिगड़े वनों के उपचार का प्रावधान करती है। वन के घनत्व एवं प्रकार के अनुरूप, वनमंडल की कार्य आयोजना वनों को अलग-अलग कार्य कूपों में वर्गीकृत करती है एवं प्रत्येक कार्य कूपों के लिए उपचार का प्रावधान करती है। आगे, प्र.मु.व.सं. ने जुलाई 2013 में निर्देशित किया कि एक ही क्षेत्र का उपचार एक ही समय में दो अलग-अलग मदों से किया जाना अनियमित है। उपचार परियोजनाओं को प्र.मु.व.सं. को अग्रेषित करने से पूर्व, वनमंडलाधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि बिगड़े वन का वृक्षारोपण या पुनर्वास पिछले पाँच वर्षों में नहीं किया गया है और किसी अन्य मद से उस क्षेत्र में रखा-रखाव या सुरक्षा का कार्य जारी नहीं है।

व.वि.अ. के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान, हमने पाया कि ऊपर वर्णित प्रावधानों के विपरीत उपचार के लिए क्षेत्रों का चयन किया गया जैसा कि निम्नलिखित कांडिकाओं में वर्णित है।

3.3.9.1 कार्य आयोजना के प्रावधानों के विपरीत वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों का चयन

कार्य आयोजना के प्रावधानों के विपरीत वृक्षारोपण के लिए क्षेत्रों का चयन किया गया जिसके परिणामस्वरूप मनेन्द्रगढ़ में पौधों में नगण्य वृद्धि हुई जबकि सूरजपुर में बांस रोपण के सभी पौधे मृत हो गए।

- व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ एवं सूरजपुर में, 200 एवं 50 हेक्टेयर क्षेत्र में क्रमशः कृत्रिम रोपण एवं बांस रोपण किया जाकर राशि ₹ 91.74 लाख⁸ का व्यय किया गया। ये दोनों कक्ष सुधार कार्यवृत्त से सम्बद्ध थे। भौतिक सत्यापन के दौरान, ये वृक्षारोपण क्षेत्र घने वन से आच्छादित पाये गए जिसमें प्रचुर पुनरोत्पादन विद्यमान था। व.वि.अ. ने इन घने वन क्षेत्रों में 'गैप रोपण' किया था। परिणामस्वरूप, व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ में पौधों में नगण्य/असंतोषजनक वृद्धि हुई। व.वि.अ. सूरजपुर में बांस रोपण सफल नहीं रहा एवं सभी पौधे मृत हो गए। इन क्षेत्रों में रोपण किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी केवल सुरक्षा कार्य वनों के पुनरोत्पादन के लिए पर्याप्त होता।



(सूरजपुर में प्रचुर पुनरोत्पादन स्थल में बांस रोपण एवं मृत बांस के पौधे)

- आगे व.वि.अ. मनेन्द्रगढ़ में कक्ष क्रमांक 902 में 2011-12 एवं 2014-15 के मध्य 50 हेक्टेयर में कृत्रिम पुनरोत्पादन का कार्य करते हुए 55,000 पौधों का रोपण किया गया और राशि ₹ 13.73 लाख का व्यय किया गया। आगे जाँच से पता चला कि उपचार के लिए चयनित क्षेत्र प्रवरण सह सुधार कार्य वृत्त में स्थित है एवं घनत्व 0.5 से अधिक है। प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त के उपचार विधि के अनुसार, "वृक्षारोपण का कार्य 0.2 से कम घनत्व वाले 5 हेक्टेयर से अधिक उपलब्ध रिक्त स्थल के लिए ही लिया जाना था" का उपरोक्त रोपण में ध्यान नहीं रखा गया।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में भौतिक सत्यापन करवाया जाकर प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

| व.वि.अ. का नाम | रकबा (हेक्टेयर में) | कक्ष क्र. | व्यय राशि(₹ लाख में) | कार्य की अवधि |
|----------------|---------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| मनेन्द्रगढ़ | 200 | 684, 753, 769, 770 | 84.38 | 2011-12 से 2015-16 |
| सूरजपुर | 50 | 1820 | 7.36 | 2012-13 से 2014-15 |
| योग | 250 | | 91.74 | |

3.3.9.2 अन्य बजट शीर्षों से उपचाराधीन क्षेत्रों में पुनः रोपण कार्य किया जाना

अन्य बजट शीर्षों के अंतर्गत उपचार किए जा रहे क्षेत्रों में रा.व.का. के अंतर्गत पुनः वृक्षारोपण किया गया जो कि विभाग के जुलाई 2013 के परिपत्र द्वारा निषिद्ध किया जा चुका था।

- व.वि.अ. धमतरी के कक्ष क्रमांक 468 में 120 हेक्टेयर में कृत्रिम पुनर्वास का कार्य 2011-12 से 2014-15 के दौरान कराया गया एवं 1,32,000 पौधों के रोपण पर राशि ₹ 38.40 लाख का व्यय किया गया। आगे जांच से पता चला कि उपचार के लिए चयनित क्षेत्र प्रवरण सह सुधार प्रबंध वृत्त के अंतर्गत है जिसका घनत्व 0.5 या अधिक है। कक्ष के पूरे क्षेत्र का उपचार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रबंधन एवं योजना अभिकरण (कैम्पा) मद साथ ही साथ राज्य बजट से किया जा रहा था। विभागीय निर्देश जुलाई 2013 के अनुरूप वनमंडलाधिकारी का कोई प्रमाणपत्र अभिलेखों में नहीं पाया गया जिसमें यह वर्णित हो कि बिगड़े वन में पुनर्वास या वृक्षारोपण का कोई कार्य विगत पाँच वर्ष में नहीं किया गया है और उसी क्षेत्र में सुरक्षा या रखा-रखाव का कार्य अन्य बजट मदों से नहीं चल रहा है।
- व.वि.अ. कोंडागाँव (दक्षिण) में, कक्ष क्रमांक 723 एवं 722 के 20 एवं 05 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार क्रमशः चारागाह विकास एवं कृत्रिम पुनरोत्पादन के रूप में करते हुए राशि ₹ 6.47 लाख⁹ का व्यय 2012-13 से 2014-15 के दौरान किया गया जबकि 2013-14 एवं 2014-15 में कक्ष के पूरे क्षेत्र में बिगड़े वनों का सुधार कार्य जारी था। आगे, अभिलेखों में विभागीय निर्देशों के अनुरूप कोई प्रमाणपत्र/औचित्यता नहीं पाया गया। साथ ही चारागाह विकास के लिए चिन्हांकित क्षेत्रों का कोई वानिकी कार्यों के अंतर्गत उपचार नहीं किया जाना चाहिए था।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख (अक्टूबर 2016) किया कि उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के संदर्भ में भौतिक सत्यापन करवाया जाकर प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा।

शासन यह सुनिश्चित करे कि वनमंडल की कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप केवल उपयुक्त क्षेत्रों में ही वृक्षारोपण किया जाय। शासन यह भी विचार करे कि चारागाह विकास के लिए चयनित क्षेत्रों में आगे कोई वानिकी कार्य नहीं हो।

3.3.10 कार्यों का अधूरा क्रियान्वयन

रा.व.का. के मार्गदर्शिका के अनुसार, वृक्षारोपण के लिए पाँच वर्षों की परियोजना बनाई जाएगी जिसमें प्रथम वर्ष में अग्रिम कार्य जैसे की क्षेत्र तैयारी, द्वितीय वर्ष में रोपण कार्य, तृतीय वर्ष में मृत पौधों का प्रतिस्थापन, रख-रखाव एवं चौथे और पांचवे वर्ष में सुरक्षा तथा रख-रखाव का कार्य कराया जाना था। एक बार अग्रिम कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान हो जाने के बाद द्वितीय वर्ष में रोपण एवं अगले तीन वर्षों तक कराये जाने वाले सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्यों के लिए रा.व.पा.वि.बो. द्वारा आगामी वर्षों में आबंटन दिया जाता है।

अभिलेखों कि नमूना जांच में हमने पाया की तीन व.वि.अ. में वानिकी कार्यों का अधूरा क्रियान्वयन किया गया जिसकी चर्चा आगामी कंडिकाओं में की गयी है:

⁹ ₹ 4.67 लाख + ₹ 1.8 लाख

3.3.10.1 वृक्षारोपण हेतु अधूरा परियोजना प्रतिवेदन बनाकर क्रियान्वयन

रा.व.का. कि मार्गदर्शिका के प्रावधानों के विपरीत, पाँच साल के लिए परियोजना तैयार नहीं किया गया। अपूर्ण परियोजना प्रतिवेदन के कारण कार्यों का क्रियान्वयन अधूरा रहा।

व.वि.अ., जशपुर में हमने पाया कि, वर्ष 2013-14 में 16 सं.व.प्र. समितियों में 650 हेक्टेयर में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन के अंतर्गत अग्रिम कार्य और रोपण के लिए राशि ₹ 1.22 करोड़ का आबंटन प्राप्त हुआ। तदानुसार राशि ₹ 1.22 करोड़ का व्यय किया गया। आगे हमने पाया कि केवल अग्रिम कार्य एवं रोपण का परियोजना प्रतिवेदन बनाया गया। तृतीय वर्ष में मृत पौधे का प्रतिस्थापन साथ ही साथ तृतीय से पांचवे साल के लिए सुरक्षा, रख-रखाव एवं देखभाल के लिए परियोजना तैयार नहीं की गयी थी। हमने यह भी पाया कि वर्ष 2015-16 में रा.व.पा.वि.बो. ने ₹ 26.38 लाख का आबंटन उपरोक्त रोपण के सुरक्षा एवं रख-रखाव के लिए प्रदान की। तथापि, परियोजना प्रतिवेदन में आगामी वर्षों में सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य शामिल नहीं होने के कारण सं.व.प्र. समितियों द्वारा कोई व्यय नहीं किया गया। आगे, रा.व.का. के मानदंडों के अनुरूप तीसरे से पांचवे साल तक सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य के अभाव में पौधे के मृत हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ। अतः उपरोक्त रोपण कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध होता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को अधूरा परियोजना प्रतिवेदन बनाने तथा राशि व्यय नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

3.3.10.2 कृत्रिम पुनरोत्पादन कार्य का सुरक्षा एवं रख-रखाव नहीं किया गया

यद्यपि अग्रिम कार्य, रोपण और तीसरे साल में सुरक्षा का कार्य किया गया परन्तु चौथे एवं पांचवे वर्ष का सुरक्षा एवं रख-रखाव का कार्य नहीं किया गया। परिणामस्वरूप रोपण कार्य का अधूरा क्रियान्वयन हुआ।

व.वि.अ., बस्तर में हमने पाया कि, तीन सं.व.प्र.¹⁰ समितियों द्वारा कृत्रिम पुनरोत्पादन का कार्य वर्ष 2012-13 में 100 हेक्टेयर क्षेत्र में कराया गया। प्रथम तीन वर्षों कि गतिविधिया जैसे कि अग्रिम कार्य, रोपण, मृत पौधों का प्रतिस्थापन, सुरक्षा एवं रख-रखाव इत्यादि कार्य 2011-12 से 2013-14 तक कराया जाकर ₹ 33.98 लाख का व्यय किया गया। आगे यह पाया गया कि यद्यपि चौथे एवं पांचवे वर्ष की सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य हेतु सं.व.प्र. समितियों को 2014 में आबंटन प्रदान किया गया था लेकिन सुरक्षा एवं रख-रखाव का कार्य आगामी वर्षों में नहीं कराया गया। जिसके परिणामस्वरूप सं.व.प्र. समितियों को प्राप्त निधि बिना उपयोग के अनुपयोगी पड़ी रही। आगे, रा.व.का. के मानदंडों के अनुरूप चौथे एवं पांचवे साल में सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य के अभाव में पौधे के मृत हो जाने का खतरा उत्पन्न हुआ अतः उपरोक्त रोपण कार्य पर किया गया व्यय अलाभकारी सिद्ध होता है।

हमारे द्वारा इंगित किए जाने पर शासन ने लेख किया (अक्टूबर 2016) कि संबंधित वनमंडलाधिकारी को सुरक्षा एवं रख-रखाव कार्य समय पर नहीं किये जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

¹⁰ राजनगर, झीटकगुड़ा एवं पहरबेल

शासन को योजना के अंतर्गत हुए वृक्षारोपणों एवं उपचार कार्यों का उचित देखभाल सुनिश्चित करना चाहिए।

3.3.11 निष्कर्ष

यद्यपि सं.व.प्र. समितियों के सूक्ष्म योजना के लिए निधि का प्रावधान किया गया था, योजना के अंतर्गत सिर्फ नौ प्रतिशत सं.व.प्र. समितियों का ही सूक्ष्म योजना तैयार किया गया।

निधियों का हस्तांतरण रा.व.पा.वि.बो. से रा.व.वि.अ., रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. एवं व.वि.अ. से सं.व.प्र. समितियों को अत्यधिक विलंब से किया गया। बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमोदन एवं का.वा.यो. में प्रावधान न होने के बावजूद एक व.वि.अ. से दूसरे व.वि.अ. में निधियों का हस्तांतरण किया गया।

का.वा.यो. में स्वीकृत नहीं किए गए कार्य हेतु एन.जी.ओं को अनियमित रूप से निधि प्रदान की गई। न तो कोई प्रगति प्रतिवेदन/विवरणी प्रस्तुत की गयी न ही रा.व.वि.अ./व.वि.अ. द्वारा कार्य के निरीक्षण/अनुश्रवण का संज्ञान लिया गया।

गलत कथन के आधार पर अन्य कार्यों हेतु प्राप्त निधि से सं.व.प्र. समितियों में उन्नत बायो मास चूल्हे की स्थापना की गयी।

अनुपयुक्त क्षेत्रों/पूर्व में उपचार किए जा रहे क्षेत्रों का चयन वृक्षारोपण हेतु किया गया। अधूरा परियोजना प्रतिवेदन/सुरक्षा एवं रख-रखाव का काम नहीं किए जाने के कारण कार्यों का अधूरा निष्पादन हुआ।

अतः अयोग्य वित्तीय प्रबंधन के कारण अंतिम उपयोगकर्ता (सं.व.प्र. समितियों) को देर से निधियों की प्राप्ति हुई और निर्धारित उद्देश्यों से निधियों का व्यपवर्तन हुआ। विभाग द्वारा वानिकी कार्यों के लिए कार्य आयोजना में उल्लेखित प्रावधानों एवं निर्देशों के परिपालन का अभाव था।

3.3.12 अनुशंसाएँ

शासन को सभी सं.व.प्र. समितियों की सूक्ष्म योजना शीघ्रता से सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे रा.व.का. की क्रियाविधियाँ योजनाबद्ध तरीके से सम्माहित हों।

शासन को मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार समय से निधियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना, बिना रा.व.पा.वि.बो. के पूर्व अनुमति के निधियों के अंतर व.वि.अ. हस्तांतरण को रोकना और सं.व.प्र. समितियों में निधियों की अनुचित अवरुद्धता को रोकना चाहिए।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व.वि.अ./सं.व.प्र. समितियाँ मितव्ययिता का पालन करे एवं व्यय करने के दौरान योजना कि मार्गदर्शिका में उल्लेखित नियमों/प्रावधानों का परिपालन करें।

शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वनमंडल की कार्य आयोजना के प्रावधानों के अनुरूप केवल योग्य क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाये।

शासन को योजना के अंतर्गत वन क्षेत्रों में किए गए वृक्षारोपण/उपचार का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।

अन्य लेखापरीक्षा प्रेक्षणों

3.4 वृक्षारोपण पर परिहार्य व्यय

धमतरी एवं कोण्डागांव (दक्षिण) वनमण्डलों में विभागीय निर्देशों के विपरीत 175 हेक्टेयर ऐसे वन क्षेत्रों में, जहां पर पूर्व कार्य चल रहे थे, पर वृक्षारोपण का कार्य कर ₹ 1.08 करोड़ का व्यय किया गया।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.), छत्तीसगढ़ ने क्षेत्रिय कार्यालयों को निर्देशित (जुलाई 2013) किया की वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्र.मु.व.सं. को भेजने से पूर्व वन संरक्षक, वनमण्डलाधिकारी से यह प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि "प्रस्तावित रोपण क्षेत्र में गत पाँच वर्ष में कोई रोपण कार्य अथवा बिगड़े वनों का सुधार कार्य नहीं किया गया है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में रखरखाव/सुरक्षा का कार्य भी किसी अन्य मद से वर्तमान में नहीं चल रहा है"। वनमण्डलाधिकारी भी प्रस्ताव प्रेषित करने के पूर्व प्रस्ताव का समुचित परीक्षण करेंगे। एक ही क्षेत्र में दो विभिन्न मदों से कार्य कराना अनियमित है एवं विभाग की छवि भी धूमिल होती है।

वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.), धमतरी के वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के वृक्षारोपण प्रतिवेदन के नमूना जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा की वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में कक्ष क्रमांक 443 एवं 111 में क्रमशः 100 हेक्टेयर एवं 50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करते हुए क्रमशः राशि ₹ 59.03 लाख एवं ₹ 32.80 लाख का व्यय किया गया। वनमंडल के कार्य आयोजना एवं पूर्व वर्षों के प्रगती प्रतिवेदन के जाँच में हमने देखा की इन कक्षों (443 एवं 111) एवं वर्ष 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य किये गये कार्यों की स्थिति निम्नानुसार थी:

तालिका 3.5: पूर्व कार्यों का विवरण

| कक्ष क्र. | कक्ष का रकबा | कार्य का नाम | कार्य की अवधि | कार्य का कुल रकबा (हेक्टेयर में) |
|------------|----------------|--|--------------------|----------------------------------|
| 111 | 318.33 | विभागीय | 2010-11 से 2014-15 | 165.00 |
| | | राज्य कैम्पा | 2010-11 से 2014-15 | 100.00 |
| | | राज्य कैम्पा | 2010-11 से 2014-15 | 40.00 |
| 443 | 145.564 | बिगड़े वनों का पुरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत) | 2010-11 से 2014-15 | 145.564 |
| योग | 463.894 | | | 450.564 |

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि दोनों कक्षों के कुल 463.894 हेक्टेयर में से वनमण्डल द्वारा वर्ष 2010-11 एवं 2014-15 के मध्य 450.564 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार कर लीया गया था। अतः वर्ष 2014-15 में कक्ष क्रमांक 111 में मात्र 13.33 हेक्टेयर क्षेत्र ही अनुपचारित थे। व.म.अ., धमतरी द्वारा इस तथ्य को सुनिश्चित किये बिना कक्ष क्रमांक 443 एवं 111 में वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में क्रमशः 100 हेक्टेयर एवं 50 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य करते हुए राशि ₹ 91.83 लाख का व्यय किया (मार्च 2016)। यह प्र.मु.व.सं. के निर्देशों की अवहेलना थी क्योंकि वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में 136.67 हेक्टेयर क्षेत्र बिना अनुपचारित क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद वृक्षारोपण कार्य कर उपचारित किया गया। आगे हमने यह देखा की व.म.अ., धमतरी का प्र.मु.व.सं. द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र, परियोजना प्रतिवेदन में उपलब्ध नहीं थे। अतः व.म.अ. द्वारा पूर्व कार्यों की स्थिति को सुनिश्चित किये बगैर

प्रस्ताव वन संरक्षक को प्रेषित करते हुए उपचारित क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य कराया। परिणामस्वरूप राशि ₹ 83.09 लाख¹¹ का परिहार्य व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2016) किये जाने पर व.म.अ., धमतरी ने अपने उत्तर में कहा कि कक्ष क्रमांक 111 में वर्ष 2011-12 में जो कैम्पा मद के अंतर्गत 140 हेक्टेयर का वृक्षारोपण का कार्य किया गया था, वह वास्तविक में 90 हेक्टेयर क्षेत्र में ही वृक्षारोपण का कार्य कराया गया था। अतः 50 हेक्टेयर¹² से भी अधिक क्षेत्र उपचार हेतु उपलब्ध थे। तदनुसार 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया। कक्ष क्रमांक 443 के संबंध में व.म.अ. ने उत्तर दिया कि वर्ष 2012-13 एवं 2014-15 के मध्य सुरक्षा एवं रखरखाव का कार्य किया गया था। वर्ष 2010-11 में वृक्षारोपण रहीत पुरोद्धार कार्य पर आशातीत परीणाम न मिलने के कारण वर्ष 2012-13 में कक्ष का पुनरीक्षित मानचित्र तैयार कर वृक्षारोपण का कार्य लिया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राज्य कैम्पा द्वारा धमतरी वनमण्डल के परियोजना प्रतिवेदन अनुसार 100 हेक्टेयर हेतु राशि स्वीकृत की गई थी, परंतु वनमण्डल द्वारा 50 हेक्टेयर में उपचार कर 100 हेक्टेयर अनुसार से राशि व्यय किया गया। कक्ष क्रमांक 443 में व. म.अ. द्वारा स्वीकारा है कि वृक्षारोपण का कार्य साथ-साथ किया गया जब पूर्व कार्य जारी थे। परियोजना प्रतिवेदन में पूर्व कार्य का विफल होने का कोई वर्णन नहीं किया गया था।

• कार्यालय व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण) के वर्ष 2013-14 के वृक्षारोपण प्रतिवेदन की नमूना जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा कि वर्ष 2013-14 में कक्ष क्र. 723 में ₹ 24.68 लाख व्यय कर 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया। कार्य आयोजना, कक्ष इतिहास एवं अन्य अभिलेखों के अग्रेतर जाँच में हमने देखा कि कक्ष क्रमांक 723 का कुल रकबा 191.150 हेक्टेयर है एवं वर्ष 2007-08 एवं 2013-14 के मध्य बिगड़े वनों का पुनरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत) का कार्य समस्त 191.150 हेक्टेयर में किया गया। चूंकि वर्ष 2013-14 में कक्ष के संपूर्ण क्षेत्र में उपचार कार्य जारी थे, अतः कक्ष में पुनः उपचार हेतु कोई रिक्त स्थल उपलब्ध नहीं थे। परंतु व.म.अ. द्वारा पूर्व कार्यों को कक्ष इतिहास से सुनिश्चित न कर परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर वर्ष 2014-15 में 25 हेक्टेयर में 62,500 सागौन के पौधों का रोपण किया। लेखापरीक्षा ने परियोजना प्रतिवेदन में न ही कोई प्रमाण पत्र में इस आशय क उल्लेख की विगत पाँच वर्षों में कोई वृक्षारोपण का कार्य या बिगड़े वनों के सुधार कार्य नहीं किया गया है और न ही कोई अभिलेख की पूर्व किये गये कार्य असफल थे का उल्लेख नहीं था। अतः पूर्व के कार्य जारी रहने के बावजूद वृक्षारोपण का कार्य करने से राशि ₹ 24.68 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

हमारे द्वारा इंगित (जनवरी 2016) किये जाने पर व.म.अ. ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि वर्ष 2007-08 एवं 2013-14 के मध्य कक्ष 723 के संपूर्ण क्षेत्र में बिगड़े वनों का पुनरोद्धार (वृक्षारोपण रहीत) का कार्य किया गया। स्थल निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि क्षेत्र का घनत्व 0.2 एवं 0.5 के मध्य था। तदनुसार वर्ष 2013-14 में क्षेत्र तैयारी का कार्य कर वर्ष 2014-15 में 25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कक्ष क्रमांक 723 में व.म.अ. ने स्वीकार किया है कि पूर्व कार्य जारी रहने के बावजूद वृक्षारोपण का कार्य किया गया। परियोजना प्रतिवेदन में किये गये पूर्व कार्य का असफलता का कोई उल्लेख नहीं था।

¹¹ कक्ष क्र. 111 { ₹ 32.80 लाख * (50.00 हे.-13.33 हे.)/50 हे. } = ₹ 24.06 लाख एवं कक्ष क्र. 443 { ₹ 59.03 लाख * (100.00 हे.-0 हे.)/100 हे. } = ₹ 59.03 लाख

¹² 318.33-165-50-40=63.33 हेक्टेयर

अतः व.म.अ. द्वारा प्र.मु.व.सं. के निर्देशों का पालन किये बिना वृक्षारोपण का प्रस्ताव व.सं. को प्रेषित किया जाना एवं व.सं. द्वारा व.म.अ. के निर्धारित प्रमाण पत्र के अभाव में वृक्षारोपण का कार्य स्वीकृत किये जाने से राशि ₹ 1.08 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

स्थिति शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु प्रतिवेदित (मई 2016) की गई। उनके उत्तर अपेक्षित हैं (नवम्बर 2016)।

3.5 उपचारित कूपों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य पर अनियमित व्यय

राज्य कैम्पा के अंतर्गत सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्रा.पु.) का कार्य नौ उपचारित कूपों में लिये जाने से राशि ₹ 56.27 लाख का अनियमित व्यय हुआ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) ने निर्देशित (नवम्बर 2011) किया कि सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन (स.प्रा.पु.)¹³ का कार्य ऐसे प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त/सुधार कार्यवृत्त कूपों में लिया जायगा, जिसमें गत वर्ष में विदोहन कार्य किया गया हो। सुधार कार्यवृत्तों के ऐसे कूपों में स.प्रा.पु. का कार्य हेतु चयन नहीं किया जायगा, जहां वन घनत्व 0.5 से कम हो। ऐसे कूपों में वृक्षारोपण का कार्य लीया जायगा।

वनमण्डलाधिकारी (व.म.अ.), कवर्धा के वन वर्धनीक कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रमाणकों के नमूना जाँच (मार्च 2015) में हमने देखा कि वर्ष 2010-11 के 12 मुख्य विदोहित कूपों में से नौ कूपों के 906.18 हेक्टेयर में विभागीय मद से प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य 2011-12 में करते हुए ₹ 9.12 लाख राशि का व्यय किया। आगे राज्य कैम्पा के कार्यों के वार्षिक योजना अनुसार प्रगति प्रतिवेदन के जांच में पाया गया कि वनमण्डल द्वारा वर्ष 2013-14 में कैम्पा मद के अंतर्गत 22 कूपों में स.प्रा.पु. का कार्य किया गया। राज्य कैम्पा के अंतर्गत जिन 22 कूपों में स.प्रा.पु. का कार्य किया गया उसमें से नौ कूपों ऐसे थे जहां पर विभागीय मद पर वर्ष 2011-12 के अंतर्गत प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य किया गया था। अतः वनमण्डल द्वारा वर्ष 2013-14 में स.प्रा.पु. का कार्य 2010-11 के विदोहित कूपों में करते हुए राशि ₹ 56.27 लाख का व्यय किया गया। यह प्र.मु.व.सं. के आदेशों की अवहेलना थी क्योंकि स.प्रा.पु. का कार्य गत वर्ष के विदोहित काष्ठ कूपों में ही किया जाना था। जबकि वनमण्डल द्वारा स.प्रा.पु. का कार्य वर्ष 2013-14 में राज्य कैम्पा मद से किया जहां पर विदोहन का कार्य 2010-11 में एवं प्राकृतिक पुनरोत्पादन का कार्य 2011-12 में विभागीय मद से किया गया।

हमारे द्वारा लेखापरीक्षा में इंगित (मार्च 2015) किये जाने पर व.म.अ. द्वारा उत्तर (मार्च 2015) में कहा कि वर्ष 2011-12 में पुनरोत्पादन का कार्य वर्ष 2010-11 के नौ सुधार पातन श्रेणी (सु.पा.श्रे.) कूपों में विभागीय मद से किया गया। चूंकि विभागीय मद से किये गये कार्यों से उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी तो स्वीकृत नार्मस अनुसार कैम्पा मद से कार्य कराया गया। कार्य उन कूपों में किया गया जहां वन घनत्व 0.5 से कम नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभागीय मद पर किये गये पूर्व कार्य का असफल एवं स्वीकृत नार्मस अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति न होने से संबंधित कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः उसी कार्य को राशि ₹ 56.27 लाख का व्यय कैम्पा मद से कर कार्य किया जाना अनियमित था।

¹³ सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन एक वन वर्धनीक कार्य है जो की वृक्षों के विदोहन उपरांत कापिस देने वाले प्रजाति को एकलीकरण, मृदा एवं जल संरक्षण एवं सुरक्षा कार्य किया जाके पुनरोत्पादन में वृद्धि की जाती है।

प्रकरण शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) कर दिया गया है, उनसे उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

3.6 सीमेंट कांक्रीट रोड के निर्माण में परिहार्य व्यय

वनग्रामों में सीमेंट कांक्रीट सड़कों के निर्माण में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा (ग्रा.यां.से.) विभाग के निर्देशों का पालन नहीं किये जाने से परिहार्य व्यय ₹ 43.29 लाख।

विकास आयुक्त (वि.आ.), ग्रामिण यांत्रिकी सेवा (ग्रा.यां.से.) प्रकोष्ठ, छत्तीसगढ़, रायपुर ने निर्देशित (फरवरी 2005) किया था की ग्रामिण क्षेत्रों में सीमेंट कांक्रीट (सी.सी.) सड़कों का निर्माण तीन मीटर चौड़ाई, 15 सेंटीमीटर गहराई के 1:2:4¹⁴ अनुपात में निर्माण कराया जायगा।

वनमण्डलाधिकारी (व.मं.अ.), धमतरी एवं कटघोरा के वानिकी कार्यों के प्रगति प्रतिवेदन के नमूना जाँच (जनवरी 2016 एवं मार्च 2016) में हमने देखा कि 11 सी.सी. सड़कों के निर्माण में ₹ 1.09 करोड़ का व्यय किया। तकनिकी स्वीकृति (त.स्वी.), प्रमाणकों एवं अन्य अभिलेखों के अग्रेतर जाँच में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 1:2:4 अनुपात के 11 सड़कों का निर्माण निम्न स्पेसीफिकेशन में किया गया:

तालिका 3.6: सी.सी.सड़कों के निर्माण का विवरण

| वनमण्डलों | सड़कों की संख्या | कुल लंबाई (मीटर में) | चौड़ाई (मीटर में) | गहराई (मीटर में) | संपादित कार्य की मात्रा (घन मीटर में) | वास्तविक संपादन किये जाने वाले कार्य का मात्रा (घनमीटर में) | दर (₹ प्रति घनमीटर में) | व्यय (₹ लाख में) | किया जाने वाला व्यय (₹ लाख में) |
|-----------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------------------|---|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3)*(4)*(5) | 7=(3)*3.00*0.15 | 8 | 9 | 10 |
| व.म.अ., धमतरी | 1 | 230 | 4.00 | 0.20 | 184 | 103.50 | 3620.10 | 6.66 | 3.75 |
| | 3 | 425.75 | 4.00 | 0.22 | 374.66 | 191.59 | 3265.60 | 12.23 | 6.26 |
| | 5 | 1000 | 4.00 | 0.15 | 600 | 450.00 | 3265.60 | 19.59 | 14.70 |
| व.मं.अ., कटघोरा | 2 | 425 | 4.00 | 0.30 | 510 | 191.25 | 3190.50 | 16.27 | 6.10 |
| योग | 11 | 2080.75 | | | 1668.66 | 936.34 | | 54.75 | 30.81 |

उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि विभाग द्वारा चार मीटर चौड़ा एवं 0.15 मीटर से 0.30 मीटर तक के गहराई के 2080.75 मीटर लंबे सड़कों का 1,668.66 घनमीटर का कार्य करते हुए राशि ₹ 54.75 लाख का व्यय किया। परंतु अगर सड़को का निर्माण वि.आ., ग्रा.यां.से. के निर्देशों अनुसार किया जाता तो ₹ 30.81 लाख के व्यय पर सड़को का निर्माण हो जाता। अतः वि.आ., ग्रा.यां.से. के निर्देशों अनुसार कार्य न किये जाने से 732.32 घनमीटर का अतिरिक्त कार्य हुआ, जिसके फलस्वरूप ₹ 23.94 लाख का परिहार्य व्यय हुआ। आगे धमतरी वनमण्डल के छह सड़कों में 1:2:4 के अनुपात में कार्य करने के बाद 1:3:6 एवं 1:4:8 अनुपात का कार्य क्रमशः एक किलोमीटर एवं 200 मीटर लंबाई का कार्य करते हुए राशि ₹ 19.35 लाख¹⁵ का व्यय किया।

लेखापरीक्षा में इंगित (जनवरी 2016 एवं मार्च 2016) किये जाने पर व.मं.अ., धमतरी ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि ग्रा.यां.से. प्रकोष्ठ के निर्देशों वनमण्डल

¹⁴ सीमेंट, रेती एवं ग्रेडेड पत्थर का अनुपात

¹⁵ 1000 मीटर * 4 मीटर * 0.20 मीटर= 800 घनमीटर * ₹ 2264.60= ₹ 18,11,680(1:3:6) एवं 200 मीटर * 3 मीटर * 0.10 मीटर= 60 घनमीटर * ₹ 2051.00= ₹ 1,23,060(1:4:8)

कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुए हैं। सड़कों का निर्माण ग्रामीणों की मांग पर एवं स्थल का भौतिक सत्यापन किये जाने के बाद किया गया है। जबकि व.मं.अ., कटघोरा ने अपने उत्तर (मार्च 2016) में कहा कि की सड़कें खराब स्थिति में थीं। चार मीटर चौड़ी एवं 30 सेंटीमीटर गहराई सड़कों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों के स्खलन से होने वाले क्षति से बचाने हेतु किया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य ग्रा.या.से. विभाग के दर अनुसूची के मानकों अनुसार किया जाना चाहिए था। अतः ग्रामिण सड़कों का परियोजना ग्रा.यां.से. के मानकों एवं निर्देशों अनुसार बनाया जाना चाहिए था। इसके साथ ही अधिक चौड़ाई एवं गहराई एवं दोहरे सी.सी. कार्य हेतु परियोजना में शामिल एवं स्वीकृति हेतु कोई औचित्य उपलब्ध नहीं था। आगे वनमण्डल धमतरी के एक ग्राम में उसी अवधि में सी.सी. सड़क का निर्माण ऊपर वर्णित निर्देशों के अनुरूप किया गया।

अतः वि.आ. द्वारा निर्धारित चौड़ाई एवं गहराई से अधिक चौड़ाई एवं गहराई के सी.सी. सड़कों के निर्माण किये जाने एवं सड़क में अतिरिक्त परत डालने से राशि ₹ 43.29 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

प्रकरण शासन/विभाग को उनके अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) कर दिया गया है, उनसे उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

चतुर्थ अध्याय
वाणिज्यिक कर

चतुर्थ अध्याय: वाणिज्यिक कर




4.1 कर प्रशासन

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम) छत्तीसगढ़ में वैट के आरोपण, निर्धारण एवं संग्रहण को शासित करती है। वैट बहु-स्तरीय कर है एवं प्रत्येक स्तर पर मूल्य संवर्धन पर कर आरोपण एवं पूर्व स्तर पर कर अदायगी पर आगत कर छुट (आ.क.छु.) प्राप्त करने एवं आगामी विक्रय पर समायोजन करने का प्रावधान करती है। वाणिज्यिक कर से प्राप्तियों निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (छ.मू.सं.क. अधिनियम)
- छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 (छ.मू.सं.क. नियम)
- केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (कें.वि.क. अधिनियम)
- केंद्रीय विक्रय कर नियम, 1956 (कें.वि.क. नियम)
- छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976 (छ.ग.प्र.क. अधिनियम)
- राज्य शासन एवं विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, परिपत्रों, छुटों, अधिसूचनाएँ एवं निर्देशों

वाणिज्यिक कर विभाग आयुक्त के सहायता हेतु चार अपर आयुक्त (अ.आ.), 12 उपायुक्त (उ.आ.), 26 सहायक आयुक्त (स.आ.), 72 वाणिज्यिक कर अधिकारी (वा.क.अ.), 121 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी (स.वा.क.अ.) और 174 वाणिज्यिक कर निरीक्षक (वा.क.नि.) अधिनियम के अधीन निर्धारित किए गए कार्य करते हैं। स्वीकृत पदों के विरुद्ध विभाग में 9 उपायुक्त, 20 सहायक आयुक्त, 36 वाणिज्यिक कर अधिकारी, 68 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी और 95 वाणिज्यिक कर निरीक्षक कार्यरत हैं।

चार्ट 4.1: संगठनात्मक संरचना



4.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का विशेष वाहक होता है तथा समस्त नियंत्रणों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे संगठन को यह सुनिश्चित करता है कि विनिर्दिष्ट प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं।

विद्यमान आंतरिक नियंत्रण प्रणाली जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई सम्मिलित है, आगत कर वापसी परीक्षण प्रणाली की लेखापरीक्षा जांच में पाया (अक्टूबर 2016) गया कि विभाग प्रमुख कार्यालय में चार चार्टर्ड एकाऊन्टेन्ट कार्यरत हैं, जो आंतरिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं।

विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षक द्वारा जांच की गई प्रकरणों की संख्या एवं प्रकरणों में आक्षेप ली गई साथ ही विभाग द्वारा उन प्रकरणों पर की गई कार्यवाही के संबंध में लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया गया।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को सुदृढ़ करें ताकि करारोपण एवं राजस्व का संग्रहण में त्रुटियों का समय रहते हुए पता चल सके एवं उसे सुधारा जा सके।

4.3 लेखापरीक्षा परिणाम

कुल 53 इकाइयों में से 35 इकाइयों के मूल्य संवर्धित कर/विक्रय कर/प्रवेश कर के निर्धारणों एवं अन्य अभिलेखों के लेखापरीक्षा के दौरान हमने कर का अवरोपण/अनारोपण, छुट/कमी का गलत प्रदाय, कर के दर का गलत अनुप्रयोग एवं अन्य अनियमितताओं पाया, जिसमें 402 प्रकरणों में राशि ₹ 131.27 करोड़ सन्निहित थे, जो कि निम्न तालिका 4.1 में उल्लेखित श्रेणियों में वर्णित किये गये हैं:


तालिका 4.1 लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | श्रेणी | कुल प्रकरणों की संख्या | राशि |
|------------|--------------------------------|------------------------|---------------|
| 1. | कर का अवरोपण/अनारोपण | 164 | 17.71 |
| 2. | छुट/कमियों का गलत प्रदाय | 115 | 10.61 |
| 3. | कर के दर का गलत अनुप्रयोग | 28 | 1.82 |
| 4. | करयोग्य आवृत्त का गलत निर्धारण | 23 | 0.62 |
| 5. | अन्य अनियमितताएँ | 72 | 100.51 |
| योग | | 402 | 131.27 |

विभाग द्वारा अवनिर्धारण के 61 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 4.38 करोड़ सन्निहित थे को स्वीकार किया गया एवं चार प्रकरणों में ₹ 70.17 लाख की वसूली कर ली गई है।

चार्ट 4.2: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण



कुल 35 लेखापरीक्षा किये गये ईकाइयों में, 77 प्रतिशत कंडिकाएँ अन्य अनियमितताओं से संबंधित थे, 13 प्रतिशत कर के अवरोपण/अनारोपण एवं 8 प्रतिशत छुट/कमियों का गलत प्रदाय करने से संबंधित थे।

प्रारूप कंडिकाओं को जारी किये जाने के पश्चात् विभाग द्वारा एक प्रकरण में राशि ₹ 3.39 लाख की वसूली कर ली गई है।

कुछ प्रमुख प्रकरणों जिसमें वित्तीय प्रभाव राशि ₹ 14.03 करोड़ सन्निहित है उनका व्याख्या आगामी कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

मूल्य संवर्धित कर

4.4 आगत कर छूट (आ.क.छु.) का गलत प्रदाय

निर्धारण अधिकारियों(नि.अ.) द्वारा राशि ₹ 97.93 लाख का आ.क.छु. का प्रदाय किया गया जो कि नियमों एवं प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। परिणामस्वरूप राशि ₹ 13.47 लाख का गलत/अधिक आ.क.छु. प्रदाय हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 1.74 लाख भी आरोपणीय था।

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के धारा 13(1)(ब) सहपठित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 9 के अनुसार जब कोई पंजीकृत व्यवसायी अनुसूची III में माल से भिन्न कोई माल जो कि अनुसूची-II के भाग I, II, तथा VI में विनिर्दिष्ट है राज्य के भीतर अन्य ऐसे व्यवसायी से आगत कर का भुगतान करने के पश्चात् ऐसे माल का अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट किसी माल के राज्य में विनिर्माण के लिए उपभोग कर या उपभोग के लिये राज्य के भीतर या अंतर्राज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल विक्रय करता है तो उसे आगत कर प्रदाय किया जायगा। आगे आयुक्त वाणिज्यिक कर, रायपुर द्वारा जारी परिपत्र (सितम्बर 2013) अनुसार व्यवसायी द्वारा क्रेडिट नोट के माध्यम से प्राप्त राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगी यदि व्यवसायी विभाग द्वारा वांछित घोषणा पत्र जमा कर देता है। वांछित घोषणा पत्र जमा नहीं करने कि स्थिति में प्राप्त छुट को विक्रय मूल्य में शामिल किया जायगा।

• दो वाणिज्यिक कर अधिकारी कार्यालयों¹ में कुल 2,289 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,254 निर्धारण प्रकरणों के नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) में हमने पाया की आठ व्यवसायी जिनका निर्धारण (मार्च 2012 एवं फरवरी 2015 के मध्य) किया गया उन्हें 2008-09 एवं 2013-14 के मध्य राशि ₹ 11.46 करोड़ का क्रय पर ₹ 90.93 लाख का आगत कर छुट प्रदाय किया गया। इन प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेंट के प्रतिवेदन के विरुद्ध अपने वार्षिक विवरणी में क्रयों को अधिक दर्शाकर राशि ₹ 6.47 लाख का अधिक आगत कर छुट लिया गया, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि सात प्रकरणों में व्यवसायियों द्वारा अधिक आ.क.छु. दावों पर कर की राशि ₹ 5.16 लाख एवं शास्ति ₹ 1.74 लाख का आरोपण कर दिया गया है। एक अन्य प्रकरण में शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि व्यवसायी द्वारा लिया गया आगत कर की छुट सत्य है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जो व्यवसायी क्रय पर नगद छुट प्राप्त किया है उसे आयुक्त के निर्देशानुसार (सितम्बर 2013) वांछित घोषणा पत्र प्रस्तुत करना था, जो कि कर निर्धारण के वक्त नहीं प्रस्तुत किया गया।

• आगे वा.क.अ.- वृत्त IV, रायपुर के 1,181 प्रकरणों में से 673 प्रकरणों के नमूना जाँच में हमने पाया (अक्टूबर 2015) कि एक व्यवसायी वर्ष 2010-11 में किये गये क्रयों पर ₹ सात लाख का आगत कर का छुट प्राप्त किया। परन्तु वर्ष 2010-11 के वार्षिक विवरणी (फार्म 18) के अनुसार व्यवसायी का आवृत्त निरंक था एवं क्रय किये गये मालों पूंजीगत प्रकृति के थे एवं निर्माण कार्य में उपयोग हेतु किया गया था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण की जाँच किये बिना ₹ सात लाख का आगत कर छुट प्रदान कर दिया गया।

¹ वा.क.अ.-II, रायपुर एवं वा.क.अ. II, रायगढ़

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर विभाग ने अपने उत्तर (जुलाई 2016) में कहा कि प्रकरण अधिनियम के धारा 22(1) में पुनः खोलकर कर निर्धारण किया जाएगा।

4.5 कर का अवरोपण

मूसं.क. का अल्प दर अनुप्रयोग किये जाने से राशि ₹ 67.43 लाख का कर का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 43.72 लाख भी आरोपणीय था।

छ.ग.मूसं.क. अधिनियम के अनुसूची II के भाग IV के प्रविष्ट 1 अनुसार समस्त माल जो कि अनुसूची II के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं है उसका करारोपण दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत एवं उसके उपरान्त 14 प्रतिशत दर से किया जावेगा। मल्टीमिडिया स्पिकर, डायरेक्ट-टू-होम (डी.टी.एच.), सेट-टॉप बाक्स, खेल परिधान एवं पका हुआ भोज्य पदार्थ अवशिष्ट प्रविष्ट के अंतर्गत है। आगे पेट्रोल एवं डीजल अनुसूची II के भाग III की वस्तु होने के कारण इस पर मई 2009 तक 22 प्रतिशत की दर से तथा उसके पश्चात् 25 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था।

कुल 10,568 व्यवसायियों में से 5,372 प्रकरणों के नमूना जाँच में हमने पाया कि (नवम्बर 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) का निर्धारण अधिकारियों द्वारा 10 प्रकरणों में कुल आवृत्त ₹ 7.92 करोड़ में वैट का कम दर लागू करने के कारण कर राशि ₹ 67.43 लाख का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 43.72 लाख भी वसूलनीय थी, जिसका विवरण तालिका 4.2 में दर्शित है:

तालिका 4.2: कर के अवरोपण का विवरण

| स. क्र. | इकाई का नाम | कर निर्धारण वर्ष (माह एवं वर्ष) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|---------|--|---------------------------------|---|
| 1. | वा.क.अ.-I, रायपुर | 2011-12 (मई 2014) | एक व्यवसायी जो खेलकुद परिधान एवं संगीत यंत्रों का व्यापार करता है, वर्ष 2011-12 के निर्धारण वर्ष में ₹ 1.26 करोड़ का खेलकुद परिधान, जो कि 14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है का विक्रय किया। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे रेडीमेड कपड़ा मानकर, पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया, परिणामस्वरूप ₹ 11.35 लाख का कर अवरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि अनुसूची में "खेलकुद परिधान" की कोई भी प्रविष्टि नहीं होने के कारण इसकी प्रविष्टि "रेडिमेड गारमेंट" में किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि छ.ग.मूसं.क. अधिनियम, 2005 के अनुसूची के प्रविष्टि 106 "खेलकुद सामग्री परिधान एवं जूते/चप्पल छोड़कर" स्वयंमैव संपुष्टि करता है कि खेलकुद परिधान अवशिष्ट प्रविष्टि में शामिल होगा। |
| 2. | स.आ.वा.क, मुख्यालय (श्रीमती भावना अली), रायपुर | 2009-10 (जनवरी 2014) | पेट्रोल एवं डीजल के विक्रय पर कर की दर मई 2009 तक 22 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् 25 प्रतिशत था। हमने एक व्यवसायी, जो कि पेट्रोल डीजल का क्रय विक्रय करता था, त्रैमासिक विवरणी में पाया गया कि माह अप्रैल एवं मई 2009 के मध्य ₹ 1.44 करोड़ के विक्रय पर 22 प्रतिशत की दर से ₹ 31.71 लाख का कर का भुगतान किया। परन्तु निर्धारण आदेश में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा माह अप्रैल एवं मई 2009 में ₹ 3.47 करोड़ का आवृत्त निर्धारण किया। व्यवसायी के त्रैमासिक विवरणी से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ₹ 2.03 |

| | | | |
|----|------------------------------|--|---|
| | | | करोड़ (₹ 3.47 करोड़ – ₹ 1.44 करोड़) अवधि मई 2009 के पश्चात् संबंधित थे। निर्धारण अधिकारी द्वारा गलत आवृत्त का निर्धारण कर 22 प्रतिशत की दर से ₹ 62.65 लाख का आरोपण किया। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा विवरणी का जांच न करने के कारण ₹ 2.03 करोड़ के अधिक आवृत्त पर तीन प्रतिशत (25 प्रतिशत-22 प्रतिशत) की दर से ₹ 6.09 लाख कर का कम आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते (अक्टूबर 2016) हुए कहा कि कर की राशि ₹ 6.09 लाख की मांग जारी कर दी गई है। |
| 3. | वा.क.अ.-V, रायपुर | 2010-11 (स्व कर निर्धारण) | एक व्यवसायी जो इलेक्ट्रॉनिक माल जैसे मल्टीमिडिया स्पिकर, टेलीविजन, रेफरीजेरेटर इत्यादि का व्यापार करता था एवं विक्रय ₹ 1.32 करोड़ पर पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 6.59 लाख का कर का भुगतान किया। सी फार्म के अग्रेतर जांच में पाया गया कि व्यवसायी द्वारा मल्टीमिडिया स्पिकर, डी.व्ही.डी. प्लेयर जो कि अनुसूची II के अवशिष्ट माल है पर 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य है। जबकि व्यवसायी द्वारा अपने विवरणी पर 14 प्रतिशत की दर से न कर पाँच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 11.88 लाख का कम वैट आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) में पुनः खोला जायगा। |
| 4. | वा.क.अ.- I, जगदलपुर | 2008-09 (अप्रैल 2012) 2009-10 एवं 2010-11 (स्व कर निर्धारण) | एक व्यवसायी जो डी.टी.एच., सेट-टाप बाक्स का क्रय विक्रय करता था ₹ 80.53 लाख के विक्रय पर सूचना प्रौद्योगिकी माल मानकर दिसम्बर 2009 तक चार प्रतिशत की दर से तत्पश्चात् पाँच प्रतिशत की दर से ₹ 3.35 लाख कर का भुगतान किया। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट (जुलाई 2013) किया है कि डीटीएच एवं सेट टाप बाक्स का विक्रय अवशिष्ट माल मानते हुए दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत की दर से तत्पश्चात् 14 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाय। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का पालन न करने से कर ₹ 6.88 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण को पुनः खोला गया एवं वर्ष 2008-09 से 2010-11 के प्रकरणों में ₹ 6.85 लाख का कर एवं शास्ति ₹ 10.27 लाख का आरोपण किया गया। |
| 5. | वा.क.अ.- II, रायपुर | 2008-09 (जून 2013) | एक व्यवसायी जो डी.टी.एच., सेट-टाप बाक्स का क्रय विक्रय करता था उसने ₹ 1.18 करोड़ के विक्रय पर प्रतिस्थापन एवं सेवा मानते हुए कोई कर अदायगी नहीं की। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट (जुलाई 2013) किया कि डीटीएच एवं सेट-टाप बाक्स का विक्रय अवशिष्ट माल मानकर 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाय। परन्तु निर्धारण अधिकारी द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर के निर्देशों का पालन न करने से कर ₹ 14.74 लाख का अवरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 11.74 लाख की मांग जारी कर दी गई है। |
| 6. | वा.क.आ.- III, बिलासपुर | 2007-08 (जून 2011); 2008-09 (जून 2013) एवं | एक व्यवसायी, जो कैटरिंग, होटल एवं खाद्य पदार्थों का क्रय विक्रय करते था के तीन प्रकरणों में पका हुआ भोज्य तैयार करने हेतु ₹ 83.73 लाख का कच्चा माल क्रय किया एवं वर्ष 2007-08 से 2009-10 के मध्य ₹ 1.32 करोड़ का पका हुआ भोजन विक्रय किया। परन्तु कर |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| | | 2009-10 (जनवरी 2014) | निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे कर मुक्त मानते हुए कोई कर का आरोपण नहीं किया, जबकि पका हुआ भोजन अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। परिणामस्वरूप ₹ 16.49 लाख का कर का कम आरोपण हुआ। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य स्वीकारत हुए उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 16.49 लाख का कर एवं ₹ 33.45 लाख की शास्ति की मांग जारी कर दी गई है। |
|--|--|-------------------------|--|

4.6 विक्रय का छुपाव से कर का अपवंचन

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के पूर्व व्यवसायियों के संव्यवहारों का जाँच नहीं किया गया। जिसके फलस्वरूप तीन प्रकरणों में राशि ₹ 1.11 करोड़ का अपवंचन हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 1.99 करोड़ भी आरोपणीय था।

छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 8 प्रावधानित करता है कि अनुसूची II के भाग I, II एवं III की वस्तु दिसम्बर 2009 तक 4 प्रतिशत तत्पश्चात् 5 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा एवं ऐसे वस्तु जो अनुसूची II के भाग I, II एवं III में सम्मिलित नहीं है उसका करारोपण दिसम्बर 2009 तक 12.5 प्रतिशत तत्पश्चात् 14 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा। कील और लैमीनेट्स अवशिष्ट माल होने के कारण 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है। पेट्रोल एवं डीजल मई 2009 तक 22 प्रतिशत तत्पश्चात् 25 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जावेगा। उसी अनुसार वायर 15 अप्रैल 2011 तक 4 प्रतिशत तत्पश्चात् 5 प्रतिशत की दर से करारोपण होगा। छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 के धारा 54 (2) के अनुसार व्यवसायी कर के अलावा अपवंचित कर के तीन गुना परंतु पांच गुना से अनधिक शास्ति का भागी होगा।

दो वाणिज्यिक कर अधिकारियों एवं एक सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर कार्यालयों के कुल 2,974 कर निर्धारण प्रकरणों में से 1,716 कर निर्धारण प्रकरणों के नमूना जाँच (अक्टूबर 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) में हमने पाया कि तीन व्यवसायियों ने ₹ 5.80 करोड़ के आवृत्त छिपाया गया, जिसके फलस्वरूप ₹ 1.11 करोड़ का कर अपवंचन हुआ। साथ ही अपवंचित कर पर शास्ति राशि ₹ 1.99 करोड़ भी वसूलनीय था, जिसका विवरण नीचे तालिका में दर्शित है:

तालिका 4.3: विक्रय का छुपाव का विवरण

| स.क्र. | ईकाइ का नाम | निर्धारण वर्ष(निर्धारण का वर्ष एवं माह) | लेखापरीक्षा प्रेक्षण |
|--------|---|---|---|
| 1 | स.आ. मुख्यालय (श्रीमती भावना अली), रायपुर | 2009-10 (जनवरी 2014) | एक व्यवसायी जो मोटर स्पीट (एम.एस.), हाई स्पीड डीजल (एच.एस.डी), मोबिल ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेन्ट्स एवं औषधि परंतु बिटुमन का व्यवसाय नहीं करता था ने मेसर्स एस्सार ऑयल लिमिटेड से ₹ 2.58 करोड़ का बिटुमन क्रय करना दिखाया। व्यवसायी द्वारा अपने सी.ए. प्रतिवेदन पर वर्ष 2009-10 में ₹ 2.99 करोड़ का बिटुमन दर्शित करते हुए कर (दिसम्बर 2009 तक का ₹ 1.74 करोड़ पर चार प्रतिशत एवं उसके बाद ₹ 1.25 करोड़ पर पाँच प्रतिशत) अदायगी की। व्यवसायी द्वारा विभाग को जमा किये 'सी/एफ' फार्म (उपयोगिता प्रमाण पत्र) के पंजी का अवलोकन करने पर पाया गया कि व्यवसायी द्वारा एम एस एवं एच एस डी का क्रय दिखाया गया न कि बिटुमन का। तदनु रूप बिटुमन का क्रय बीजक वास्तविक में एम. |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| | | | <p>एस. एवं एच.एस.डी. का था। अतः व्यवसायी द्वारा एम. एस. एवं एच.एस.डी. के विक्रय को बिटुमन का विक्रय दिखाकर ₹ 56.43 लाख (₹ 1.74 करोड़ का 18 प्रतिशत अंतर एवं ₹ 1.25 करोड़ का 20 प्रतिशत)। व्यवसायी द्वारा उर्पयुक्त धारा के अनुसार ₹ 1.69 करोड़ (₹ 56.43 लाख का तीन गुना) का शास्ती का उत्तरदायी है।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने स्वीकार करते (अक्टूबर 2016) हुए ₹ 81.14 लाख की मांग जारी की तथा शास्ति आरोपण हेतु पृथक से आदेश निकाला जायगा।</p> |
| 2 | वा.क.अ.- IV, रायपुर | 2008-09 (जून 2012) 2009-10 (अगस्त 2012) 2010-11 | <p>एक व्यवसायी जो हार्ड ब्लैक वायर एवं कील का विनिर्माण एवं व्यापार करता था का अवधि 2008-09 से 2010-11 के कर निर्धारण करते हुए वायर के विक्रय ₹ 1.74 करोड़ पर 4 प्रतिशत दर से कर जमा किया, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा मान्य किया गया। उक्त अवधि के सी.ए. प्रतिवेदन की जाँच में पाया गया कि वायर से कील का निर्माण कर ₹ 1.74 करोड़ का कील विक्रय किया, जो कि 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। चूंकि व्यवसायी द्वारा तथ्यों को छुपा कर कील के विक्रय को वायर का विक्रय दिखाने से ₹ 15.24² लाख का कर अपवंचन हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 29.52 लाख भी आरोपणीय है।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 2009-10 एवं 2010-11 की कर की राशि ₹ 8.94 लाख एवं शास्ति ₹ 17.89 लाख की मांग की गई है। वर्ष 2008-09 के संबंध में शासन ने कोई जानकारी नहीं दी।</p> |
| 3 | व.क.अ.- VIII, रायपुर | 2009-10 (स्व कर निर्धारण सितम्बर 2012) | <p>एक व्यवसायी जो लैमिनेट्स एवं प्लाईवुड का व्यवसाय करता था, ने अपने फार्म 18 (वार्षिक विवरणी) में क्रमशः ₹ 1.03 लाख पर 12.5 प्रतिशत की दर से एवं ₹ 1.08 करोड़ पर चार प्रतिशत की दर से कर भुगतान किया। आगे हमने देखा (दिसम्बर 2015) कि व्यवसायी द्वारा ₹ 107.42 लाख का लैमिनेट्स प्रांत बाहर से क्रय किया जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय था। व्यवसायी द्वारा लैमिनेट्स के विक्रय, जो कि 12.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है को 4 प्रतिशत प्लाईवुड का विक्रय दिखाने से ₹ 14.83 लाख का कर अपवंचन हुआ।</p> <p>बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 2009-10 के दौरान मई 2009 के अधिसूचना के अनुसार लेमिनेट्स का दर 4/5 प्रतिशत था तदनुसार व्यवसायी से करारोपण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय उत्पाद टैरिफ के आईटम 4412 "डेकोरेटिव प्लाईवुड" से संबंधित है ना कि लैमिनेट्स से। अतः लैमिनेट्स पर 12.5/14 प्रतिशत की दर से करारोपणीय है।</p> |

²

₹ 1.44 करोड़ का (12.5-4) = 8.5 प्रतिशत एवं ₹ 0.30 करोड़ का (14-4) =10 प्रतिशत

केंद्रीय विक्रय कर

4.7 घोषणा पत्रों के अभाव में केंद्रीय विक्रय कर (कें.वि.क.) का रियायती दर से कर का मान्य किया जाना

निर्धारण अधिकारियों द्वारा बगैर घोषणा "सी" फार्म पर रियायती दर पर कर मान्य किये जाने के कारण के.वि.क. ₹ 64.80 लाख का कम आरोपण हुआ।

के.वि.क. अधिनियम, 1956 की धारा 8 यह प्रावधानित करता है कि घोषणा पत्र "सी" फार्म समर्थित पर अंतर्राज्यीय विक्रय पर जून 2008 से 2 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जावेगा। आगे वैधानिक फार्म के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में प्रावधानित दर पर कर का दायी होगा। आगे केंद्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आर्वत्त) नियम, 1957 के नियम 12 के अनुसार घोषणा पत्र "सी" या "एफ" फार्म या "ई-I" या "ई-II" फार्म संबंधित को तीन माह के अंदर, विनिर्दिष्ट अधिकारी को जमा करेगा जो उस घोषणा पत्र से संबंधित है। छ.ग.मू.सं.क. 2005 के धारा 21(2) स्व-कर निर्धारण प्रकरणों के निर्देश (नवम्बर 2012), के अनुसार निर्धारण प्राधिकारी वार्षिक विवरण एवं अन्य दस्तावेज स्वीकार करते वक्त संपूर्णता, समयबद्ध एवं सटीकता का प्रारंभिक जांच करेगा।

सात³ ईकाइयों के कुल 15,236 निर्धारण प्रकरणों में से 9,140 प्रकरणों के नमूना जांच (मार्च 2015 एवं जनवरी 2016 के मध्य) में हमने देखा कि 12 व्यवसायियों के 14 प्रकरणों जिनका स्व-कर निर्धारण वित्तीय वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के मध्य किया गया था ने ₹ 9.77 करोड़ के अंतर्राज्यीय विक्रय का "सी" फार्म प्रस्तुत नहीं किया और के.वि.क. के अंतर्गत कर के रियायती दर का उपयोग किया। "सी" फार्म के अभाव में व्यवसायी छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम, 2005 में वर्णित दर से कर का भुगतान का दायी होगा। कर निर्धारण अधिकारियों के प्रारंभिक जांच में विफल होने के कारण कर ₹ 64.80 लाख का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण परिशिष्ट 4.2 में वर्णित है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि 11 व्यवसायियों के प्रकरणों 22(1) में खोला गया जिसमें ₹ 3.24 करोड़ के संव्यवहार बिना 'सी' फार्म के होना पाया गया। तदनुसार ₹ 16.64 लाख की कर की राशि की मांग जारी की गई।

'सी' फार्म को मान्य किये जाने के संबंध में उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि फार्म निर्धारित समय सीमा पर जमा नहीं किया गया एवं माल का विवरण दर्शाया नहीं गया तथा कुछ संलग्न भी नहीं पाये गये थे।

4.8 के.वि.क. अधिनियम के अंतर्गत बगैर संवैधानिक फार्म पर पारगमन विक्रय एवं शाखा अंतरण पर कर की छूट को मान्य किया जाना

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा बिना "ई-I/सी" एवं "एफ" फार्म के ₹ 4.74 करोड़ के कर का छूट प्रदाय किया गया। साथ ही शास्ति ₹ 3.94 लाख भी आरोपणीय थी।

कें.वि.क. अधिनियम, 1956 के धारा 6(2) अनुसार पारगमन विक्रय (माल के आवाजाही के दौरान विक्रय) में, विक्रय व्यवसायी को कर भुगतान में छूट का दावा करने हेतु ई-I/II एवं फार्म 'सी' प्रस्तुत करना होगा। आगे के.वि.क. अधिनियम के धारा 6 (अ) के अंतर्गत आदृत विक्रय (शाखा अंतरण) में वैधानिक फार्म 'एफ' फार्म प्रस्तुत करने पर

³ स.आ.-II, दुर्ग; स.आ.वा.क. (मुख्यालय)(श्रीमती भावना अली), रायपुर; वा.क.अ.-II, रायगढ़; वा.क.अ.-I, रायपुर; वा.क.अ.-II, रायपुर; वा.क.अ.-IV, रायपुर एवं वा.क.अ.-V, रायपुर

कर के भुगतान में छूट दिया जावेगा। ई-I/II/सी (पारगमन विक्रय) एवं फार्म 'एफ' आदृत विक्रय (शाखा अंतरण) के अभाव में इन वस्तुओं पर छ.ग.मू.सं.क अधिनियम एवं के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 में वर्णित दर से करारोपण किया जावेगा।

केंद्रीय विक्रय कर (पंजीकरण एवं आर्वत्त) नियम, 1957 के नियम 12 अनुसार घोषणा पत्र "सी" या "एफ" फार्म या "ई-I" या "ई-II" फार्म संबंधित प्राधिकारी को तीन माह के अंदर जमा किया जायेगा जो उस घोषणा पत्र से संबंधित है।

4.8.1 चार⁴ इकाईयों के कुल 2,213 निर्धारण प्रकरणों में से 1,262 प्रकरणों के नमूना जाँच (मार्च 2015 एवं दिसम्बर 2015 के मध्य) में पाया गया कि 13 व्यवसायी द्वारा ₹ 117.08 करोड़ का 'ई-I-सी' फार्म प्रस्तुत नहीं किये परन्तु पारगमन विक्रय में कर के भुगतान में छूट प्राप्त किया गया। संवैधानिक फार्म के अभाव में व्यवसायी द्वारा इन वस्तुओं पर छ.ग.मू.सं.क अधिनियम एवं के.वि.क. अधिनियम के धारा 8 में वर्णित दर से कर का दायी होगा। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी संवैधानिक फार्म को जाँच किये बिना कर का छूट प्रदाय (अगस्त 2012 एवं जूलाई 2014 के मध्य) करने से ₹ 4.70 करोड़ का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.3** में वर्णित है।

4.8.2 दो⁵ इकाईयों के 1,139 निर्धारण प्रकरणों में से 671 प्रकरणों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में हमने देखा कि तीन व्यवसायी ₹ 99.05 लाख के शाखा अंतरण बिना 'एफ' फार्म प्रस्तुत किये कर के भुगतान में छूट प्राप्त किया। फार्म 'एफ' के अभाव में निर्धारण अधिकारियों द्वारा छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम में वर्णित दर के अनुसार कर का आरोपण किया जाना था। परन्तु कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा वैधानिक फार्म को बिना जांच किये कर में छूट प्रदाय (नवम्बर 2010 एवं सितम्बर 2012 के मध्य) किया, जिसके फलस्वरूप कर की राशि ₹ 3.96 लाख का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति ₹ 3.94 लाख भी वसूलनीय थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.4** में दर्शित है।

अतः अंतर्राज्यीय संव्यवहारों में व्यवसायी को मान्य छूट से अधिक छूट प्रदान करने से कर की राशि ₹ 4.74 करोड़ एवं शास्ति ₹ 3.94 लाख का अनारोपण हुआ।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) के अंतर्गत पुनः खोलकर 14 व्यवसायियों से संव्यवहार की क्रमशः राशि ₹ 31.39 करोड़ एवं ₹ 99.05 लाख के बगैर "ई-I सी" एवं "एफ" फार्म पाये गये। तदनुसार ₹ 95.61 लाख एवं शास्ति की राशि ₹ 3.94 लाख की मांग संबंधित व्यवसायियों को जारी कर दी गई है, जिसमें से तीन व्यवसायियों से ₹ 66.78 लाख की राशि वसूल कर ली गई है।

उत्तर "ई-I सी" फार्म के संबंध में मान्य नहीं है क्योंकि समर्थन में जो "सी" फार्म संलग्न किये गये थे वे निर्धारित समयसीमा पर जमा नहीं किया गया एवं माल का विवरण दर्शाया नहीं गया तथा कुछ संलग्न भी नहीं पाये गये।

⁴ स.आ.-II, दुर्ग; स.आ.वा.क.(मुख्यालय)(श्रीमती भावना अली), रायपुर; वा.क.अ.-I, रायपुर एवं वा.क.अ.-V, रायपुर

⁵ वा.क.अ.-I, रायपुर एवं वा.क.अ.-VIII, रायपुर

प्रवेश कर

4.9 कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर का कम आरोपण / अनारोपण

कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा मालों के प्रवेश पर कर के गलत दर के अनुप्रयोग से प्रवेश कर की राशि ₹ 4.22 करोड़ का कम आरोपण हुआ। साथ ही शास्ति राशि ₹ 2.15 लाख भी वसूलनीय थी।

छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम 1976 के धारा 3 के अनुसार व्यवसायी द्वारा व्यवसाय के दौरान स्थानीय क्षेत्रों में अनुसूची II में वर्णित वस्तुओं का उपभोग या उपयोग विक्रय करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर प्रवेश कर का दायी होगा। आगे अनुसूची III में वर्णित वस्तुओं का उपभोग या उपयोग परंतु विक्रय नहीं करने हेतु स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का उत्तरदायी होगा।

आठ ईकाइयों⁶ के कर निर्धारण अभिलेखों के जाँच के दौरान हमने पाया कि (जनवरी 2015 एवं फरवरी 2016 के मध्य) कर निर्धारण अधिकारियों द्वारा कर निर्धारण विवरणियों के निर्धारण/फाईलिंग के दौरान प्रवेश कर का उचित दर नहीं लगाया गया जिसका विवरण निचे तालिका में वर्णित है:

तालिका 4.4: प्रवेश कर का अवरोपण/अनारोपण का विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | इकाई का नाम | वस्तु | निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण एवं स्व: निर्धारण का माह एवं वर्ष) | अनुसूची/ अधिसूचना क्र. एवं दिनांक | क्रय मूल्य | आरोपणीय /आरोपित कर की दर | कर का कम/ अनारोपण |
|--|-----------------------|---|---|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|
| 1. | वा.क.अ.— VIII, रायपुर | कांक्रीट स्लीपर, बालास्ट, माईल्ड स्टील लाईनर्स, फिश बोल्ट एवं फिश प्लेट आदि | 2009-10 (मई 2013) | III | 251.00 | 1/0 | 2.51 |
| <p>कांक्रीट स्लीपर, बालास्ट, माईल्ड स्टील लाईनर्स, फिश बोल्ट एवं फिश प्लेट आदि को रेल प्रणाली तैयार करने के लिए उपयोग किया गया। चूंकि यह वस्तु छ.ग.प्र.क. अधिनियम के अनुसूची III की वस्तु होने के कारण इस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय था। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ठेकेदार द्वारा रेल प्रणाली विकसित करने में क्रय किया गया माल कर चुका अनुसूची II की वस्तु थी एवं शेष अनुसूची III माल को सिधे प्रदायकर्ता को पहुंचाने के कारण इस पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं आता है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुसूची II के माल के संबंध में बिजकों में "प्रवेश कर चुका" अभिप्रमाणित नहीं था एवं अनुसूची III की वस्तु के बीजकों में इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि माल सिधे प्रदायकर्ता को पहुंचाया गया।</p> | | | | | | | |
| 2. | उपायुक्त, दुर्ग | सोया कच्चा तेल | 2008-09 (फरवरी 2014), 2010-11 (दिसम्बर 2014) | III | 5,976.73 18,314.89 | 1/0 | 59.77 183.15 |
| <p>व्यवसायी द्वारा छूट प्रमाण पत्र के आधार पर सोया कच्चा तेल के उपभोग पर प्रवेश कर के आरोपण पर छूट लिया गया। हमने व्यवसायी के पंजीयन प्रमाण पत्र की जाँच की और पाया कि निर्माण में कच्चे माल के रूप में सोया कच्चा</p> | | | | | | | |

⁶ स.आ.वा.क.—II, संभाग I, बिलासपुर, स.आ.वा.क., दुर्ग, स.आ.वा.क. (मुख्यालय), रायपुर, वा.क. अ. —II, रायपुर, वा.क.अ. —IV, रायपुर, वा.क.अ. —IV, दुर्ग, वा.क.अ.—VIII, रायपुर एवं संभागीय उपायुक्त (सं.उ.), दुर्ग

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------------------------|-----|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| <p>तेल का वर्णन नहीं है। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र के जाँच किये बगैर सोया कच्चे तेल के क्रय एवं उपयोग पर राशि ₹ 24,291.62 लाख का छुट प्रदान किया, जिस पर एक प्रतिशत की दर से राशि ₹ 242.92 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि प्रकरण धारा 22(1) के अंतर्गत खोली जाकर कार्यवाही की जावेगी।</p> | | | | | | | |
| 3. | वा.क.अ.-II, रायपुर | औद्योगिक चैन | 2008-09 (जून 2013) | II | 215.00 | 1/0 | 2.15 |
| <p>कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्थानीय क्षेत्र से बाहर औद्योगिक चैन को अनुसूची III की वस्तु मानते हुए उस पर कर की छुट प्रदान की। अनुसूची II के प्रविष्ट क्र. 54 अनुसार औद्योगिक चैन 'मशिन एवं उसके पुर्जे' में सम्मिलित है। अतः औद्योगिक चैन के क्रय ₹ 215 लाख पर 1 प्रतिशत की दर से ₹ 2.15 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि औद्योगिक चैन 'मशिनरी एवं उसके पुर्जे' में शामिल होंगे तथा उस पर ₹ 2.15 लाख का प्रवेश कर एवं ₹ 2.15 लाख की शास्ति आरोपित कर दिया गया है।</p> | | | | | | | |
| 4. | स.आ.व.क.-II, संभाग-I, बिलासपुर | अतिरिक्त न्यूट्रल अल्कोहल (ई.एन. ए.) | 2009-10 (अक्टूबर 2013) | III | 1,279.00 | 1/0 | 12.79 |
| <p>माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने आयुक्त, आयकर विरुद्ध विनब्रास एवं कंपनी (29 अक्टूबर 2007) एवं माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स अजन्ता बाटलर्स एवं ब्लैंडर्स विरुद्ध आबकारी विभाग (जुलाई 2013) ने अपने निर्णय में कहा कि ई.एन.ए. मदिरा के निर्माण में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। छ.ग.प्र.क. अधिनियम सहपठित छ.ग.मू.सं.क. अधिनियम 2005 के अनुसार ऐसे वस्तु जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अंतर्गत आरोपणीय है या आरोपित है उस पर प्रवेश कर मुक्त है। अतः मदिरा आरोपणीय वस्तु है एवं ई.एन.ए. मदिरा निर्माण हेतु कच्चा माल है, जिस पर करारोपण नहीं किया जाता। व्यवसायी द्वारा अन्य स्थानीय क्षेत्रों से ई.एन.ए. क्रय किया गया जिस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ई.एन.ए. आबकारी कर युक्त माल होने के कारण यह छ.ग.प्र.क. अधिनियम 1976 के अनुसूची I के प्रविष्ट 1 की वस्तु है एवं माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा मेसर्स इंडिया ग्लाईकोल्स लिमिटेड विरुद्ध उत्तराखण्ड शासन एवं अन्य में निर्णय (जनवरी 2012) में व्याख्या किया कि मदिरा के निर्माण में ई.एन.ए. कच्चा माल नहीं है, अतः इस पर प्रवेश कर आरोपणीय नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ई.एन.ए. मदिरा निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। इसीलिए यह अनुसूची III की वस्तु है जिस पर एक प्रतिशत की दर से प्रवेश कर आरोपणीय है।</p> | | | | | | | |
| 5. | वा.क.अ.-IV, दुर्ग | लौह एवं स्टील | 2007-08 (फरवरी 2011) | II | 73.32 | 1.5/0 | 1.10 |
| <p>व्यवसायी द्वारा ₹ 1.03 करोड़ का लौह एवं स्टील का क्रय किया, जिसमें से ₹ 73.32 लाख का क्रय स्थानीय क्षेत्र से बाहर किया गया। अतः 1.5 प्रतिशत की दर से ₹ 1.10 लाख का प्रवेश कर आरोपणीय था। परंतु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संपूर्ण क्रय को कर चुका माल मानकर कर का आरोपण नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन में शासन ने अपने उत्तर में कहा (अक्टूबर 2016) कि प्रकरण को धारा 22(1) के अंतर्गत खोलकर ₹ 81.69 लाख के क्रय पर ₹ 1.23 लाख का प्रवेश कर का आरोपण किया गया।</p> | | | | | | | |
| 6. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय), (श्रीमती भावना अलि), रायपुर | मोबाईल हैंडसेट | 2010-11 (अक्टूबर 2012) | II | 785.00 | 1/0 | 7.85 |
| <p>माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2011) ने मेसर्स ड्राईव इंडिया डाट काम विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य के निर्णय में कहा कि मोबाईल हैंडसेट वायरलेस उपकरण के अंतर्गत सम्मिलित होगी। आयुक्त, वाणिज्यिक कर ने स्पष्ट किया (अक्टूबर 2012) कि मोबाईल हैंडसेट पर 1 प्रतिशत दर से प्रवेश कर आरोपणीय होगा। व्यवसायी द्वारा ₹ 7.85 करोड़ का मोबाइल प्रांत बाहर से आयात किया गया परंतु कोई कर का भुगतान नहीं किया गया। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि ₹ 7.54 लाख का प्रवेश कर की मांग जारी कर दी गई है।</p> | | | | | | | |
| 7 | स.आ.वा.क., दुर्ग | कंडक्टर ट्रांसफार्मर इंसुलेटर | 2007-08 (जून 2011) | II | 108.92 921.49 1,210.64 | 5/1 5/1 10/1 | 4.36 36.86 108.96 |

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------------------------------------|----|------------------|----------------|---------------|
| <p>कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ₹ 59.08 करोड़ के क्रय पर 1 प्रतिशत की दर से ₹ 59.08 लाख का प्रवेश कर का आरोपण किया। आगे हमने देखा कि व्यवसायी द्वारा सब-स्टेशन के उपयोग हेतु कंडक्टर, ट्रांसफार्मरस, इंसुलेटर्स एवं अन्य वस्तु का ₹ 22.41 करोड़ का क्रय स्थानीय क्षेत्र के बाहर से किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे छ.ग.प्र.क. अधिनियम के अनुसूची III के अंतर्गत मानते हुए इस पर 1 प्रतिशत की दर से प्रवेश कर का आरोपण किया गया। सितम्बर 1997 के अधिसूचना क्र. 78 एवं अप्रैल 2006 के क्र. 37 अनुसार इस वस्तुओं पर 5 एवं 10 प्रतिशत की दर से करारोपण किया जाना था। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि व्यवसायी "विद्युत के हस्तांतरण" कार्य एवं पारेषण लाईन के रखरखाव का कार्य करते हैं, जो निर्माण कार्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः एक प्रतिशत की दर से व्यवसायी से करारोपण किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि व्यवसायी द्वारा उपकरणों का उपयोग सब-स्टेशन के निर्माण में किया। अतः सब-स्टेशनों के निर्माण कार्य अपने आप में एक निर्माण प्रक्रिया है एवं छ.ग.प्र.क. अधिनियम, 1976 के धारा 4 अ के अनुसार प्रवेश कर आरोपणीय है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अनुसार "निर्माता" के परिभाषा में ऐसे व्यक्ति जो विभिन्न वस्तुओं को समिश्रण कर एक नई वस्तु बनाता है। अतः व्यवसायी "निर्माता" की श्रेणी में आते हैं।</p> | | | | | | | |
| 8. | वा.क.अ.-IV, रायपुर | औजार | 2007-08 2009-10 (अगस्त 2012) | II | 45.48 101.00 | 1.5/0 1.5/0 | 2.20 |
| <p>व्यवसायी द्वारा स्थानीय क्षेत्र से बाहर औजारों का क्रय कर उसे अनुसूची III की वस्तु मानकर प्रवेश कर का भुगतान नहीं किया गया। आगे आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा स्पष्ट (2008) किया गया कि औजार "लौह एवं स्टील" में वर्गीकृत होंगे जिस पर 1.5 प्रतिशत की दर से करारोपणीय होगा। अतः औजारों के क्रय पर प्रवेश कर का आरोपण होगा। बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने तथ्य को स्वीकारते हुए अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि औजार के क्रय पर राशि ₹ 2.11 लाख की मांग जारी कर दी गई है।</p> | | | | | | | |
| योग | | | | | 29,282.47 | | 421.70 |

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करता है कि कर निर्धारण अधिकारी/व्यवसायियों द्वारा प्रकरणों/विवरणियों के निर्धारण/फाईलिंग के दौरान अधिसूचना एवं अनुसूची में वर्णित प्रवेश कर का सही दर का अनुप्रयोग नहीं किया गया। अतः प्रवेश कर की राशि ₹ 4.22 करोड़ का संग्रहण/प्राप्त विभाग द्वारा नहीं किया गया। आगे ₹ 2.15 लाख का शास्ति भी आरोपणीय था।

पंचम अध्याय
मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

पंचम अध्याय: मुद्रांक एवं पंजीयन फीस



5.1 कर प्रशासन

राज्य में मुद्रांक शुल्क (मु.श.) एवं पंजीयन फीस (पं.फ.) भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम 1908, भारतीय मुद्रांक नियम, 1975 एवं छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका निर्धारण एवं पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधिन निर्मित नियमों द्वारा संचालित कि जाती है। मु.श. का आरोपण विलेखों के निष्पादन एवं पं.फ. का आरोपण विलेखों के पंजीकरण पर किया जाता है। जिला पंजीयक (जि.पं.) का कार्य उपपंजीयकों (उ.पं.) के प्रतिदिन कार्यों, मुद्रांकों के मूल्यांकन के संबंध में आदेश पारित करना, शास्ति, वापसी एवं उनका निरीक्षण एवं लोक कार्यालयों के अधिकारी जो मुद्रांक शुल्क के आरोपण में संलग्न हैं को मार्गदर्शन करना है।

उप पंजीयक का कार्यालय वह स्थल है जहां पर समस्त पंजीकरण का कार्य किया जाता है एवं जहां पर आम नागरिकों से अधिकतम आपसी संवाद होता है।

सचिव, वित्त सह वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) शासन स्तर पर नीतियों के निर्धारण, निगरानी एवं नियंत्रण करने का उत्तरदायी है। महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक (म.नि.पं. एवं अ.मु.) विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता के लिए दो उपमहानिरीक्षक पंजीयन, 16 जिला पंजीयकों एवं 88 उपपंजीयकों होते हैं:

चार्ट 5.1: संगठनात्मक संरचना



5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

आं.ले.ई. में एक वरिष्ठ लेखाधिकारी एवं दो सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी (स.आं.ले.प.अ.) स्वीकृत पदों में से स.आं.ले.प.अ. के दोनों पद रिक्त थे। निर्धारित कर्मचारियों की अनुपलब्धता में वर्ष 2015-16 के दौरान एक भी ईकाई की लेखापरीक्षा की योजना बनाई नहीं जा सकी।

हम वित्त विभाग से अनुशांसा करते हैं कि कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु पर्याप्त कदम उठाये ताकि नियमित लेखापरीक्षा का कार्य किया जा सके। यह मुद्दा पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी इंगत किये गये थे, उसके बावजूद यह पदों आज तक रिक्त है। इस प्रकार इसे शासन को तत्काल ध्यान में लाया जाना आवश्यक है।

5.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2015-16 में हमने 105 ईकाइयों में से नौ¹ उपपंजीयक कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच सम्पादित किये गये। हमने सम्पत्ति का अवमूल्यांकन, विलेखों का गलत वर्गीकरण एवं अन्य अनियमितताओं के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के कम आरोपण/अनारोपण के 163 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 7.30 करोड़ सन्नहित थे का वर्गीकरण निम्न तालिका 5.1 में वर्णन किया है:


तालिका 5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|------------|---|--------------------|-------------|
| 1. | विलेखों के गलत वर्गीकरण से अवमूल्यांकन | 5 | 0.32 |
| 2. | मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने से अवमूल्यांकन | 6 | 0.61 |
| 3. | सम्पत्ति का अवमूल्यांकन | 83 | 2.12 |
| 4. | मुद्रांक शुल्क के अनियमित छुट दिये जाने से राजस्व की हानि | 3 | 3.38 |
| 5. | अन्य अनियमितताएँ | 66 | 0.87 |
| योग | | 163 | 7.30 |

¹ उ.पं., अंबिकापुर; उ.पं., बलौदा बाजार; उ.पं., धमतरी; उ.पं., जांजगीर-चांपा; उ.पं., जगदलपुर; उ.पं., नवागढ़; उ.पं., रायपुर; उ.पं., राजनांदगांव एवं उ.पं., तखतपुर

चार्ट 5.2: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण



वर्ष 2015-16 में विभाग ने अवनिर्धारण के आठ प्रकरणों में ₹ 44.43 लाख की राशि स्वीकारते हुए दो प्रकरणों में ₹ 1.00 लाख की वसूली की गई।

प्रारूप कंडिकाओं के जारी किये जाने के पश्चात् विभाग ने दो प्रकरणों में राशि ₹ 1.00 लाख की वसूली कर ली गई है।

कुछ प्रमुख प्रकरणों जिसमें ₹ 1.92 करोड़ के वित्तीय प्रभाव सम्मिलित है को निम्नलिखित कंडिकाओं में वर्णन किया गया है।

5.4 विलेखों का गलत वर्गीकरण

तीन दस्तावेजों के पंजीयन के दौरान उ.पं द्वारा विलेखों का वर्गीकरण उनके वर्णित विषयवस्तु के अनुसार न कर उसके विषय पर किया गया। जिसके फलस्वरूप विलेखों का गलत वर्गीकरण हुआ एवं मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.शु. एवं पं.फ.) की राशि ₹ 13.09 लाख की कम वसूली हुई।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 के धारा 3 के अनुसार निष्पादकों द्वारा किसी दस्तावेज को कोई दिया गया कोई विशिष्ट नाम एकमात्र पैमाना नहीं है और यह भी की दस्तावेज का प्रकार मानने का कोई आधार नहीं है; दस्तावेज में वर्णित विषयवस्तु एवं पक्ष जो इसमें सम्मिलित है के अभिप्राय के अनुसार प्रश्नों का निर्धारण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने अधिसूचना (मार्च 2014) में स्पष्ट किया गया है कि विनिमय की विषयवस्तु से संबंधित संपत्ति के बाजार मूल्य में अंतर होने की स्थिति में अंतर की शेष राशि पर मुद्रांक शुल्क प्रभार्य होगा। जिन भूमियों/भवनों का विनिमय किया जा रहा है वह नजूल/पट्टे के न हों। छत्तीसगढ़ बाजार भाव मार्गदर्शिका सिद्धांत के प्रारूप 1 के उपबंध एक अनुसार अगर शहरी क्षेत्रों में 0.202 हेक्टेयर एवं उससे कम की कृषि भूमि का विक्रय होने पर संपत्ति का मूल्यांकन स्लैब दर से किया जावेगा। आगे भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अनुसूची I अनुसार यदि ऐसी भूमि के स्वामी या पट्टेदार से भिन्न व्यक्ति द्वारा उस भूमि पर भवन निर्माण से संबंधित है तथा उसमें यह अनुबंध हो कि निर्माण पश्चात्, ऐसा भवन यथास्थिति, उस अन्य व्यक्ति या भूमि के स्वामी या पट्टेदार द्वारा संयुक्त या पृथकतः धारित किया जायेगा या यह कि ऐसे भवन का उनके द्वारा संयुक्त या पृथकतः विक्रय किया जायेगा या यह कि इसका एक भाग उनके द्वारा संयुक्त या पृथकतः धारित किया जायेगा तथा उनका शेष भाग उनके द्वारा संयुक्त या पृथकतः विक्रय किया जायेगा तो ऐसे अनुबंध पर मुद्रांक शुल्क, सम्पत्ति के बाजार मूल्य का दो प्रतिशत होगा।

दो उपपंजीयक कार्यालयों के माह अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य कुल 45,871 पंजीकृत विलेखों में से 8,868 विलेखों के नमूना जाँच (नवम्बर 2015 एवं जनवरी 2016) किये जाने पर हमने पाया की उपपंजीयकों द्वारा 3 विलेखों का पंजीकरण (जून 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य) में उसके लिखत पे न कर उसके विषय अनुसार वर्गीकरण कर पंजीकरण किया गया, जिसका विवरण निम्न तालिका 5.2 में वर्णित है:

तालिका 5.2: विलेखों के गलत वर्गीकरण से सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन का विवरण

(₹ लाख में)

| उ.प. कार्यालय का नाम | दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | प्रेक्षण की प्रकृति | मार्गदर्शिका अनुसार बाजार भाव | मु.शु./पं.फ. का कम आरोपण |
|----------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|
| रायपुर | 11763 दि. 30.03.2015 | एक आपसी विनिमय दस्तावेज जिसमें नजूल (परिवर्तित) सम्पत्ति का अपरिवर्तित सम्पत्ति से विनिमय किया गया। शासन के अधिसूचना (मार्च 2014) अनुसार विनिमय विलेखों में प्रश्नाधिन सम्पत्ति नजूल नहीं होगी। अतः अधिसूचना अनुसार यह विलेख विनिमय का ना होकर हस्तांतरण का होगा। | 89.87 | 4.67 / 0.68 |
| रायपुर | 10972 दि. 30.03.2015 | उपरोक्त नियमानुसार विनिमय सम्पत्तियों का मूल्य बराबर होना चाहिए। एक दस्तावेज में पाया गया कि पक्षकारों द्वारा सम्पत्ति के विनिमय के अलावा राशि ₹ 23.06 लाख का अतिरिक्त भुगतान कर किया गया, जिसे सम्पत्ति के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं किया गया था। अतः इसका वर्गीकरण विनिमय विलेख न होकर हस्तांतरण विलेख से किया जाना चाहिए था। | 47.06 | 1.98 / 0.31 |
| धमतरी | 63 दि. 20.06. 2013 | एक विलेख में चार व्यक्तियों द्वारा अपने हक की भूमि एक भागीदार फर्म को दिया एवं करार के शर्त 4 अनुसार समस्त भागीदार फर्म अपने अंश पूजी अनुसार लाभ हानी के भागीदार होंगे। अतः यह सामान्य करार न होकर एक विकास अनुबंध होगा, जिसपर दो प्रतिशत के दर से मुद्रांक शुल्क आरोपण होगा, परन्तु उ.पं द्वारा मात्र ₹ 100 मुद्रांक शुल्क आरोपित किया गया। | 195.00 | 3.89 / 1.56 |
| योग | 3 | | 331.93 | 10.54 / 2.55 |

अतः भारतीय मुद्रांक अधिनियम के धारा 3 अनुसार विलेख विनिमय/करार न होकर एक हस्तांतरण विलेख होगा, जिस पर मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस (मु.श. एवं पं.फ.) कि राशि ₹ 13.97 लाख (मु.शु.—₹ 11.31 लाख एवं पं.फ.—₹ 2.66 लाख) आरोपणिय थी। परन्तु विलेखों के पंजीकरण के दौरान उ.पं. द्वारा विलेखों के विषयवस्तु की अनदेखी कर उनके विषय के आधार पर विलेखों को विनिमय एवं सामान्य करार मानकर ₹ 0.88 लाख (मु.शु.—₹ 0.77 लाख एवं पं.फ.—₹ 0.11 लाख) का आरोपण किया। अतः विलेखों के गलत वर्गीकरण से मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 13.09 लाख (मु.शु.—₹ 10.54 लाख एवं पं.फ.—₹ 2.55 लाख) का अवरोपण हुआ।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को इंगित (जुलाई 2016) किया गया एवं महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि दस्तावेज क्र. 11763 दि. 30.03.2015 में जि.पं. द्वारा विलेख को उचित मुद्रांकित पाया गया है एवं शेष दो प्रकरणों में कार्यवाही जारी है।

दस्तावेज क्र. 11763 दि. 30.03.2015 के संबंध में उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि जि.पं. द्वारा उचित मुद्रांकित के संबंध में दिये गये आदेश की प्रति लेखापरीक्षा को जाँच हेतु प्रस्तुत नहीं कराये गये। शेष दो प्रकरणों में कार्यवाही की प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

5.5 मुख्य मार्ग में स्थित संपत्तियों का अवमूल्यांकन

मुख्य मार्ग में स्थित संपत्तियों को मुख्य मार्ग से इतर मानकर मूल्यांकन किया गया। परिणामस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ एवं मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 74.91 लाख की कम प्राप्ति हुई।

छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शिका के प्रारूप एक के उपबंध 5 अनुसार शहरी क्षेत्र में स्थित मुख्य मार्ग से 20 मीटर की गहराई/दूरी तक स्थित भू-खण्डों को मुख्य मार्ग से लगी मानकर मुख्य सड़क के लिए निर्धारित दर पर गणना कि जावेगी। परन्तु यह भी कि यदि कोई पक्षकार 20 मीटर के अधिक गहराई तक की भूमि क्रय करता है तब संपूर्ण भू-खण्डों को मुख्य मार्ग से लगी मानकर गणना की जावेगी। आगे कृषि भूमियों के लिए यह सीमा 46 मीटर तक है।

चार² कार्यालयों के कुल 68,856 पंजीकृत विलेखों में से 10,480 विलेखों के नमूना जाँच किये जाने पर पाया (नवम्बर 2015 से फरवरी 2016 के मध्य) गया कि 29 विलेखों में संपत्तियों मुख्य मार्ग में स्थित थी, परन्तु उ.पं. द्वारा उसे मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर उसकी गणना की गई, जैसा की तालिका 5.3 में वर्णित है:—

तालिका 5.3: मुख्य मार्ग से अलग मानकर दस्तावेजों में किये गये गणना का विवरण

| उ.पं. कार्यालय का नाम | प्रकरणों की संख्या | प्रेक्षण की प्रकृति | बाजार भाव (₹ करोड़ में) | | मु.शु./पं.फ. का कम आरोपण (₹ लाख में) |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | मार्गदर्शिका अनुसार | विलेख अनुसार | |
| रायपुर | 13 | विलेखों के विषयवस्तु एवं संलग्न नक्शा, खसरा इत्यादि अनुसार संव्यवहारित संपत्ति अपने क्षेत्र में मुख्य मार्ग में स्थित था। परन्तु उ.पं. द्वारा मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर इसका मूल्यांकन किया गया। | 17.83 | 10.14 | 58.51 / 7.59 |
| अंबिकापुर | 12 | विलेखों के विषयवस्तु एवं संलग्न नक्शा, खसरा इत्यादि अनुसार संव्यवहारित संपत्ति अपने क्षेत्र में मुख्य मार्ग में स्थित था। परन्तु उ.पं. द्वारा मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर इसका मूल्यांकन किया गया। | 2.47 | 1.91 | 3.62 / 0.42 |

² उ.पं., अंबिकापुर; उ.पं., धमतरी; उ.पं., जगदलपुर एवं उ.पं., रायपुर

| | | | | | |
|------------|-----------|---|--------------|--------------|---------------------|
| धमतरी | 2 | विलेखों के विषयवस्तु एवं संलग्न नक्शा, खसरा इत्यादि अनुसार संब्यवहारित संपत्ति अपने क्षेत्र में मुख्य मार्ग में स्थित था। परंतु उ.पं. द्वारा मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर इसका मूल्यांकन किया गया। | 0.82 | 0.39 | 3.18 / 0.34 |
| जगदलपुर | 2 | विलेखों के विषयवस्तु एवं संलग्न नक्शा, खसरा इत्यादि अनुसार संब्यवहारित संपत्ति अपने क्षेत्र में मुख्य मार्ग में स्थित था। परंतु उ.पं. द्वारा मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर इसका मूल्यांकन किया गया। | 0.71 | 0.55 | 1.13 / 0.12 |
| योग | 29 | | 21.83 | 12.99 | 66.44 / 8.47 |

उपरोक्त तालिका दर्शित करती है कि मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार इन सम्पत्तियों का बाजार भाव ₹ 21.83 करोड़ था। जबकी उ.पं. द्वारा इन सम्पत्तियों को मुख्य मार्ग से अंदर स्थित मानकर इनका मूल्य ₹ 12.99 करोड़ परिगणित किया गया। अतः संपत्तियों का राशि ₹ 8.84 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ एवं तदनुसार मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 74.91 लाख (मु.शु.—₹ 66.44 लाख एवं पं.फ.—₹ 8.47 लाख) का कम आरोपण हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट 5.1** में दर्शाया गया है।

हमने शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को सूचित (जुलाई 2016) किया एवं महानिरीक्षक पंजीयन ने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि मूल्यांकन हेतु प्रकरणों को जि.पं. को प्रेषित कर दिया गया है। इन प्रकरणों में आगे कि प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

5.6 कृषि सम्पत्तियों का अवमूल्यांकन

नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमियों के बाजार भाव का निर्धारण करते समय मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 53.81 लाख की कम वसूली हुई।

उ.पं., रायपुर के कुल 38,833 पंजीकृत विलेखों में से 7,249 विलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में हमने पाया कि मार्च 2015 में पंजीकृत 15 विलेखों में कृषि सम्पत्तियों का बाजार भाव का गणना मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार नहीं किया गया है, जिसका विवरण **तालिका 5.4** में वर्णित है:

तालिका 5.4: कृषि सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन का विवरण

| स. क्र. | प्रकरणों की संख्या | प्रेक्षण की प्रकृति | बाजार भाव (₹ करोड़ में) | | मु.शु./पं.फ. का कम आरोपण (₹ लाख में) |
|---|--------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | विलेख अनुसार | मार्गदर्शिका अनुसार | |
| <p>मार्गदर्शिका का उपबंध: प्रारूप 3 का उपबंध पाँच: नगरीय क्षेत्रों में 0.202 कृषि भूमि से कम का विक्रय होता है एवं क्रेता द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ हेतु क्रय किया गया है एवं क्रेता की भूमि से लगी हुई है, जैसा कि पटवारी द्वारा सत्यापित किया गया है उसका मूल्यांकन उस क्षेत्र के हेक्टेयर दर से किया जावेगा। अन्यथा संपत्ति का मूल्यांकन उस क्षेत्र का प्लॉट दर अनुसार स्लैब आधार पर किया जायगा एवं</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|--|------|------|--------------|
| शहर के मध्य स्थित संपत्तियों को यह लाभ नहीं दिया जायगा। | | | | | |
| 1 | 7 | सात विलेखों में संपत्ति रायपुर शहर के मध्य में स्थित था एवं राजस्व अभिलेखों के अनुसार संपत्ति पड़त ³ थी एवं पटवारी के प्रमाण पत्र अनुसार संपत्ति क्रेता से लगी होने का भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं था। परंतु उ.पं. द्वारा संपत्ति का मूल्यांकन स्लैब दर अनुसार न कर हेक्टेयर दर से किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 5.2 में वर्णित है। | 3.09 | 9.30 | 37.98 / 4.97 |
| मार्गदर्शिका का उपबंध: प्रारूप 1 का उपबंध छ: सहपठित प्रारूप 1 का उपबंध एक: जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य न होकर नगरीय क्षेत्र में कृषि भूमि का क्रय करते हैं एवं प्रत्येक के खाते में 0.202 हेक्टेयर तक आति है तो उसका मूल्यांकन प्रत्येक क्रेता के प्लॉट दर पर स्लैब दर अनुसार किया जावेगा। | | | | | |
| 2 | 1 | आठ व्यक्तियों एक ही परिवार के सदस्य न होकर रायपुर नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 0.166 हेक्टेयर कृषि भूमि का क्रय किया गया। चूंकि भूमि का क्षेत्रफल 0.202 हेक्टेयर से कम था, उ.पं. द्वारा इसका बाजार भाव समस्त भूमि पर स्लैब दर से न कर प्रत्येक क्रेता के हिस्से में आये संपत्ति पर स्लैब दर अनुसार किया जाना चाहिए था, जैसा कि परिशिष्ट 5.3 में वर्णित है। | 3.21 | 4.37 | 6.01 / 0.93 |
| मार्गदर्शिका का उपबंध: प्रारूप 3 का उपबंध छ: दो फसलीय कृषि पद्धति आधारित संपत्ति का मूल्यांकन उस कृषि भूमि के किस्म के अनुसार दर पर 25 प्रतिशत जोड़कर किया जावेगा। आगे सिंचित भूमि के मूल्यांकन हेतु मार्गदर्शिका में पृथक दर दिये गये हुए हैं। | | | | | |
| 3 | 4 | दो विलेखों जिसमें दो फसलीय कृषि सम्पत्तियों एवं अन्य दो विलेखों में पटवारी अभिलेख अनुसार भूमि नहर/ट्यूबवेल से सिंचित थी। परंतु उ.पं. द्वारा इन सम्पत्तियों का मूल्यांकन असिंचित दर से किया गया, जैसा कि परिशिष्ट 5.4 में वर्णित है। | 0.86 | 1.02 | 1.00 / 0.11 |
| मार्गदर्शिका का उपबंध: प्रारूप 1 का उपबंध एक: नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों में स्थित 0.202 से कम कृषि भूमियों का मूल्यांकन प्लॉट दर पर स्लैब दर अनुसार किया जावेगा। आगे मार्गदर्शिका के विशेष उपबंध अनुसार माना एवं नक्की ग्राम में क्रमशः 0.101 हेक्टेयर एवं 0.150 हेक्टेयर से कम कृषि भूमियों का मूल्यांकन मार्गदर्शिका के प्रारूप 1 के उपबंध एक अनुसार किया जायेगा। | | | | | |
| 4 | 3 | प्रत्येक विलेख में भूमि दो पक्षकारों से क्रय किया गया था। चूंकि प्रत्येक पक्षकार के अपने भूमि हेतु पृथक खसरा एवं किसान किताब ⁴ थे तो प्रत्येक सम्पत्ति का | 0.60 | 1.00 | 2.48 / 0.33 |

³ पड़त यानी ऐसी कृषि भूमि जिसमें पिछले तीन वर्षों से कोई भी कृषि कार्य/गतिविधि नहीं किये जा रहे हैं।

⁴ किसान किताब में कास्तकारों द्वारा कुल अधिपत्य कृषि भूमि एवं उस पर निर्धारित कर का विवरण होता है।

| | | | | | |
|------------|-----------|--|-------------|--------------|---------------------|
| | | अलग-अलग मूल्यांकन किया जाना चाहिए था। जबकि निष्पादकों द्वारा दोनों विक्रेताओं की अपनी अपनी सम्पत्ति को मिलाने से सम्पत्ति निर्धारित सीमा से अधिक हो गई (नगर परिषद, बीरगांव-0.202 हेक्टेयर/माना-0.101 हेक्टेयर/नक्टी-0.150 हेक्टेयर) एवं उसका मूल्यांकन हेक्टेयर से किया गया।(विस्तृत विवरण परिशिष्ट 5.5 में)। | | | |
| योग | 15 | | 7.76 | 15.69 | 47.47 / 6.34 |

उपरोक्त तालिका में देखा जा सकता है कि मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार इन सम्पत्तियों का बाजार भाव ₹ 15.69 करोड़ था। जबकि उ.पं. द्वारा इनका मूल्यांकन ₹ 7.76 करोड़ किया गया। परिणामस्वरूप मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 53.81 लाख (मु.शु.-₹ 47.47 लाख एवं पं.फ.-₹ 6.34 लाख) का कम आरोपण हुआ।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को प्रेषित (जुलाई 2016) किया गया एवं महानिरीक्षक पंजीयन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि मूल्यांकन हेतु प्रकरण जि.पं. को संदर्भित कर दिये गये हैं। इन प्रकरणों में आगे कि प्रगति अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

5.7 संपत्तियों का अवमूल्यांकन

संपत्तियों के बाजार भाव की गणना करते वक्त उ.पं. द्वारा मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप संपत्तियों का अवमूल्यांकन हुआ, जिससे मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 50.00 लाख की कम प्राप्ति हुई।

पंजीकरण अधिकारी यानी उ.पं., भारतीय मुद्रांक अधिनियम, पंजीकरण अधिनियम एवं बाजार भाव मार्गदर्शिका सिद्धांत के अनुरूप दस्तावेजों में देय मु.शु. एवं पं.फ. की परिगणना उपरोक्त मार्गदर्शिका एवं दरों के अनुसार संपत्तियों के मूल्यांकन पर करेगा। आगे भारतीय मुद्रांक अधिनियम के धारा 47(क) पंजीयन अधिकारी को यह शक्ति देता है कि अगर कोई ऐसे पर्याप्त कारण जिससे यह प्रतित होता है कि दस्तावेज में वर्णित बाजार भाव सही नहीं है तो वह मुद्रांक संग्रहक को सही बाजार भाव गणना करने हेतु प्रेषित कर सकेगा।

तीन⁵ उपपंजीयक कार्यालयों के कुल 61,818 पंजीकृत विलेखों में से 8,861 दस्तावेजों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015 एवं फरवरी 2016) में हमने पाया कि 12 विलेखों जिसमें 63,330.18 वर्ग मीटर की भूमि का पंजीयन अप्रैल 2013 एवं मार्च 2015 के मध्य करते हुए उसका मूल्यांकन ₹ 6.25 करोड़ किया गया। परंतु मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार इन सम्पत्तियों का बाजार भाव ₹ 13.40 करोड़ था। उ.पं. द्वारा सम्पत्तियों के बाजार भाव की गणना करते वक्त मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने के कारण मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 50.00 लाख (मु.शु.-₹ 44.28 लाख एवं पं.फ.-₹ 5.72 लाख) की कम प्राप्ति हुई, जैसा कि **परिशिष्ट 5.6** में वर्णित है।

प्रकरण शासन एवं महानिरीक्षक पंजीयन को प्रेषित (जुलाई 2016) किया गया एवं महानिरीक्षक पंजीयन ने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि उचित मूल्यांकन किये जाने हेतु प्रकरणों को जि.पं. को भेज दी गई है। इन प्रकरणों में आगे कि कार्यवाही अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

⁵ उ.पं., अंबिकापुर; उ.पं., जगदलपुर एवं उ.पं., रायपुर

षष्ठम् अध्याय
अन्य कर प्राप्तियां

षष्ठम् अध्यायः अन्य कर प्राप्तियाँ

खण्ड अः राज्य उत्पाद

6.1 कर प्रशासन

आबकारी विभाग की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915;
- छत्तीसगढ़ आसवनी नियम, 1995;
- छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 एवं
- छत्तीसगढ़ देशी मदिरा नियम, 1995

छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर अधिनियम, 1936 के प्रावधानों के अंतर्गत आबकारी विभाग, मनोरंजन शुल्क का भी संग्रहण करता है।

सचिव सह आबकारी आयुक्त (आ.आ.) आबकारी नीतियों को बनाने एवं उसका क्रियान्वयन करने हेतु उत्तरदायी है। मुख्यालय में उसकी सहायता हेतु दो अपर आबकारी आयुक्त पदस्थ हैं। विभाग तीन मण्डलों में विभक्त है, प्रत्येक मण्डल का मुख्य उपायुक्त (उ.आ.) होता है, जो अपने क्षेत्र के जिला कार्यालयों, आसवनियों एवं बोटल भराई संयंत्रों का पर्यवेक्षण करता है। राज्य के कुल 27 जिलों में से प्रत्येक जिले में कलेक्टर आबकारी प्रशासन का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु जिला मुख्यालयों/आसवनियों में सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी (जि.आ.अ.) होते हैं।

चार्ट 6.1: संगठनात्मक संरचना



6.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारु रूप से कार्य कर रही हैं।

एक संयुक्त संचालक (सं.सं.), दो सहायक लेखाधिकारी, एक सहायक ग्रेड-II एवं दो सहायक ग्रेड-III के स्वीकृत पदों के विरुद्ध एक सं.सं. एवं दो सहायक ग्रेड-III कार्यरत हैं। कर्मचारियों के कमी के कारण वित्त विभाग द्वारा शेष पदों को भरा नहीं गया। सं.सं.(वित्त) द्वारा दोहरे प्रभार एवं अन्य कर्मचारियों के अनुपलब्धता के कारण वर्ष

2015-16 में कोई भी इकाई की लेखापरीक्षा की योजना नहीं बनाई गई और निरीक्षण भी नहीं किया जा सका।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को सुदृढ़ करे ताकि कर के संग्रहण में त्रुटियों को समय पर खोज कर उस पर सुधार सुनिश्चित किया जा सके।


6.3 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2015-16 में आबकारी विभाग के कुल 27 इकाईयों में से छः इकाईयों के अभिलेखों के नमूना जाँच की गई। लेखापरीक्षा के दौरान हमने विभिन्न अनियमितताओं के राशि ₹ 51.01 करोड़ के 836 प्रकरणों को इंगित किया, जो कि तालिका 6.1 में दिये गये श्रेणियों में वर्णित है।

तालिका 6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|--------|---|--------------------|-------|
| 1. | आबकारी शुल्क/लायसेंस फीस का अवरोपण/अनारोपण | 53 | 25.48 |
| 2. | अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क का अनारोपण | 670 | 0.18 |
| 3. | मनोरंजन शुल्क का बकाया एवं शास्ति का अनारोपण | 8 | 0.02 |
| 4. | अन्य अनियमितताएँ | 105 | 25.33 |
| योग | | 836 | 51.01 |



वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा 696 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 1.04 करोड़ सन्निहित थी, को स्वीकार किया है।

कुछ मुख्य प्रकरणों, जिनमें ₹ 89.37 लाख सन्निहित है का वर्णन अनुवर्ती कंडिकाओं में किया गया है।

6.4 एफएल 3 अनुज्ञप्तिधारी से लायसेंस फीस की कम वसूली

जिला आबकारी अधिकारी, धमतरी द्वारा लायसेंस फीस की गणना करते वक्त नगर/स्थान का संपूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके फलस्वरूप लायसेंस फीस की राशि ₹ 12 लाख की कम वसूली हुई।

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8(1)(स) प्रावधानित करता है कि कोई होटल अपने लायसेंस परिक्षेत्र में हल्के खाने के साथ होटल में निवासियों, अगान्तुकों एवं महमानों को विदेशी मदिरा परोसना चाहता है उसे एफ एल-3 लायसेंस प्राप्त करना होगा। आबकारी आयुक्त ने समस्त कलेक्टर को निर्देशों को जारी (मार्च 2013) किया कि ऐसे नगर/स्थान जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक परंतु तीन लाख से अनधिक में एफ एल 3 अनुज्ञप्तिधारी को वर्ष 2013-14 हेतु ₹ 12 लाख प्रति वर्ष लायसेंस फीस का भुगतान करना होगा।

जि.आ.अ., धमतरी के चार एफ एल-3 अनुज्ञप्तिधारियों में से चारों अनुज्ञप्तिधारियों के अभिलेखों के नमूना जाँच (नवम्बर 2015) में हमने पाया कि जि.आ.अ. द्वारा वर्ष 2013-14 के लायसेंस जारी करते वक्त शहर की जनसंख्या 89,836 मानते हुए प्रति अनुज्ञप्तिधारी राशि ₹ नौ लाख की दर से लायसेंस फीस वसूल किया। जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी, धमतरी ने अपने पत्र (मार्च 2014) में सूचित किया कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार धमतरी नगर निगम की जनसंख्या एक लाख (1,01,677) से अधिक है। परंतु जि.आ.अ. द्वारा त्रुटिवश शहर की जनसंख्या एक लाख से कम मानते हुए चारों¹ अनुज्ञप्तिधारियों से ₹ 48 लाख के विरुद्ध ₹ 36 लाख लायसेंस फीस वसूल की गई, जिसके परिणामस्वरूप लायसेंस फीस की राशि ₹ 12 लाख की कम वसूली हुई।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि 1,01,677 जनसंख्या में बाह्य क्षेत्र भी सम्मिलित है, जो कि धमतरी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। शासन के अधिसूचना (जुलाई 2014) अनुसार धमतरी नगर निगम का जनसंख्या 89,860 है तदनुसार प्रत्येक एफ एल 3 अनुज्ञप्तिधारी से ₹ नौ लाख की दर से लायसेंस फीस की वसूली की गई।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाह्य क्षेत्र भी नगर निगम का हिस्सा है, जैसा की जिला योजना एवं सांख्यिकीय अधिकारी, धमतरी ने व्यक्त किया। अतः जि.आ.अ. को शहर का जनसंख्या एक लाख से अधिक मानकर उसके अनुरूप लायसेंस फीस की वसूली की जानी थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014-15 के अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण करते समय जि.आ.अ. ने शहर की जनसंख्या को एक लाख से अधिक मानते हुए प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी से ₹ 12 लाख की दर से लायसेंस फीस की वसूली की गई।

6.5 विदेशी मदिरा के अत्याधिक हानि पर शुल्क की अवसूली

आसवक (डिस्टीलर) द्वारा भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा (आई.एम.एफ.एल.) के निर्यात में अनुमत्य सीमा से अधिक हानि हुई एवं अधिक हानि पर आसवक से आबकारी शुल्क ₹ 28.34 लाख की वसूली नहीं कि गई।

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 16(3) अनुसार बोटलबंद आई.एम.एफ.एल. के निर्यात पर परिवहन के दौरान अधिकतम हानि 0.25 प्रतिशत ही मान्य है। आगे

¹ क्लासीकल होटल एवं रेस्टोरेन्ट, खुशी रेस्टोरेन्ट होटल बग्गा, होटल हरियाली एवं रेस्टोरेन्ट एवं होटल फैमली ढाबा कोठारी पार्क

नियम 16(5) यह प्रावधानित करता है कि निर्यात के दौरान यदि हानि अनुमत्य सीमा (0.25 प्रतिशत) से अधिक है तो अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क की राशि अनुज्ञापतिधारी से वसूली जावेगी।

जि.आ.अ., मुंगेली के प्रेषित माल पंजी की नमूना जांच (दिसम्बर 2015) में हमने पाया कि कुल 817 प्रकरणों में से 668 प्रकरणों में मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेन्ट प्रायव्हेट लिमिटेड, मुंगेली ने जि.आ.अ. द्वारा जारी किये गये परमिट के आधार पर 48.09 लाख प्रुफ लीटर (प्रु.ली.) का निर्यात असम राज्य को किया। आगे हमने देखा की कुल प्रेषित 48.09 लाख प्रु.ली. के विरुद्ध, प्राप्तकर्ता के भण्डारगृह में 47.69 लाख प्रु.ली. विदेशी मदिरा प्राप्त हुई। अतः मान्य हानि 0.12 लाख प्रु.ली. (0.25 प्रतिशत) के विरुद्ध वास्तविक हानि 0.40 लाख प्रु.ली. (0.83 प्रतिशत) रही, जो कि अनुमत्य सीमा से 0.28 लाख प्रु.ली. अधिक थी। अतः अनुमत्य सीमा से अधिक हानियों पर आबकारी शुल्क राशि ₹ 28.34 लाख² आसवक द्वारा देय है, जैस कि **परिशिष्ट 6.1** में वर्णित किया गया है। जि.आ.अ. द्वारा निर्यात के दौरान अनुमत्य सीमा से अधिक हानि पर शुल्क का आरोपण नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शुल्क की राशि ₹ 28.34 लाख अवसूल रही।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने तथ्य को स्वीकारते (नवम्बर 2016) हुए कहा की वसूली की कार्यवाही जारी है।

6.6 अनुज्ञापतिधारी को अनुचित लाभ पहुंचाना

कलेक्टर द्वारा अनुज्ञापति के अभ्यर्पण के प्रकरण को अधिनियम के प्रावधान अनुसार आबकारी आयुक्त को प्रेषित न कर अनुज्ञापति का निरस्त किया। साथ ही आबकारी शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 49.03 लाख पूर्व अनुज्ञापतिधारी से वसूल नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के धारा 33 (1) के अनुसार इस अधिनियम के अधीन मादक द्रव्य का विक्रय करने के लिए मंजूर कि गई अनुज्ञापति का अभ्यर्पण करने के अपने आशय की एक मास की लिखित सूचना की जो, उसके कलेक्टर को दी गई अवधि समाप्त हो जाने पर और ऐसी शेष अवधि के लिए जिसके लिए वह ऐसा अभ्यर्पण किये जाने की दशा में चालू रहती है अनुज्ञापति के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञापति अभ्यर्पित करेगा, परंतु यदि आबकारी आयुक्त के लिए देय फीस का संदाय किए जाने पर अपनी अनुज्ञापति अभ्यर्पित करने के लिए पर्याप्त कारण है तो वह अभ्यर्पण पर इस प्रकार देय राशि या उसके किसी भाग की छूट उसके धारक को दे सकेगा।

कार्यालय सहायक आयुक्त (स.आ.), दुर्ग के वर्ष 2013-14 के खुदरा देशी/आई.एम.एफ. एल. दुकानों के आबंटन अभिलेखों की नमूना जांच (अक्टूबर 2015) में देखा गया कि एक अनुज्ञापतिधारी को देशी/विदेशी मदिरा विक्रय करने हेतु एक समूह का आबंटन किया गया। दुकानों के समूह का वार्षिक राजस्व ₹ 12.34 करोड़³ था। प्रकरण के अग्रतर जांच में हमने देखा कि अनुज्ञापतिधारी द्वारा दुकानों को दो माह संचालन करने के उपरांत कलेक्टर को दुकानों के संचालन करने में असमर्थता के कारण लायसेंस अभ्यर्पण करने हेतु आवेदन (मई 2013) दिया गया। जबकि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कलेक्टर को प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जाना चाहिए था, परंतु कलेक्टर द्वारा प्रकरण आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये बगैर, दुकानों के संचालन अवधि अप्रैल 2013 से माह जून 2013 के शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 3.26

² (40,367.214 प्रु.ली.-12,022.335 प्रु.ली.)= 28,344.879 प्रु.ली. * ₹ 100 प्रति प्रु.ली.

³ लायसेंस फीस: ₹ 8.02 करोड़ एवं आबकारी शुल्क: ₹ 4.32 करोड़

करोड़ प्राप्त कर अनुज्ञप्ति निरस्त कर दिया गया। तदुपरांत विभाग द्वारा दिनांक 30 जून 2013 से 15 सितम्बर 2013 तक दुकानों का संचालन किया एवं उसके बाद की अवधि नये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन करते हुए वसूलनीय शेष राशि ₹ 9.08 करोड़ के विरुद्ध मात्र ₹ 8.59 करोड़ ही प्राप्त कर सका। कम प्राप्त आबकारी शुल्क एवं लायसेंस फीस की राशि ₹ 49.03 लाख⁴ पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से वसूलनीय थी। परंतु पूर्व अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अंतर की राशि आज पर्यन्त तक जमा नहीं किया गया। अतः कलेक्टर द्वारा प्रकरण को बिना आबकारी आयुक्त को प्रेषित किये स्वयमेव निर्णय लेकर अनुज्ञप्ति निरस्त करना अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत था। साथ ही दो वर्ष समाप्त पश्चात् विभाग द्वारा अंतर की राशि ₹ 49.03 लाख वसूल नहीं कर पाया।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने के बाद शासन ने अपने उत्तर (नवम्बर 2016) में कहा कि पूर्व अनुज्ञप्तिधारी से बकाया वसूली हेतु राजस्व वसूली प्रमाण पत्र (रा.व.प्र.प.) जारी कर दी गई है। परन्तु उत्तर में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन कारणों से कलेक्टर द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अनुज्ञप्ति का निरस्त किया गया।

खण्ड ब: वाहनों पर कर



6.7 कर प्रशासन

वाहनों पर कर की प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- मोटर यान(मो.या.) अधिनियम, 1988;
- केंद्रीय मोटर यान (के.मो.या.) नियम, 1989;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (छ.ग.मो.या.क.) अधिनियम, 1991;
- छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994; एवं
- समय समय पर इन अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत जारी कार्यपालिक आदेशों

परिवहन विभाग प्रमुख सचिव सह परिवहन आयुक्त (प.आ.) के नियंत्रण के अधीन समस्त कार्य करता है, जिसकी सहायता हेतु मुख्यालय में एक अपर परिवहन आयुक्त (अ.प.आ.), एक संयुक्त प.आ., एक सहायक प.आ. एवं एक उपसंचालक, वित्त (उ.सं.वि.) होते हैं। साथ ही प.आ. के प्रशासनिक नियंत्रण में चार क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (क्ष.प.अ.), दो सहायक क्षेत्रिय परिवहन अधिकारी (सहा.क्ष.प.अ.) एवं 16 जिला परिवहन अधिकारी (जि.प.अ.) पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त 15 जांच चौकीयां हैं एवं प्रत्येक जांच चौकी संबंधित क्ष.प.अ./सहा.क्ष.प.अ./जि.प.अ. के पर्यवेक्षी नियंत्रण में होते हैं।

⁴ ₹ 9.08 करोड़ — ₹ 8.59 करोड़

चार्ट 6.3: संगठनात्मक संरचना



6.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

मार्च 2016 की स्थिति में दो वरिष्ठ लेखापरीक्षकों एवं चार कनिष्ठ लेखापरीक्षकों के स्वीकृत पद के विरुद्ध आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में मात्र दो वरिष्ठ लेखापरीक्षक ही कार्यरत थे। वर्ष 2015-16 में विभाग द्वारा 16 कार्यालयों के निरीक्षण किये जाने की योजना बनाई जिसके विरुद्ध सात क्षेत्रीय कार्यालयों का ही निरीक्षण किया गया एवं 126 वाहनों से संबंधित राशि ₹ 74.04 लाख के प्रेक्षण जारी किये गये।

हम अनुशंसा करते हैं कि शासन आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई को सुदृढ़ करें ताकि कर के संग्रहण में त्रुटियों को समय पर खोजने एवं उस पर सुधार को सुनिश्चित किया जा सके।

6.9 लेखापरीक्षा परिणाम


वर्ष 2015-16 में परिवहन विभाग के कुल 21 इकाईयों में से 13 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच में हमने व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं के 53,262 प्रकरणों जिसमें ₹ 49.53 करोड़ सन्नहित थे, को इंगित किया, जो कि तालिका 6.2 में निम्न श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।

तालिका 6.2: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स.क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|------------|---|--------------------|--------------|
| 1. | व्यापार कर की कम प्राप्ति | 722 | 1.40 |
| 2. | वाहनस्वामियों से कर एवं शास्ति की राशि की अप्राप्ति | 10,794 | 41.49 |
| 3. | अन्य अनियमितताएँ | 41,746 | 6.64 |
| योग | | 53,262 | 49.53 |

चार्ट 6.4: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण



वर्ष के दौरान विभाग द्वारा व्यापार कर की कम प्राप्ति, कर एवं शास्ति की अप्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं के 26,202 प्रकरणों, जिसमें ₹ 47.31 करोड़ सन्नहित थे, को स्वीकार करते हुए नौ प्रकरणों में ₹ 1.05 लाख की वसूली की है।

एक प्रकरण जिसमें राशि ₹ 14.01 लाख सम्मिलित है, का आगामी कंडिका में वर्णन किया गया है।

6.10 यात्री एवं मालयानों के वाहनस्वामियों से मोटरयान कर का अनारोपण

जि.प.अ., जांजगीर-चांपा द्वारा 87 मालयानों एवं सात यात्रीयानों से मोटरयान कर प्राप्ति हेतु कार्यवाही करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप कर की राशि ₹ 7.87 लाख अप्राप्त रही। साथ ही इस पर शास्ति ₹ 6.14 लाख भी आरोपणीय थी।

छ.ग.मो.या.क. अधिनियम के धारा 3 अनुसार राज्य में उपयोग में लाए गए या राज्य में उपयोग के लिए प्रत्येक मोटरयान पर कर का उदग्रहण प्रथम अनुसूची के सरल क्रमांक 5 में विनिर्दिष्ट दर से किया जायगा। अधिनियम के धारा 13 (1) अनुसार अगर वाहनस्वामी द्वारा कर का संदाय नहीं किया गया है तो शोध्य कर के संदाय के अतिरिक्त कर की असंदत्त रकम के बारहवें भाग की दर से, किन्तु कर की बकाया तथा असंदत्त रकम से अधिक शास्ति के लिए दायी होगा।

कार्यालय जि.प.अ., जांजगीर-चांपा के 384 यात्रीयानों एवं 1,946 मालयानों का वाहन डाटाबेस की नमूना जाँच (फरवरी 2016) किये जाने पर हमने पाया की 31 मार्च 2016 की स्थिति में 87 मालयानों एवं सात यात्रीयानों से कर की राशि ₹ 7.87 लाख बकाया थी। आगे जाँच में पाया गया कि की इन वाहन स्वामियों द्वारा ऑफ-रोड घोषणा पत्र नहीं दिये हैं। चूंकि कर का संग्रहण एवं बकाया कर का निगरानी विभाग द्वारा मासिक विवरणी के माध्यम से किया जाता है, जि.प.अ. द्वारा बकाया कर की वसूली हेतु मांग जारी किया जाना चाहिए था। परंतु जि.प.अ. द्वारा कर वसूली हेतु कोई मांग जारी नहीं की गई। अतः मोटरयान कर की राशि ₹ 7.87 लाख की प्राप्ति नहीं कि जा सकी। आगे छ.ग.मो.या.क. अधिनियम, 1991 के धारा 13 (1) के अनुसार इस पर शास्ति ₹ 6.14 लाख भी वसूलनीय है।

हमारे द्वारा इंगित (मई 2016) किये जाने पर शासन ने अपने उत्तर (सितम्बर 2016) में कहा की जून 2016 की स्थिति में एक यात्रीयान एवं आठ मालयानों से बकाया कर की राशि ₹ 0.55 लाख एवं शास्ति राशि ₹ 0.50 लाख वसूल कर ली गई है। शेष वाहनों से बकाया वसूली हेतु मांग जारी कर दी गई है एवं संबंधित वाहनस्वामियों को कालीसूची में दर्ज कर दिया गया है।

**सप्तम् अध्याय
कर-भिन्न प्राप्तियां**

सप्तम् अध्यायः कर-भिन्न प्राप्तियाँ

खण्ड अः अलौह धातु एवं खनिकर्म उद्योग




7.1 कर प्रशासन

खनिज प्राप्तियाँ निम्न प्रावधानों के अंतर्गत प्रशासित होती हैं:

- खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) (ख.ख.वि.वि.) अधिनियम, 1957;
- खनिज रियायत नियम (ख.रि.नि.), 1960;
- छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम (छ.ग.गौ.ख.नि.), 1996;
- छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम, 2009; एवं
- छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005

सचिव, खनिज साधन विभाग अपने विभाग में संबंधित अधिनियमों एवं नियमों के प्रशासन एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। आयुक्त सह संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म (सं.भौ.ख.) खनिज साधन विभाग का प्रमुख होता है, जिसकी सहायता हेतु एक अपर संचालक खनिज प्रशासन (अ.सं.ख.प्र.), 26 जिला खनिज अधिकारी (जि.ख.अ.), 19 सहायक खनिज अधिकारी (स.ख.अ.) एवं 65 खनिज निरीक्षक (ख.नि.) होते हैं।

चार्ट 7.1: संगठनात्मक संरचना



7.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है एवं उसे समस्त नियंत्रकों का नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को आश्वासीत करता है कि निर्धारित प्रणालियाँ सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं।

एक आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) सं.भौ.ख. के नियंत्रण में कार्य करती है। इस ईकाई का मुखिया संयुक्त संचालक (वित्त) होता है। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल स्वीकृत तीन लेखापरीक्षकों के विरुद्ध एक लेखापरीक्षक पदस्थ थे। वर्ष 2015-16 के दौरान 16 ईकाईयों को निरीक्षण हेतु चयन किया गया था, जिसमें से समस्त 16 ईकाईयों का निरीक्षण किया गया। परंतु आं.ले.ई. द्वारा जारी किये गये निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं प्रेक्षणों का अनुपालन के संबंध में कोई भी जानकारी प्रदाय नहीं की गई।

7.3 लेखापरीक्षा परिणाम


वर्ष 2015-16 में हमने खनिज साधन विभाग के कुल 18 खनिज कार्यालयों में से सात¹ कार्यालयों, के अभिलेखों की नमूना जांच की गई, जिसमें राज्यांश एवं ब्याज का अवनिर्धारण, मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/प्राप्ति, अनिवार्य भटक एवं ब्याज का कम आरोपण/अनारोपण एवं अन्य अनियमितताओं के 822 प्रकरणों जिसमें राशि ₹ 33.38 करोड़ सन्निहित थी को विभाग के संज्ञान में लाया गया, जिसका श्रेणीवार विवरण तालिका 7.1 में वर्णित है:

तालिका 7.1: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|---------|---|--------------------|-------|
| 1. | राज्यांश/ब्याज का अवनिर्धारण | 18 | 26.03 |
| 2. | मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण | 3 | 0.08 |
| 3. | अनिवार्य भटक एवं ब्याज का कम आरोपण | 13 | 0.14 |
| 4. | अधोसंरचना एवं पर्यावरण उपकरण की अप्राप्ति | 3 | 0.31 |
| 5. | अन्य अनियमितताएँ | 785 | 6.82 |
| योग | | 822 | 33.38 |

¹ जि.ख.अ., जांजगीर-चांपा; जि.ख.अ., कवर्धा; उ.सं.ख.प्र., कोरबा; जि.ख.अ., कोरिया; जि.ख.अ., महासमुंद; उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ एवं जि.ख.अ., राजनांदगांव



वर्ष 2015-16 के दौरान विभाग द्वारा अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों के 504 प्रकरणों, जिसमें ₹ 15.42 करोड़ सन्नहित थे को स्वीकार किया है।

कुछ महत्वपूर्ण प्रकरणों जिसमें ₹ 14.93 करोड़ सम्मिलित है, का उल्लेख आगामी कंठिकाओं में किया गया है।

7.4 कोयले की दर का गलत अनुप्रयोग करने के कारण राज्यांश की कम प्राप्ति

राज्यांश की गणना "पावर युटीलिटी से भिन्न क्षेत्र" के दर से न कर "पावर युटीलिटी" दर से की गई जिसके फलस्वरूप ₹ 14.14 करोड़ राज्यांश की कम प्राप्ति हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 9(1) के अनुसार प्रत्येक खनिपट्टाधारक को अपने लीज क्षेत्र से हटाये/उपभोग किये गये खनिजों पर अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट दर अनुसार राज्यांश का भुगतान किये जाने हेतु दायी होगा। मई 2012 के अधिसूचना अनुसार कोयले पर राज्यांश की दर, कोयला से भिन्न क्षेत्र, भारत सरकार द्वारा जारी "पावर युटीलिटी" एवं "पावर युटीलिटी से भिन्न क्षेत्र" हेतु घोषित कोयले की दरों, जैसा उचित हो का 14 प्रतिशत होगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार के ऊर्जा सांख्यिकी के 2015-16 के प्रकाशन में नान युटीलिटी को उन स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादक के रूप में परिभाषित किया गया है, जो लोक पूर्ति हेतु नहीं हैं परन्तु जो सामान्य ऊर्जा उत्पादन करने एवं उसका विक्रय उपभोक्ता को करने हेतु समस्त सुविधा रखती है।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के सात खनिपट्टों में से तीन खनिपट्टों के मासिक उत्पादन एवं प्रेषणों की विवरणी के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) में पाया गया कि एक खनिपट्टाधारक मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड (जेएसपीएल), रायगढ़ द्वारा वॉशरी प्लांट में रन-आफ-माईन² कोयला प्रदान किया गया एवं 1.17 करोड़ मैट्रिक टन कोयला मिडलिंग का प्रेषण किया (माह मई 2012 एवं मार्च 2015 के मध्य)। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के कोयला आंबटन पत्र (जनवरी 2006); पर्यावरण एवं

² रन-आफ-माईन कोयला से आशय वह कोयला है जो खान से सभी आकार में बिना क्रशिंग और स्क्रीनिंग किये बाहर आता है।

वन मंत्रालय, भारत सरकार के पर्यावरण मंजूरी पत्र (फरवरी 2014) एवं खनिपट्टाधारक के वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार यह समझा जा सकता है कि कोयला का उपभोग स्पंज आयरन के उत्पादन एवं कैस्टिव पावर उत्पादन हेतु किया जाना था।

मिडलिंग पर राज्यांश की गणना "पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्रों" में विनिर्दिष्ट दर अनुसार किया जाना चाहिए था क्योंकि ऊर्जा का उपभोग स्पंज आयरन के उत्पादन हेतु किया गया था। परंतु उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश का निर्धारण "पावर यूटीलिटी" के दर अनुसार किया गया। अतः राज्यांश की गणना "पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्र" के न्यूनतम दर (जी-17 ग्रेड) करने पर राज्यांश की राशि ₹ 85.46 करोड़ खनिपट्टाधारक से वसूलनीय थी। इसके विरुद्ध उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश की गणना "पावर यूटीलिटी क्षेत्र" के दर से करते हुए ₹ 71.33 करोड़ राज्यांश वसूला। अतः राज्यांश की गणना "पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्र" की दर से न कर "पावर यूटीलिटी" के दर से किये जाने के कारण राज्यांश राशि ₹ 14.14 करोड़ की कम प्राप्ति हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 7.1 में दर्शाया गया है।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि खनिपट्टाधारक से "पावर यूटीलिटी से भिन्न क्षेत्र" हेतु दर से राज्यांश की मांग कर दी गई है।

7.5 कोयले पर राज्यांश के गलत दर के आरोपण से राज्यांश की कम वसूली

कोयले पर राज्यांश का गणना नवीन ग्रेडिंग के अनुरूप दरों पर न किये जाने के कारण राज्यांश की राशि ₹ 27.29 लाख एवं ब्याज की राशि ₹ 25.31 लाख की कम वसूली हुई।

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के धारा 9(2) अनुसार खनिपट्टाधारक द्वारा स्वयं या उसके अभिकर्ता, प्रबंधक, कर्मचारी, ठेकेदार या उप-खनिपट्टेदार द्वारा लीज क्षेत्र से हटाये गये या उपभोग किये गये खनिजों पर राज्यांश का भुगतान अनुसूची दो में विनिर्दिष्ट दर अनुसार करेगा। खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 64 अ अनुसार अगर पट्टाधारक नियत दिनांक तक भुगतान करने में विफल रहता है तो, नियत दिनांक से 60 वें दिन के पश्चात् से भुगतान दिनांक तक 24 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान हेतु दायी होगा। कोयला नियंत्रक, भारत सरकार द्वारा जनवरी 2012 के अधिसूचना अनुसार राज्यांश का दर कोयले के सकल कैलोरिफिक मान (जी.सी.व्ही.) के अनुसार स्थायी भाग एवं दर अनुसार भाग का योग होगा। 5200-5500 जी.सी.व्ही. का स्थायी भाग का दर ₹ 90 प्रति मैट्रिक टन था।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ के सात खनिपट्टों में से तीन खनिपट्टों के मासिक उत्पादन एवं प्रेषण विवरणी के नमूना जाँच (नवम्बर 2015) में पाया गया कि एक खनिपट्टाधारक मेसर्स मोनेट इस्पात द्वारा जनवरी 2012 एवं मई 2012 के मध्य 1.36 लाख मैट्रिक टन जी-7 कोयला का प्रेषण किया गया। जी-7 ग्रेड कोयला का राज्यांश दर ₹ 176 प्रति मैट्रिक टन था, जबकि उ.सं.ख.प्र. द्वारा राज्यांश के दर का निर्धारण नीचे तालिका में वर्णित किया गया है:

तालिका 7.2: राज्यांश की गणना

| यू.एच.व्ही. | जी.सी.व्ही. | ग्रेड | अवधि के दौरान पीट हेड आर.ओ. एम. दर (प्रति टन) | अनुमत्य दर | | | उ.सं.ख.प्र., रायगढ़ द्वारा अनुप्रयोग दर | | |
|-------------|-------------|-------|---|------------|----------------------|-------------|---|-------------------------|----------------|
| | | | | स्थायी भाग | अस्थायी भाग का दर | राज्यांश दर | स्थायी भाग | अस्थायी भाग का दर | राज्यांश दर |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4) का 5 प्रतिशत | (7)=(5)+(6) | (8) | (9)=(4) का पांच प्रतिशत | (10)=(8) + (9) |
| 4940-5600 | 5200-5500 | जौ-7 | ₹ 1720 | ₹ 90 | ₹ 86 | ₹ 176 | ₹ 70 | ₹ 86 | ₹ 156 |

अतः राज्यांश की राशि ₹ 27.29 लाख का कम आरोपण हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट 7.2** में वर्णित है। आगे ख.रि.नि., 1960 के प्रावधानुसार खनिपट्टाधारक से ब्याज की राशि ₹ 25.31 लाख भी वसूलनीय थी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि खनिपट्टाधारक से राशि की मांग जारी कर दी गई है।

7.6 उत्खनिपट्टाधारकों से पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर की राशि की अवसूली

उत्खनिपट्टाधारकों से पर्यावरण एवं अधोसंरचना उपकर की राशि ₹ 11.12 लाख की अवसूली।

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर नियम, 2005 के अनुसूची I एवं II के अनुसार विकास एवं पर्यावरण उपकर का भुगतान निम्नानुसार किया जायगा:

(अ) ऐसे भूमि जो लौह एवं कोयले खनिपट्टे के वार्षिक प्रेषण पर ₹ पाँच प्रति टन।

(ब) (अ) को छोड़कर खनिपट्टे पर वार्षिक राज्यांश का पाँच प्रतिशत।

छ.ग.गौ.ख. नियम, 1996 के नियम 2(पच्चीस) के अनुसार उत्खनिपट्टा का अर्थ खनिपट्टा है जो ख.ख.वि.वि., 1957 के धारा 15 में वर्णित है। अतः गौण खनिज भी इस प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित होंगे तथा अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर की राशि (ब) में विनिर्दिष्ट दर अनुसार वसूलनीय होगा। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन (रा.आ.प्र.) विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने अपने आदेश (फरवरी 2016) में स्पष्ट किया है कि गौण खनिज भी इस प्रावधान के अंतर्गत शामिल होंगे एवं उत्खनिपट्टों पर विकास एवं पर्यावरण उपकर देय होगा।

कार्यालय उ.सं.ख.प्र., कोरबा के उत्खनिपट्टों के राज्यांश, अनिवार्य भाटक एवं सतह रेंट संबंधी वार्षिक विवरण के नमूना जाँच (मार्च 2016) में हमने पाया कि वर्ष 2014-15 में विभाग द्वारा गौण खनिजों पर ₹ 1.11 करोड़ राज्यांश संग्रह किया। छ.ग.गौ.ख.नि., 1996 के उत्खनिपट्टा के परिभाषा अनुसार प्रत्येक पर वार्षिक राज्यांश का पाँच प्रतिशत की दर से विकास एवं पर्यावरण उपकर वसूलनीय है। परंतु विभाग द्वारा कोई भी राशि वसूल नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप उपकर की राशि ₹ 11.12 लाख की प्राप्ति नहीं हो सकी।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि चूँकि उपकर रा.आ.प्र. विभाग के आदेश से आरोपित की गई थी, अतः उपकर का वसूली भी संबंधित विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राजस्व संग्रहण विभाग को उपकर वसूल की जानी चाहिए, जैसा कि शिक्षा उपकर के संग्रहण की जिम्मेदारी आयकर विभाग को होती है। अतः उपकर के संग्रहण की जिम्मेदारी खनिज विभाग की ही होगी।

7.7 पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास उपकर के विलंबित भुगतान पर पट्टेदार को अनुचित लाभ

खनिपट्टाधारक द्वारा पर्यावरण एवं अधोसंरचना विकास उपकर की राशि को प्रत्येक तिमाही में भुगतान न कर पूरे वर्ष का एकमुश्त भुगतान किया गया, परिणामस्वरूप पट्टाधारक को ₹ 14.78 लाख का अनुचित लाभ प्रदान किया गया।

छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण उपकर नियम, 2005 के नियम 5 अनुसार पर्यावरण एवं विकास का भुगतान चार सामान किस्तों में प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन में किया जावेगा। आगे नियम 6(1) अनुसार भुगतान न करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा खनिपट्टाधारक को 15 दिनों की युक्तियुक्त अवसर देने की सूचना के बाद उपकर के तीन गुना तक शास्ति आरोपित कर सकेगा।

जि.ख.अ., राजनांदगांव के अभिलेखों की जांच (जनवरी 2016) में हमने पाया कि मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, रायपुर द्वारा वर्ष 2014-15 में 1.41 लाख मैट्रिक टन लौह अयस्क का प्रेषण किया गया। पट्टेदार द्वारा चारों तिमाही का एक मुश्त पर्यावरण एवं विकास उपकर की राशि ₹ 14.09 लाख का भुगतान वर्ष के अंत (अप्रैल 2015) में किया गया। अतः 49,256.31 मै.टन³ लौह अयस्क का प्रेषण अप्रैल 2014 एवं दिसम्बर 2014 के मध्य किया गया, जिसके लिए पट्टेदार द्वारा प्रथम तीन तिमाही के अंतिम दिन में भुगतान नहीं किया गया। उपरोक्त नियम के प्रावधानों अनुसार जि.ख.अ. को पट्टेदार को युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन का सूचना दिया जाकर अवधि अप्रैल 2014 से दिसम्बर 2014 के मध्य का उपकर के विलंब भुगतान पर शास्ति राशि ₹ 14.78 लाख⁴ आरोपण किया जाना चाहिए था। परंतु जि.ख.अ. द्वारा तथ्य को अनदेखा कर बिना शास्ति आरोपित कर समस्त तिमाहियों का एकमुश्त उपकर भुगतान (अप्रैल 2015) को मान्य किया गया।

बहिर्गमन सम्मेलन के दौरान शासन ने अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में कहा कि नियमानुसार उपकर की परिगणना अनुसूची II में विनिर्दिष्ट दर पर वार्षिक प्रेषण पर किया जाना है, जबकि नियम 5 अनुसार उपकर का संदाय प्रति तिमाही किया जाना है। अतः वार्षिक प्रेषण का अग्रिम में निश्चित कर उस पर उपकर संदाय किया जाना संभव नहीं है। आगे नियम में विनिर्दिष्ट है कि शास्ति की राशि का संदाय युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए 15 दिन की सूचना दी जानी चाहिए।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उ.सं.ख.प्र. द्वारा प्रेषण के आधार पर उपकर वसूलने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जानी थी। आगे, समय अनुसार उपकर की वसूली हेतु मांग जारी कर कार्यवाही विभाग को की जानी थी। दोनों नियमों में असामंजस्य हेतु उच्च प्राधिकारी के ध्यान में लाई जा सकती है और दोनों नियमों में सुधार किया जा सकता है ताकि नियम विरोधाभासी न हो।

³ 1,40,924.32 मै.टन – 91,668.01 मै.टन (जनवरी 2015 से मार्च 2015) जिसके लिए समय पर उपकर का भुगतान किया गया

⁴ विकास उपकर– 49,256.31 मै.टन * ₹ 5 * तीन गुना एवं पर्यावरण उपकर– 49,256.31 मै.टन * ₹ 5 * तीन गुना = ₹ 14,71,690

खण्ड ब: वानिकी एवं वन्य जीवन (प्राप्तियाँ)



7.8 कर प्रशासन

वन विभाग द्वारा प्राप्तियों का प्रशासन निम्न प्रावधानों के अनुरूप होता है:

- भारतीय वन अधिनियम, 1927 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1960 एवं उनके अंतर्गत निर्मित नियम;
- वन वित्तीय नियम;
- राष्ट्रीय कार्य आयोजना संहिता 2004; एवं
- समय समय पर जारी विभागीय निर्देशों, कार्यपालिक आदेश, परिपत्र इत्यादि

वन विभाग प्रमुख सचिव (वन) के अंतर्गत कार्य करती है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्र.मु.व.सं.) वन विभाग का मुखिया होता है, जिसकी सहायता हेतु आठ अपर प्र.मु.व.सं. (अ.प्र.मु.व.सं.) एवं 16 मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) मुख्यालय में होते हैं। राज्य में वन क्षेत्र छह वृत्तों में विभाजित किये गये हैं, जिनके प्रमुख वन संरक्षक होते हैं। ये वृत्त वनमंडलों में विभाजित हैं, जिनके प्रशासक वनमंडलाधिकारी (व.म.अ.) होते हैं, जिनकी सहायता हेतु उपवनमंडलाधिकारी (उ.व.म.अ.) एवं परिक्षेत्र अधिकारी (प.अ.) होते हैं।

चार्ट 7.3: संगठनात्मक संरचना



7.9 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि संगठन को यह आश्वस्त करता है कि निर्धारित प्रणालीयां उचित रूप से कार्य कर रही है।

एक आंतरिक लेखापरीक्षा ईकाई (आं.ले.ई.) लेखा अधिकारी के नेतृत्व में कार्य करती है, जिसकी सहायता हेतु पाँच लेखापरीक्षक होते हैं। 31 मार्च 2016 की स्थिति में कुल पाँच स्वीकृत लेखापरीक्षक पदों के विरुद्ध तीन लेखापरीक्षक कार्यरत थे। वर्ष 2015-16 में ईकाई द्वारा 17 कार्यालयों का लेखापरीक्षा हेतु योजना बनाई गई, जिसमें से सभी 17 कार्यालयों का लेखापरीक्षा संपन्न करते हुए राशि ₹ 4.95 लाख के 47 प्रेक्षणों उठाये गये। सभी लेखापरीक्षा किये गये कार्यालयों के निरीक्षण प्रतिवेदन जारी कर दिये गये हैं, परंतु लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर एक भी पालन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए है। यह अधिनस्थ कार्यालयों का आंतरिक लेखापरीक्षा के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है।

7.10 लेखापरीक्षा परिणाम

वर्ष 2015-16 के दौरान हमने कुल 60 कार्यालयों में से छः⁵ कार्यालयों के लेखाकनों की नमूना जांच की जिसमें वनोपज के अवरोध मूल्य से कम दर पर विक्रय करने पर राजस्व की कम प्राप्ति, वनोपज के हास/कमी से राजस्व की कम प्राप्ति/अप्राप्ति, काष्ठ का कम उत्पादन इत्यादि के 163 प्रकरणों, जिसमें राशि ₹ 77.80 लाख सन्निहित थे, को इंगित किया है, जो कि तालिका 7.3 में वर्णित निम्न श्रेणियों में वर्णित किया गया है:


तालिका 7.3: लेखापरीक्षा परिणाम

(₹ करोड़ में)

| स. क्र. | श्रेणी | प्रकरणों की संख्या | राशि |
|------------|---|--------------------|-------------|
| 1. | वनोपज के अवरोध मूल्य से कम दर पर विक्रय करने पर राजस्व की कम प्राप्ति | 136 | 0.61 |
| 2. | वनोपज के हास/कमी से राजस्व की कम प्राप्ति/अप्राप्ति | 6 | 0.03 |
| 3. | काष्ठ का कम उत्पादन से राजस्व की हानी | 16 | 0.09 |
| 4. | अन्य अनियमितताएँ | 5 | 0.05 |
| योग | | 163 | 0.78 |

⁵ व.म.अ., बस्तर; व.म.अ., धमतरी; व.म.अ., कटघोरा; व.म.अ., कोण्डागांव (दक्षिण); व.म.अ., मरवाही एवं व.म.अ., राजनांदगांव

चार्ट 7.4: श्रेणीवार कंडिकाओं का वर्गीकरण



वर्ष के दौरान, विभाग ने 24 प्रकरणों, जिसमें ₹ 16.15 लाख सन्निहित है को स्वीकार किया है।

एक प्रकरण जिसमें ₹ 33.74 लाख की राशि सन्निहित है, का आगामी कंडिका में वर्णन किया गया है।

7.11 वनोपज का विक्रय निस्तार दर से भी कम दर में किया जाना

नीलामी में जलाऊ चट्टों एवं बल्लियों का विक्रय निस्तार दर से भी कम दर पर किया गया। परिणामस्वरूप ₹ 33.74 लाख की राजस्व हानि हुई।

प्रत्येक वनमंडल द्वारा प्रति कैलेण्डर वर्ष⁶ में जलाऊ चट्टा एवं बल्लियों का बाजार मूल्य निस्तार पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। निस्तार दर वनोपज (बांस/बल्ली/जलाऊ चट्टा) के न्यूनतम एवं रियायती दर होते हैं। वन क्षेत्रों के पांच किलोमीटर की परिधि में निवासरत ग्रामीण ही जलाऊ चट्टों का क्रय निस्तार/उपभोक्ता डिपो से कर सकते हैं। निस्तार दर, वनोपज के वाणिज्यिक मूल्य⁷ में से विदोहन, संग्रहण, काष्ठागार आदि में हुए व्यय को घटाकर निकाला जाता है। जबकि अवरोध मूल्य⁸ वनोपज का वह न्यूनतम दर है जिस पर नीलामी में बोली शुरूआत होती है। अवरोध मूल्य, मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) द्वारा पिछले छह माहों के नीलामी द्वारा प्राप्त औसत विक्रय मूल्य के साथ परिवहन आदि पर व्यय उवं लाभ सीमा रखकर तय किया जाता है। अतः अवरोध मूल्य किसी भी परिस्थिति में निस्तार मूल्य, जिसमें कि लाभ सीमा सम्मिलित नहीं होती है से कम नहीं होता है।

7.11.1 नीलामों में जलाऊ चट्टों का विक्रय निस्तार मूल्य से भी कम दर पर किया जाना।

दो वनमण्डलाधिकारियों के नीलामों के परिणाम पत्रकों⁹ के जाँच में हमने देखा की नीलामों में जलाऊ चट्टों का विक्रय निस्तार काष्ठागार में विक्रय दर से भी कम दरों में किया गया। यह जलाऊ चट्टे नीलाम में प्रथम बार रखे जाने के छः माह के भीतर ही

⁶ व.म.अ., धमतरी के कैलेण्डर वर्ष 2012, 2013 एवं 2014 के जलाऊ चट्टा के निस्तार दर क्रमशः ₹ 1,999, ₹ 2000 एवं ₹ 2150 एवं व.म.अ., कटघोरा के कैलेण्डर वर्ष 2014 एवं 2015 हेतु निस्तार दर क्रमशः ₹ 1,991 एवं ₹ 2,071 प्रति जलाऊ चट्टा थे।

⁷ वाणिज्यिक मूल्य वनोपज का वह मूल्य होता है जो बाजार में विक्रय से प्राप्त होता है।

⁸ अवरोध मूल्य प्रत्येक वनोपज का आरक्षित मूल्य है, जो कि मुख्य वन संरक्षक (मु.व.सं.) द्वारा तय किया जाता है एवं प्रथम नीलामी में उससे नीचे दर में विक्रय नहीं किया जा सकता है।

⁹ वनमण्डल के परिणाम पत्रक में नीलामियों में लाट वार प्राप्त विक्रय मूल्य का गोशवारा होता है।

एक से पांच बार नीलाम में रखे गये तथा निस्तार दरों से कम दरों पर विक्रय किए गये जिसका विवरण तालिका 7.4 में दिया गया है:

तालिका 7.4: नीलामीयों में जलाऊ चट्टों के विक्रय पर राजस्व की हानि का विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | वनमण्डल का नाम/लेखापरीक्षा का माह | नीलामी की अवधि | जलाऊ चट्टों (नगों में) | नीलामी की संख्या | निस्तार दर अनुसार जलाऊ चट्टों का मूल्य | नीलामियों में प्राप्त विक्रय मूल्य | राजस्व की हानि |
|---------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|--|------------------------------------|----------------|
| 1. | धमतरी (जनवरी 2016) | मई 2013 से सितम्बर 2013 | 6,358 | 9 | 130.97 | 117.84 | 13.13 |
| 2. | कटघोरा (मार्च 2016) | जून 2014 से सितम्बर 2015 | 4,217.50 | 6 | 86.86 | 73.64 | 13.22 |
| | योग | | 10,575.50 | 15 | 217.83 | 191.48 | 26.35 |

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 15 नीलामों में 10,575.5 नग जलाऊ चट्टों का विक्रय ₹ 1.91 करोड़ में किया गया। निस्तार दर के आधार पर इन जलाऊ चट्टों का मूल्य ₹ 2.18 करोड़ था। चूंकि इन जलाऊ चट्टों का प्रथम एवं उसके बाद के नीलामी में बोली नहीं लगने पर, विभाग को इसका निवर्तन निस्तार/उपभोक्ता काष्ठागार से किया जाना चाहिए था। अतः प्रथम नीलामी में रखे जाने के बाद छह माह में इन जलाऊ चट्टों का निवर्तन निस्तार/उपभोक्ता डिपों के माध्यम से न कर सिधे विक्रय किये जाने से राजस्व ₹ 26.35 लाख की हानि हुई।

हमारे द्वारा इंगित किये जाने पर व.म.अ., धमतरी ने अपने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि मार्च 2005 के विभागीय निर्देशों के अनुसार जलाऊ चट्टों का विक्रय अवरोध मूल्य से कम मूल्य पर किया गया एवं राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है। व.म.अ., कटघोरा ने उत्तर (मार्च 2016) में कहा कि जलाऊ चट्टों को नीलामी में वनसंरक्षक के अनुमोदन पश्चात् रख गया था। प्रथम एवं द्वितीय नीलामी में जलाऊ चट्टों का विक्रय मूल्य आशा अनुरूप नहीं रहा। तदनुसार जलाऊ चट्टों का विक्रय नीलामी के माध्यम से विभागीय निर्देशों (मार्च 2005) के अनुसार किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नीलामी में विक्रय का उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त करना एवं अधिकतम राजस्व प्राप्ति करना होता है एवं यह भी देखा गया है कि प्रथम नीलामी में सीधे विक्रय का मूल्य भी कम था। अगर नीलामों में प्राप्त मूल्य कम थे, तो चट्टों का विक्रय नीलामी द्वारा न कर उपभोक्ता काष्ठागारों के माध्यम से किया जाना चाहिए था। जबकि नीलामियों में प्राप्त मूल्य कम थे तब भी चट्टों का निवर्तन सीधे विक्रय न किये जाने से शासन को ₹ 26.35 लाख की राजस्व हानि हुई।

प्रकरण शासन के अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) किया गया एवं उनका उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

7.11.2 अवरोध मूल्य का निर्धारण एवं बल्लियों का विक्रय निस्तार दर से भी कम दर पर किया जाना

व.म.अ., धमतरी कार्यालय के नीलामी के परिणाम पत्रक की जाँच (जनवरी 2016) में हमने देखा की मई 2013 एवं जनवरी 2015 के मध्य नगरी काष्ठागार ने 117 प्रचयों जिसमें 11,702 नग बल्लियों के विक्रय हेतु सात नीलामों¹⁰ में रखा गया। इन प्रचयों का

¹⁰ 15-05-2013; 16-08-2013; 12-06-2014; 10-07-2014; 10-09-2014; 13-11-2014 एवं 12-01-2015

निस्तार मूल्य ₹ 24.40 लाख एवं अवरोध मूल्य ₹ 15.23 लाख थी, जो कि निस्तार मूल्य से ₹ 9.17 लाख कम था। इन बल्लियों से ₹ 17.01 लाख विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अतः बल्लियों के अवरोध मूल्य, उनके निस्तार मूल्य से कम तय किये जाने से, राजस्व राशि ₹ 7.39 लाख की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर, व.म.अ. ने उत्तर (जनवरी 2016) में कहा कि अवरोध मूल्य का निर्धारण पूर्व के छह माहों के औसत विक्रय मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जबकि निस्तार दरों का निर्धारण मुख्य वन संरक्षक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में एक बार किया जाता है। यद्यपि दोनो दरों में अंतर है, लेकिन इससे शासन को कोई हानि नहीं हुई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अवरोध मूल्य का निर्धारण एवं विक्रय निस्तार दरों, जो कि सबसे न्यूनतम दर है से भी कम दरों में किया गया। यह विभाग के अवरोध मूल्य को निस्तार मूल्य तक तय करने में विफलता को परिलक्षित करता है। नीलामी का उद्देश्य विक्रय द्वारा अधिकतम राजस्व प्राप्त करना होता है एवं नीलामों में विक्रय मूल्य वनोपज के निस्तार मूल्य से कम नहीं होना चाहिए।

प्रकरण शासन के अभिमत हेतु सूचित (मई 2016) की गई थी एवं उत्तर अपेक्षित है (नवम्बर 2016)।

रायपुर
दिनांक 2 फरवरी 2017

बि. के. मोहन्ती

(बिजय कुमार मोहन्ती)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 7 फरवरी 2017

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ कंडिका 1.8)

| स.क्र. | विभाग का नाम | इकाई का नाम | श्रेणी |
|--------|--------------|---|--------|
| 1. | वाणिज्यिक कर | स.आ. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली), रायपुर | A |
| 2. | | स.आ., संभाग-I, रायपुर (श्रीमती लता त्यागी) | A |
| 3. | | स.आ., संभाग-II, रायपुर | A |
| 4. | | स.आ., संभाग-II, रायपुर (श्री गोपाल वर्मा) | A |
| 5. | | स.आ., जगदलपुर | A |
| 6. | | स.आ., कोरबा | A |
| 7. | | स.आ., रायगढ़ | A |
| 8. | | स.आ., राजनांदगाँव | A |
| 9. | | स.आ.-II, संभाग-I, बिलासपुर | A |
| 10. | | स.आ.-II, दुर्ग | A |
| 11. | | स.आ.-III, दुर्ग | A |
| 12. | | वा.क.अ., धमतरी | A |
| 13. | | वा.क.अ.-I, बिलासपुर | A |
| 14. | | वा.क.अ.-I, जगदलपुर | A |
| 15. | | वा.क.अ.-I, रायगढ़ | A |
| 16. | | वा.क.अ.-I, रायपुर | A |
| 17. | | वा.क.अ.-II, बिलासपुर | A |
| 18. | | वा.क.अ.-II, दुर्ग | A |
| 19. | | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | A |
| 20. | | वा.क.अ.-II, रायपुर | A |
| 21. | | वा.क.अ.-III, बिलासपुर | A |
| 22. | | वा.क.अ.-III, दुर्ग | A |
| 23. | | वा.क.अ.-III, रायपुर | A |
| 24. | | वा.क.अ.-IV, दुर्ग | A |
| 25. | | वा.क.अ.-IV, रायपुर | A |
| 26. | | वा.क.अ.-V, रायपुर | A |
| 27. | | वा.क.अ.-VI, रायपुर | A |
| 28. | | वा.क.अ.-VII, रायपुर | A |
| 29. | | वा.क.अ.-VIII, रायपुर | A |
| 30. | | वा.क.अ.-IX, रायपुर | A |
| 31. | | उ.आ. (श्रीमती निलिमा तिग्गा), रायपुर | A |
| 32. | | उ.आ., संभाग-I, बिलासपुर | A |
| 33. | | उ.आ., संभाग-I, रायपुर | A |
| 34. | | उ.आ., संभाग-II, रायपुर | A |
| 35. | | उ.आ., दुर्ग | A |

31 मार्च को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---|
| 36. | वाणिज्यिक कर (आबकारी) | स.आ., बिलासपुर | A |
| 37. | | स.आ., दुर्ग | A |
| 38. | | स.आ., मुंगेली | T |
| 39. | | स.आ., रायपुर | A |
| 40. | | जि.आ.अ., बलौदा बाजार | T |
| 41. | | जि.आ.अ., धमतरी | A |
| 42. | वाणिज्यिक कर (पंजीकरण) | उ.पं., अम्बिकापुर | B |
| 43. | | उ.पं., बलौदा बाजार | B |
| 44. | | उ.पं., धमतरी | B |
| 45. | | उ.पं., जगदलपुर | B |
| 46. | | उ.पं., जाँजगीर-चाँपा | B |
| 47. | | उ.पं., नवागढ़ | B |
| 48. | | उ.पं., रायपुर | A |
| 49. | | उ.पं., राजनांदगाँव | B |
| 50. | | उ.पं., तखतपुर | B |
| 51. | ऊर्जा | मु.वि.नि., रायपुर | A |
| 52. | वन | व.म.अ., धमतरी | A |
| 53. | | व.म.अ., जगदलपुर | A |
| 54. | | व.म.अ., कटघोरा | A |
| 55. | | व.म.अ., मरवाही | A |
| 56. | | व.म.अ., राजनांदगाँव | A |
| 57. | | व.म.अ., कोन्डागाँव (दक्षिण) | A |
| 58. | राजस्व एवं आपदा प्रबंधन | कलेक्टर, दुर्ग | B |
| 59. | | कलेक्टर, कोरिया | B |
| 60. | | कलेक्टर, महासमुंद | B |
| 61. | | कलेक्टर, मुंगेली | T |
| 62. | | तहसीलदार, दुर्ग | B |
| 63. | | तहसीलदार, कोरिया | B |
| 64. | | तहसीलदार, महासमुंद | B |
| 65. | | तहसीलदार, पन्डरिया | T |
| 66. | तहसीलदार, तिल्दा | T | |
| 67. | खनिज साधन | जि.ख.अ., जाँजगीर | A |
| 68. | | जि.ख.अ., कबीरधाम | B |
| 69. | | जि.ख.अ., कोरिया | B |
| 70. | | जि.ख.अ., रायगढ़ | A |
| 71. | | जि.ख.अ., रायपुर | A |
| 72. | | जि.ख.अ., राजनांदगाँव | A |
| 73. | | जि.ख.अ., महासमुंद | B |
| 74. | परिवहन | सहा.क्षे.प.अ., दुर्ग | A |
| 75. | | सहा.क्षे.प.अ., राजनांदगाँव | A |
| 76. | | जि.प.अ., जाँजगीर-चाँपा | B |

| | | | |
|-----|--|-----------------------|---|
| 77. | | जि.प.अ., जशपुर | B |
| 78. | | जि.प.अ., कांकेर | B |
| 79. | | जि.प.अ., कोरबा | A |
| 80. | | जि.प.अ., महासमुंद | B |
| 81. | | जि.प.अ., रायगढ़ | A |
| 82. | | क्षे.प.अ., अम्बिकापुर | A |
| 83. | | क्षे.प.अ., बिलासपुर | A |
| 84. | | क्षे.प.अ., जगदलपुर | A |
| 85. | | क्षे.प.अ., रायपुर | A |
| 86. | | प.आ., रायपुर | B |

A- वार्षिक; B- द्विवार्षिक एवं T- त्रिवार्षिक

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ कांडिका 2.14)

| स. क्र. | उद्योग का नाम | ईएम पार्ट-I प्रस्तुत करने का दिनांक | ईएम पार्ट-II प्रस्तुत करने का दिनांक | ब्याज अनुदान की राशि (₹ लाख में) | स्थाई पूंजी निवेश अनुदान की राशि (₹ लाख में) |
|------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 1. | अरविन्द इनारगेनिकस प्रायव्हेट लिमिटेड | 11.04.08 | 10.06.10 | 49.86 | |
| 2. | एक्वा फ्रेस प्रोडक्शन | 06.03.09 | 01.06.11 | 1.73 | |
| 3. | बोधीसत्व इंडस्ट्रीज | 02.03.05 | 01.07.10 | 5.10 | |
| 4. | राजहंस इंडस्ट्रीज | 08.09.08 | 06.12.10 | 7.02 | |
| 5. | निशांत उद्योग | 24.01.09 | 06.07.11 | 15.31 | |
| 6. | जगन्नाथ हर्बल एण्ड फुड्स | 13.09.07 | 15.11.09 | 16.59 | 30.00 |
| 7. | जय माता दी पेपर मील | 16.12.08 | 15.05.11 | 41.25 | 30.00 |
| 8. | कैलसीथम इन्जीनियर प्रायव्हेट लिमिटेड | 19.02.07 | 10.01.10 | 9.45 | |
| 9. | आर्या मैलेबल कार्टींग | 12.01.09 | 10.10.11 | 18.18 | 29.68 |
| 10. | लयूपिन गैसेस प्रायव्हेट लिमिटेड | 23.04.08 | 25.01.11 | 31.00 | 30.00 |
| 11. | सपना स्टीलस | 14.12.07 | 22.03.10 | 11.67 | |
| 12. | जी आर मिनरल्स एण्ड इंडस्ट्रीज प्रायव्हेट लिमिटेड | 29.01.09 | 01.05.11 | 17.50 | |
| 13. | शिवा दाल उद्योग | 14.08.07 | 25.03.11 | 21.76 | 60.00 |
| 14. | अग्रवाल कोल्ड स्टोरेज प्रो-उत्कल कॉमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड | 21.01.10 | 28.02.12 | 27.31 | |
| 15. | बी. आर. सीमेंट | 11.12.06 | 07.10.10 | 0.78 | |
| 16. | व्हीगनेश्वर इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड | 24.10.09 | 16.07.12 | 19.47 | |
| 17. | आर-क्वीट इकाई- 2 | 19.03.10 | 19.06.12 | 10.00 | |
| 18. | अंकित इलेक्ट्रो-गेटींग | 21.05.10 | 28.05.12 | 14.97 | |
| 19. | हरीओम ब्रिक्स | 13.07.10 | 25.12.11 | 1.45 | |
| 20. | शुभ लाभ इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड | 30.03.10 | 24.08.12 | 14.79 | |
| 21. | जी.एन. कोल्ड स्टोरेज प्रायव्हेट लिमिटेड | 05.02.10 | 30.05.12 | 12.94 | |
| 22. | महेश प्लसेस | 05.12.09 | 27.02.12 | 10.21 | |
| 23. | पार्थ इंडस्ट्रीज | 02.09.10 | 24.10.12 | 3.86 | |
| 24. | जे. पी. इंडस्ट्रीज | 23.07.09 | 23.03.12 | 1.22 | |
| 25. | सागर इंडस्ट्रीज | 07.06.11 | 24.04.13 | 7.04 | |
| योग | | | | 370.46 | 179.68 |

परिशिष्ट 3.1
(संदर्भ कंडिका 3.3.1)

| स. क्र. | परिणाम | कार्य |
|---------|--|---|
| 1. | प्राकृतिक वन स्टॉक में सुधार | बिगड़े हुये क्षेत्रों में सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन |
| 2. | एफ टी सी में बढ़ोतरी और सुधार | (अ) कृत्रिम पुनरोत्पादन एवं समृद्ध रोपण (ब) गैर-इमारती वन उत्पादों का प्रोत्साहन |
| 3. | सीमांत समुदाय की तत्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शुरू किया गया सहभागिता वन प्रबंधन | प्रवेश बिन्दु कार्य |
| 4. | वन प्रबंधन में सीमांत समुदाय की दीर्घावधिक सहभागिता | (अ) सहभागिता माइक्रो प्लानिंग, परियोजना का क्रियान्वयन और निगरानी (ब) सुनम्य परियोजना डिजाईन और लागत मानक |
| 5. | मृदा एवं नमी संरक्षण में बढ़ोतरी (एस.एम.सी.) | स्थानीय स्थल दशाओं के आधार पर भौतिक एस एम सी द्वारा अनुपूरित जैविक एस एम सी |
| 6. | उन्नत वन/वृक्ष उत्पादन | उन्नत प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन और उनका उपयोग तथा उच्च गुणवत्ता की रोपण सामग्री |
| 7. | प्राकृतिक संसाधन विकसित करने और प्रबंधन के लिए सीमांत समुदाय और फ्रंटलाईन कर्मचारियों की क्षमता में वृद्धि | जगरुकता उत्पन्न करना, प्रशिक्षण |
| 8. | स्थानीय वन आधारित सूक्ष्म उद्यमों के अवसरों में बढ़ोतरी | परियोजना क्षेत्र से वन उत्पादन का मूल्य संवर्धन और विपणन |
| 9. | समीक्षा और स्वतंत्र निगरानी प्रक्रिया को आन्तरिक बनाया जाना | परियोजनाओं की आंतरिक निगरानी और स्वतंत्र तृतीय पक्षकार सहमती और प्रत्येक परियोजना का अंतिम मूल्यांकन को बाटम-अप करना। |
| 10. | गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्रोत्साहन | स्थानान्तरी कृषि भूमि और अन्य फार्मलैंड्स पर कृषि वानिकी |
| 11. | समस्याग्रस्त भूमि का पुनरोद्धार | क्षारीय/अम्लीय, बीहड़, दलदली उच्च अक्षांशीय, मरुस्थली क्षेत्रों आदि के सुधार के लिए अतिरिक्त सहायता |

परिशिष्ट 3.2
(संदर्भ कांडिका 3.3.7.2)

(₹ लाख में)

| वर्ष | रा.व.वि.अ. से व.वि.अ. में स्थानांतरित निधि | | व.वि.अ. से सं.व.प्र. समिति में स्थानांतरित निधि | | पहली किस्त के हस्तांतरण में विलंब (दिनों में) |
|-------------------------------------|--|---------------|---|---------------|---|
| | निधि स्थानांतरित करने का दिनांक | राशि | निधि स्थानांतरित करने का दिनांक | राशि | |
| व.वि.अ., धमतरी | | | | | |
| 2010-11 | 11.10.10(I), 24.02.11(II), 06.04.11(III) | 275.54 | 25.05.11 से 14.10.11 | 146.88 | 211 |
| 2011-12 | 14.11.11(I), 25.01.12(II, III) | 145.89 | 02.02.12 से 16.05.12 | 133.92 | 68 |
| 2012-13 | 25.09.12(I), 15.03.13(II) | 81.41 | 05.10.12 से 25.02.13 | 89.95 | कोई विलंब नहीं |
| 2013-14 | 03.08.13(I), 18.03.14(II) | 109.55 | 25.10.13 से 09.03.15 | 83.06 | 87 |
| 2014-15 | 12.11.14(I), 02.01.15(II) | 100.14 | 19.01.15, 09.03.15 | 57.67 | 53 |
| | योग | 712.53 | योग | 511.48 | |
| व.वि.अ., कोन्डागाँव (दक्षिण) | | | | | |
| 2010-11 | 13.10.10(I), 13.10.10(II) | 99.95 | 18.03.11 से 17.01.12 | 97.42 | 140 |
| 2011-12 | 22.11.11(I), 27.01.12(II) | 63.79 | 30.06.12, 28.07.12 | 56.54 | 204 |
| 2012-13 | 15.03.13 | 52.15 | दिसम्बर 2013 | 53.92 | 240 |
| 2013-14 | 03.08.13(I), 18.03.14(II) | 54.33 | जून 14, जनवरी 15 | 51.13 | 280 |
| 2014-15 | 12.11.14(I), 02.01.15(II) | 116.29 | फरवरी 15, मई 15 | 95.08 | 70 |
| | योग | 386.51 | योग | 354.09 | |
| व.वि.अ., बस्तर | | | | | |
| 2010-11 | | | | | |
| 2011-12 | 22.11.11(I), 27.01.12(II, III) | 119.12 | 09.07.12(I) | 106.98 | 212 |
| 2012-13 | 25.09.12(I), 11.04.13(II) | 79.36 | 22.11.12(II), 10.12.13 | 79.65 | 42 |
| 2013-14 | 20.08.13 (I), 26.03.14 (II) | 79.81 | 29.01.14, 06.08.14 | 46.21 | 146 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|---------------|--|---------------|-----|
| 2014-15 | 26.11.14(I), 13.02.15(II) | 96.21 | 19.03.15, 04.08.15 | 66.34 | 98 |
| | योग | 374.50 | योग | 299.18 | |
| व.वि.अ., बलरामपुर | | | | | |
| 2010-11 | 11.10.10(I), 24.02.11(II) | 107.05 | _____ (I), 27.07.11(II) | 108.94 | |
| 2011-12 | 25.11.12(I), 27.01.12(II) | 77.19 | 16.01.12 (I), _____ (II) | 71.51 | 35 |
| 2012-13 | 25.09.12(I), 15.03.13(II) | 87.27 | 30.06.13 (I) | 81.96 | 262 |
| 2013-14 | 03.08.13(I), 18.03.14(II) | 233.76 | 26.10.13 (I), 08.05.14 (II), | 221.17 | 67 |
| 2014-15 | 12.11.14(I), 02.02.15(II) | 240.40 | 31.01.15 (I), _____ | 143.70 | 65 |
| | योग | 745.67 | योग | 627.28 | |
| व.वि.अ., कोरिया | | | | | |
| 2010-11 | 13.10.2010(I), 24.02.2011(II), 06.04.2011(III) | 78.84 | 29.03.2011(I) एवं (II), 14.06.2011(III) | 56.93 | 152 |
| 2011-12 | 14.04.2011(I), 27.01.2012(II) एवं (III) | 56.44 | 17.02.2012(I), 30.03.2012(II), 05.07.2012(III) | 56.85 | 294 |
| 2012-13 | 25.09.2012(I), 15.03.2013(II) | 36.70 | 08.11.2012(I), 28.04.2013(II) | 29.57 | 28 |
| 2013-14 | 03.08.2013(I), 18.03.2014(II) | 67.70 | 01.07.2013(I), 26.08.2013(II) | 37.00 | |
| 2014-15 | 12.11.2014(I), 02.01.2015(II) | 55.47 | 18.06.2014(I), 12.12.2014(II), 19.02.2015(III) | 87.63 | |
| | योग | 295.15 | योग | 267.98 | |
| व.वि.अ., सूरजपुर | | | | | |
| 2010-11 | 14.10.2010 | 17.62 | 01.03.2011(I) | 28.57 | 120 |
| 2011-12 | 25.11.2011(I), 27.01.2012(II) एवं (III) | 88.71 | 12.07.2011(I), 03.02.2012(II), 23.03.2012(III) | 110.15 | |
| 2012-13 | 25.09.2012(I), 15.03.2013(II) | 50.34 | 02.01.2013(I), 06.03.2013(II) | 27.98 | 82 |
| 2013-14 | 03.08.2013(I), 18.03.2014(II) | 26.80 | 05.06.2013(I), 20.02.2014(II) | 33.68 | |
| 2014-15 | 12.11.2014(I), --- | 10.06 | 11.08.14(I), 23.09.2014(II) | 41.59 | |
| | योग | 193.53 | योग | 241.97 | |
| व.वि.अ., कोरबा | | | | | |

31 मार्च 2016 समाप्ति वर्ष के राजस्व क्षेत्र का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| | | | | | |
|-----------------------------|---|---------------|--|---------------|-----------------|
| 2010-11 | 11.10.2010(I), 28.02.2011(II) एवं 06.04.2011(III) | 207.63 | 15.11.2010(I), 08.04.2011(II) एवं 23.07.2011 | 207.63 | 20 |
| 2011-12 | 15.11.2011(I), 27.01.2012(II) एवं 27.01.2012(III) | 92.70 | 24.02.2012(I), 30.06.2012(II) एवं 29.09.2012 | 92.70 | 85 |
| 2012-13 | 25.09.2012(I), 15.03.2013(II) | 91.42 | 28.09.2012(I), 06.06.2013(II) | 91.42 | |
| 2013-14 | 03.08.013(I), 18.03.2014(II) | 49.27 | 01.10.2013(I), 16.05.2014(II) | 49.27 | 43 |
| 2014-15 | 12.11.2014(I), 02.01.2015(II) | 35.79 | 20.02.2015(I), 20.02.2015(II) | 32.54 | 85 |
| | योग | 476.81 | योग | 473.56 | |
| व.वि.अ., बलौदा बाजार | | | | | |
| 2010-11 | 13.10.2010(I), 24.02.2011(II), 06.04.2011(III) | 122.25 | 14.10.2010(I), 17.03.2011(II), 08.04.2011(III) | 122.25 | कोई विलम्ब नहीं |
| 2011-12 | 09.11.2010(I), 27.01.2012(II), 27.01.2012(III) | 133.18 | 30.12.2011(I), 20.03.2012(II), 05.05.2012(III) | 133.18 | 35 |
| 2012-13 | 25.09.2012(I), 15.03.2013(II) | 31.02 | 04.10.2012(I), 05.04.2013(II) | 31.02 | |
| 2013-14 | 03.08.2013(I), 18.03.2014(II) | 75.12 | 23.08.2013(I), 02.07.2014(II) | 75.12 | |
| 2014-15 | 12.11.2014(I), 02.01.2015(II) | 128.73 | 19.01.2015(I), 16.04.2015(II) | 128.73 | 53 |
| | योग | 490.30 | योग | 490.30 | |

परिशिष्ट 3.3
(संदर्भ कांडिका 3.3.8.4)

| वन विकास अभिकरण का नाम | क्रय किये गये सामग्रियों | व्यय (₹ लाख में) | टिप्पणीयाँ |
|------------------------|---|-------------------|--|
| धमतरी | कम्प्यूटर, कम्प्यूटर बाह्य उपकरणों, फोटो कॉपी मशीन, एयर कन्डीशनर, फर्नीचर | 11.51 | क्रय किये गये सामग्रियों को वनमण्डलों के सामान्य कार्यों के लिए किया गया। |
| | कम्प्यूटर | 0.98 | संयुक्त वन प्रबंधन समिति से क्रय कर वनमण्डल कार्यालय में उपयोग किया गया। |
| जशपुर | कम्प्यूटर, कम्प्यूटर बाह्य उपकरणों, सी.सी.टी.व्ही. कैमरा, भवन निर्माण सामग्री | 13.43 | क्रय किये गये सामग्रियों का वन मण्डल एवं वृत्त कार्यालय में उपयोग किया गया। भवन निर्माण सामग्रियों को वनमण्डल कार्यालय का भवन निर्माण करने में उपयोग किया गया। |
| बलरामपुर | कम्प्यूटर, कम्प्यूटर बाह्य उपकरणों, फर्नीचर | 2.68 | संयुक्त वन प्रबंधन समिति से क्रय कर वनमण्डल कार्यालय में उपयोग किया गया। |
| कटधोरा | एयर कंडिशनर, कूलर, इन्वर्टर इत्यादि | 4.82 | क्रय किये गये सामग्रियों का उपयोग वन मण्डल कार्यालय हेतु उपयोग किया गया। |
| | सड़कों को बिछाने, जल व्यवस्था हेतु | 9.40 | क्रय किये गये सामग्रियों का उपयोग एवं निर्माण कार्य वनमण्डल के निरीक्षण बंगला में किया गया। |
| सूरजपुर | कम्प्यूटर, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडिशनर, फर्नीचर इत्यादि | 4.32 | क्रय किये गये सामग्रियों का उपयोग वनमण्डल कार्यालय हेतु किया गया। |
| कोरिया | सोलर लालटेन का क्रय | 5.26 | राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम के राशि से भण्डार क्रय नियमों में प्रावधानित प्राधिकार एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना क्रय किया गया। |
| योग | | 52.40 | |

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ कंडिका 4.4)

(₹ लाख में)

| स. क्र. | ईकाई का नाम | व्यवसायी का नाम / टीन क्र. / अवधि | वस्तु | सि.ए. रिपोर्ट / संलग्न क्रय सूचि अनुसार क्रय | मान्य आगत कर | फार्म 18 अनुसार दावा किया गया आगत कर | अधिक आगत कर | अधिक दावा किये गये आगत कर | विभाग द्वारा आरोपित शास्ति |
|---------|--------------------|---|-----------------------------|--|--------------|--------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7)-(6) | 9 | 10 |
| 1. | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | मेसर्स रामचन्द्र अग्रवाल (22235100885) (2013-14) | सामान्य सामग्री | 14% = 4.33 | 0.60 | 0.90 | 0.30 | 0.34 | |
| | | | | 5% = 41.65 | 2.08 | 2.12 | 0.04 | | |
| 2. | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | मेसर्स सुमित हार्डवेयर (22575100947) (2010-11) | सीमेंट, पेंट एवं हार्डवेयर | 14% = 57.06 | 7.99 | 8.19 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| 3. | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | मेसर्स किसान इन्टरप्राइजेज (22405100798) (2010-11) | कीटनाशक एवं ऊर्वरक | 5% = 94.40 | 4.72 | 5.55 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
| 4. | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | मेसर्स बसंल ट्रेडर्स (22855101569) (2012-13) | मोबाइल हैंडसेट | 5% = 0.75 | 0.04 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| 5. | वा.क.अ.-II, रायपुर | मेसर्स सतगुरु ट्रेडर्स (22491260524) (2010-11) | विद्युत सामग्री एवं उपकरणों | 5% = 80.07 | 4.00 | 5.36 | 1.36 | 2.78 | |
| | | | | 14% = 262.84 | 36.80 | 38.22 | 1.42 | | |
| 6. | वा.क.अ.-II, रायपुर | मेसर्स नेता मील स्टोर (2204120238) (2008-09) | मील एवं मशीनरी सामग्री | 4% = 171.68 | 6.60 | 7.19 | 0.58 | 0.58 | |
| 7. | वा.क.अ.-II, रायपुर | मेसर्स कम्प्यूटर जंक्शन (22231205032) (2010-11) | कम्प्यूटर और उसके पूर्ण | 5% = 331.11 | 16.55 | 17.13 | 0.57 | 0.57 | |
| 8. | वा.क.अ.-II, रायपुर | मेसर्स नार्थ विन्ड ट्रेडर्स (22661201158) (2010-11) | कम्प्यूटर और उसके पूर्ण | 5% = 101.61 | 5.08 | 5.50 | 0.42 | 0.42 | |
| | | योग | | 1,145.50 | 84.46 | 90.93 | 6.47 | 6.47 | 1.74 |

परिशिष्ट 4.2
(संदर्भ कांडिका 4.7)

(₹ लाख में)

| स. क्र. | ईकाई का नाम | व्यवसायी का नाम / टीन क्र. | कर निर्धारण वर्ष | वस्तु | बिना "सी" फार्म समर्थित अंतर्राज्यीय संव्यवहार | आरोपणीय / आरोपित कर की दर | कम आरोपण |
|---------|--------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------|----------|
| 1. | स.आ.-II, दुर्ग | मेसर्स देव स्टील, दुर्ग (22353203360) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 41.77 | 4 / 2 | 0.84 |
| 2. | वा.क.अ.-IV, रायपुर | मेसर्स कोलंबिया पेट्रोकेमिकल्स, रायपुर (22561400742) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | पेट्रोकेमिकल्स | 152.59 | 12.50 / 2 | 16.02 |
| 3. | वा.क.अ.-IV, रायपुर | मेसर्स वरुण स्टील, भनपुरी (22081405565) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 85.98 | 4 / 2 | 1.72 |
| 4. | वा.क.अ.-IV, रायपुर | मेसर्स ट्रांसरेक्ट इंडस्ट्रीज, रायपुर (22601404115) | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | इलेक्ट्रीक सामग्री | 70.96 | 5 / 2 | 2.13 |
| 5. | वा.क.अ.-II, रायगढ़ | मेसर्स पवन ट्रेडर्स (22695100008) | 2013-14 (स्व: कर निर्धारण) | एच.डी.पी.ई बैग एवं बुना हुआ बोरी | 31.75 | 5 / 2 | 0.95 |
| 6. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स ओसवाल हाइड्रोलिक्स, रायपुर एण्ड न्यूमेटिक्स, रायपुर (22181100348) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | भारी मशीनरी पूर्जो | 65.28 | 4 / 2 | 1.31 |
| 7. | वा.क.अ.-II, रायपुर | मेसर्स इस्माईल ब्रदर्स (220312000292) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | फायर वर्क्स | 26.06 | 12.50 / 2 | 2.74 |
| | | | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | फायर वर्क्स | 65.88 | 14 / 2 | 7.91 |

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | | | | | |
|------------|---|--|-------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|--------------|
| 8. | वा.क.अ.-V, रायपुर | मेसर्स बील्ड केयर इंडिया (22111506574) | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | वाल पुट्टी एवं सिमेंट | 16.97 | 14 / 2 | 2.04 |
| 9. | वा.क.अ.-V, रायपुर | मेसर्स नत्थानी टिम्बर (22151500635) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | काष्ठ | 95.33 | 12.50 / 2 | 10.01 |
| | | | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | काष्ठ | 120.95 | 14 / 2 | 14.51 |
| 10. | वा.क.अ.-V, रायपुर | मेसर्स विकास आयरन एण्ड फारुन्डरी (2281505947) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | कच्चा लोहा | 64.52 | 4 / 2 | 1.29 |
| 11. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स सत्येन्द्र ट्रेडर्स प्रायव्हेट लिमिटेड (22251205118) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | जूट बैग | 55.78 | 5 / 2 | 1.67 |
| 12. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स आदिनाथ स्टीलस (22071205120) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 82.80 | 4 / 2 | 1.66 |
| योग | | | | | 976.62 | | 64.80 |

परिशिष्ट 4.3
(संदर्भ कंडिका 4.8.1)

(₹ लाख में)

| स. क्र. | ईकाई का नाम | व्यवसायी का नाम / टीन क्र. | कर निर्धारण वर्ष | वस्तु | बिना "ई-1 सी" फार्म समर्थित अंतरराज्यीय संव्यवहार | आरोपणीय / आरोपित कर की दर | आरोपणीय कर | प्रेक्षण की प्रकृति |
|---------|----------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---|---------------------------|------------|---|
| 1. | स.आ.-II, दुर्ग | मेसर्स देव स्टील, दुर्ग (22353203360) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 18.52 | 4 / 0 | 0.74 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 2. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स श्रीवा मार्केटिंग सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, रायपुर (22221100423) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | स्वीच गीयर, मोटर, केबल इत्यादी | 212.25 | 5 / 0 | 10.61 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 3. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स एस.पी.व्ही. माईनिंग टेक्नोजोजी प्रायव्हेट लिमिटेड, रायपुर (22921104888) | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | भारी मशीनरी पुर्जे | 15.28 | 5 / 0 | 0.76 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 4. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, रायपुर (22151104002) | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 103.39 | 4 / 0 | 4.14 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 5. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, रायपुर (22151104002) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 70.96 | 4 / 0 | 2.84 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 6. | वा.क.अ.-V, रायपुर | मेसर्स इस्टन इंडिया इन्टरप्राइजेज, रायपुर (22031502156) | 2011-12 (स्व: कर निर्धारण) | स्टील ट्यूब, बीम, पट्टी इत्यादी | 278.30 | 5 / 0 | 13.92 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 7. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) | मेसर्स आर.बी. स्टील कॉर्पोरेशन (22911203106) | 2009-10 | लौह एवं स्टील | 91.18 | 4 / 0 | 3.65 | "सी" फार्म असमर्थित अंतरराज्यीय संव्यवहारों |

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र)

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|----------------------------|---------------|------------------|-------|---------------|---|
| | (श्रीमती भावना अली) | | (स्व: कर निर्धारण) | | 83.22 | 4 / 2 | 1.66 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 8. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स नरेन्द्र एण्ड नरेन्द्र स्टील कॉर्पोरेशन (22221204310) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 527.68 | 4 / 0 | 21.11 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| | | | | | 67.34 | 4 / 2 | 1.35 | "ई-1 सी" फार्म संलग्न नहीं थे। |
| 9. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स रामकुमार सुरेश कुमार (22491205568) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 9,796.77 | 4 / 0 | 391.87 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| 10. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स विश्व गीता इस्पात (22271205204) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 35.74 | 4 / 0 | 1.43 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| 11. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स रामा पावर एण्ड स्टील प्रायव्हेट लिमिटेड (22171205259) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | माईल्ड स्टील | 281.43 | 4 / 0 | 11.26 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| 12. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स डी.के. मार्केटिंग (22761201588) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 82.88 | 4 / 0 | 3.32 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| 13. | स.आ.वा.क. (मुख्यालय) (श्रीमती भावना अली) | मेसर्स श्री माधव स्टील (22621200210) | 2010-11 (स्व: कर निर्धारण) | लौह एवं स्टील | 43.06 | 4 / 0 | 1.72 | "सी" फार्म असमर्थित अंतराज्यीय सव्यवहारों |
| योग | | | | | 11,708.00 | | 470.38 | |

परिशिष्ट 4.4
(संदर्भ कंडिका 4.8.2)

(रुंलाख में)

| स. क्र. | ईकाई का नाम | व्यवसायी का नाम/टीन क्र. | कर निर्धारण वर्ष | वस्तु | बिना "एफ" फार्म समर्थित अंतर्राज्यीय संव्यवहार | आरोपणीय/आरोपित कर की दर | आरोपणीय कर / शास्ति | प्रेक्षण की प्रकृति |
|------------|----------------------|---|-------------------------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. | वा.क.अ.-I, रायपुर | मेसर्स ऑलवीन इन्डस्ट्रीज, रायपुर (22911103584) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | रसायनीक खाद | 33.45 | 4 / 0 | 1.34 | फार्म "एफ" असमर्थित माल अंतरण |
| 2. | वा.क.अ.-VIII, रायपुर | मेसर्स वेंटेक्श एनीमल हेल्थ लिमिटेड, रायपुर (22441801903) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | पशु स्वास्थ्य पदार्थ | 28.60 | 4 / 0 | 1.14 / 1.72 | फार्म "एफ" असमर्थित माल अंतरण |
| 3. | वा.क.अ.-VIII, रायपुर | मेसर्स धारीवाल ब्रर्दस, रायपुर (22161800893) | 2009-10 (स्व: कर निर्धारण) | रजाई | 37.00 | 4 / 0 | 1.48 / 2.22 | फार्म "एफ" असमर्थित माल अंतरण |
| योग | | | | | 99.05 | | 3.96 / 3.94 | |

परिशिष्ट 5.1
(संदर्भ कंडिका 5.5)

(रु.लाख में)

| ईकाई का नाम | ग्रंथ क्र./ दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | बाजार भाव | | आरोपणीय | | आरोपित | | कम आरोपण | |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | मार्गदर्शिका अनुसार | दस्तावेज अनुसार | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. |
| उ.पं., रायपुर | 66373 / 10355 दि. 30.03.2015 | 40.59 | 8.92 | 2.54 | 0.33 | 0.56 | 0.07 | 1.98 | 0.26 |
| | 66624 / 11107 दि. 30.03.2015 | 13.90 | 9.20 | 0.87 | 0.12 | 0.58 | 0.08 | 0.29 | 0.04 |
| | 66724 / 11328 दि. 31.03.2015 | 370.71 | 171.80 | 23.17 | 2.97 | 10.74 | 1.38 | 12.43 | 1.59 |
| | 66645 / 10874 दि. 29.03.2015 | 37.67 | 30.69 | 2.35 | 0.30 | 1.92 | 0.25 | 0.43 | 0.05 |
| | 66223 / 9832 दि. 19.03.2015 | 37.85 | 25.53 | 2.37 | 0.30 | 1.60 | 0.21 | 0.77 | 0.09 |
| | 66056 / 10676 दि. 10.03.2015 | 28.64 | 19.69 | 1.49 | 0.23 | 1.02 | 0.16 | 0.47 | 0.07 |
| | 66130 / 9566 दि. 16.03.2015 | 25.50 | 19.89 | 1.59 | 0.21 | 1.25 | 0.16 | 0.34 | 0.05 |
| | 66458 / 11563 दि. 27.03.2015 | 25.41 | 20.10 | 1.59 | 0.20 | 1.26 | 0.17 | 0.33 | 0.03 |
| | 66151 / 9633 दि. 17.03.2015 | 826.15 | 342.70 | 51.63 | 6.61 | 21.42 | 2.74 | 30.21 | 3.87 |
| | 66149 / 9615 दि. 17.03.2015 | 200.08 | 82.95 | 10.40 | 1.60 | 4.31 | 0.67 | 6.09 | 0.93 |
| | 66516 / 10748 दि. 28.03.2015 | 60.08 | 33.24 | 3.60 | 0.48 | 2.00 | 0.27 | 1.60 | 0.21 |
| | 66502 / 11591 दि. 28.03.2015 | 93.96 | 69.60 | 5.87 | 0.75 | 4.35 | 0.56 | 1.52 | 0.19 |
| | 66733 / 11408 दि. 31.03.2015 | 22.91 | 179.8 | 2.74 | 0.39 | 0.69 | 0.18 | 2.05 | 0.21 |
| | योग | 1783.45 | 1014.11 | 110.21 | 14.49 | 51.70 | 6.90 | 58.51 | 7.59 |
| उ.पं., अम्बिकापुर | 8358 / 6100 दि. 05.03.2015 | 13.74 | 8.59 | 0.86 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.75 | 0.04 |
| | 8360 / 6121 दि. 09.03.2015 | 1.36 | 0.57 | 0.08 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| | 8360 / 6122 दि. 09.03.2015 | 1.28 | 0.54 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | 8360 / 6123 दि. 09.03.2015 | 0.83 | 0.35 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.00 |
| | 8360 / 6129 दि. 09.03.2015 | 5.82 | 2.92 | 0.29 | 0.05 | 0.15 | 0.02 | 0.14 | 0.03 |
| | 8362 / 6165 दि. 10.03.2015 | 6.55 | 2.25 | 0.33 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.03 |
| | 8362 / 6164 दि. 10.03.2015 | 6.55 | 2.25 | 0.33 | 0.05 | 0.12 | 0.02 | 0.21 | 0.03 |
| | 8367 / 6250 दि. 13.03.2015 | 2.38 | 1.50 | 0.15 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.06 | 0.01 |
| | 8360 / 6131 दि. 09.03.2015 | 17.32 | 4.45 | 1.08 | 0.14 | 0.28 | 0.04 | 0.80 | 0.10 |
| | 7996 / 7833 दि. 31.03.2014 | 13.36 | 9.53 | 0.83 | 0.11 | 0.60 | 0.08 | 0.23 | 0.03 |
| | 8375 / 6393 दि. 19.03.2015 | 16.47 | 10.77 | 0.82 | 0.13 | 0.56 | 0.09 | 0.26 | 0.04 |
| | 7600 / 1086 दि. 26.03.2013 | 160.90 | 147.12 | 9.98 | 1.29 | 9.12 | 1.18 | 0.86 | 0.11 |
| | योग | 246.56 | 190.84 | 14.86 | 1.98 | 11.24 | 1.56 | 3.62 | 0.42 |
| उ.पं., जगदलपुर | 5448 / 506 दि. 10.06.2013 | 43.91 | 38.40 | 3.07 | 0.35 | 2.69 | 0.31 | 0.38 | 0.04 |
| | 5435 / 392 दि. 28.05.2013 | 27.18 | 16.85 | 1.97 | 0.22 | 1.22 | 0.14 | 0.75 | 0.08 |
| | योग | 71.09 | 55.25 | 5.04 | 0.57 | 3.91 | 0.45 | 1.13 | 0.12 |
| उ.पं., धमतरी | 9412 / 87 दि. 21.04.2014 | 19.57 | 13.51 | 0.98 | 0.16 | 0.68 | 0.11 | 0.30 | 0.05 |
| | 9133 / 520 दि. 11.06.2013 | 62.27 | 25.00 | 4.51 | 0.50 | 1.63 | 0.21 | 2.88 | 0.29 |
| | योग | 81.84 | 38.51 | 5.49 | 0.66 | 2.31 | 0.32 | 3.18 | 0.34 |
| महायोग | | 2,182.94 | 1,298.71 | 135.60 | 17.70 | 69.16 | 9.23 | 66.44 | 8.47 |

मु.शु.—मुद्रांक शुल्क
पं.फ.—पंजीयन फीस

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ कंडिका 5.6 का स.क्र. 1)

नगरीय क्षेत्रों में स्थित कृषि सम्पतियों का मार्गदर्शिका के प्रावधानों का पालन न किये जाने से मु.शु. एवं प.फ. की कम प्राप्ति का विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | दस्तावेज क्र./निष्पादन का दिनांक | संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल (वर्ग.मी. में) | बाजार भाव | | आरोपणीय | | आरोपित | | कम आरोपण | |
|------------|----------------------------------|---|--------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | मार्गदर्शिका अनुसार | दस्तावेज अनुसार | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. |
| 1. | 66715 / 12028 दि. 31.03.2015 | खसरा क्र. 480 / 7, 482 / 6, 482 / 1, 492 / 24 टिकरापारा | 1407 | 182.87 | 110.00 | 11.43 | 1.46 | 6.88 | 0.88 | 4.55 | 0.58 |
| 2. | 66732 / 11397 दि. 31.03.2015 | खसरा क्र. 286 / 4ब, उरला | 1539 | 36.99 | 5.32 | 2.31 | 0.30 | 0.33 | 0.04 | 1.98 | 0.26 |
| 3. | 66525 / 10823 दि. 28.03.2015 | खसरा क्र. 102 / 2, देवपुरी | 1630 | 97.58 | 37.03 | 4.88 | 0.78 | 1.93 | 0.30 | 2.95 | 0.48 |
| 4. | 66505 / 11623 दि. 28.03.2015 | खसरा क्र. 103 / 1, मठपुरैना | 1801 | 84.84 | 35.60 | 5.30 | 0.68 | 2.23 | 0.29 | 3.07 | 0.39 |
| 5. | 66137 / 11744 दि. 28.03.2015 | खसरा क्र. 324 / 4, सेजबहार | 1316 | 39.32 | 13.91 | 2.46 | 0.32 | 0.87 | 0.11 | 1.59 | 0.21 |
| 6. | 66430 / 11453 दि. 27.03.2015 | खसरा क्र. 202 / 12, अमलीडीह | 1164 | 108.55 | 36.80 | 6.78 | 0.87 | 2.30 | 0.30 | 4.48 | 0.57 |
| 7. | 66048 / 10630 दि. 10.03.2015 | खसरा क्र. 400 एवं 402, अमलीडीह | 2004 | 379.84 | 70.00 | 23.74 | 3.04 | 4.38 | 0.56 | 19.36 | 2.48 |
| योग | | | 10,861 | 929.99 | 308.66 | 56.90 | 7.45 | 18.92 | 2.48 | 37.98 | 4.97 |

मु.शु.—मुद्रांक शुल्क

पं.फ.—पंजीयन फीस

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ कंडिका 5.6 का स.क्र. 2)

मार्गदर्शिका अनुसार सम्पत्तियों का मूल्यांकन न किये जाने से मु.शु. एवं पं.फ. की कम प्राप्ति का विवरण

| दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | विक्रेता / क्रेता | संपत्ति का विवरण | क्षेत्रफल (वर्ग.मी. में) | बाजार भाव (₹ करोड़ में) | | आरोपणीय मूल्य (₹ लाख में) | | आरोपित मूल्य (₹ लाख में) | | कम आरोपण (₹ लाख में) | |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------|---------------------------|-------|--------------------------|-------|----------------------|-------|
| | | | | मार्गदर्शिका अनुसार | दस्तावेज अनुसार | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. |
| 10537 / 27.03.2015 | फातिमा / श्रीमती वंदना अग्रवाल एवं अन्य | ख. क्र. 575, शंकर नगर | 1680 | ₹ 4.37 | ₹ 3.21 | 22.71 | 3.50 | 16.70 | 2.57 | 6.01 | 0.93 |

संपत्ति का क्षेत्रफल: 1,680 वर्ग.मी.

प्रति पक्षकार का हिस्सा: 210 वर्ग.मी.

मार्गदर्शिका अनुसार दर: ₹ 26,000 प्रति वर्ग.मी.

मुल्य: 210* ₹ 26,000 * 8 व्यक्ति = ₹ 4,36,80,000

| | | |
|---|---|--------------------|
| मुद्रांक शुल्क: ₹ 4,36,80,00 का चार प्रतिशत | = | ₹ 17,47,200 |
| नगर निगम उपकर: ₹ 4,36,80,000 का एक प्रतिशत | = | ₹ 4,36,800 |
| उपकर: ₹ 17,47,200 का पाँच प्रतिशत | = | ₹ 87,360 |
| | | <u>₹ 22,71,360</u> |

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ कांडिका का 5.6 स.क्र. 3)

मार्गदर्शिका के प्रावधानों अनुसार कृषि सम्पत्तियों का मूल्यांकन न किये जाने से मु.शु. एवं पं.फ. की कम प्राप्ति का विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | ग्रंथ क्र./दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | क्षेत्रफल (हे. में) | बाजार भाव | | आरोपणीय | | आरोपित | | कम आरोपण | |
|--|-------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | मार्गदर्शिका अनुसार | दस्तावेज अनुसार | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. |
| 1. | 66637 / 9157 / 31.03.2015 | 0.316 | 9.48 | 8.34 | 0.59 | 0.07 | 0.52 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| दस्तावेज अनुसार दो फसलीय भूमि होने की वजह से असिंचित दर पर 25 प्रतिशत जोड़कर मूल्यांकन किया जाना था। | | | | | | | | | | |
| 2. | 66637 / 9159 / 31.03.2015 | 0.871 | 26.13 | 23.00 | 1.63 | 0.21 | 1.44 | 0.19 | 0.19 | 0.02 |
| दस्तावेज अनुसार दो फसलीय भूमि होने की वजह से असिंचित दर पर 25 प्रतिशत जोड़कर मूल्यांकन किया जाना था। | | | | | | | | | | |
| 3. | 66547 / 10891 / 29.03.2015 | 0.620 | 32.45 | 26.66 | 2.03 | 0.26 | 1.67 | 0.21 | 0.36 | 0.05 |
| बी-II अनुसार सिंचित भूमि होने की वजह से सिंचित दर से मूल्यांकन किया जाना था। | | | | | | | | | | |
| 4. | 66547 / 10889 / 29.03.2015 | 0.650 | 34.02 | 27.95 | 2.13 | 0.27 | 1.75 | 0.23 | 0.38 | 0.04 |
| बी-II अनुसार सिंचित भूमि होने की वजह से सिंचित दर से मूल्यांकन किया जाना था। | | | | | | | | | | |
| योग | | 2.457 | 102.08 | 85.95 | 6.38 | 0.81 | 5.38 | 0.70 | 1.00 | 0.11 |

परिशिष्ट 5.5

(संदर्भ कांडिका 5.6 का स.क्र. 4)

मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार सम्पतियों का मूल्यांकन न किये जाने से मु.शु. एवं पं.फ. की कम प्राप्ति का विवरण

(₹ लाख में)

| स. क्र. | ग्रंथ क्र./दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | प्रथम विक्रेता/द्वितीय विक्रेता | क्षेत्रफल (हे. में) | बाजार भाव (₹लाख में) | | आरोपणीय | | आरोपित | | कम आरोपण | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|----------|-------|
| | | | | मार्गदर्शिका अनुसार | दस्तावेज अनुसार | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. | मु. शु. | पं.फ. |
| 1. | 66498 / 11566 दि. 28.03.2015 | सालीक राम पटेल | 0.106 | 13.78 | 22.49 | 2.35 | 0.30 | 1.41 | 0.18 | 0.94 | 0.12 |
| | | जनक बाई | 0.067 | 23.81 | | | | | | | |
| मार्गदर्शिका के विशेष उपबंध अनुसार माना ग्राम में स्थित 0.101 हेक्टेयर तक के कृषि भूमि का मूल्यांकन मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध एक अनुसार प्लाट दर से किया जाना था। अतः द्वितीय विक्रेता का भूमि 0.101 हेक्टेयर से कम था, जिसका मूल्यांकन प्लाट दर से किया जाना था और प्रथम विक्रेता का भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाना था। | | | | | | | | | | | |
| 2. | 66539 / 8975 दि. 29.03.2015 | सरीता | 0.166 | 18.26 | 20.79 | 1.49 | 0.23 | 1.08 | 0.17 | 0.41 | 0.06 |
| | | धीरज | 0.023 | 10.47 | | | | | | | |
| मार्गदर्शिका के विशेष उपबंध अनुसार नक्टी ग्राम में स्थित 0.150 हेक्टेयर तक के कृषि भूमि का मूल्यांकन मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध एक अनुसार प्लाट दर से किया जाना था। अतः द्वितीय विक्रेता का भूमि 0.150 हेक्टेयर से कम था, जिसका मूल्यांकन प्लाट दर से किया जाना था और प्रथम विक्रेता का भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाना था। | | | | | | | | | | | |
| 3. | 66538 / 8962 दि. 28.03.2015 | चन्द्रा बेन चोपड़ा | 0.267 | 12.82 | 16.27 | 2.15 | 0.28 | 1.02 | 0.13 | 1.13 | 0.15 |
| | | शान्तीलाल | 0.072 | 21.56 | | | | | | | |
| मार्गदर्शिका के प्रपत्र 1 के उपबंध एक अनुसार नगरीय क्षेत्रों में स्थित 0.202 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन स्लैब दर अनुसार प्लाट दर से किया जाना था। अतः द्वितीय विक्रेता का भूमि 0.202 हेक्टेयर से कम था, जिसका मूल्यांकन प्लाट दर से किया जाना था और प्रथम विक्रेता का भूमि का मूल्यांकन हेक्टेयर दर से किया जाना था। | | | | | | | | | | | |
| योग | | | 0.701 | 100.70 | 59.55 | 5.99 | 0.81 | 3.51 | 0.48 | 2.48 | 0.33 |

परिशिष्ट 5.6
(संदर्भ कंडिका 5.7)

सम्पत्तियों के गलत मूल्यांकन के कारण मु.शु. एवं पं.फ. का कम आरोपण का विवरण

(अ)

| स. क्र. | उ.पं. का नाम | दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | क्षेत्रफल (हे. में) | बाजार भाव मार्गदर्शिका अनुसार (₹लाख में) | बाजार भाव दस्तावेज अनुसार (₹लाख में) | मुद्रांक शुल्क /पंजीयन फीस का कम आरोपण (₹लाख में) | प्रेक्षण की प्रकृति |
|------------|----------------|--------------------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|---|
| 1. | उ.पं., जगदलपुर | 970 दि. 09.07.2014 | 18,641 | 149.20 | 93.94 | 3.38 / 0.44 | उप पंजीयक, जगदलपुर का पंजीकृत विलेखों के नमूना जाँच (जनवरी 2016) में दो विलेखों में पाया गया कि 4.67 हेक्टेयर क्षेत्रफल का कृषि भूमि ग्राम कंगोली में स्थित था। मार्गदर्शिका के अनुसार उक्त भूमि का मूल्यांकन दर ₹ 81.00 लाख प्रति हेक्टेयर था एवं इसका बाजार भाव ₹ 3.79 करोड़ था। परन्तु उप पंजीयक ने इन सम्पत्तियों को ₹ 51.00 लाख प्रति हेक्टेयर दर से मूल्यांकन किया। अतः उप पंजीयक द्वारा मूल्यांकन में लापरवाही किये जाने के कारण संपत्तियों का ₹ 1.40 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ। परिणामस्वरूप ₹ 9.70 लाख (मु.शु. ₹ 8.58 लाख) एवं (पं.फ. ₹ 1.12 लाख) की कम प्राप्ति हुई। |
| 2. | | 971 दि. 09.07.2014 | 28,660 | 229.39 | 144.43 | 5.20 / 0.68 | |
| योग | | | 47,301.00 | 378.59 | 238.37 | 8.58 / 1.12 | |
| 3. | उ.पं., जगदलपुर | 368 दि. 23.05.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.28 / 0.03 | उप पंजीयक, जगदलपुर के पंजीकृत विलेखों के नमूना जाँच (जनवरी 2016) में छः प्रकरणों में पाया गया कि संपत्ति नगरपालिका क्षेत्र में स्थित थी एवं सुसज्जित टाइल्स युक्त के साथ बहुमंजिला प्लैट था। मार्गदर्शिका के अनुसार इन संपत्तियों का बाजार मूल्य ₹ 1.64 करोड़ था। परन्तु उप पंजीयक ने संपत्ति का मूल्यांकन ₹ 1.41 करोड़ किया, परिणामस्वरूप ₹ 1.70 लाख (मु.शु.—₹ 1.52 लाख एवं पं.फ.—₹ 0.18 लाख) की कम प्राप्ति हुई। |
| 4. | | 553 दि. 19.06.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.24 / 0.03 | |
| 5. | | 496 दि. 10.06.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.24 / 0.03 | |
| 6. | | 719 दि. 17.07.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.28 / 0.03 | |
| 7. | | 456 दि. 05.06.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.24 / 0.03 | |
| 8. | | 514 दि. 11.06.2013 | 162.63 | 27.32 | 23.52 | 0.24 / 0.03 | |
| योग | | | 975.78 | 163.92 | 141.12 | 1.52 / 0.18 | |

| | | | | | | | |
|---------------|---------------|----------------------------------|------------------|---------------|---------------|---------------------|--|
| 9. | उ.पं., रायपुर | 66687 / 11158 दि. 31. 03.2015 | 972.40 | 111.83 | 77.85 | 2.12 / 0.27 | कार्यालय उप पंजीयक, रायपुर का पंजीकृत विलेखों के नमूना जाँच (दिसम्बर 2015) के दौरान पाया गया कि जिस संपत्ति का विक्रय हुआ वह निवेश क्षेत्र में स्थित था। जिसका मूल्यांकन मार्गदर्शिका के विशेष प्रावधानों अनुसार अलग दर से किया जाना चाहिए था। उप पंजीयक ने उक्त भूमि का मूल्यांकन ₹ 87.65 लाख किया गया। मार्गदर्शिका के अनुसार संपत्ति का बाजार मूल्य ₹ 1.37 करोड़ था, परन्तु उ.पं. द्वारा पंजीकृत करते वक्त ऊपर दिये गये तथ्यों का ध्यान नहीं दिया गया। अतः निष्पादकों को अनुचित लाभ दिये जाने के कारण मु.शु. एवं पं.फ. की राशि ₹ 3.44 लाख का कम आरोपण हुआ (मु.शु.-₹ 3.05 लाख एवं पं.फ.-₹ 0.39 लाख) |
| 10. | | 66038 / 10622 दि. 09. 03.2015 | 651 | 24.74 | 9.80 | 0.93 / 0.12 | |
| योग | | | 1,623.40 | 136.57 | 87.65 | 3.05 / 0.39 | |
| महायोग | | | 49,900.18 | 679.08 | 467.14 | 13.15 / 1.69 | |

परिशिष्ट 5.6 जारी.....

(संदर्भ कंडिका 5.7)

(ब) उ.पं., अम्बिकापुर

| दस्तावेज क्र. एवं दिनांक | विलेखों की संख्या | संपत्ति का विवरण | संपत्ति | विवरण | मूल्यांकन | कुल मूल्य (₹ लाख में) | | | |
|--------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|
| 7558/345 दि. 25.04. 2013 | 01 | खसरा क्र. 323/16= 1. 076 हे. एवं खसरा क्र. 252= 0.267 हे., ग्राम-फुण्डहरहीदारी, वीर सावरकर वार्ड (बनारस रोड़ पुल पर) | भूमि | 13430 वर्ग मीटर | 4048 * ₹ 5,525 (मुख्य मार्ग) | 223.65 | | | |
| | | | | | 6712 * ₹ 4,972.50 (मुख्य मार्ग) | 333.75 | | | |
| | | | | | 2670 * ₹ 3,040 | 81.17 | | | |
| | | | | | | जोड़ें खड़े वृक्षों | 14 वृक्ष | 14 * ₹ 182 = (₹ 2,548) | 0.02 |
| | | | | | | जोड़ें सेड़ भवन | 450 वर्ग फुट | 450 * ₹ 573 | 2.58 |
| | | | | | | जोड़ें पक्का दुकान | 480 वर्ग फुट | 480 * ₹ 968 | 4.65 |
| | | | | | | जोड़ें पक्का भवन | 1000 वर्ग फुट | 1,000 * ₹ 651 | 6.51 |
| | | | | | | जोड़े 2 कच्चा भवन | 1200 * 2= 2400 वर्ग फुट | 2,400 * ₹ 367 | 8.81 |
| | | | | | | कुल संपत्ति का मूल्यांकन | | | 661.15 |
| | | | | | | घटाईये दस्तावेज अनुसार मूल्यांकन | | | 157.60 |
| | | | | | | अवमूल्यांकन (6-7) | | | 503.55 |
| | | | | | | मु.शु. का कम आरोपण | | | 31.13 |
| | | | पं.फ. का कम आरोपण | | | 4.03 | | | |
| | | | कुल (9+10) | | | 35.16 | | | |

कार्यालय उप पंजीयक, अम्बिकापुर के पंजीकृत विलेखों के नमूना जांच (फरवरी 2016) में पाया गया कि दो निष्पादकों के बीच वाणिज्य संपत्ति का विक्रय हेतु करार अगस्त 2008 में निष्पादित यह कहकर किया गया था की विलेखों के निष्पादन के तीन माह के अंदर अनुबंध पर हस्ताक्षर किया जायगा। उसके बाद ₹ 65.00 लाख का विक्रय प्रतिफल के साथ सितम्बर 2012 में निष्पादन हुआ एवं अप्रैल 2013 में ₹ 1.58 करोड़ का बाजार मूल्य निर्धारण कर पंजीयन किया गया। चूंकि विलेखों का पंजीयन वर्ष 2013-14 में हुआ था, तो उक्त भूमि का बाजार भाव ₹ 6.61 करोड़ होना चाहिए था। परन्तु उप पंजीयक द्वारा संपत्ति का मूल्य निष्पादन दिनांक के अनुसार किये जाने के कारण ₹ 5.04 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ, जिसके फलस्वरूप मु.शु./पं.फ. की अंतर की राशि ₹ 35.16 लाख वसूलनिय थी।

कुल योग "अ" एवं "ब"

| | अ | ब | योग | |
|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) | 49,900.18 | 13,430.00 | 63,330.18 | |
| बाजार मूल्य मार्गदर्शिका अनुसार | 679.08 | 661.15 | 1,340.23 | |
| बाजार भाव दस्तावेज अनुसार | 467.14 | 157.60 | 624.74 | |
| कम प्राप्ति | मु.शु. | 13.15 | 31.13 | 44.28 |
| | प.फ. | 1.69 | 4.03 | 5.72 |
| | योग | 14.84 | 35.16 | 50.00 |

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ कांडिका 6.5)

परिवहन के दौरान मदिरा का अत्याधिक हानि पर शास्ति का अनारोपण का विवरण

(₹ लाख में)

| माह | कुल प्रमिट | कुल प्रेषण (प्रू.लि. में) | कुल प्राप्ति (प्रू.लि. में) | अनुमत्य हानि (प्रू.लि. में) | वास्तविक हानि (प्रू.लि. में) | अधिक हानि (प्रू.लि. में) | शुल्क में हानि |
|--------------|------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|
| अप्रैल 2014 | 65 | 4,58,939.900 | 4,56,721.520 | 1,147.350 | 2,218.381 | 1,071.031 | 1.07 |
| मई 2014 | 60 | 3,91,762.300 | 3,84,747.575 | 979.406 | 7,014.725 | 6,035.319 | 6.04 |
| जून 2014 | 68 | 4,92,706.700 | 4,90,218.028 | 1,231.767 | 2,488.672 | 1,256.905 | 1.26 |
| जुलाई 2014 | 87 | 6,04,449.800 | 6,01,571.439 | 1,511.125 | 2,878.361 | 1,367.236 | 1.37 |
| अगस्त 2014 | 70 | 5,09,766.240 | 5,07,257.442 | 1,274.416 | 2,508.798 | 1,234.382 | 1.23 |
| सितम्बर 2014 | 93 | 6,73,778.540 | 6,64,852.538 | 1,684.446 | 8,926.002 | 7,241.556 | 7.24 |
| अक्टूबर 2014 | 38 | 2,74,943.160 | 2,73,702.365 | 687.358 | 1,240.796 | 553.438 | 0.55 |
| नवम्बर 2014 | 38 | 2,77,594.300 | 2,75,803.918 | 693.986 | 1,790.382 | 1,096.396 | 1.10 |
| दिसम्बर 2014 | 36 | 2,50,664.450 | 2,49,500.563 | 626.661 | 1,163.887 | 537.226 | 0.54 |
| जनवरी 2015 | 38 | 2,88,261.450 | 2,86,916.922 | 720.654 | 1,344.529 | 623.875 | 0.62 |
| फरवरी 2015 | 41 | 3,17,599.650 | 3,16,342.124 | 793.999 | 1,257.526 | 463.527 | 0.46 |
| मार्च 2015 | 34 | 2,68,466.750 | 2,60,931.595 | 671.167 | 7,535.155 | 6,863.988 | 6.86 |
| योग | 668 | 48,08,933.240 | 47,68,566.027 | 12,022.335 | 40,367.214 | 28,344.879 | 28.34 |

वर्ष 2014-15 की औसत आबकारी शुल्क दर: ₹ 100 प्रति प्रूफ लीटर

परिशिष्ट 7.1

(संदर्भ कांडिका 7.4)

प्रेषित किये गये मिडलिंग पर कम प्राप्त राज्यांश का विवरण

(₹ लाख में)

| अवधि | प्रेषण मात्रा (मै.टन में) | “पावर युटीलिटी से भिन्न क्षेत्र” बेसिक पिट हेड आर ओ एम दर प्रति मै.टन | राज्यांश का दर | देय राज्यांश (₹ लाख में) | भुगतान राशि (₹ लाख में) | कम प्राप्ति (₹ लाख में) |
|--------------------------|---------------------------|---|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4= (3) का 14 प्रतिशत | 5= (2)*(4) | 6 | 7=(5)-(6) |
| 10.05.2012 से 31.03.2013 | 40,18,953.64 | ₹ 490 | ₹ 68.60 | ₹ 2,757.00 | ₹ 2,306.88 | ₹ 450.12 |
| 01.04.2013 से 27.05.2013 | 6,18,226.21 | ₹ 490 | ₹ 68.60 | ₹ 424.10 | ₹ 354.86 | ₹ 69.24 |
| 28.05.2013 से 31.03.2014 | 32,28,478.29 | ₹ 540 | ₹ 75.60 | ₹ 2,440.73 | ₹ 2,033.94 | ₹ 406.79 |
| 01.04.2014 से 31.03.2015 | 38,68,347.51 | ₹ 540 | ₹ 75.60 | ₹ 2,924.47 | ₹ 2,437.06 | ₹ 487.41 |
| योग | 1,17,34,006.31 | | | ₹ 8,546.30 | ₹ 7,132.74 | ₹ 1,413.56 |

परिशिष्ट 7.2

(संदर्भ कांडिका 7.5)

जी-7 एवं जी-12 ग्रेड कोयला पर कम प्राप्त राज्यांश का विवरण

| माह | कुल उत्पादन (मै.टन में) | | प्रेषण (मै.टन में) | | | देय राज्यांश (₹ लाख में) | | | कुल जमा राज्यांश (₹ लाख में) | कम प्राप्ति (₹ लाख में) | ब्याज 24 प्रतिशत प्रति वर्ष (₹ लाख में) |
|-------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------------------|---|
| | जी-7 | जी-12 | जी-7 | जी-12 | योग | जी-7 | जी-12 | योग | | | |
| जनवरी 2012 | 29,680 | 38,533 | 28,584.99 | 38,033.20 | 66,618.19 | 50.31 | 36.32 | 86.63 | 80.91 | 5.72 | 5.49 |
| फरवरी 2012 | 36,113 | 26,381 | 35,774.90 | 27,558.40 | 63,333.30 | 62.96 | 26.32 | 89.28 | 82.13 | 7.15 | 6.73 |
| मार्च 2012 | 39,493 | 44,003 | 37,597.64 | 40,890.52 | 78,488.16 | 66.17 | 39.05 | 105.22 | 97.70 | 7.52 | 6.92 |
| अप्रैल 2012 | 26,852 | 31,718 | 27,168.46 | 33,528.29 | 60,696.75 | 47.82 | 32.02 | 79.84 | 74.40 | 5.44 | 4.89 |
| मई 2012 (9.05. 2012 तक) | 28,024 | 29,788 | 7,299.10 | 8,857.44 | 16,156.54 | 12.85 | 8.46 | 21.31 | 19.85 | 1.46 | 1.28 |
| योग | 1,60,162 | 1,70,423 | 1,36,425.09 | 1,48,867.85 | 2,85,292.94 | 240.11 | 142.17 | 382.28 | 354.99 | 27.29 | 25.31 |

राज्यांश का दर जी-7 ग्रेड = ₹ 90 + ₹ 1,720 का 5 प्रतिशत = ₹ 176 प्रति मै.टन

राज्यांश का दर जी-12 ग्रेड = ₹ 55 + ₹ 810 का 5 प्रतिशत = ₹ 95.50 प्रति मै.टन

शब्दकोष

संक्षेप की शब्दावली

| संक्षिप्त | पूरा रूप |
|------------------|--|
| स.आ. | सहायक आयुक्त |
| स.आ.वा.क. | सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर |
| ले.स.बै. | लेखापरीक्षा समिति बैठक |
| स.वा.क.अ. | सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी |
| अ.आ.आ. | अपर आबकारी आयुक्त |
| म.ले | महालेखाकार |
| स.आं.ले.अ. | सहायक आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकारी |
| स.ख.अ. | सहायक खनिज अधिकारी |
| स.प्रा.पु. | सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन |
| क.नि.अ. | कर निर्धारण अधिकारी |
| अ.प्र.मु.व.सं. | अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| का.वा.यो. | कार्य का वार्षिक योजना |
| सहा.क्षे.प.अ. | सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी |
| का.टी. | कार्यवाही टीप |
| ब.अ. | बजट अनुमान |
| क्ष.व. | क्षतिपूर्ति वनीकरण |
| कैम्पा | क्षतिपूर्ति वनीकरण प्रबंधन एवं योजना अभिकरण |
| सी.सी. | सीमेंट कांक्रिट |
| मु.व.सं | मुख्य वन संरक्षक |
| सी.सी.टी.व्ही. | क्लोज सर्किट टेलीविजन |
| मु.वि.नि. | मुख्य विद्युत निरीक्षक |
| व.सं | वन संरक्षक |
| छ.ग.प्र.क. | छत्तीसगढ़ प्रवेश कर |
| छ.ग.मो.या.क. | छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान |
| छ.ग.मू.सं.क | छत्तीसगढ़ मूल्य सवंधित कर |
| क.इ. | कक्ष इतिहास |
| दे.म. | देशी मदिरा |
| कें.मो. | केंद्रीय मोटरयान |
| छ.रा.औ.वि.नि. | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम |
| छ.रा.वि.वि.कं.म. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित |
| कें.वि.क. | केंद्रीय विक्रय कर |
| वा.क.नि. | वाणिज्यिक कर निरीक्षक |
| वा.क.अ. | वाणिज्यिक कर अधिकारी |
| उ.आ. | उपायुक्त |
| वि.आ. | विकास आयुक्त |
| उ.सं.वि | उपसंचालक वित्त |
| उ.सं.ख.प्र. | उपसंचालक खनिज प्रशासन |
| जि.आ.अ. | जिला आबकारी अधिकारी |
| व.म.अ. | वनमंडलाधिकारी |
| डि.जे. | डिजल जेनरेटर |
| सं.भौ.ख. | संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म |
| सं.ख.प्र. | संचालक खनिज प्रशासन |

| | |
|----------------------|---|
| जि.ख.अ. | जिला खनिज अधिकारी |
| जि.पं. | जिला पंजीयक सह मुद्रांक संग्रहक |
| जि.व्या.उ.के. | जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र |
| जि.प.अ. | जिला परिवहन अधिकारी |
| आ.आ. | आबकारी आयुक्त |
| ई.एम. | एन्ट्रैपेनयर मेमोरैण्डम |
| ई.पी.ए. | प्रवेश बिंदु कार्य |
| प्र.क. | प्रवेश कर |
| व.अ. | वन अग्रिम |
| व.वि.अ. | वन विकास अभिकरण |
| जी.सी.व्ही. | सकल कैलोरिफिक मान |
| हा.ब्लै. | हाई ब्लैक |
| एच.एस.डी. | हाई स्पीड डिजल |
| आं.ले.इ. | आंतरिक लेखापरीक्षा इकाई |
| उ.बा.चु. | उन्नत बायोमास चुल्हा |
| आई.ई.एम | इन्डस्ट्रीयल एन्ट्रैपेनयर मेमोरैण्डम |
| म.पं. | महानिरीक्षक, पंजीयन |
| आई.एम.एफ.एल. | भारतीय निर्मित विदेशी मदिरा |
| औ.नी. | औद्योगिक नीति |
| नि.प्र. | निरीक्षण प्रतिवेदन |
| आ.क.छु. | आगत कर का छुट |
| सु.का.व./सु.पा.श्रे. | सुधार कार्यवृत्त/सुधार पातन श्रेणी |
| स.व.प्र.स. | संयुक्त वन प्रबंधन समिति |
| के.व्ही.ए. | किलो वाल्ट एम्पीयर |
| ख.रि.नि. | खनिज रियायत नियम |
| ख.नि. | खनिज निरीक्षक |
| ख.ख.वि.नि. | खान एवं खनिज विकास एवं नियामक |
| व.प.मं. | वन एवं पयोवरण मंत्रालय |
| एम.ओ.यू. | मेमोरैण्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग |
| एम.एस | मोटर स्पीट |
| एम.एस.एम.ई.डी. | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी विकास |
| मै.ट. | मैट्रिक टन |
| एम.यू. | मिलियन इकाई |
| मो.वा. | मोटर वाहन |
| मे.वा. | मेगा वाट |
| रा.व.पा.वि.बो. | राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिति विकास बोर्ड |
| रा.व.का. | राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम |
| एन.जी.ओ. | गैर-सरकारी संस्थान |
| एन.पी.व्ही. | शुद्ध प्रत्याशा मूल्य |
| नि.ले.प. | निष्पादन लेखापरीक्षा |
| प्र.मु.व.सं. | प्रधान मुख्य वन संरक्षक |
| सा.क्षे.उ. | सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम |
| आर.डी.एफ. | बिगडें वनों का पुनरोद्धार |
| ग्रा.यां.से. | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा |
| पं.फ. | पंजीयन फीस |

| | |
|------------|----------------------------|
| प.अ. | परिक्षेत्र अधिकारी |
| आर.ओ.सी. | कंपनी का रजिस्ट्रार |
| आर.ओ.एम. | रन-आफ-माईन |
| रा.व.प्र. | राजस्व वसूली प्रमाणपत्र |
| क्षे.प.अ. | क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी |
| प्र.सु.का. | प्रवरण सह सुधार कार्यवृत्त |
| मु.शु. | मुद्रांक शुल्क |
| उ.व.म.अ. | उप वनमंडलाधिकारी |
| रा.व.वि.अ. | राज्य वन विकास अभिकरण |
| एस आई एम | सबसकाराईबर आईडेंटी माड्यूल |
| एस एम सी | मृदा एवं नमी संरक्षण |
| उ.पं. | उप-पंजीयक |
| प.आ. | परिवहन आयुक्त |
| टीजी | टरबाईन जेनरेटर |
| त.स्वी. | तकनीकी स्वीकृति |
| उ.प्र.प. | उपयोगिता प्रमाण पत्र |
| यू.एच.व्ही | उपयोगी उष्मा मान |
| मू.सं.क. | मूल्य संवर्धित कर |
| का.आ. | कार्य आयोजना |



भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in